राजस्थान विधान सभा का कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 । सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 19वां दिवस [संख्या 9

मंगलवार

दिनांक 10 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11,00 बजे विधान सभा भवन में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या 145

श्री गोपाल पचेरवाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमीन खां ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 169 भी इसी प्रकार का है। अगर दोनों प्रश्नों का उत्तर साथ आ जाये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह पशुओं की चिकित्सा का है, वह आदमियों की चिकित्सा का है। आपको आदमियों और पशुओं की चिकित्सा में फर्क दिखता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इन दोनों के उत्तर साथ दे दिये जायें।

बाड़मेर व जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालयों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

146. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि जिला पशुपालन अधिकारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्त करने के अधिकार है ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति हेतु स्थानीय रोजगार कार्यालय से स्थानीय व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया है, और बाहर के लोगों को नियुक्त कर दिया गया है ?

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के पशु चिकित्सालयों में कितने चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी निदेशक, पशुपालन ने नियुक्त करके भेजे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या सरकार भविष्य में उन जिलों के बेरोजगारों को ही सेवा में रखने के सिद्धान्त को उचित मान कर नियुक्तियां देगी ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां । स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही नियुक्तियां की जाती हैं परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति स्थानीय रोजगार कार्यालय के अलावा सीधी भर्ती से भी की जा सकती है।

(2) वर्ष 1979-80 में जिला बाड़मेर में तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय द्वारा नियुक्त किए गए थे। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२)

(श्रीमती कमला)

(3) जी हां, वर्ष 1980-81 की अनियमित नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

पशुपालन अधिकारी, कोटा के क्षेत्र में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

169. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पशुपालन अधिकारी, कोटा के क्षेत्र में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है? कृपया उनके नाम व निवास स्थान की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उस समय नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध था?

(3) क्या यह सही है कि सामान्य रूप के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही की जानी चाहिये?

(4) क्या इन नियुक्तियों में इस नियम का पालन हुआ है?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला): (1) जिला पशुपालन अधिकारी, कोटा के क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) सिर्फ अपंग एवं वृत्तिकाधारी व्यक्तियों के लिये ही नियुक्ति दी हुई है।

(4) जी हां; किन्तु अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिये यह प्रतिबन्ध नहीं है।

(5) अपंग एवं वृत्तिकाधारी व्यक्तियों के अलावा भी कुछ व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अमीन खां: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया यह बतायें कि अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिजर्व सीटों पर सीधी भर्ती की गई? क्या हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से मालूम किया कि अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जन जाति के बेरोजगार लोग मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो नागौर, जयपुर और अलवर के 5 लोगों को वहां अभी तैनात किया है क्या यह सिद्धान्त रूप से, न्याय रूप से सही मानते हैं?

श्रीमती कमला: अध्यक्ष महोदय, दोनों ही कारणों से भर्ती को अनियमित मानते हैं। बहुत दूर-दूर के जिलों के लोगों को स्थानीय क्लास फोर के पदों पर, महतर के पदों पर लगाया है इसलिये असंगति पैदा हुई। इन दोनों पदों पर जो नियुक्तियां निदेशालय से की गई थीं उनको निरस्त कर दिया गया है।

श्री अमीन खां: मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करें, क्या बाड़मेर में महतर नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीन खां : बाड़मेर में पांच, जैसलमेर में पांच नियुक्तियां की गई हैं। अलवर और जयपुर और नागौर से भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी !

श्री अमीन खां: जयपुर से भेजा गया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी जो नियुक्तियां कोटा में की हैं, जैसा आपने कहा, निरस्त की गई हैं 11 नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं, वे सभी कर्मचारी वापस आ गये ? जो नियुक्तियां निदेशालय से हुई उनको निरस्त कर दिया गया है तो क्या जो 11 लोगों की नियुक्ति निरस्त की गई वह वापस आ गये, वहां से हटा दिये गये ?

श्रीमती कमला : जिन व्यक्तियों ने कार्यभार नहीं संभाला था उनके लिए यह आदेश दे दिये गये हैं कि उनको कार्यभार न संभलाया जाये। जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है उनको सेवा मुक्त करने के लिए एक महीने का नोटिस दिये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: एक महीने के नोटिस की चर्चा की है। किन्तु कई व्यक्ति तीन-तीन महीने से वहां हैं। क्या यह व्यक्ति आफिसरों से यह कह रहे हैं कि खर्चा मत करो, डाइरेक्टर का आदमी हूं, तुम्हारा ट्रान्सफर करवा दूंगा।

श्रीमती कमला : क्योंकि नियुक्ति को काफी समय हो गया जब यह मुद्दा सामने आया तो तुरन्त इस पर कार्यवाही की गई है। दो महीने भी हो सकते हैं। डेढ़ महीना भी हो सकता है, नोटिस जारी करने के बाद एक महीने की अवधी दी गई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इस पर कुछ नहीं बनता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने यह गलत नियुक्ति की है क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती कमला : आपने तारीख पूछी है, किस तारीख को आपने इनकी नियुक्तियों को हटाने के आदेश जारी किये हैं। यह नोटिस दो तीन दिन पहले ही दिये हैं और इसलिये दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ गया जब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने पहले ही कहा था कि यह उनके नोटिस में है, / यह आज से दस दिन पहले की बात है।

श्रीमती कमला : मैंने यह नहीं कहा कि निरस्त कर दिये गये हैं। मैंने कहा था, माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं कि मेरे

(4)

(श्रीमती कमला)

नोटिस पूर्व में आ चुके हैं और इसके लिये विभाग को निदेश दे दिये हैं कि यह नियुक्तियां निरस्त कर दी जायें। गवर्नर एड्रेस के वक्त में माननीय श्री रघुवीरसिंह जी कौशल बोल रहे थे उस वक्त यह जवाब दिया था। आपने जो कहा है उसके संदर्भ में मेरा इतना ही निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्यवाही की है उनका स्पष्टीकरण मांग कर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : राज्यादेश....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री महावीर प्रसाद !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय के आदेश हैं...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया गया है।

टोंक के अनुसूचित जाति के छात्रावास को क्रमोन्नत करना

147. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या टोंक के अनुसूचित जाति के छात्रावास को क्रमोन्नत करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(2) यदि नहीं, तो क्या अब सरकार इस पर विचार करेगी ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री हरसहाय मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) क्रमोन्नत की कोई योजना नहीं है। छात्रों की संख्या बढ़ाना फिलहाल सम्भव नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस वर्ष कितने छात्रों के प्रार्थना पत्र मिले और कितनों को प्रवेश दिया है ? जिनको प्रवेश नहीं दिया गया, उसके क्या कारण थे ?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमान, वर्ष 1977-78 में 136 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 75 को भर्ती दी गई। दूसरे साल, वर्ष 197 -79 में 109 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 75 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्रमोन्नत करने की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : इसका आधार बताया जाय, आधार क्या है ? आपने 77-78 और 78-79 का बताया उसके बाद का नहीं बताया। साथ में यह भी बतायें कि एस. सी. के कितने छात्र हैं और एस. सी. के कितने छात्रों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरसहाय मीणा : 79-80 में 106 छात्रों ने प्रवेश चाहा था जिसमें से 70 को दिया। 1980-81 में 139 प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से 70 को दिया।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि 50 से अधिक छात्रावासों के अधीक्षकों को अपग्रेड किया गया है ?

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न है। अलग प्रश्न।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी): अध्यक्ष महोदय, में पालियामेन्ट का मेम्बर भी रहा हूं, मुझे भी एक प्रश्न पूछ लेने दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहता हूं कि टोंक के छात्रावास में क्या पक्षपात वरता जाता है जिससे जिन को दाखिला दिया जाना चाहिये, उनको नहीं मिलता है और जो साधन सम्पन्न हैं, उनको दाखिला मिल जाता है ?

श्री हर सहाय मीणा : श्रीमन्, इस प्रकार की डिपार्टमेन्ट के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई प्राब्लम है अगर पार्शियलिटी वरती गई है तो जांच करवा लेंगे।

अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

उपनिवेशन क्षेत्र में ईंटों के भट्टों हेतु आवंटित भूमि।

148. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में कितने लोगों को ईंटों के भट्टों की जमीन आवंटित की गई है ?

(2) उपनिवेशन क्षेत्र में भट्टों की जमीन आवंटन के क्या नियम हैं ? क्या उपरोक्त जमीन नियमानुसार आवंटित हुई है ?

(3) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में कितने गैर कानूनी भट्टे सरकारी रिकार्ड में चल रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री राम किशन वर्मा) :

(1) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में 9 व्यक्तियों को ईंटों के भट्टों की जमीन आवंटित की गई है।

(2) राजस्थान उपनिवेशन (परियोजना क्षेत्र में ईंट भट्टे) पट्टे शर्तें 1966 प्रचलित है। भट्टे उन्हीं नियमों के अधीन दिये गये हैं।

(3) वर्तमान में 9 गैर कानूनी ईंटों के भट्टे चल रहे हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो 9 अनधिकृत भट्टों का निर्माण हो रहा है, । उनके खिलाफ विभाग जो कार्यवाही कर रहा है, उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामकिशन वर्मा: जो अनियमित भट्टे हैं उनमें 66 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शान्त रहें।

(6)

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 9 भट्टों के लिये कानूनी कार्यवाही चल रही है। इसमें से एक से पांच तक के भट्टों की कार्यवाही अलग चल रही है और 6 से 9 तक के भट्टों की कार्यवाही अलग है। इसका विवरण निम्न प्रकार है : –श्रीमती कमला देवी ....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी ; ये भट्टे कितने अर्से से मौजूद हैं ? क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी चाही नहीं गई है। आप प्रश्न में ही पूछ लेते कितने वर्षों से चल रहे हैं। यह अलग प्रश्न है।

(व्यवधान)

प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : 9 अनियमित भट्टों की कार्यवाही चल रही है जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया तो हर वर्ष 2-3 भट्टों का निर्माण और हो जाता है उनके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री रामकिशन : ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 9 भट्टे गैर कानूनी मंत्री महोदय ने स्वीकार किये हैं, क्या ये रायल्टी दे रहे हैं ? जो भट्टे चलाते हैं उनको रायल्टी देनी पड़ती है। क्या वे रायल्टी दे रहे हैं ? कोयला कहां से प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री राम किशन वर्मा : अगर वे रायल्टी देते तो गैर क़ानूनी कहां से होते ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल !

आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रशिक्षणार्थ प्रवृत्त प्रवेश नियम

149. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के प्रत्याशियों के लिये आरक्षण लागू है और उसके अनुसार उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। कृपया तत्सम्बन्धी आदेश सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन महाविद्यालयों में अपने प्रवेश सम्बन्धी भी पृथक नियम हैं, जिनकी प्राथमिकता से पालन करने से आरक्षण सम्बन्धी नियम नाकारा हो जाते हैं ? कृपया इन महाविद्यालयों के प्रवेश सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इन महाविद्यालयों के विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रत्येक वर्ग में वर्ष 1980-81 में कुल कितने छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया और उनमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कितने छात्र छात्राएं हैं ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री घासीराम यादव): (1) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्देश जारी किये हुए हैं। जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। जिनके अन्तर्गत

(श्री घासीराम यादव)

अनुसूचित जाति जन जाति को 3 प्रतिशत सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया हुआ है। इस कारण आरक्षण सम्बन्धी नियमों के नाकारा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) वर्ष 1980-81 के लिए उदयपुर आयुर्वेद कालेज में आयुर्वेद प्रवेशिका में कुल 60 आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. आयुर्वेद) में 5 एवं प्रथम वर्ष आयुर्वेदाचार्य में कुल 45 छात्रों को प्रवेश दिया गया है जिनमें से कोई भी छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कम्पद धात्री प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में कुल 60 अनुसूचित जाति छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

(निर्देश के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पूरक प्रश्न हैं एक तो यह कि आपने जो नियम बनाये उनमें आयुर्वेद की इन कक्षाओं में न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए प्रतिशत या संख्या कुल कितनी है, क्या आरक्षण निश्चित नहीं है, एक तो यह दूसरा यह कि आपने कहा, 3 प्रतिशत या 3 अंक जोड़ने वाली प्रक्रिया है उसके जोड़ने के बाद न्यूनतम योग्यता वाले जो विद्यार्थी हैं, क्या वे प्रवेश नहीं पाते हैं? इन दो बातों का जवाब दे दीजिये।

श्री घासीराम यादव : तीन प्रतिशत ग्रेस मार्क हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : तीन अंक हैं, ग्रेस मार्क नहीं हैं।

श्री घासी राम यादव : तीन प्रतिशत और बढ़ाकर लें फिर भी ये नहीं आये।

श्री कैलाश मेघवाल : ये तीन अंक हैं।

श्री घासीराम यादव : ये तीन अंक हो सकते हैं किन्तु इसके बाद भी आरक्षण सम्बन्धी जो नियम हैं उसमें वे नहीं आते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा निवेदन है, आयुर्वेद कक्षाओं में यह नाकारा इसलिये हो जाता है कि न्यूनतम योग्यता वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए निश्चित संख्या तय नहीं है और तीन प्रतिशत लाभ नहीं मिल रहा है इसलिये भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र नहीं हैं।

श्री घासीराम यादव : तीन अंक देने के बाद भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के छात्र नहीं आ पाये। ये न्यूनतम मार्क्स लाये और वे लड़के 55 से 72 प्रतिशत तक लाये हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को तीन अंक देने के बाद भी वे नहीं आ पाये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय कनफ्यूज हो रहे हैं। पाठ्यक्रम में न्यूनतम योग्यता लिखी है, उसमें लिखा है 33 प्रतिशत लाने वाले योग्य माने जावेंगे। मेरा मानना है, न्यूनतम में यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित

(श्री कैलाश मेघवाल)

जन जाति का व्यक्ति है तो क्या उसके लिये आरक्षण करने का विचार है ?

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य ऐसा कोई नियम या निर्देश डिपार्टमेन्ट से जारी नहीं हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : अब विचार है क्या ?

श्री घासीराम यादव : सरकार के पास विचाराधीन है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपके पास जब सरकार थी तो उस समय आपने क्यों नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

पशु मेला, करौली

150 श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा आयोजित पशु मेलों में से करौली पशु मेला भी एक है ?

(2) इससे राज्य को कितनी आय होती है व कितने मवेशी आते हैं ?

(3) मेले आयोजन पर पुष्कर, मेड़ता, गोगा मेड़ी व करौली के मेलों में कितना कितना रुपया व्यय होता है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्रीमती कमला) :

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1980 में विभाग को इस मेले द्वारा 99828 रु० की आय हुई है। इस मेले में कुल 35,470 मवेशी एकत्रित हुए।

(3) मेले के आयोजन पर पुष्कर, मेड़ता, गोगा मेड़ी व करौली ने वर्ष 1980 में क्रमशः 98,000, 31374, 31914.78 व 29363.20 रुपये व्यय हुआ है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पुष्कर के अन्दर और मेड़ता के अन्दर, गोगामेड़ी के अन्दर, करौली के अन्दर चार जगह राजस्थान में पशु मेला लगता है, उसमें मेड़ता को 98 हजार रुपये खर्चे के रूप में दिये जाते हैं।

श्रीमती कमला : 98 हजार तो पुष्कर के लिए हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पुष्कर को 98 हजार और करौली को 29,368 जैसी जानकारी मिली है, रुपया मिलता है। जब कि वहां से हर वर्ष 99 हजार, और जैसा अभी बताया कभी-कभी एक लाख से ऊपर भी आय हो जाती है। आय होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा वहां पर आर्थिक सहायता न देने के कारण पशुओं की स्थिति बिगड़ी हुई है। वहां न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और न अन्य समुचित व्यवस्थायें हैं। तो क्या राज्य सरकार इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की मन्शा है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसमें दिक्कत इतनी है कि जिस जगह मेला भरता है, उस जगह पर जमीन का अभी तक अतिक्रमण हुआ है, उसको सुलझा करके, उस जमीन को खाली करवाया जाकर, उसका मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जैसे ही जमीन खाली हो जायेगी, उसके ऊपर और कन्सट्रक्शन कार्य और आवश्यक सुविधायें जुटाने के लिए व्यय किया जायेगा। इसी कारण यह दिक्कत पैदा हो रही है। मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य भी इसमें मदद करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि अतिक्रमण की अवस्था है लेकिन वह तो एक खेत की अवस्था है। मेले का काफी बड़ा एरिया अविकसित है, उबड़-खाबड़ हो रहा है। अबकी बार जो मेला भरा गया उसमें मैं स्वयं उपस्थित था लेकिन वहां पर जमीन समतल करने तक की व्यवस्था नहीं है क्या राज्य सरकार ने वहां और व्यय किया, जिसकी पहले मन्शा रखी है ?

श्रीमती कमला : मेले जहां इस तरह के लगते हैं, उनमें सरकार जिन-जिन काम की व्यवस्था करती है, उनमें है रोशनी, बिजली, डाक व्यवस्था, मजदूरी, सफाई, प्रचार, प्रदर्शन, पारितोषिक तो इस मेले में जो-जो आवश्यक है और अगर कोई कमी है और माननीय सदस्य अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसमें और व्यवस्था के लिए निर्धारित पैसे की व्यवस्था हो सकती है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जैसा बताया, जैसा कि विदित होगा वहां की व्यवस्था के लिए नगरपालिका को 30 हजार प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था है। लेकिन राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी 30 हजार रुपया नहीं दिया और इस वर्ष भी उसको रुपया नहीं दिया तो क्या कारण हैं जिनके कारण डिपार्टमेंट में पैसा रुका हुआ है ?

श्रीमती कमला : इसकी सूचना क्योंकि आपने पूछी भी नहीं थी इसलिये मुझे जानकारी नहीं है कि इसका पैसा नहीं मिला तो कौन-कौन से वर्षों का नहीं मिला। इसकी जानकारी मुझे दे दें तो मैं विभाग से मालूम कर लूंगी और उसको वह दिया जायेगा।

श्रीमती सुरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर मेले से एक लाख दस हजार की इनकम हुई थी, वहां डाक्टरों मे एक लाख 75 हजार खर्चा बताया सफाई का

(व्यवधान)

पुष्कर म्युनिसिपैलिटी को खर्च करना पड़ा तो उसका म्युनिसिपलिटी को कितना पैसा दिया गया ?

श्रीमती कमला : माननीय सदस्या, जैसा मैंने बताया कि पुष्कर मेले के ऊपर 98 हजार रुपया खर्च किया गया। इसके अलावा पुष्कर मेले में जो वृद्धि चाही थी रेट के ऊपर अच्छे साधन जुटाने के लिए तो उसके लिए भी सरकार ने इजाजत दे दी थी।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें सभी प्रश्न नहीं आयेंगे, सम्बन्धित प्रश्न है....

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर

(10)

(भैरुलाल भारद्वाज)

महीने एक पशु मेला लगता है जिसमें हजारों लाखों रुपये की आमदनी होती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री भैरु लाल भारद्वाज : उसमें इतनी अव्यवस्था है कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूरज देवी ।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं....

श्रीमती कमला : माननीय सदस्या को गलतफहमी है कि सारा खर्च म्युनिसिपैलिटी करती है । सारा खर्च सरकार करती है ।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : सफाई की व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी करती है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री हीरालाल आर्य ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय अब तो 151 आना चाहिए था ।

तारांकित प्रश्न संख्या 151

श्री अध्यक्ष : Sorry प्रश्न संख्या 151. श्री चुन्नीलाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल आर्य !

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्नातक विद्यार्थियों को देय बेरोजगारी भत्ता

152. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या अनुसूचित जाति तथा जनजाति के स्नातक विद्यार्थियों को बेकारी भत्ता दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातकों को बेकारी भत्ता बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार सभी स्नातकों को पुन: छात्रवृत्ति प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान करने पर विचार करेगी ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हर सहाय मीणा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । केवल लगनशील एवं प्रतिभाशाली छात्रों को यह सुविधा देय है एवं तृतीय श्रेणी के अंकों से पास होने वाले छात्रों को यह सुविधा समाप्त कर दी गयी है । अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग होते हैं, उनको सुविधा मिलती नहीं है। तृतीय श्रेणी में जो विद्यार्थी पास होते हैं उनके बावजूद उनको पढ़ने की पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : आम जनता की तो यही श्रेणी है ।

श्री हीरालाल आर्य : अभी कहा कि जो लगनशील और प्रतिभाशाली होते हैं उनको यह सुविधा मिलती है लेकिन लगनशील तो वे भी होते हैं । वे भी प्रयत्न करके आते हैं प्रत्येक श्रेणी से । सुविधा उनको भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए जिस प्रकार औरों को मिलती है । या तो श्रेणी बन्द करें या सबको चालू करें ।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन, फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड डिवीजन वाले जो एप्लाई करते थे तो यह सुविधा पहले सबको दी जाती थी परन्तु देखने में आया कि थर्ड डिवीजन से आने वाले लड़कों की संख्या बढ़ती गयी । उसको चैक-अप करने के लिए सैकिण्ड डिवीजन कर दी गयी तब से अन्तर हुआ है । यह शिक्षा का स्तर सुधारने का अच्छा कदम है ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फर्माया कि क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति....

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे बातें नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : छात्रों की संख्या बढ़ी है तो आप यह चाहते हैं कि संख्या नहीं बढ़े ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय सदस्य, निश्चित रूप से मैं यह चाहता हूं कि संख्या बढ़े परन्तु होता क्या था कि लड़के बी.ए., पोस्ट-ग्रेजुएट के बाद नौकरी के लिए एप्लाई कर देते थे और छोटी मोटी नौकरी में ही उनका मन लग जाता था । वे कम्पीटीशन को फेस नहीं कर सकते थे और आई.पी.एस. और आई. ए. एस में नहीं जा पाते थे । इसीलिए हमने यह किया कि इन सर्विसेज में उनका स्कोप बहुत अच्छा रहे ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : प्रश्न है, बेकारी भत्ते के बारे में प्रथम किसको दिया, वे कम्पीटीशन में भी नहीं जा सकते हैं । और फर्स्ट और सैकिण्ड डिवीजन वाले जो इन डिवीजन में आते हैं, सेवा भी पा सकते हैं । तृतीय श्रेणी वाला बेकार रहेगा, अगर उसको बेकारी भत्ता नहीं मिलता है तो जीविका रहित रहेगा बावजूद कोशिश के ।

श्री हरसहाय मीणा : यह इसीलिए किया गया है कि बेकारी तो मिटे ।

श्री राजबहादुर : कैसे मिटेगी ?

श्री हरसहाय मीणा : वरना वे कोशिश ही नहीं करेंगे, तृतीय श्रेणी में आने के सिवाय ।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) : तृतीय श्रेणी में पास होने वालों को भी सुविधायें मिलें ताकि वे अच्छी नौकरी में आ सकें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तृतीय श्रेणी में वही पास होते हैं जो गरीब हैं या और अन्य कारणों से अच्छे नम्बर नहीं ला पाते । थर्ड डिवीजन वाले रह जाते हैं और फर्स्ट और सैकिंड में तो मेहनत करके अच्छी नौकरी में लग जाते हैं । मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है कि वे आई. ए एस , आई.पी.एस. में निकल जाय तो मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कितने छात्र आई.ए.एस. और आ.ई.पी. एस. में आए, कृपया आंकड़े प्रस्तुत करें ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयने फर्स्ट, सैकिंड डिवीजन में आने वाली बात नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे यह महसूस करते हैं कि हरसहाय मीणा का बच्चा साधन सुविधाओं के कारण फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है लेकिन क्या जन साधारण, मीणा जाति का छात्र, जिसके पास साधन नहीं है, क्या फर्स्ट सैकिंड आने की क्षमता रखता है और क्या वह फर्स्ट सैकिंड आ सकता है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : इस तरह से नाम नहीं ले सकते।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसको इस तरह से लीजिए। क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि गोपाल पचेरवाल के लड़के को शिक्षा की सारी समुचित सुविधायें उपलब्ध होने के कारण वह फर्स्ट सैकिंड आ सकता है लेकिन नगरपालिका में झाड़ू लगाने वाले मेहतर का बच्चा....

श्री अध्यक्ष : झाड़ू लगाने वाले की नौकरी पक्की होती है। वह आ सकता है क्योंकि उसको सुविधायें हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या उसको समुचित शिक्षा के साधन उपलब्ध हो सकेंगे जिससे वह मजदूरी प्राप्त कर सकेगा ? क्या आपने इस तरह से महसूस किया है ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ऐसे लड़कों को मैं उदाहरण के तौर पर पेश कर सकता हूं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनको आली छात्र वृत्ति मिलती है, उनके अन्दर से भी फर्स्ट डिवीजन से भी अच्छे नम्बर लाये हैं।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इसी के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : पहले, श्री नन्दलाल

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के जितने ग्रेजुएट्स स्टुडेन्ट हैं जिनको बे. रोजगारी भत्ता दिया जाता है, उनसे समाज कल्याण विभाग और अन्य विभागों में, डी. एल ओ. के यहां पर सुबह दस बजे से शाम को पांच बजे तक काम कराते हैं और उनको केवल बेरोजगारी भत्ता दिया है जब कि उनसे काम आठ घण्टे करवाया जाता है ?

श्री हरसहाय मीणा : इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जैसा की अभी चर्चा के दौरान आया है, क्या यह सरकार के सामने आया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के समर्थ लोगों के बच्चों का वजीफा बन्द करने तथा अन्य जो जाति के लोग हैं जो इनसे भी बहुत ही गिरे हुए हैं उनके लिए वजीफा जारी करने की कोई योजना सरकार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न श्रीमती लक्ष्मी कुमारी कुमारी चुंडावत ।

भीम, देवगढ़ में सूखा संम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य

151. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत (भीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1980-81 में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भीम-देवगढ़ में कितने प्रोजेक्ट पर काम पूरे किये गये ?

(2) वर्ष 1981-82 में डी.पी.ए.पी. के कितने प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ करने एवं इनमें से इस वर्ष ही कितने कार्यों के पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(3) डी. पी. ए. पी. प्रोजेक्ट पर कुल कितने मजदूर वर्त्तमान में काम कर रहे हैं।

(4) गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत कितने वृक्ष लगाये गये तथा उनमें से जीवित वृक्षों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह फर्स्ट, सैकण्ड व थर्ड डिवीजन का प्रश्न था तो यहां पर जो ये थर्ड डिवीजन वाले बैठे हैं इनको भी तो कोई काम दिलायें। ये भी खाली बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी- (लक्ष्मणगढ़) : इनको नहीं लिया इसलिए बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्यगण ।

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) देवगढ़ तहसील में एक प्रोजेक्ट मोड़िया खेड़ा माथाना जलगृह कार्य रु. 62374 की लागत से पूर्ण किया गया है। भीम तहसील में अब तक एक भी प्रोजेक्ट पूर्ण नही किया जा सका है।

(2) देवगढ़ तहसील में वर्ष 81-82 में तीन नये जलगृह कार्य (तसा ी 110 है, (2) रघुनाथपुरा कालागुण इसरमण्ड 410 है, (3) नराना 42 है, प्रारम्भ किये जावेंगे। चालू वित्तीय वर्ष 80-81 में एक जलगृह कार्य (पांती की आंतों) पूर्ण होने की सम्भावना है।

भीम तहसील में वर्ष 8 -82 में तीन प्रोजेक्ट (घोती, मन्डावर, संशो त एव तेजा का ना 1) तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रारम्भ किये जा सकेंगे। इनमें तेजा का नाका प्रोजेक्ट के वर्ष 81-82 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) वर्त्तमान में देवगढ़ तहसील में रघुनाथपुरा जलगृह पर 30 मजदूर कार्यरत हैं एवं भीम तहसील में कृषकों के असहयोग के कारण काम बन्द पड़ा है।

(4) वर्ष 979 से अब तक देवगढ़ तहसील में विभिन्न जलगृह कार्यों पर 39,4'5 वन वृक्ष की पौध लगाई गई है, इनमें से अनुमानित 3.0०० वृक्ष जीवित हैं। भीम तहसील में 100 वृक्ष लगाये गये परन्तु कृषकों द्वारा पेड़ उखाड़ दिये जाने के कारण जीवित पौधों की संख्या शून्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य ।

(14)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने वृक्ष लगाये गये और उनमें से कितना प्रतिशत जिन्दा रहे ? क्या आप ने कभी डी.पी.ए.पी. कार्य की जांच की कि कैसे काम हो रहा है ? जितना इन पर पैसा व्यय हो रहा है उतना लाभ नहीं मिल रहा है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में जो वृक्षारोपण हुआ उसमें से जो जीवित वृक्षों का प्रतिशत निकाला गया वह बहुत ही, कहना चाहिये कमजोर स्थिति का है। मैं यह कह सकती हूं कि आमतौर पर अन्य क्षेत्रों में जीवित वृक्षों का प्रतिशत 70 से 75 प्रतिशत तक रहता है लेकिन इस क्षेत्र में क्या विशेष परिस्थितियां हुईं कि 39175 वृक्षों की पौध जो लगाई गई उनमें से सिर्फ 3207 पौधे ही जीवित रहे हैं। इस सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उनका कहना है कि वर्षा की कमी अकाल के कारण, स्थानीय विरोध के कारण पौधे जीवित नहीं रहे। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं। माननीय सदस्य जी के मन में जो खेद है उसी प्रकार मुझे भी इस मामले में बहुत चिन्ता है कि इस तरह की स्थिति एक क्षेत्र में ही क्यों हुई ?

आम तौर पर राजस्थान में वृक्षारोपण कार्य बहुत सफल रहा है और जीवित पौधों की संख्या भी बहुत अच्छी रही है। किसी एक अधिकारी या कर्मचारियों की नेग्लीजेंसी से यह कमजोर स्थिति आई है। उसके बारे में मुझे रिपोर्ट मंगा कर कार्यवाही करनी पड़ सकती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि भीम और देवगढ़ में कितने जूनियर इंजीनियर्स के स्थान खाली पड़े हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्या।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : क्या आप इसकी सारी की सारी कार्यवाही पर विचार करेंगी ? कई रूल्स ऐसे बने हुए हैं जिनके कारण सुचारु रूप से काम नहीं चल सकता है। क्या इसमें आप रद्दोबदल करेंगी, अच्छी तरह से अध्ययन और मनन करके ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, सारे राज्य के अन्दर डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें कितने लक्ष्य थे, क्या उनकी उपलब्धियां हैं और उनके अन्दर कमी के क्या कारण हैं, उन सब के बारे में मैंने स्वयं ने जिलाधीशों से बात की है। सचिव महोदय भी अनेक जिलों में गये हैं। उनका ऐसा कहना है कि कुछ तो को आर्डिनेशन की कमी एक दूसरे महकमे में रही है, इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था में कमी रहती है और जो अधिकारी और कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार हैं, उनकी भी थोड़ी कमी रही है। माननीय सदस्या ने कुछ स्थानों के रिक्त पड़े होने की बात कही है, यह भी सही है। इस तरह के अनेक कारणों से जितनी तत्परता से उपलब्धियों का प्रतिशत आना चाहिए, हमारे हिसाब से उसमें कमी है। उसके निराकरण के लिए मैंने बात भी की है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम !

श्री महाराम चौधरी (नागौर): भीम और देवगढ़ में जो वृक्ष लगाये गये हैं उन वृक्षों में से पहले से कितने वृक्ष लगे हुए थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य। फिर आपके इलाके से भी बहुत दूर पड़ता है।

अगला प्रश्न । श्री लच्छूराम !

ग्राम मलसीसर के चिकित्सालय व मैटरनिटी होम में डाक्टर्स की व्यवस्था

श्री लच्छूराम(मण्डावा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मलसीसर में राजकीय मातृ शिशु कल्याण गृह क्रियाशील है ?

(2) क्या यह सही है कि 6 महीने से वहां कोई लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक डाक्टर भेज दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि मलसीसर में दूसरा राजकीय मोदी अस्पताल है ? यदि हां, तो वहां कितने दिनों से डाक्टर नहीं है और अब कब तक डाक्टर भेज दिया जायेगा।

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

महिला डाक्टरों के अभाव के कारण अब वहां महिला डाक्टर का शीघ्र पद स्थापन करने के प्रयास किये जा रहे हैं। फिलहाल वहां एक मेल डाक्टर का पद स्थापन कर दिया गया है।

(3) जी हां। जनवरी, 81 से पद रिक्त रहा। वर्तमान में एक डाक्टर का पद स्थापन दिनांक 7-2-81 को किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुरेन्द्र व्यास !

विश्व बैंक से सिंचित क्षेत्र विकास हेतु प्राप्त धन राशि

155. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र व चम्बल क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास के नाम से विश्व बैंक से कुल कितनी धन राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई ?

(2) राज्य सरकार को धन राशि देने के पश्चात कितनी बार विश्व बैंक की ओर से जांच दल आया और उसने क्या टिप्पणी की ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) राजस्थान नहर व चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास में स्वीकृत योजनाओं के पेटे भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से एडॉप्शनलिटी के रूप में अब तक 1847.68 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

(2) राज्य सरकार को धन राशि देने के पश्चात् राजस्थान नहर क्षेत्र में

(श्रीमती कमला)

छः बार तथा चम्बल क्षेत्र में नौ बार विश्व बैंक के दल आये। राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र के विकास में कोयले और सीमेंट के अभाव पर चिन्ता प्रकट करते हुए सुझाव दिये कि इन वस्तुओं की पूरी मात्रा में उपलब्ध करा कर कार्य को गति दें। उन्होंने यह भी राय दी है कि सभी काश्तकारों को समान रूप से नियत समय में नहरी पानी देने के लिए ठीक नियंत्रण व्यवस्था बनाई जावे। चम्बल क्षेत्र में आने वाले दलों ने कार्य को संतोषप्रद बताया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

गोडावण पक्षी

166 श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) इस समय राज्य में गोडावण पक्षियों की संख्या कितनी है? क्या सरकार ने उनके संरक्षण की कोई योजना बनाई है?

(2) क्या राज्य सरकार उनको राज्य पक्षी घोषित करने का विचार रखती है?

(3) क्या अप्रेल, 1980 के बाद किन्हीं विदेशी व्यक्तियों द्वारा इनके शिकार की अनुमति चाही गई है? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है?

वन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) गोडावण पक्षी इस राज्य के कई भागों में पाये जाते हैं। मुख्यतया जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर क्षेत्र में तथा अजमेर व कोटा जिलों के कुछ भाग में फैले हुए हैं। तथा वे उड़ान भर कर निकट के स्थानों में भी चले जाते हैं। अतः इनकी वास्तविक गणना प्रतिवर्ष करने में कठिनाई आती है। यह गणना विशिष्ट तकनीकी विधि द्वारा ही संभव है। इस तकनीकी विधि की खोज एवं विकास के प्रयास जारी हैं।

(1) जी हां, यह पक्षी वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत परिशिष्ट एक में घोषित किया गया है तदनुसार इसको पकड़ना, शिकार करना या किसी प्रकार से छेड़छाड़ करना वर्जित है। जिन क्षेत्रों में यह पक्षी बहुतायत से पाया जाता है जैसे कि जैसलमेर व बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में, उन स्थानों को अभयारण्य अथवा निषिद्ध क्षेत्र वैधानिक रूप से घोषित कर दिया गया है तथा इन स्थानों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।

(2) राज्य पक्षी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इनके विशेष संरक्षण के लिए और राज्य पक्षी घोषित करने के लिए क्या सरकार विचार करेगी?

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : राज्य पक्षी घोषित करने का प्रावधान नहीं है। विशेष संरक्षण का जहां तक प्रश्न है वहां 10 विशेष सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं और 30 कर्मचारी काम पर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : क्या यह बात सही है कि हाल ही में जयपुर में गोडावण पक्षी सम्मेलन में राज्य सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की ओर से आश्वासन दिया गया था कि राज्य सरकार इस पक्षी को राज्य पक्षी घोषित करेगी ?

श्री दुलाराम : यह तो प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह सरकार विचार करके, मेरा निवेदन सुन लीजिये, अगर यह सरकार महसूस करेगी और प्रावधान होगा तो जरूर होगा। अभी तक इसका प्रावधान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके लिये प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, बजट प्रावधान की भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यह तो सरकार के निर्णय पर है कि सरकार इसको राज्य पक्षी घोषित करना चाहती है या नहीं। मुझे जानकारी है कि सरकार की ओर से आश्वासन किया गया था कि गोडावण पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया जायेगा।

श्री दुलाराम : यह आपकी निजी जानकारी हो सकती है, सरकार को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी प्रावधानों के अनुसार......

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्य पक्षी केवल एक पक्षी को घोषित किया जा सकता है, दो को नहीं।

श्री अध्यक्ष : राज्य पक्षी घोषित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है।

अगला प्रश्न। माननीय सदस्य। श्री आत्माराम।

राजस्थान नहर के काश्तकारों को प्राप्त अधिकार

157. **श्री आत्माराम (हनुमानगढ़)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) वर्ष 1955 के पूर्व के राजस्थान नहर के काश्तकारों को जो अधिकार राज्य सरकार ने दिये थे क्या सरकार उन अधिकारों को वापस लेने का इरादा रखती है ?

(2) यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो उनको कब तक पट्टे दिये जायेंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार काश्तकारों में व्याप्त अनिश्चितता की स्थिति को दूर करेगी ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री रामकिशन वर्मा) :(1) जिन योग्य व्यक्तियों को नियमानुसार 25 बीघा तक सिंचित क्षेत्र की भूमि आवंटित किये जाने की प्रक्रिया है उस सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का फिलहाल विचार नहीं है। अन्य कुछ पहलू विचाराधीन हैं।

(2) काश्तकारों को पट्टे उनके द्वारा नियमों में निर्धारित योग्यता प्राप्त कर लेने पर दिये जाते हैं। जो पहलू विचाराधीन हैं उनके सम्बन्ध में निर्णय होने पर आगे कार्यवाही हो सकेगी।

(3) मूल आवंटियों के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जिन संबंधित

(श्री रामकिशन वर्मा)
पहलुओं पर विचार हो रहा है उन पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा ।

श्री आत्माराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानकारी चाहता हूं कि कौन-कौन से पहलू हैं जिन पर विचार हो रहा है ? बहुत से काश्तकार, 8000 काश्तकार अभी तक, 1955 से लेकर आज तक भटक रहे हैं, उनके लिये कब कार्यवाही होगी ? आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया । तो वह कौन-कौन से पहलू है जिन पर विचार किया जा रहा है ? उन पर कब तक डिसीजन ले लिया जावेगा ?

श्री राम किशन वर्मा : 1955 से पहले के जो भी आवंटी हैं उनके बारे में नियम लागू किया गया था, उन्हीं को ही भूमि आवंटित की गई है । शुरू में जिनको 50 बीघा जमीन दे दी गई थी उनके बारे में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है । यह सरकार के विचाराधीन है। जिनको 25 बीघा भूमि दे दी गई है और जिन्होंने शर्तें पूरी कर ली हैं उन्हीं के पास रहेंगी ।

श्री आत्माराम : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा, 1955 से पूर्व के आठ हजार काश्तकार हैं जिनका आज तक फैसला नहीं हुआ और जो काश्त भी करते हैं । उनके लिये क्या विचार है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये ।

श्री राम किशन वर्मा : इस मामले में निर्णय होने पर बता दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को पहले समझने दें । शांतिपूर्वक...

श्री आत्माराम : एक अवधि गुजर गई है अब कब तक निर्णय ले लेंगे ? 1955 के बाद 1958 से लेकर आज तक निर्णय नहीं लिया गया । एक पीढ़ी हो गई । एक पीढ़ी में तीन-तीन सरकारें बदल गई । अब कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री रामकिशन वर्मा : शीघ्र ही निर्णय किया जायगा ।

श्री सुनिल बिश्नोई (सूरतगढ़) : मैं पूछना चाहूंगा, जिन काश्तकारों ने पूरी किश्तें जमा करा दी हैं क्या उनको पूरी किश्तें देने से खातेदारी मिल जायेगी? 15-15 साल हो गये, पूरी किश्तें दे दी, 3-4 बार नोटिस दे दिये, चार बार फैसला हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशन वर्मा: यह विचाराधीन है, शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सैक्शन 355 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्तर्गत है और 15 (ए) टिनेंसी एक्ट के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार बने हुए हैं । सैक्शन 355 में सरकार ने हमेशा से, जो 15 साल से पुराने काश्तकार हैं उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैलसिंह एण्ड ब्रदर्स बनाम स्टेट के मामले में जो फैसला हुआ है उसमें 1955 के पहले और 1955 के बाद के खातेदारों को अधिकार देने के मामले में डिस्क्रिमिनेशन माना है, उसकी वजह से 1975 में राजस्थान कोलोनाइजेशन एण्ड सैल आफ लैन्ड

(श्री परसराम मदेरणा)

एक्ट, 1975 में रूल्स बने। मेरी हमेशा से यह मांग रही कि रूल 15(ए) को अमैण्ड किया जाय। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। गवर्नमेंट पार्टी नहीं बनी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टी फैसला दे दिया। 24 अप्रैल, 77 को राजस्थान को लोनाइजेशन एंड सैल ग्राफ लैण्ड रूल, 1975 के रूल 5(बी) के अनुसार जिन लोगों का राजस्थान टिनेंसी एक्ट के लागू होने के पूर्व में कब्जा था और जो लगातार कब्जे में हैं और काश्त कर रहे हैं, ऐसे सभी काश्तकारों को खातेदारी नहीं मिल सकी क्यों कि 15 (ए) स्टेट्यूट बुक पर आ गया इसलिये यह जो मन्त्रिमण्डल का निर्णय हुआ है और आज जितने काश्तकार हैं उनको अधिकार देने के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने 355 टिनेंसी एक्ट के संबंध में विचार किया है और सरकार ने जो 24 अप्रैल, 77 को किया था, उस अमेण्डमेंट को रेस्टोर करना चाहा है। यह काश्तकारों की मांग है कि हमें खातेदारी 15(ए) के अन्तर्गत दी जाय। सरकार 15(ए) को अमैण्ड करने की सोच रही है या नहीं ? मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने क्या निर्णय लिया, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विवरण दिया है दर-असल में कोर्ट में जाने के बाद में यह स्थिति हुई। यह सोचा गया है कि 53-ए और 55-ए के काश्तकारों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और कोई डिस्क्रिमेशन नहीं किया जाए। इसके बाद स्थिति क्या आई कि सप्रैल, 1955 के काश्तकार ने, जो कब्जे किए हुए हैं, एक परिवार के दो-तीन लोगों ने एक-एक मुरब्बे पर कब्जा किया हुआ है, उसके बाद उनके एडल्ट मेम्बर्स बचे हैं। पहले यह था कि एक परिवार का एडल्ट है और वह एडल्ट एक मुरब्बे पर काबिज है और उसके बाद यह प्रतिवेदन आया कि जितने एडल्ट मैम्बर्स हैं, कब्जा किए हुए हैं, उन सब को रेगुलराइज कर दिया जाए। फिर यह चर्चा आई कि जो उसके एडल्ट मैम्बर्स हैं, या हो गये हैं, उनको मुरब्बे के साथ सम्मिलित किया जाए या अलग किया जाए या एक परिवार के एक एडल्ट मैम्बर का जो कब्जा है उसको रेगुलराइज किया जाए या जितने एडल्ट मैम्बर्स के कब्जे हैं उन सबको माना जाए। इन सब पहलुओं को सरकार ने विस्तार के साथ एग्जामिन कर के इसको तैयार किया है। अब यह मुद्दा केबिनेट के सामने जाएगा। निर्णय होने के पश्चात् इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी।

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के जो भूमिहीन किसान हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री आत्माराम : मंत्री महोदय, यह बताइये कि इसका निर्णय कब तक हो जाएगा ?

श्रीमती कमला : अभी कहा है कि शीघ्र ही निर्णय के लिए केबिनेट के सामने यह मामला जाएगा।

अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सुनील !

श्री सुनील बिश्नोई : यह लाखों काश्तकारों का मामला है। सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह मामला कब तक निर्णित हो जाएगा ?

श्रीमती कमला : मैं यह निवेदन कर दूं कि जो बेदखली की कार्यवाही की जा रही थी, जिससे काश्तकारों को परेशानी हो सकती थी वह रोक दी गई है। निर्णय होने तक कोई बेदखली कार्यवाही नहीं की जाएगी। जो परेशानी का कारण था वह उपस्थित नहीं है और जल्दी ही उसका फैसला किया जाएगा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या भूमिहीन काश्तकारों को कमाण्ड एरिया में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री आत्माराम : मंत्री महोदय ने कहा है, यथावत रखा जाएगा।

श्रीमती कमला : यथावत नहीं यथा शीघ्र फैसला किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला आर्डर प्लीज।

काफी अर्से से, लम्बे समय से विचाराधीन है। प्रश्न के माध्यम से इसका तुरन्त कोई हल होने की संभावना नहीं है। अन्य तरीके से भी इस प्रश्न को उठाते रहिये। आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री की 1966 में ओपीनियन ली गई थी।

श्री अध्यक्ष : इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह मामला केबिनेट में कब आयेगा, इसकी तारीख बताई जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जगतारसिंह (श्री करणपुर) : किसान इसके लिए परेशान हैं

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लच्छूराम : 1955 से पूर्व के कब्जे किए हुए हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न समाप्त हो गया।

राज्य में नया कृषि विश्वविद्यालय खोलना

158. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार का राज्य में एक और कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक एवं कहां पर खोला जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है एवं राज्य का भावी कृषि विकास बीकानेर के आस पास होने वाला है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार कृषि विश्वविद्यालय हेतु बीकानेर को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि विश्व

(श्रीमती कमला)

विद्यालय खोलने हेतु सैद्धान्तिक तौर पर तय किया जा चुका है।

(2) विश्व विद्यालय की स्थापना के समय आवश्यक एवं सम्बद्ध सभी पहलुओं व स्थानों पर विचार किया जायेगा। किसी निश्चित स्थान हेतु अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वस्तसूत्र से ज्ञात हुआ है कि स्थान का चयन कर लिया गया है। क्या राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने इस हेतु किसी स्थान के बारे में कोई प्रतिवेदन भेजा है? यदि भेजा है तो क्या बीकानेर, जहां पर राजस्थान नहर परियोजना का कमाण्ड एरिया लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का है, के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या बीकानेर को इसके लिये प्राथमिकता दी जाएगी?

श्रीमती कमला : मैं इसका आइटम (2) में जवाब दे चुकी हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता :

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस हेतु कृषि विभाग ने इस स्थान के लिए, जहां तक मुझे जानकारी है जोबनेर और उदयपुर की सिफारिश की है। क्या यह सही है?

श्रीमती कमला : राज्य सरकार ने इस के लिए दो तीन दफा कमीशन बिठाया है। उनके विचार लिये गये हैं। उनके वे विचार और रिपोर्ट अभी तक सरकार के विचाराधीन है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर, किसी जगह कोई बात कहे तो राज्य सरकार उससे पाबन्द नहीं है। उस पर राज्य सरकार का निर्णय होने के पश्चात् ही यह निर्णय माना जायगा।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : जोबनेर में सबसे पुराना जोबनेर कृषि विद्यालय है। तो क्या उसको विश्वविद्यालय खोलने में प्रायोरिटी दी जाएगी? बीच में राजनीतिक कारणों से उदयपुर ले जाया गया और अब राजनीतिक कारणों से बीकानेर या अन्यत्र ले जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो मैं कृषि मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु जोबनेर का स्थान प्रथम आता है तो क्या वहीं पर कृषि विश्वविद्यालय खोला जायेगा?

श्रीमती कमला : राजस्थान की सब से बड़ी समस्या इतने वर्षों से चली आ रही है, वह यह है कि राजस्थान जैसे बड़े प्रान्त में जिसमें कृषि की उन्नति की संभावनाएं हैं, में आज तक एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। ऐसे प्रान्त में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसको कायम करने का निर्णय किया गया है। इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय सभी फैक्टरों को कन्सिडरेशन में लिया जाए। कहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह विचाराधीन है। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा.....

श्री बुलाकीदास कल्ला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह सिफारिश है कि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय के बीच में एक दूरी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने हेतु जो उपयुक्त स्थान होता है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुस्तकालय में पुस्तक संख्या हो, पर्याप्त संख्या में विषय हों, इन सब बातों के आधार पर क्या आपने विचार किया है ?

श्रीमती कमला : मैंने कहा है कि जब खोला जाएगा उस वक्त में तमाम क्राइटेरिया, जो भी स्ट्रक्चर चाहिए उस सब के बारे में विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न काल समाप्त हो गया। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया जी ने बताया कि सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा। तो वे कौन से पहलू हैं यह भी मंत्री महोदय बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

पहले अध्यक्ष को तो निवेदन कर लेने दें। यदि उसके बाद आवश्यक हुआ तो आपको भी समय दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोल दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

एक माननीय सदस्य : गंगानगर में यदि विश्वविद्यालय खुलता है तो.... ..

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मचारियों को एक्स-रे करवाने की राशि का पुनर्भरण

145. **श्री गोपाल पचेरवालपाल :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को दवायें क्रय करने के सन्दर्भ में चिकित्सीय पुनर्भरण किया जाता है और एक्स-रे करवाने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

एक्सरे करवाने की राशि का भुगतान सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

गंगापुर सिटी में लगने वाले कैम्प कोर्ट्स

151. **श्री कुन्दीलाल जेलिया (बण्डार) :** क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट एवं सफाई-

(श्री चुन्नीलाल मेलिया)

माधोपुर के न्यायालयों का कैम्प कोर्ट गंगापुर सिटी में लगता है ? यदि हां, तो इस कैम्प न्यायालयों के यात्रा एवं दैनिक भत्ता का वार्षिक व्यय कितना होता है ?

(2) क्या सवाई माधोपुर में इन न्यायालयों को स्थाई करने का सरकार का विचार है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश सवाई माधोपुर का प्रतिमाह 15 दिन के लिये तथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दस दिन के लिए प्रतिमाह शिविर गंगापुर में लगता है। इन दोनों अधिकारियों के टी. ए. व डी.ए. पर औसतन 21,970/-रुपए प्रति-वर्ष यानि सैशन्स न्यायाधीश के टी ए., डी. ए. पर 14,580/-रुपये एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के. टी. ए. डी. ए. पर 7390/-रुपया खर्चा होता है। इसके अतिरिक्त किसी न्यायालय का केम्प कोर्ट नहीं है।

(2) यह दोनों न्यायालय यानि जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थाई तौर पर सवाई माधोपुर में ही हैं। गंगापुर सिटी क्षेत्र से उद्भूत प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने हेतु तथा उस क्षेत्र की जनता को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन दोनों न्यायालयों के शिविर गंगापुर सिटी में भी लगते हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मण्डी समितियों की आय

146. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों की जिलेवार कुल आय क्या है ?

(2) सीकर कृषि उपज मण्डी समिति की कुल आय कितनी है तथा माह अप्रेल, 1980 से अब तक कुल कितनी आय हुई ?

(3) सीकर जिले की कुल आय में से किस-किस मद पर अप्रेल, 1980 से अब तक कितना व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर द्वारा सीकर जिले के विभिन्न गांवों में सड़क आदि बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब तक कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों की जिलेवार आय की तालिका संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) सीकर मण्डी समिति की आय वर्ष 1979-81 में 8.56 लाख रुपये थी तथा माह अप्रेल, 1980 व जनवरी, 1981 तक 8.08 लाख रुपये हुई।

(3) सीकर जिले की चार मण्डी समितियां–सीकर, फतहपुर, नीम का थाना और श्रीमाधोपुर की आय में से अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1981 तक किये गये मदवार व्यय का विवरण इस प्रकार है:—

(कृषि मन्त्री)

मण्डी	कार्यालय व्यय	मण्डी संस्थापन	मण्डी में सुविधाओं पर	निर्माण कार्यों पर	अन्य व्यय	योग
सीकर	25133	126311	3832	800000	99431	1054707
फतेहपुर	27940	82562	13542	247915	32204	404163
नीमकाथाना	27570	76488	4289	—	29531	137878
श्रीमाधोपुर	20259	59779	9760	68757	49757	208312

जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर द्वारा अभी तक निम्नांकित सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया है :—

1. सेवद बड़ी से सूठोठ सम्पर्क सड़क
2. सीकर जयपुर सड़क से गोकुलपुरा सम्पर्क सड़क
3. चौमू रोड से करहड़ सड़क के निर्माण हेतु 1,99 000.00 सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये गये हैं तथा यह सड़क पूरी हो गई है।
4. खाटू श्यामजी से रींगस सड़क के निर्माण हेतु 2 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये गये हैं।
5. सीकर जोसल सड़क से सांगलिया सम्पर्क सड़क (निर्माणाधीन)।

चूंकि अभी मण्डी समिति अपने पास उपलब्ध राशि से तथा बैंक से ऋण लेकर अपना नया मण्डी यार्ड बना रही है। अतः राशि के अभाव में कोई अन्य सड़क मास्टर प्लान में सम्मिलित नहीं कर रही है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य में खोले गये नये पशु चिकित्सालय

147. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कुल कितने पशु चिकित्सालय खोले गये ?

(2) प्रत्येक जिले में इनकी संख्या कितनी-कितनी है ?

(3) सीकर जिले में कितने चिकित्सालय खोले गये तथा सीकर विधान सभा क्षेत्र में कितने खोले गये ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल से अब तक कुल 60 पशु चिकित्सालय एवं 14 पशु औषधालय खोले गये हैं।

(पशुपालन मन्त्री)

(2) सूची संलग्न है।

(3) सीकर जिले में 5 पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए, जिनमें से सीकर विधान सभा क्षेत्र में एक पशु स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम किरडोली तहसील सीकर में खोला गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पुष्कर मेला

148. श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सन् 1979 में पुष्करजी में पुष्कर मेला लगा था और उसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी चिकित्सा सेवायें उपलब्ध की गई थी, जिसके लिये उन्हें पशुपालन विभाग की तरफ से टेन्ट भी उपलब्ध किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम में लिये गये टेन्ट का किराया भी पशु पालन विभाग द्वारा चुकाया गया था ?

उत्तर.

(1) हर वर्ष की तरह वर्ष 1979 में भी पुष्करजी में पुष्कर पशु मेला लगा था। पुष्कर मेले में हर वर्ष यात्रियों की सुविधा हेतु मेला स्थल पर ही एक अस्थायी औषधालय की व्यवस्था रहती है, औषधालय हेतु एक बड़े तम्बू की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है।

(2) जी हां। पशुपालन विभाग द्वारा एक बड़े मुख्य तम्बू की व्यवस्था की जाती है जिसमें औषधालय एवं बाहर से आये हुये तकनीकी कर्मचारी भी रहते हैं, जिसका किराया दिया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम में लिये जाने वाले अन्य अनेक तम्बुओं का किराया पशु पालन विभाग नहीं देता है।

इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइंग डायरेक्टोरेट द्वारा बुनकरों को दिया गया ऋण

152. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि सन् 1954 में मांगरोल हाथ करघा एवं मसूरिया वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लि. र. न. 911/1194 (आर) के 50 गरीब बुनकरों को इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइंग डाइरेक्टोरेट राजस्थान, जयपुर द्वारा मकान बनाने हेतु ऋण स्वीकृत किया गया था ?

(2) उक्त ऋण प्रति सदस्य कितना कितना स्वीकृत हुआ था तथा कितनी किश्तों में दिया जाना था ?

(3) क्या उपरोक्त स्वीकृत ऋण का गरीब बुनकरों को भुगतान कर दिया गया है ?

यदि हां, तो कितना ? कृपया प्रत्येक सदस्य के नाम व पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें। यदि पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो उसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार सम्पूर्ण राशि चुकाए बिना ही इस

(श्री हीरालाल आर्य)

राशि को वसूल किया जा रहा है और बुनकरों को परेशान किया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार इन बुनकरों को सम्पूर्ण स्वीकृत राशि मय अनुदान के दिलाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) समिति के सदस्यों को वर्ष 1954 में ऋण स्वीकृत न कर 1959 में किया गया था।

(2) प्रत्येक सदस्य को उद्योग विभाग द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया गया वरन् समिति को ही 1,20,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। यह ऋण तीन किश्तों में देय था।

(3) स्वीकृत ऋण की पूर्ण राशि जिलाधीश, कोटा को विभाग द्वारा समय-समय पर भिजवा दी गई थी जो समिति के खाते में जमा कराई गई है। इसमें से 95,650) रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। समिति द्वारा सदस्यों को जो ऋण दिया गया उसकी सूची मय सदस्यों के पतों के संलग्न है। शर्तों के अनुसार प्रथम किश्त स्वीकृति पर, दूसरी किश्त प्लिंथ तक निर्माण होने पर तथा तृतीय किश्त छत तक भवन निर्माण होने पर देय थी। ये शर्तें पूरी न होने के कारण शेष राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सका।

(4) जी नहीं।

(5) सरकार द्वारा ऋण राशि का भुगतान किया जा चुका है। समिति द्वारा शर्तें पूरी करने के पश्चात ही अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

मांगरोल (कोटा) की कृषि भूमि सीमाबन्दी अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि का आवन्टन

153. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि ग्राम ठीकरिया, तहसील मांगरोल, जिला कोटा में कृषि भूमि सीमाबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि ऐसे भी व्यक्तियों को आवंटित की गई है जिन्होंने गत अनेक वर्षों से उसे काश्त नहीं किया ? कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची मय पिता के नाम व निवास स्थान सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

ग्राम ठीकरिया, तहसील मांगरोल में कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 243 बीघा, 10 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की जाकर वर्ष 1976 में 31 व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, इनमें से 8 आवंटियों का उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा काश्त नहीं है। इनकी सूची संलग्न है। एक आवंटी कल्याण पुत्र भैरू बैरवा, साकिन उन्ता स्वेच्छा से काश्त नहीं कर रहा है। इसको वर्ष 1976 में ही कब्जा दिया जा चुका है इसकी भूमि पड़त है। शेष 22 आवंटीगण काश्त करते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट सं. 10 देखें)

जिला भीलवाड़ा में कृषि हेतु भूमि का आवंटन

155. श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 1979-80 तथा सन् 1980-81 में किन-किन गांवों में कृषि हेतु भूमि अलॉट की गई? इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी व अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों को किन माप दण्डों के आधार पर कितनी भूमि अलॉट किन-किन तिथियों में की गई?

(2) उपरोक्त भूमि के अलॉटमेन्ट के बाद भीलवाड़ा जिले में किन-किन स्थानों पर अलॉट करने जैसी कितनी शेष भूमि हैं?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 79-80 तथा 80-81 में कृषि प्रयोजनार्थ हुए भू-आवंटन का सम्पूर्ण विवरण संलग्न सूची "क" में प्रस्तुत हैं। जहां तक माप दण्ड का प्रश्न है, भूमि का आवंटन उपलब्ध भूमि को दृष्टिगत रखते हुए, राजस्थान भू-राजस्व (भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची "ख" में उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला सीकर में गोचर, सिवायचक एवं वन विभाग की भूमि

156. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) सीकर जिले में कितनी भूमि गोचर, सिवाय चक एवं वन विभाग के पास है?

(2) जिले के पशुओं की संख्या को देखते हुए क्या गोचर भूमि जानवरों के चरागाह के लिये पर्याप्त है?

(3) क्या भविष्य में सिवाय चक और वन विभाग की भूमि में से चरागाहों के लिये छोड़े जाने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 44,884 हैक्टर, गोचर, 10,367 हैक्टेयर सिवायचक एवं 11,328 हैक्टर भूमि वन विभाग के पास है।

(2) वर्त्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत पर्याप्त नहीं है।

(3 जी नहीं।

मांगरोल (कोटा) में कृषि भूमि सीलिंग के तहत अवाप्त भूमि

158. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की मांगरोल तहसील में कृषि भूमि सीलिंग के अन्तर्गत कितनी एकड़ भूमि प्राप्त हुई?

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(2) इसमें से कितनी भूमि अलॉट कर दी गई है ?

(3) क्या इस आवंटित भूमि का सभी अलॉटीज को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन व्यक्तियों को कब्जा नहीं मिला है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या जिन व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है वे उस भूमि पर काश्त कर रहे हैं ? जो व्यक्ति काश्त नहीं कर रहे हैं कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील मांगरोल में कृषि भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत 4477 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है।

(2 इस भूमि में से 2902 एकड़ भूमि आवंटित हो चुकी है।

(3) आवंटीगण में 23 आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है। इनकी सूची मय कारण संलग्न है।

(4) जिन व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया उनमें से 121 व्यक्ति काश्त नहीं कर रहे। इनकी सूची मय काश्त न करने के कारणों के संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

आयुर्वेद विभाग, अजमेर में मस्टर रोल व दैनिक वेतन पर कार्यरत मजदूर

159. श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व)–क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अजमेर में आयुर्वेद विभाग के अधीन रसायनशाला व अन्य प्रवृत्तियों में कुल कितने व्यक्ति मस्टरोल पर दैनिक वेतन पर अथवा अंशकालिक सेवा में कार्यरत है।

(2) अंशकालिक सेवा में उनसे कितने घण्टे काम लिया जाता है ?

(3) उन्हें दैनिक या मासिक, क्या मजदूरी चुकाई जाती है ? क्या श्रम विभाग द्वारा निर्णीत न्यूनतम मजदूरी उन्हें मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर में आयुर्वेद के अधीन रसायनशाला व कार्यालयों/औषधालयों (प्रवृत्तियों) में निम्नानुसार मजदूर एवं व्यक्ति दैनिक वेतन व अंशकालिक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं:—

1.	राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर	— 30 मजदूर	दैनिक वेतन पर
2.	राजकीय (अ:) श्रेणी आयुर्वेद चिकि0, अजमेर	— 24 व्यक्ति	अंशकालिक
3.	राजकीय होम्योपैथिक (अ) श्रेणी चिकि0, अजमेर	2 ,,	,,
4.	राजकीय (अ) श्रेणी यूनानी दवाखाना, अजमेर	— एक ,,	,,
5.	सहायक निदेशक, यूनानी, कार्यालय, अजमेर	— 3 ,,	,,

6.	निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर	— 2	व्यक्ति	अंशकालिक
7.	धात्री/ उपवैद्य प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	— 1	,,	,,

2\. अंशकालिक व्यक्तियों से एवं मजदूरों से निम्नानुसार घण्टे प्रतिदिन काम लिया जाता है:

1.	आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर	30 मजदूर	8 घण्टे प्रति दिन
2.	(अ) श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, अजमेर	24 अंशकालिक	7 ,, ,,
3.	(अ) श्रेणी होम्यो. चिकित्सालय, अजमेर	1 ,,	7 ,, ,,
		1 हरिजन	2 ,, ,,
4.	(अ) श्रेणी यूनानी दवाखाना, अजमेर	1 ,, ,,	2 ,, ,,
5.	कार्यालय सहायक निदेशक, यूनानी, अजमेर	3 अंशकालिक	8 ,, ,,
6.	आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर	1 ,,	7 ,, ,,
7.	धात्री/ उपवैद्य प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	1 हरिजन	4 ,, ,,
		2 ,,	4 ,, ,,

मजदूरी जो चुकाई जाती है उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

1.	आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर	30 मजदूर	7)रु. प्रति दिन
2.	(अ) श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, अजमेर	24 अंशकालिक	100)रु. प्रति माह
3.	(अ) श्रेणी होम्यो. चिकित्सालय, अजमेर	1 ,,	120)रु. ,,
		1 ,, हरिजन	15)रु. ,,
4.	(अ) श्रेणी यूनानी दवाखाना, अजमेर	1 ,, ,,	60)रु. ,,
5.	कार्यालय सहायक निदेशक यूनानी, अजमेर	2 ,,	150)रु. ,,
		1 ,,	100)रु. ,,
		1 ,,	150)रु. ,,
6.	आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर	1 ,, हरिजन	75)रु. ,,
7.	धात्री/उपवैद्य प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	1 ,,	100)रु. ,,

3\. रसायनशाला में नियुक्त मजदूरों को (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948) की धारा-5 की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशानुसार न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। अन्य अंशकालिक व्यक्तियों, हरिजनों पर यह आदेश लागू नहीं होते हैं, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान केवल स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में ही लागू होता है।

जन जाति उप योजना क्षेत्र हेतु बजट प्रावधान

160. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिये वर्ष 1980-81 में बजट प्रावधान क्या रखा गया था ?

(1) क्या यह सही है कि बजट प्रावधान के अनुपात में अब तक व्यय राशि कम है? यदि नहीं, तो कितनी राशि बजट प्रावधान के अनुसार किस-किस मद में कितनी-कितनी किस-किस प्रयोजनार्थ आवंटित एवं व्यय की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये वर्ष 80-81 में बजट प्रावधान निम्न रूप से रखा गया:–

1. राज्य योजना 3917.67 लाख।
2. विशेष केन्द्रीय सहायता 256.49 लाख।
3. केन्द्र प्रवर्तित योजना 275.39 लाख।

(2) बजट प्रावधान के अनुपात मे अब तक व्यय राशि कम है। सही स्थिति मार्च 1981 के अन्त तक पूर्णरूपेण ज्ञात होगी।

एन्टीरेबिक वैक्सीन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था

162. श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में एन्टीरेबिक वैक्सीन को सुरक्षित रखने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(2) दिनांक 1-1-80 से दिनांक 1-2-81 तक कुत्ते काटे के कितने मरीजों को अजमेर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जयपुर चिकित्सा हेतु अग्रेषित किया गया ? कृपया ऐसे मरीजों की सूची मय पते के सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, अजमेर में एन्टीरेबिक वैक्सीन को सुरक्षित रखने की माकूल व्यवस्था है।

(2) दिनांक 1-1-1980 से 1-2-1981 तक कुत्ते काटे गये मरीजों को ए. आर. वी. उपलब्ध न होने पर अन्यत्र रेफर किया गया; उसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

भवानी मंडी अस्पताल को एक्स-रे मशीन

163. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(1) जिला झालावाड़ के भवानी मण्डी अस्पताल में एक्स-रे मशीन कब से खराब पड़ी हुई है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या भवानी मण्डी अस्पताल के लिए नई एक्स-रे मशीन उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1975 से।

तत्कालीन एक्स–रे टेक्नीशियन श्री गोकुल प्रसाद के विरुद्ध जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं।

नई मशीन शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जावेगी।

मैटर्न के रिक्त पद की पूर्ति

164. श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

( ) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय अजमेर में मेटर्न का पद लम्बे समय से रिक्त है ?

(2) क्या सरकार इस पद की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र बुलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में नर्सिंग अधीक्षिका श्रेणी प्रथम का पद फरवरी, 1980 से रिक्त है परन्तु सहायक नर्सिंग अधीक्षिका पद के विरुद्ध कार्य कर रही है।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिसम्बर, 79 में की गई थी। जिसमें पदोन्नति से भरे जाने वाले पद पर चयन किया गया था। सीधी भर्ती के कोटे से भरे जाने वाले पद हेतु लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयन किया जाता है।

कम्पाउन्डर्स व नर्सेज की बकाया का भुगतान

165. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या मल्टी पर्पज स्कीम के अन्तर्गत जिला अजमेर व अन्य जिलों में कार्यरत कम्पाउन्डर्स व नर्सेज को माह फरवरी व व मार्च, 1980 के वेतन व अन्य क्लेम्स का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किस कारण ? अब इनको यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

मल्टी पर्पज स्कीम के अन्तर्गत कम्पाउण्डर नर्सों के कोई पद स्वीकृत नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना

166. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री हरीश शर्मा)

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम पंचायत मुख्यालय में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है और जनता इस हेतु मांग कर रही है ? क्या वहां की जनता आयुर्वेदिक औषधालय के लिए भवन देने के तैयार है ?

(2) यदि हां, तो औषधालय कब तक खोल दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता में तीस ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें पांच ग्राम पंचायत मुख्यालयों (पलायथा, बडगांव, बडवा, गिरजापुर व उदयपुरिया) एवं एक ग्राम पंचायत मुख्यालय सीरसन के ग्राम नियाना में आयुर्वेद औषधालय तथा तीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों (अन्ता, दमोरीकलां एवं सीसवाली) में एलोपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। सूची संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष 80-81 में पंचायत समिति अन्ता, जिला कोटा की केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय रायथल में औषधालय खोलने हेतु प्रस्ताव सरपंच, ग्राम पंचायत रायथल से प्राप्त हुआ है, जिसमें भवन व्यवस्था होने की कोई सूचना नहीं है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन औषधालय खोलने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं: —

1. निः शुल्क भवन व्यवस्था हो।
2. लाभान्वित जनसंख्या कम से कम 2000 हो।
3. आठ किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई चिकित्सा सुविधा (राजकीय) उपलब्ध न हो।

ग्राम अन्ता में ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी पूर्व से ही संचालित होने के कारण यहां औषधालय खोलने हेतु विचार किया जाना अभी संभव नहीं है।

[सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें]

राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा

167. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा के समानान्तर सड़क निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा ? इसमें विलम्ब होने का क्या कारण है ?

(2) बरसलपुर शाखा पर किसानों को काश्त करने व अकाल की स्थिति को देखते हुए घास-चारा उगाने हेतु पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या भविष्य में अकाल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) बरसलपुर शाखा की कौन सी बुर्जी तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कहां कहां क्या निर्माण कार्य चल रहा है ?

(4) क्या राजस्थान नहर की बुर्जी 859 के हैड का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो बरसलपुर शाखा में कब तक पानी छोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) बरसलपुर शाखा के समानान्तर सड़क निर्माण कार्य मार्च, 1982 तक

(राजस्थान नहर मंत्री)

पूर्ण होने की संभावना है। विलम्ब का मुख्य कारण बिटयूमन की उचित मात्रा में उपलब्धि नहीं होना है।

(2) सिंचाई हेतु पानी खरीफ में 1981 में दिया जा सकेगा।

(3) बरसलपुर शाखा की बुर्जी 0.5 से बुर्जी 70 तक का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा बुर्जी 70 से आगे टेल तक मिट्टी की खुदाई व पक्का करने का कार्य प्रगति पर है।

(4) हैड रेगुलेटर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सिंचाई हेतु पानी खरीफ 1981 में दिया जा सकेगा।

ग्राम भलूरी व बरसलपुर की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार

169. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में ग्राम भलूरी के होम्योपैथिक औषधालय में वैद्य एवं चपरासी जून 1980 से अब तक अनुपस्थित हैं व जिला आयुर्वेद कार्यालय से अपना वेतन उठाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बरसलपुर के होम्योपैथिक औषधालय से वैद्य कई माह से अनुपस्थित है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवा कर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा हेतु वहां शीघ्र वैद्य भेजने की व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) बरसलपुर औषधालय से पूर्व में अनुपस्थित रहे वैद्य, जिन्हें निलम्बित कर दिया गया था, उनके विरुद्ध जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम भलूरी, जिला बीकानेर में आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है न कि होम्योपैथिक औषधालय। वैद्य पद पर दिनांक 7-1-81 से श्री युगलकिशोर कार्यरत हैं। चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पद पर श्री विद्याधर गौड़ कार्यरत हैं। वैद्य तथा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। अगस्त, 80 से होम्योपैथिक डाक्टर का पद स्थानान्तरण के कारण रिक्त है। नवीन नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जा चुका है, जिसका अन्तिम दिनांक 28-2-81 था, शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जावेगा।

(3) होम्योपैथिक औषधालय, बरसलपुर के डाक्टर श्री हरफूलसिंह को दिनांक 23-9-80 को निलम्बित किया गया था तथा दिनांक 18-12-80 को जांच विचाराधीन रखते हुए इन्हें नवीन होम्योपैथिक औषधालय झुन्झुनू में पुनः पदस्थापित किया गया है। इनको राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिनांक 19-12-80 को जारी किया जा चुका है। आरोप पत्र का प्रत्युत्तर देने हेतु रिकार्ड का अवलोकन इन्हें दिनांक 12-2-81 को कराया जा चुका है। आरोप पत्र का प्रत्युत्तर आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

तहसील कोलायत के उपनिवेशन क्षेत्र हेतु सिंचाई सुविधा

169. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील कोलायत के ग्राम बांगड़सर बज्जू, गांधी, मिठड़िया, गिरजासर, बीठनोक, नगरासर, कोलासर, पातूसर, सेवड़ा, कोडमदेसर की रोही में सिंचाई की सुविधा की निकट भविष्य में कोई उम्मीद है? यदि नहीं, तो इन्हें नहरी उपनिवेशन, क्षेत्र से कब तक बाहर निकाल दिया जावेगा ?

(2) क्या उपरोक्त किसी गांव में नहरी योजना का कार्य चालू किया गया है ? यदि नहीं, तो किसानों को उपनिवेशन नियमों की पेचीदगियों से होने वाली परेशानियों से बचाने के बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) निकट भविष्य में इन गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । लिफ्ट सिंचाई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है । इस पर लिये गये निर्णय के पश्चात् ही इस क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र में रखने या न रखने का निश्चय किया जा सकेगा ।

(2) जी नहीं । जैसा कि ऊपर निवेदन किया जा चुका है, लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्णय के पश्चात् ही इस पर निर्णय लिया जावेगा ।

जिला अजमेर के पोषाहार केन्द्र

171. श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर एवं जिले में चलने वाले पोषाहार केन्द्रों में भ्रष्टाचार की जांच की गई थी ?

(2) यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितनी कितनी रकम का भ्रष्टाचार पाया गया और उस भ्रष्टाचार में कौन-कौन लिप्त पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया जांच रिपोर्ट व कार्यवाही रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जांच अभी पूर्ण नहीं हो पाई है । कार्यवाही चालू है किन्तु प्रारंभिक जांच के आधार पर जिलाधिकारी, 2 पोषाहार निरीक्षकों तथा 1 कनिष्ठ लिपिक को निलम्बित किया जा चुका है ।

तहसील रामगंजमंडी के व्यक्तियों की वृद्धावस्था पेन्शन

172. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी तहसील के जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रारम्भ की गई थी उनमें से अधिकतर लोगों को तहसील कार्यालय की गलती से बीच-बीच में बन्द होकर मिली है ?

(श्री हरीश शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि यह पेंशन अनेक को मिल भी नहीं रही है ? पेंशन नहीं मिलने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांचकर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या लाड़पुरा तहसील से दी जाने वाली वृद्धावस्था पेन्शन की भी यही हालत है ?

(4) क्या सरकार ऐसे मामलों की विस्तृत जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । 15 व्यक्तियों की पेन्शन, वार्षिक सत्यापन नहीं होने तथा स्वीकृति में कुछ कमी होने के कारण मार्च 80 से जुलाई, 80 की अवधि की रोकी गई थी जिसका भुगतान बाद में भेज दिया गया ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । तहसील लाड़पुरा में जिन व्यक्तियों की पेन्शन प्रारंभ की गई उनका नियमित भुगतान हो रहा है । 17 व्यक्ति, जिनकी स्वीकृति तो हो गई, पर भौतिक सत्यापन तथा प्रमाणित फोटो प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ति होने पर पेन्शन प्रारंभ हो जायेगी ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ में मेहतर परिवारों के भवनों का निर्माण

173. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर प्रतापगढ़ में मेहतरों ने राज्य सरकार की सहायता से निजी भवनों का निर्माण कार्य करवाया था ? यदि हां, तो किन-किन मेहतरों के भवन अधूरे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार अधूरे भवनों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ नगर में कस्तूरबा अनुसूचित जाति व जनजाति भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, प्रतापगढ़ के 27 सदस्यों ने दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लिमिटेड से ऋण स्वीकृत कराकर प्रथम किश्त के प्रथम भाग की राशि से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया था जिनमें निम्न के मकान अधूरे हैं :—

1. श्री पूर्णमल पुत्र कन्हैयालाल
2. श्री गोरधन पुत्र गंगाराम
3. श्री बाबू पुत्र जुम्मा
4. श्री रुस्तम पुत्र साधू
5. श्री ताराचन्द पुत्र सूरजमल
6. श्री छन्नू पुत्र भूरा
7. श्री सुरेन्द्र पुत्र हुसैन
8. श्री डालीबाई/इसारी
9. श्री बाबू पुत्र सूजा
10. श्री इसरा पुत्र बचाराम
11. श्री प्रकाश पुत्र राधेलाल
12. श्री मनफूल पुत्र इसर जी
13. श्री रमजान पुत्र हीरा

(३८)

(समाज कल्याण मंत्री)

14. श्री मांगीलाल पुत्र सन्तु
15. श्री सांवलराम पुत्र सूरजमल
16. श्री नाथू पुत्र किशन
17. श्री सुल्तान पुत्र मदा
13. श्री राधेलाल पुत्र रामलाल
19, श्री तुलछीराम
30. श्री रमेश पुत्र छन्नू
21. श्री सूरजमल पुत्र मन्ना
22. श्री बाबू पुत्र सन्तु
23. श्री शान्तीलाल पुत्र नरेश
24. श्री राधेलाल पुत्र रामलाल
25, श्री अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र
26. श्री फूलचन्द पुत्र नाथू

उक्त समिति ने निम्न सूचनाएं प्रेषित नहीं की जिनके कारण आगे की किश्तों का भुगतान नहीं किया जा सका, सूचना प्राप्त होने पर शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है :—

(1) समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार भवनों का निर्माण कर मूल्यांकन रिपोर्ट एवं दी गई किश्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ की सूचना के अनुसार समिति के सदस्यों ने इन्हीं भू-खण्डों को स्थानीय वाणिज्य बैंक में भी रहन कर दिये हैं। नियमानुसार एक ही संस्था को रहन रखकर ऋण की राशि उपलब्ध की जानी चाहिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय आ रहे हैं, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) सर्वश्री गुलाबचन्द कटारिया व अनंगकुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 5 मार्च से विधान सभा भवन के बाहर धात्री उपवैद्य संघ द्वारा दिये जा रहे धरने के विषय में,

(2) सर्वश्री लच्छूराम व भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 7 मार्च को लुहारू सवाई माधोपुर रेलगाड़ी में चिड़ावा व सूरतगढ़ के बीच डाकूओं द्वारा लूटमार व गोली चलाने की घटना के विषय में,

(3) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्या विधान सभा की ओर से गत 7 मार्च को सवाई मानसिंह अस्पताल में बिजली के करंट से मृत एक युवक की लाश को उनके परिवार वालों को न देने के विषय में।

(4) श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार के आग्रह पर उच्च न्यायालय द्वारा चम्बल सिंचित क्षेत्र में नियुक्त दो न्यायिक मजिस्ट्रेटों को क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा द्वारा कार्य न करने देने के विषय में,

(5) श्री महाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के गाय, बैल बछड़े आदि की निकासी पर रोक

(श्री अध्यक्ष)

लगाने से अन्य प्रदेशों के खरीददार किसानों में असन्तोष व पशुओं की कीमतें कम होने के विषय में,

(6) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गला सड़ा अनाज वितरण किये जाने के विषय में,

(7) सर्वश्री भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, सुश्री पुष्पा जैन व डा० उजला अरोड़ा सदस्य, विधान सभा की ओर से 9 मार्च को रात्रि में कोतवाली जयपुर में तैनात एक सन्तरी सुमेरसिंह द्वारा सब इन्सपेक्टर बी. डी. तिवाड़ी को गोली मार कर हत्या कर देने के विषय में,

(8) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 लाख रुपयों की सामग्री अल्पकालीन निविदा सूचना के आधार पर मंगाई जाने के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(9) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में रामगंज मंडी के परगना अधिकारी द्वारा की जा रही रिश्वतखोरी के विषय में,

(10) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 26 फरवरी को डग विधान सभा क्षेत्र के कोटड़ा ग्राम में खलियानों में लगी आग से घास जल जाने के विषय में,

(11) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में लघु उद्योगों को बिजली की सप्लाई कम होने से फैक्ट्रियां बन्द हो जाने के विषय में ।

ये विषय स्थगन प्रस्ताव के लिये उपयुक्त नहीं हैं और अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं । अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(12) सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, यदुनाथ सिंह, फतेसिंह व मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी में सिंचाई के लिए किसानों को पानी न मिलने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी ।

बूंदी जिले में ही अकाल के कारण पानी की कमी के विषय में प्राप्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में राज्य सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उसका अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जावेगा ।

(13) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसान रैली के लिये भेजी गई बसों के कारण परिवहन निगम को हुए नुकसान के विषय में ।

इस विषय पर सदन में कल एक वक्तव्य दिया जावेगा, अतः मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करने की स्थिति में नहीं हूं ।

पूर्व में प्राप्त स्थगन प्रस्तावों पर निम्नांकित विषय में राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं :-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री नन्दलाल मीणा : तहसील प्रतापगढ़ में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आदिवासी कृषकों के झोपड़े जला देने के विषय में।

(2) श्री हीरालाल आर्य : इन्द्राणी बांध की डूब में आने वाली जमीनों मकानों आदि का मुआवजा न मिलने के विषय में।

(3) श्री दाऊदयाल जोशी, कोटा नगर की हायर सैकण्डरी स्कूल में अध्यापकों द्वारा परीक्षा से बहिष्कार करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा, जिनकी तिथियां बाद में तय की जावेंगी। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री नाथूसिंह : होम्योपैथिक कालेज में हड़ताल।

(5) श्री लच्छूराम : केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू द्वारा समितियों को ऋण न देना।

(6) श्री हरीश शर्मा : रामगंज मंडी में अनियमित तरीके से खोदी जाने वाली खदानों में एक मजदूर की मृत्यु।

(7) श्री कैलाश मेघवाल : भीलवाड़ा जिले में मेजा फीडर से सम्बन्धित मेगजीन में आग लग जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है और इन पर बाद में निर्णय लिया जावेगा।

(8) श्री हंसराज शर्मा : सवाईमाधोपुर में टी. बी. के मरीजों का वार्ड चालू होने के विषय में।

(9) श्री रामकंवार बैरवा : फागी तहसील में छापरवाड़ा बांध का पानी किसानों को न दिये जाने के विषय में।

(10) सर्व श्रीराव कमलेन्द्रसिंह, देवीसिंह भाटी गोपाल पचेरवाल व वीरेन्द्रप्रताप-सिंह : गत 22 फरवरी को राजस्थान नहर में किसानों पर लाठीचार्ज।

प्राप्त सूचनाओं के अध्ययन के आधार पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

वे प्रस्ताव जिन पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है।

(1) श्री मेघराज तावड़, श्री त्रिलोक-सिंह : खेतड़ी नगर में 5 मार्च, 1981 को महिलाओं व बच्चों पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज।

9 मार्च को दिये गये एक स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत राज्य सरकार से सूचना मंगाई जाने के कारण।

(2) सुश्री पुष्पा जैन : जोबनेर महाविद्यालय को बंद करने के विषय में। माननीय सदस्या ने एक अन्य प्रस्ताव की सूचना भी दी है और जोबनेर से सम्बन्धित मामले पर सदन में 12 मार्च को एक वक्तव्य होगा।

(3) जिला झुंझुनू मुख्यालय पर विद्यार्थी भवन छात्रावास के छात्रों से व्यवस्थापक द्वारा 16/— रु० प्रति छात्र बिजली पानी का शुल्क लेने के विषय में माननीय सदस्या ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है और यह स्थगन प्रस्ताव का विषय भी नहीं है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री दलीपसिंह, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि ।

शोकाभिव्यक्ति ।

श्री दलीपसिंह, भूतपूर्व सदस्य : राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसीकि सभा को जानकारी है श्री दलीपसिंह, जो कि इस सदन में 52 से 57 तक रहे, का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया ।

हालांकि मूल रूप से श्री दलीपसिंह का जन्म पंजाब में हुआ था लेकिन उसके बाद उन्होंने राजस्थान में आकर अपनी सेवायें दीं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे परिचय नहीं था, पर जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। खास तौर से उन्हें हाड़ौती क्षेत्र में कई शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया । खान क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के प्रति उनकी विशेष रुचि थी और उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए वे बराबर तत्पर रहते थे । उन्होंने साहित्य के अध्ययन के लिए कई स्थानों पर भ्रमण भी किये । उसी आधार पर उन्होंने कुछ लिखा भी ।

विधान सभा में 52 से 57 तक के अर्से में उन्होंने कई काम न केवल कोटा क्षेत्र, जहां से वे निर्वाचित हुए, के लिए किये बल्कि सारे राजस्थान के लिए कुछ अच्छे तथा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये, उससे राजस्थान को काफी लाभ पहुंचा ।

इस प्रकार के माननीय सदस्य, जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की बल्कि सारे राजस्थान की सेवा की, के जाने से न केवल उस क्षेत्र की बल्कि सारे राजस्थान की क्षति हुई है ।

हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और परिवारजनों को धैर्य दें जिससे वे इस क्षति को सहन कर सकें ।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी सम्वेदना को आप उनके परिवार तक पहुंचा दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय दलीपसिंहजी 1952 से 57 तक इस विधान सभा के सदस्य थे ।

श्री अध्यक्ष : 57 से 62 तक ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 52 से मेरे साथ थे ।

श्री अध्यक्ष : मेरे साथ भी रहे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप 57 में आये थे । मैं 52 में आ गया था ।

श्री अध्यक्ष : इसलिए 57 से 62 तक हमारे साथ ही थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 52 के बाद, अध्यक्ष महोदय, मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था । कई विषयों का ज्ञान तो उन्हें था ही, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर राज्य विधान सभा में जिस प्रकार का वे प्रतिनिधित्व करते थे उससे बहुत ही उत्तर दायित्वपूर्ण विधायक के कर्त्तव्य का उन्होंने निर्वहन किया ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वे बड़े विनोद प्रिय थे। जब ये विधान सभा के बाहर किसी प्रकार की चर्चा में वे शामिल होते थे तो उनकी सारी चर्चा को, उनके विचारों को सब लोग बड़े ध्यान से सुना करते थे। उनका हमारे बीच से उठ जाना बहुत ही दुख का विषय है।

मैं मुख्य मन्त्रीजी की भावनाओं में अपने आपको भागीदार बनाते हुए उनको अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

श्री लच्छुराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, दलीपसिंह जी सन् 52 से 62 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे व 57 से 62 तक उन्होंने मेरे साथ विधायक का कार्य किया।

उनका स्वभाव राजनीति एवं सामाजिक, दोनों ही दृष्टि से सौहार्द पूर्ण था। उन्होंने विधान सभा के कार्य संचालन में बहुत ही सहयोग दिया। अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ उनकी भाषा और साहित्यक कृतियों में विशेष रुचि रही।

मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी और विरोधी दल के नेता के साथ मेरे दल की तरफ से माननीय सदस्य को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, दलीपसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। कोटा संभाग में विशेष रूप से उनका कार्य था। जहां तक मानसिक और बौद्धिक कृतियों का, प्रतिभा का सम्बन्ध है, वे सर्वथा मान्य थे।

आज वे हमारे बीच नहीं रहे, उनका चला जाना उच्चतम व्यक्तित्व का चला जाना है।

उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, राजस्थान को ऊंचा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था।

मैं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी विरोधी दल के नेता तथा अन्य साथियों के साथ-साथ संवेदना प्रकट करता हूं उनके परिवार के प्रति और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय दलीपसिंहजी के स्वर्गवास से न केवल राजस्थान को बल्कि मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वे केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं थे। उनके लेख उनकी पुस्तकें हिन्दुस्तान के बाहर महत्व के साथ भेजी गई हैं।

उनका इस तरह से हमारे बीच में से चले जाना हमारे लिए और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए घाटे का सौदा है। परन्तु ईश्वर की मर्जी है उसके आगे किसी का जोर नहीं है। हम सिर्फ संवेदना उनके घर वालों तक पहुंचा सकते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, दलीपसिंहजी, जो 52 से 62 तक विधान सभा के सदस्य रहे, से व्यक्तिगत परिचय तो नहीं था लेकिन उनके निधन से राजस्थान को बहुत क्षति पहुंची है।

उनके परिवारजन इस कष्ट को सहन कर सकें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, दलीपसिंहजी का निधन हमारे लिये और मैं तो यह मानता हूं हमारे गरीब मजदूरों और किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी और भैरोंसिंहजी और अन्य साथियों, इनके साथ जो रहे हैं, ने बातें बताई। उनके निधन से हमें बड़ा नुकसान हुआ है।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री दलीपसिंहजी के निधन पर जो मुख्य मन्त्रीजी ने शोक प्रस्ताव रखा है, उनकी संवेदना के साथ मैं भी अपने दल की ओर से और मेरी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। न केवल मुख्य मंत्रीजी ने संवेदना व्यक्त की है बल्कि विरोधी दल के नेताओं ने जो दलीपसिंहजी के बारे में अपने खयालात जाहिर किये उनसे मालूम होता है कि वे राजस्थान के महान् व्यक्ति थे।

मैं संवेदना जाहिर करता हूं मेरी और मेरे दल की ओर से

श्री अध्यक्ष : श्री दलीपसिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर अलग अलग पक्षों के नेताओं ने जो संवेदना प्रकट की है उसमें अपने आपको भी शरीक करता हूं।

श्री दलीपसिंह जन्मे पंजाब में थे लेकिन उन्होंने राजस्थान और राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र को अपना कार्यस्थल बनाया। श्री दलीपसिंहजी बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उर्दू, फारसी पंजाबी, हिन्दी, अंग्रेजी के विद्वान थे। उनकी समाज सुधार शिक्षा, राजनीति सबमें गहरी रुचि थी। उम्र ज्यादा होने के बाद में भी सदैव वे कार्यों के लिए तत्पर रहते थे। विधान सभा में भी जब कभी वे बोलते थे तो अपने परिपक्व विचारों का और अपने अनुभवों का लाभ हमारी इस सभा को देते थे।

उन्होंने राजनीति में प्रवेश कांग्रेस के माध्यम से 1921 में किया। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वह देश भक्त थे, अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और गरीबों की भलाई में वे हमेशा तत्पर रहते थे। उनका हमारे बीच में से, हालांकि उनकी उम्र काफी हो गई थी, उठ जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

परम पिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस महान् दुःख को झेलने की शक्ति दें।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की व श्रद्धांजलि अर्पित की।)

व्यवस्था का प्रश्न
सदस्य विधान सभा के देहावसान की सूचना प्रेषित करने में जिलाधीश द्वारा विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर, जिसके लिए सदन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, एक बात की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दलीपसिंहजी की मृत्यु लगभग दो ढाई माह पूर्व हुई। अब तक की व्यवस्था के अनुसार विधायक की जब भी मृत्यु होती है तो इमीजिएटली जिलाधीश को विधान सभा को सूचना देनी चाहिए थी। मैं इसमें किसी का दोष नहीं समझता लेकिन पुराने सक्यूंलर्स निकले हुए हैं। संभव है, नये कलेक्टर, जो इस समय वहां गए हैं, को इस बात की जानकारी न हो। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह पुनः इस प्रकार का सक्यूंलर जारी कर दें ताकि कभी किसी विधायक की मृत्यु का समाचार मिले तो इमीजिएटली राज्य विधान सभा को उसकी सूचना दे दी जाय और उसमें किसी प्रकार का विलंब न हो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): श्रीमन् विपक्षी दल के माननीय नेता द्वारा जो सुझाव दिया गया, उसके लिए सक्यूंलर भेज दिया जायेगा ताकि जैसे ही इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो वह विधान सभा अध्यक्ष या विधान सभा सचिवालय को भेज दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। कल रात को कोतवाली में...

श्री अध्यक्ष: मैंने उसे जानकारी के लिए ...

श्री भंवरलाल शर्मा: मैं प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा हूं।

डी॰ डी॰ तिवाड़ी की जो हत्या हो गई है उस पर रखे प्रस्ताव को सरकार के पास जानकारी के लिए भेज दिया है वह तो ठीक है। मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुरक्षा का भवन है, केन्द्र है वहीं उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसका जवाब तो सरकार देगी, बात कर लेंगे लेकिन फिलहाल सरकार को घोषणा करनी चाहिये उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने की।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह): आज ही माननीय मुख्य मंत्री ने 5 हजार रुपये अन्तरिम सहायता के रूप में अपने कोष से देने की घोषणा कर दी है। उसके आदेश आज ही जारी कर दिये जायेंगे। उसके बाद भी जो कुछ उनके परिवार के लिए सरकार कर सकेगी नियमों के तहत या कहीं नियमों को अमेंड भी करना पड़ेगा। उसके बारे में भी मुख्य मंत्री से बात की है वह जरूर करेंगे। क्योंकि यह पहले किस्म की घटना है इसका हमें दुख है। सरकार की उसके परिवार के प्रति संवेदना है, जो कुछ सरकार कर सकेगी उसके परिवार के प्रति वह अवश्य करेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): मैंने स्थगन प्रस्ताव मूव किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, है विधान सभा भी जयपुर में ही है, रात्रि को 9 बजे घटना हुई है। प्रातः काल अखबारों में आया हुआ है, पता नहीं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मंत्री को अखबारों से मालूम पड़ा या पहले ही पुलिस विभाग ने सूचना दी। क्या यह आवश्यक नहीं था कि वक्तव्य हमारे कहने से पहले ही आना चाहिये था ? आखिर सरकार क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह: कौनसे नियमों में वक्तव्य आना चाहिये ?

(व्यवधान)

यह क्या है, मृत्यु से भी राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हर बात ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), अध्यक्ष महोदय, चूंकि ब्रह्मदत्त तिवाड़ी की हत्या की गई ठीक थाने के अन्दर, थाने के कर्मचारी द्वारा की गई, यह बहुत ही अपने आप में चिंतनीय विषय है। इसको इस ढंग से....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस दुखद घटना को विवाद का विषय न बनायें। इसमें शीघ्र सूचना मंगवाई जायेगी। जहां तक अन्तरिम सहायता का सवाल है, वह की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है थाने के अन्दर, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है....

(व्यवधान)

यह सरकार राजस्थान का प्रशासन चलायेगी, कुछ समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। क्या मैं मान लूं कि इस पर चर्चा शुरु हो गई है ? जानकारी मंगाई है, जानकारी आ जायेगी।

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय, कोतवाली में

श्री राज बहादुर (भरतपुर): पाइंट आफ आर्डर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: वह भरी हुई पिस्तौल लेकर भागा है।

श्री राजबहादुर: पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह चर्चा चली और माननीय ललित जी ने सुझाव दिया कि इस प्रकार का वक्तव्य स्वयं आना चाहिये था तो मंत्रीजी प्रद्युम्न सिंह ने, मुझे दुख इस बात का हुआ, इसमें भी राजनीति देखी और कहा कि हर प्रश्न में राजनीति को ला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री: (अजमेर पश्चिम) आपने कोई व्यवस्था नहीं दी....

श्रीमती उजला अरोड़ा: भरी हुई बन्दूक लिये भागा हुआ आदमी कल शाम तक

(44)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पकड़ा नहीं गया। वह कितनी हत्यायें कर सकता है हम समाज की सुरक्षा चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय हत्या जैसा गम्भीर मसला है। शोचनीय विषय है कि राजनैतिक लोग विधान सभा में इस प्रकार के मसले को राजनैतिक रंग देते हैं। जबकि राज्य सरकार ने तुरन्त निर्णय लिया और निर्णय लेकर अपनी कार्य क्षमता की तीव्रता दिखायी उसके बावजूद भी ..

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह: कार्यवाही करना चाहते हैं, इनको सोचना चाहिये, शर्म आनी चाहिये थी हत्या जैसे मामले पर....

श्री अध्यक्ष: इसको विवाद का विषय न बनायें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण, समय जा रहा है, समय का अभाव है

श्री राजबहादुर : मैं मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है।

श्री दीपेन्द्रसिंह: आसन पैरों पर है, बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): पाइंट आफ आर्डर। मंत्री महोदय ने एक बात कही। माननीय ललितजी ने एक सवाल उठाया, मंत्री महोदय ने कहा कि किन नियमों के तहत सरकार वक्तव्य दे सकती है....

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नाथूसिंह: सरकार जब चाहे किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर सदन में आकर वक्तव्य दे सकती है।

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह आपका मत जरूर है, आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : उनको वक्तव्य देना चाहिये।

श्री राज बहादुर : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है लेकिन परम्पराएं, कन्वेन्शन्स होते हैं। कन्वेन्शन के अनुसार जब भी गम्भीर दुर्घटना हो तो सरकार को स्वयं आना चाहिये वक्तव्य देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कन्वेन्शन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह: इससे पहले सरकार कब जागी? इतना जल्दी निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज आपस में बात न करें।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी के शासन में बीकानेर में एक सिपाही की हत्या

(एक माननीय सदस्य)

की गई, तीन महीने तक सरकार ने कुछ नहीं कहा। आज यह कहते हैं कि ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। सुश्री पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो हत्या श्री बी॰ डी॰ तिवाड़ी की हुई है यह इतनी बड़ी आपत्तिजनक बात है, इतनी दयनीय बात है....

(व्यवधान)

और जिस तरह का व्यवहार माननीय सदस्य यहां पर कर रहे हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : आन ए आफ पाइन्ट, आर्डर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

सुश्री पुष्पा जैन : इससे यह साबित होता है, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर आर्डर, आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर-आर्डर। आप स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्या, आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं। अंकित नहीं हो।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आप नियमों की अवहेलना कर रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि कोई पालिसी मैटर हो, सरकार की घोषणा करनी हो तो अगर हाउस चल रहा हो तो पहले पालिसी मैटर की विधान सभा में घोषणा करनी चाहिये। पालिसी मैटर नहीं हो तो राज्य सरकार के लिये यह कोई जरूरी नहीं है कि उसके सम्बन्ध में हाउस में स्टेटमेन्ट दे। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि यह 302 का कत्ल का मामला है। एक कान्सटेबल ने एक सब इन्सपेक्टर को गोली से थाने में मारा है और मारकर वहां से मय हथियार के भाग गया या फरार हो गया। पुलिस उसको तलाश कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब इसके क्या कारण थे या क्या कारण नहीं थे इस सम्बन्ध में अभी तक नहीं कहा जा सकता पर इस सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया उसका अविलम्ब उल्लेख करते हुए गृह राज्य मन्त्री ने सदन को जानकारी दी। इसमें ऐसी कौनसी बात है कि हर मामले में सरकार को यहां पर स्टेटमेंट देना चाहिए। हालांकि यह घटना बड़ी दुःखद है पर यह जरूरी नहीं है कि हर एडजोर्नमेंट मोशन पर सरकार स्टेटमेंट दे। माननीय सदस्य,

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(46)

(श्री परसराम मदेरणा)

जो भरतपुर से आने वाले हैं, ने भी लोकसभा के अन्दर देखा होगा कि हर एडजोर्नमेंट मोशन पर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता है। इसके साथ-साथ अब कोई घटना होती है और हाउस में कोई सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन रखता है तो उसके फैक्ट्स मंगाये जाते हैं। सरकार के द्वारा फैक्ट्स कलेक्ट होने के बाद में ही सरकार की तरफ से कोई बात सदन में कही जा सकती है। फैक्ट्स के अभाव में सरकार क्या कह सकती है? सिर्फ एक कान्सटेबल ने एक सब इन्सपेक्टर का मर्डर कर दिया यह कहकर सरकार हाऊस को सैटिसफाई नहीं कर सकती है। सरकार को हाउस में कोई बात कहने के पहले उस केस का बैकग्राउण्ड देखना पड़ता है, क्या कारण था क्या उसमें आपस में कोई डिसकन्टेन्टमेंट थे या कोई लड़ाई झगड़ा पहले हुआ था या क्या बात हुई, इन सभी तथ्यों की जानकारी करने के बाद ही सरकार हाउस में स्टेटमेन्ट देती है। मैं समझता हूं कि सरकार इन सभी तथ्यों की जानकारी करने के बाद ही कुछ कह सकती है। सरकार इन सभी तथ्यों को जाने बिना कैसे सदन के सामने आ जाती? कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को पहले स्टेटमेंट देना चाहिए था, वह नहीं हो सकता। सरकार हाउस में स्टेटमेंट देने के पहले सरकार सभी तथ्यों की जानकारी करेगी और बिना तथ्यों की जानकारी प्राप्त किये सरकार कोई स्टेटमेंट अनर्गल रूप से यहां पर नहीं दे सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर वैसा ही है जैसा कि माननीय सदस्य परसरामजी ने हाउस में उठाया है।

एक माननीय सदस्य : यह नाथूरामजी वाला पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री छोगालाल बाकोलिया : वह तो सीख देने वाला था।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह नहला पर दहला था।

(शोरगुल)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय मेरा पाइन्ट आफ आर्डर ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्या का पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, थाना इन्चार्ज इकबालनारायणजी ने 302 और 409 के अन्तर्गत थाने में मुकदमा दर्ज किया है, उसके परिवार वालों ने नहीं कराया है। अध्यक्ष महोदय जब यह घटना

(श्रीमती उजला सरोड़ा)

घटी थी तब ऊपर से इकबाल नारायणजी ने कहा 'ठहरो'। इतना सुनने के बाद वह सिपाही हथियार लेकर भाग गया। तो क्या वहां पर कोई दूसरे सरकारी कर्मचारी नहीं थे ? यों तो इस प्रकार से कोई भी दुर्घटना हो जाती है तब भी लोग आ जाते हैं तो क्या थाने में गोली मार कर एक थानेदार को कतल कर दिया गया तो क्या वहां पर कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं था ? इसका मतलब यह हुआ कि आज थाने भी सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह हम आपकी मर्जी पर जयपुर शहर को नहीं छोड़ सकते हैं। आज स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर में चोरियां, डकैतियां और बलात्कार की घटनायें हर समय होती रहती हैं पर कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप बाहर से आये हैं, आप हंसे नहीं, आप भी सुरक्षित नहीं हैं। आप हैं हैं कर रहे हैं। आप भी बचने वाले नहीं। यह क्या है।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर दुर्घटना घटी है पर विरोधी पक्ष के लोग इस घटना का राजनैतिक लाभ उठाने चाहते हैं रात को यह घटना घटी है, सरकार को ज्यों ही पता लगा सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने उसके परिवार वालों को अविलम्ब सहायता देना घोषित किया है। पुलिस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है पर यह जरूरी नहीं है कि मुल्जिम को एकदम ही पकड़ लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, जो परसरामजी ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया वही मैं उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : परसराम जी ने जो मत व्यक्त किया वह तो मेरा स्वयं का मत था इसलिये मैंने उसको पहले ही स्वीकार कर लिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी तरह का है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे समर्थन में बोल रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के समर्थन में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और खास तौर से राज्य मन्त्री, गृह इस प्रश्न पर बहुत उत्तेजित हो गये थे कि इस प्रश्न को विधान सभा में क्यों उठाया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसको राजनैतिक रूप दिया जा रहा है, इस बात पर उत्तेजित हो रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल उठाने से पहले हंस रहे थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह घटना मेरे क्षेत्र की है इसलिए मेरा

(श्री श्रीराम गोटे वाला)

निवेदन है कि विपक्ष के नेता महोदय के बोलने के बाद मुझे भी दो मिनट बोलने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री जी बड़े उत्तेजित हो गये थे। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न को राजनैतिक रूप देने की कोई बात नहीं है। उनके मन में इस प्रकार का अगर कोई भ्रम हो तो उसका निराकरण कर लें। यह प्रश्न राजनैतिक रूप देने का नहीं है। प्रश्न तो यह है कि आज लॉ एण्ड आर्डर की क्या हालत है। एक मर्डर हो गया है, यह भी विशेष आवश्यक नहीं है कि उस मर्डर के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से आज ही स्टेटमेन्ट आवे। आवश्यकता तो इस बात की है, मर्डर हुआ और वह मर्डर हुआ है कोतवाली में और कोतवाली में एक सब इन्सपेक्टर का मर्डर करके सिपाही मय हथियार म थाने से फरार हो गया। इसलिए इस प्रश्न पर राजनैतिक लाभ उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि जो एजेन्सी लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करती है उस एजेन्सी के एक घटक ने दूसरे घटक के व्यक्ति का कत्ल कर दिया। वह गोली मार कर मय हथियार के फरार हो गया और उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अध्यक्ष महोदय, इस घटना का पब्लिक में क्या रिएक्शन होगा ? इसका पब्लिक में रिएक्शन यह होगा कि मर्डर की वजह से उस सब इन्सपेक्टर के परिवार के लोगों को चिन्ता होगी। इसके साथ साथ उसके संगी साथी लोगों को भी चिन्ता होगी, कहीं वह व्यक्ति बदला नहीं निकाल ले। क्योंकि यह चिन्ता का विषय है इसलिए सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। वैसे हर मर्डर के सम्बन्ध में सरकार कोई स्टेटमेन्ट दे इसके लिए सरकार पर कोई पाबन्द नहीं है। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया था वह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं था। उन्होंने जो प्रश्न उठाया वह कोई नीति सम्बन्धी नहीं है। उसमें कोई नीति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार को यह स्टेटमेन्ट देना चाहिए, अगर पोलिसी मैटर हो तो उसके लिए पहले हाउस कान्फिडेन्स में लेना चाहिये, मैंने तो यह कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य परसरामजी अक्सर लोक सभा और राज्य सभा की विजीटर्स गैलेरी में जाते है तो लोक सभा और राज्य सभा की प्रोसीडिंग्स को बड़े गौर से सुनते है। वहां भी जब कांग्रेस शासन था और जब जनता पार्टी का शासन रहा तब भी सुनते थे। इनको पता होगा कि जनता पार्टी के शासन में जब एडजोर्नमेन्ट मोशन सदन में आता उसके पहले ही ऐसे मौके हुए हैं जब सरकार ने वक्तव्य दिये।

श्री हुक्मा राम (राज्य मन्त्री, वन) : आप एक भी बता दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब जनता पार्टी का शासन था तब मुझे भी इस हाउस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वक्त मैं विरोधी पक्ष में बैठता था, मुझे अच्छी तरह याद है कभी सरकार ने कोई भी स्टेटमेन्ट पहले नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, दास गुप्ता का खून हुआ क्या सरकार ने वक्तव्य दिया? एक सिपाही की हत्या हुई क्या सरकार ने कोई स्टेटमेन्ट दिया। इसी प्रकार दूसरी भी हत्यायें हुई क्या जनता पार्टी के शासन में कोई वक्तव्य दिया गया?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों को अनुशासन में रखना चाहते हैं तो कम से कम आपको यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी की मंत्रि मंडल के सदस्यों को तो आप व्यवस्थित करें ।

श्री अध्यक्ष : हां कम से कम उनको तो चाहिये ही ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को अनुशासन में रखना है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंत्रियों को व्यवस्थित करें उसके बाद दूसरे मेम्बर्स को करने की कोशिश करें ।

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व मंत्री हैं वह भी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ...ज्य मंत्री को बड़ा जोश आ रहा है। ... जोश इस लिए आ रहा है कि उनको वक्तव्य देने के लिए क्यों कहा गया । इस सदन को और माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि हिण्डोन में एक नाव डूबने के कारण 20 आदमी मर गए और सरकार ने उसके ऊपर आकर अपने आप ही वक्तव्य दिया । मैं और भी जानकारी करके बता दूंगा इस प्रकार की दुर्घटना के सम्बन्ध में जानकारी देना कोई अपराध नहीं है । यह तो विधान सभा को कान्फिडेन्स में लेकर सरकार को अपने हाथ मजबूत करने की प्रक्रिया है । फरार हो गया, मर्डर हो गया, बन्दूक लेकर चला गया उसके लिए कह सकते हैं कि अभी मामला जांच में हैं । यह किन कारणों से मरा है, हम नहीं कह सकते हैं, इसकी तह में जाकर क्या परिणाम निकलते हैं वह बता दें आप यही हो बता देते कि जो फरार हो गया है उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने सब जगह वायरलैस दे दिया , सब जगह गिरफ्तारी की जानकारी दे दी । यह तो सरकार के पक्ष में है कि इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाय। विरोधी पक्ष उससे लाभ उठाये ऐसी स्थिति नहीं है । मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों ···

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मैं पूछना चाहूंगा माननीय भैरोंसिंह जी, नारायण चतुर्वेदी का काण्ड तो इससे कहीं बड़ा काण्ड था, इसके बारे में कई दिनों तक जानकारी नहीं दी । इसके अलावा दास गुप्ता का काण्ड भी था····

श्री दुल राम: दास गुप्ता जो एडीशनल कलेक्टर था उसका मर्डर हुआ, क्या आपने उस पर वक्तव्य दिया था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वर्तमान और भूतपूर्व मंत्री भी बोल रहे हैं। और भूतपूर्व

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्री इसलिए बोल रहे हैं कि शायद उनका नाम मंत्रिमण्डल में लिख लिया जाये वह क्या होगा, मैं कह नहीं सकता।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप हाउस को गुमराह करना चाहते हैं। आपकी आदत है यह।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : कृपा करके अपनी आदत को सुधारिये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : किस तरह से आपने उनको प्रलोभन में लिया था वह तो यह याद कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट उसका जवाब तो हरिसिंह जी देंगे कि गुमराह किस हद तक किया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस मामले में सरकार की ओर से निश्चित रूप से आज अभी नहीं तो शाम तक आप इस बात की कोई सूचना दे दें और किसी प्रकार का वक्तव्य दे दें कि जो फरार हुआ है उसको पकड़ने के लिए किसी प्रकार का सरकार प्रयत्न कर रही है। मैं समझता हूं कि यह आपके लिए ठीक होगा और जनता में जो भय उत्पन्न हो गया है उसमें भी यह चीज मिल जायेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार की तरफ से कल इस बारे में वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए आदेश दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हां, दो मिनट ही।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर सर, आपने इस प्रस्ताव को कल के लिए स्थगित कर दिया और कल वक्तव्य आयेगा। अब माननीय सदस्य किस विषय पर बोलना चाहते हैं, यह बता दें?

श्री अध्यक्ष : आसन की अनुमति से कोई भी माननीय सदस्य किसी वक्त बोल सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, रात्रि को कोतवाली में दुर्घटना घटी, मैं समझता हूं कि वह हम सब के लिए बड़ी खेदजनक एवं चिन्ताजनक है। मैं चिन्ताजनक इसलिए कहता हूं कि पुलिस में और मिलिट्री में यह अनुशासनहीनता आई। मुझे अधिकृ[illegible] मिली है कि वह सिपाही[illegible] या और सो गया था स[illegible] जो कि मेरे क्षेत्र के रहने[illegible]

श्री अध्यक्ष : आप तथ्यों पर जा रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं दो ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

छोटी सी बात के ऊपर उसको ताड़ना दी गयी थी और उस पर उसने इतना बड़ा काण्ड कर डाला । वह हथियार लेकर फरार हो गया । मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में जहां सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने तुरन्त उसके परिवार को सहायता देने के लिए घोषणा की, उसके चार बच्चे और तीन बच्चियां हैं और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके साथ ही सरकार को इस बात के लिए अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना घटे तो लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने वाली एजेन्सी है उसका ही व्यवहार खराब हो जायेगा । मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहूंगा कि इस प्रकार की घटनायें नहीं घटें और जो विभिन्न दल हैं वह राजनैतिक रंग नहीं दें । मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को बैठाकर सरकार इस मामले को अत्यन्त गम्भीरता से कहीं कोई असन्तोष हो तो उसका निराकरण करना चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

कातिल भगोड़ा राइफल लेकर भाग गया और जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि उसकी वजह से जो सब-इन्सपेक्टर के रिश्तेदार, दोस्त और दूसरे जो मिलने वाले हैं उनमें आतंक व्याप्त हो सकता है क्योंकि उनको शक है कि किसी दूसरे से वह बदला न ले । इसलिए मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके प्रोटेक्शन के साथ में आपके प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । यह हत्या बन गयी है, उस कातिल के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा । क्योंकि अभी कहा जैसा आपने विवरण बताया तो वह कातिल एट लार्ज है और किसी से भी बदला ले सकता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता की भी जान खतरे में पड़ सकती है इसलिए उनकी भी सुरक्षा की जाय । उसको पकड़ने के लिए सरकार को कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें ।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर मैंने व्यवस्था दे दी है और उनको अस्वीकार कर दिया है वह दो दो मिनट बोलेंगे । समय काफी हो गया और कार्यसूची बहुत लम्बी है इसलिये दो दो मिनट का ही समय दूंगा ।

श्री हरीश शर्मा ।

(व्यवधान)

कार्य सूची में अगला विषय है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

आर्डर प्लीज । छुटपुट विषय में सारा समय चला जाता है ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । पहले वह काम शुरू करने दीजिये ।

(व्यवधान)

(52)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए मैंने व्यवस्था की थी। माननीय सदस्यों का, बहुत दुःख है कि सहयोग इस समय नहीं मिल रहा है इसलिए मैं मजबूरी के कारण जो अगला विषय है उसको ले रहा हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, एक घण्टे का समय ले लिया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जब तक आप आसन की अनुमति से नहीं बोलेंगे तब तक मैं अवसर नहीं दूंगा। मैं एक बार ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी प्रस्ताव थे उन पर व्यवस्था दे दी। उसके पश्चात् मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि हर एक प्रश्न का जवाबी उत्तर दे सकूं। यदि यहां उसके लिए मेरी ओर से व्यवस्था नहीं की गई है तो इसका मतलब यह है कि आप चेम्बर में आकर मिल लें। यह नहीं है कि आप आसन को टालते रहें, यह कोई नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज!

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): आपने मेरा नाम पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी के एस. डी. एम. श्री माथुर खूब रिश्वत खा रहे हैं। यह पहले धौलपुर में तहसीलदार थे। भ्रष्टाचार के आरोप में जब पुलिस पकड़ने गई तो वहां से यह भाग गये थे। अभी खैराबाद में फलौदी माता का मेला लगा था। हर दुकानदार से हर टूरिंग सिनेमा वाले से रिश्वत ली है। मिलन टूरिंग टाकिज से 400 रुपये बाबरा टूरिंग टाकिज से 400 रुपये, गोल्डन जुबली टूरिंग टाकिज से 1000 रुपये, राज मन्दिर टूरिंग टाकिज से 350 रुपये और दुकानदारों से 1000 रुपया रिश्वत ली है। इसके अलावा किसानों को अलाटमेंट करने में रिश्वत ली है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारी लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और रिश्वत खा रहे हैं। आप सब गवाह इसके लिए यदि रिश्वत खोरी बन्द नहीं की गई तो मैं भी कानून हाथ में ले लूंगा। यदि नपुंसक सरकार है जिसके राज में दन्नाटे से रिश्वत खा रहे हैं। रिश्वतखोर अधिकारियों को तत्काल कठोर दण्ड दिया जाय। इसके अलावा आर. एस. ई. बी. जूनियर इन्जीनियर बंसल, और जूनियर इन्जीनियर पंचोली सैंकड़ों रुपये खा रहे हैं। किसानों और दुकानदारों को कनेक्शन देने में रिश्वत खा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त रोका जाय और इसकी जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री बालचंद आर्यवीर: कोटड़ा ग्राम में खलियानों में लगी आग से अनाज के जल जाने के विषय में।

श्री बालचंद आर्मोर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना दिनांक 26-2-1981 की है, उस दिन रात के अकस्मात डेढ़ बजे डग क्षेत्र के कोटड़ा ग्राम में खलियानों में आग लग गई। आग लगने से 10-12 आदमियों के खलियान जल गये। इस अकाल के समय सारा का सारा अनाज उनका जल गया। मैं भी उस गांव में गया था। किसानों से बातचीत हुई। किसानों के पास वर्तमान में बिलकुल भी खाद्यान्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच करवा कर, रिपोर्ट मंगवा कर किसानों को चारे के लिये अधिक से अधिक अनुदान दिया जाय ताकि वे अपने पशुओं के खाने के लिये चारे की व्यवस्था कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। राजस्थान में लघु उद्योगों को बिजली की सप्लाई कम होने से फैक्ट्रियां बन्द हो जाने के विषय में।

संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नवम्बर मास से लेकर अब तक करीब पांच महीने होने आ रहे हैं, राजस्थान के सभी लघु उद्योगों पर इस समय पूर्ण कटौती लागू की हुई है। सारे लघु उद्योग बन्द पड़े हैं। हम चाहते हैं कि कृषि को प्राथमिकता दी जाय। कृषि को पूर्णतया बिजली देने के बाद जो बिजली बचती है वह पहले लघु उद्योगों को दी जाय। अध्यक्ष महोदय, इस समय 50 लाख यूनिट से कम बिजली यहां के लिये दी जा रही है। 50 लाख यूनिट बड़े उद्योगों को दी जा रही है। 12 लाख यूनिट आवश्यक सेवाओं के लिये दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों का डेपूटेशन मिला था उन्होंने सिर्फ 6 लाख यूनिट की मांग की थी कि 6 लाख यूनिट लघु उद्योगों को दी जाय ता. कारखानों में काम हो सकता है। दुर्भाग्य की बात है राजस्थान सरकार बड़े उद्योगों को बिजली उपलब्ध करा रही है, किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और लघु उद्योगों को नहीं दे रही है। यह दुर्भाग्य है, हिन्दुस्तान के किसी कोने में भी ऐसा नही है कि लघु उद्योगों में 100 प्रतिशत बिजली की कटौती की जा रही है। बड़े उद्योगों को बिजली दी जा रही है। इसके कारण से करीब 4000 गरीब मजदूर छंटनी के शिकार हो गये हैं और 20 हजार उनके आश्रित व्यक्ति हैं वे पुकार कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लघु उद्योगों को बिजली नहीं दी जा रही है। लघु उद्योगों के द्वारा हम जो विकास करना चाहते हैं वह सारा विकास आम तौर पर अवरुद्ध हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, गेहूं पीसने की जो चक्की है वह बिजली से चलती है। तेल की घानी बिजली से चलती है। बिजली की कटौती की हुई है। गेहूं का पीपा पिसाने के लिये ले जाते हैं तो तीन दिन तक नम्बर लगाना पड़ता है। यह हालत सरकार ने कर दी है। बड़े उद्योगों से 11 लाख रुपया, समाचार पत्रों में छपा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समाप्त कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस पर आरोप लगाया है 11 लाख रुपये लेकर उनको बिजली दी जाती है। बड़े बड़े उद्योगों को बिजली दी जा रही है। लघु उद्योगों का गला घोंट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्राथमिकता के आधार पर कृषि को देने के बाद कम से कम 6 लाख यूनिट लघु उद्योगों को दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। सवाई-माधोपुर में टी. बी. के मरीजों का वार्ड चालू होने के विषय में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर नगर में करीब बीस वर्ष पहले जो टी. बी. क्लिनिक खोला गया था, जिस समय क्लिनिक खोला गया उसका स्थान नगर से दूर रखा था। किराये के मकान वाले ने खाली करवा लिया तो राज्य सरकार द्वारा वह क्लिनिक सवाई-माधोपुर में स्थापित कर दिया। जिस जगह स्थापित किया उस जगह एक छोटी सी डिस्पेन्सरी थी और डिस्पेन्सरी के पास जच्चा खाना था। अध्यक्ष महोदय, टी. बी. के मरीज आते हैं। एक छोटा सा दवाखाना है, अन्धेरा है, साफ सफाई भी नहीं है मरीज आसानी से नहीं रह सकते। तमाम मरीजों को भर्ती किया जाता है, वहीं वे पेशाब करते हैं, वहीं टट्टी करते हैं और आये दिन बाहर और भीतर पड़े रहते हैं। वहां जो जच्चा खाना का मकान है उसके इर्द गिर्द पांच फीट और दस फीट दूर घनी बस्ती में गरीब लोग रह रहे हैं। उनको टी. बी. की बीमारी हो रही है। 150, 200 लोगों को टी. बी. हो गई है। उनमें से 13 लोग छीपा जाती के हैं यह के रिपोर्ट के आधार पर टी. बी. मरीज हैं। राज्य सरकार को कई दफा निवेदन किया है, सम्बन्धित मन्त्री से निवेदन किया है, डायरेक्टर साहब से निवेदन किया है और निवेदन इतना किया है कि आज विभाग के पास 150 पेज की फाइल बन गई है। आश्वासन भी दिया गया है लेकिन राज्य सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में.....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : एक मिनट में। अध्यक्ष महोदय, इसलिये आपसे निवेदन है कि आप राज्य सरकार को इस बात का निर्देश दें कि जो गरीब लोग मर रहे हैं, 150, 200 जो गरीब टी. बी. के मरीज हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाकर उनका बीमा करवा लिया जाय या पेन्शन दे दी जाय। अगर इसकी तुरन्त व्यवस्था नहीं की गई....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : तो आन्दोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा जिससे सरकार को नुकसान तो होगा ही मरीजों का भी अहित होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा। फागी तहसील में छापरवाड़ा बांध का पानी किसानों को न दिये जाने के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री राव कमलेन्द्रसिंह, श्री देवी सिंह भाटी, श्री गोपाल पचेरवाल व श्री बीरेन्द्र प्रतापसिंह। गत 22 फरवरी को राजस्थान नहर में किसानों पर लाठीचार्ज के विषय में।

(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री रघुबीरसिंह कौशल (बारां) : मेरा भी नाम था ।

श्री अध्यक्ष : कौन से स्थगन प्रस्ताव में ? मैंने बहुत ही लम्बी और काफी विस्तृत व्यवस्था दी है ।

श्री रघुबीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी घटना पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो चौंका देने वाली है। कोटा के चम्बल विकास आयुक्त ने जो जुडिशियरी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको कमरे से बाहर निकालकर कमरे में ताला लगा दिया ।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल विकास अधिकरण के प्रार्थना पत्र पर ···

श्री अध्यक्ष : इसमें हमने फैक्ट्स मंगवाये हैं ।

श्री रघुबीरसिंह कौशल : आप फैक्ट्स मत मंगवायें, वह तो 20 दिन में आयेंगे। मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था लेकिन फैक्ट्स आये नहीं हैं इसलिये स्थगन प्रस्ताव की महत्ता तो समाप्त हो जाती है। चम्बल विकास अधिकरण के प्रार्थना-पत्र पर हाई कोर्ट में 10 महीने लगे उसके बाद गरीबों को पानी मुहैया हुआ किन्तु उसके बाद मजिस्ट्रेट मौके पर पहुँच कर जुर्माना करने लगे। अध्यक्ष महोदय गरीबों को पहली बार पानी मिल रहा था उसको भी बन्द कर दिया। जो विकास आयुक्त हैं उन्होंने अपनी सनक में जो वहां मजिस्ट्रेट बैठता था उसके कमरे के ताला लगा दिया और उसके स्टाफ को सड़क पर खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वे एक आई. ए. एस. अफसर हैं। वह अपनी सनक में रहते हैं। उन्होंने उनको एक पत्र सौंप दिया और कहा, यहां से चले जाइये। अध्यक्ष महोदय, जुडिशियरी एक सैपरेट बाड़ी है। जुडिशियरी के साथ इस प्रकार का अपमान नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पहाड़िया जी के राज में न्यायपालिका का अपमान हुआ है। आज चम्बल विकास क्षेत्र में जितने किसान हैं, जिनको पानी मिल रहा है प्रशासन की इस अकर्मण्यता के कारण उन सबकी भावना को ठेस पहुंची है। एक आई. ए. एस. अफसर इतनी गैर-जिम्मेवाराना हरकत करता है, जिसको तमीज नहीं है कि जुडिशियरी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी जिसने जुडिशियरी का अपमान किया है, के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। जुडिशियरी ने जब यह कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है तब जाकर कमरे का ताला खोला। मेरा निवेदन है कि आज

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सरकार जुडिशियरी को अपमानित करने पर तुली हुई है। उनका चाहे अपाइन्टमेंट का मसला हो, चाहे प्रमोशन का मसला हो और चाहे एक्सटेन्शन का मसला हो—सब में सरकार उनका अपमान करने पर तुली हुई है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये, जिसने जुडिशियरी का अपमान किया है और स्टाफ को सड़क पर खड़ा किया है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जो व्यवस्था देनी थी वह दे दी....

(व्यवधान)

मैंने सब सदस्यों के नाम पुकार लिये थे।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या व्यवस्था दी यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

मैंने नाम पुकारें, उस समय तो थे नहीं। अब जब सुविधा अनुसार दूसरे कार्य में लगा हुआ हूं आप कहें तो यह कैसे सम्भव हो सकता है, मेरे लिए ?

श्री गोपाल पचेरवाल: आइन्दा ध्यान रखूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप आइन्दा ध्यान रखेंगे तो मैं भी आइन्दा ध्यान रखूंगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य बोल सकते हैं। 3-4 माननीय सदस्यों के नाम लिए हैं इनमें मैंने।

श्री गोपाल पचेरवाल: मैं तो यह जानना चाहता हूं बूंदी का एक स्थगन प्रस्ताव था...

श्री अध्यक्ष: दुबारा पूछते रहें और मैं दुबारा सूचना देता रहूं, यह संभव नहीं है। श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र में कोलायत में ऐसे हजारों काश्तकार हैं जो आज से करीब 200 वर्ष पूर्व से आबाद हैं और खेतों में काश्त करते आ रहे हैं। उनको खातेदारी हकों का फायदा देने के लिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। बार बार काश्तकारों को किसी न किसी कानून के तहत फायदा दिया जा रहा है किन्तु उन कानूनों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आखिर मजबूर होकर किसानों ने 931 आर. डी. पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और रास्ता रोक कर सरकार का

(श्री देवीसिंह भाटी)

ध्यान खींचने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख से शान्तिपूर्वक आन्दोलन किया था किन्तु 20 तारीख के बाद 22 तारीख को पुलिस की एक फोर्स पहुंची और बिना कोई कारण किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब काश्तकार शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करके अपना निवेदन करना चाहते है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं अथवा कोई ज्ञापन देते हैं, सरकार को या सरकार का ध्यान खींचने के लिए कोई बात करते हैं तो उन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज क्यों किया जाता है? इसका निराकरण, अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा किया जाय। अनपढ़ किसान बड़ी मुश्किल से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बार बार अधिकारियों से निवेदन करते हैं। 29 दिसम्बर, 79 से अमेण्डमेंट हो गया उसके उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर उनके निवेदन करने पर लाठी चार्ज करना यह उनकी सन्तुष्टि के लिए कहां तक उचित है? मैं निवेदन करूंगा, दुबारा इसी बात को लेकर जिलाधीश से समझौता हो गया कि 7 8 दिन में खातेदारी राइट दे देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं. 20 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है अतः उनका निराकरण करके खातेदारी राइट दे दिये जाये वर्ना पुनः शान्तिपूर्वक आन्दोलन किया जायेगा और सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का पूरा प्रयत्न किया जायगा। लाठी चार्ज द्वारा किसानों के खातेदारी राइट्स को नहीं दबाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना कि····

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री बाऊदयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख से लेकर कल तक मैंने ....

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया, रोज 15 के लगभग स्थगन प्रस्ताव आ जाते हैं और इतनी ही संख्या में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आ जाते हैं। यह मेरे लिए संभव नहीं है कि सबकी जानकारी तत्काल यहां उपलब्ध करा सकूं। जो उत्तर आ जाते हैं उनके लिए मैं यहां निवेदन कर देता हूं। अब चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं या और विवाद में लगे रहते हैं फिर नाम पुकारने के बाद भी पूछते रहते हैं तो मैं उनको दुबारा दुबारा सूचना दूं, यह संभव नहीं है। अभी मैं अन्दर जाता हूं आप वहां मुझ से मिल लें। आपके प्रश्न के हल के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

(व्यवधान)

अब आप उस विषय को महत्व दे रहे हैं। किसी पार्टी का नाम देकर मजाक का विषय बनाना चाहते हैं तो बात दूसरी हैं। माननीय सदस्य जानते हैं उस पर वक्तव्य दिलाया जा रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े कठोर हो रहे है।

(व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

राज्य मन्त्री, उपनिवेशन।

श्री रामकिशन वर्मा (राज्यमंत्री, उपनिवेशन) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4/7/रेव/कोल/80, दिनांक 9 सितम्बर, 1980

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4/10/राज।उप/75 पार्ट दिनांक 29 सितम्बर, 1980।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मालाराम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां उठा दीं। खेतड़ी में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। 40 परिवार थे, उनको नष्ट कर दिया। 28-30 औरतों की पिटाई कर दी। गरीबों में त्राहि त्राहि हो रही है। दो-तीन मकानों को जला दिया। 17-18 साल से जो वहां रह रहे थे, सरकार ने उनके मकानों को तोड़ दिया। वहां पुलिस के मकान बनायेंगे। दूसरी बात, कोर्ट से स्टे मिला हुआ है फिर भी उनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है और आपकी मार्फत सरकार से यह चाहूंगा कि उन गरीब आदमियों को वापस बसाया जाय और पुलिस वालों ने जो काम चला रखा है उसको बन्द कराया जाय।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इसका मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, दो घरों में, दो झोपड़ियों में आग लगायी। पुलिस अपना आतंक फैलाये जा रही है। कब तक इसका जवाब आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब कब आ जायेगा, इसका तो मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता। क्योंकि खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य बहुत कम अवसरों पर अपने विचार यहां व्यक्त करते हैं इसलिये मैंने विशेष सुविधा दी। आपको यदि कोई शिकायत है तो आप थोड़ी देर बाद मालूम कर लेना। मैं आपको बता दूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री अमीन खां, ध्यानाकर्षित करेंगे।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को वैसे समझने की कोशिश करें और इस पर इन्साफ के तौर पर निर्णय करने की कोशिश करें तो यह बिलकुल सीधा सा है और एक मिनट में समझ में आने वाला प्रस्ताव है, लेकिन टेक्निकल पाइन्टों, कानूनी पाइन्टों नक्शों और आंकड़ों

(श्री अमीन खां)

के पोइन्टों पर पढ़े लिखे चले जायेंगे तो 20 साल भी समझने में नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात यह है कि सरकार पीने के पानी की स्कीमों को स्वीकृत अकाल के टाइम में करती है, जिस टाइम पैसों का सवाल आता है। हमारा निवेदन यह है कि 65 लाख रुपया 10साल में पानी के टैंकरों द्वारा जिन गांवों में पानी की समस्या थी उस पर खर्च कर दिया गया फेमिन के हैड से। इस साल मेरे ख्याल से हमारे जिले बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में जहां पीने का पानी नहीं है वहां दो करोड़ रुपये से भी अधिक रुपया फेमिन हैड से खर्च करेगी। टैंकरों से पानी की व्यवस्था से गांवों में कोई संतोष नहीं है। सरकार ने स्कीम 80-81 में बाड़मेर जिले में सैंक्शन की है, उससे हमें यह शक होता है कि यहां जो ऑफिसर हैं या मन्त्रिमण्डल के जो कोई भी मन्त्री हैं, उनके ध्यान में नहीं लायी जाती है। यहां बाबू लोग अपने हिसाब से ही सैंक्शन निकालते हैं, वहां स्वीकृत की जाती है। जिलाधीश बाड़मेर ने, मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, शिवाना तहसील में 4 गांव पानी के अभावग्रस्त बताये हैं, शिव तहसील में 18 गांव में पानी की स्कीमें स्वीकृत हो रही हैं, बवरा तहसील में 27 गांव की पानी की समस्या जिलाधीश बताते हैं, टैंकरों द्वारा पानी जाता है। शिव तहसील में 51 गांवों की नल योजनायें सैंक्शन हो गयीं।

(1.15 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक सभापति पदासीन)

शिव तहसील में जिलाधीश बाड़मेर 35 गांवों को टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था कर रहा है। वहां क्षेत्रीय योजना जारी सैंक्शन हुई है। चौहटन तहसील के 16 गांवों में जिलाधीश समस्या समझ कर व्यवस्था कर रहा है। वहां 80 सन् में जो सैंक्शन स्कीम हुई है, वह जारी हुई है। बाड़मेर तहसील में 46 गांवों में इस तरह की समस्या है। बाड़मेर तहसील बहुत लम्बी है, 3 निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई है, उसमें भी कुछ क्षेत्रों में पानी की स्कीम सैंक्शन हुई है जिसमें गांवों में पानी की कोई समस्या नहीं है। बाकी बाड़मेर क्षेत्र में, जहां टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है, ऐसे गांवों में सैंक्शन हुई है, जारी। मेरा यह निवेदन है कि जिन गांवों में लाखों करोड़ों रुपयों के खर्च से सरकार घबरा रही है, जिन गांवों में पीने का पानी है, जमीन के नीचे पानी मिल रहा है, उन गांवों में एक लाख, दो लाख रुपये से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो उन गांवों में ट्यूब वेल खोदकर 5-6 मील तक के जो लोग पानी पीना चाहते हैं, अपनी पखालें भर ले जाते हैं, अपने पशुओं को पिलाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं समझते तकलीफ तो लोग समझते हैं कि 20-20 मील में जमीन में पानी नहीं मिलता है। ऐसे वर्ष में लोगों को गांव खाली करके दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। मेरा यह साफ सभापति महोदय, निवेदन है, मन्त्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हमारे डेजर्ट एरिया के सम्बन्ध में बहस में कानूनी और किताबी बातों पर आऊंगा तो बहुत देर लगेगी। असलियत पर हाउस में दो सौ सदस्यों में से जो मेरे सामने बैठेगा तो कोई नहीं कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। वैसे बहुत मैं तो हमारे डेजर्ट एरिया में जो हरा सकता

(श्री अमीन खां)

है तो वह हमारे परसराम जी हैं, इनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो हार जाऊंगा, भई मुझे कानून वगैरह नहीं आता है, वे कानून में होशियार हैं। वर्ल्ड बैंक में जो स्कीम सैंक्शन हुई है, हमारे रेगिस्तान में एक भी पैसा नहीं मिला जब कि हमने सुना है कि वर्ल्ड बैंक के जो पैसे हैं, वे तो, डेजर्ट में पानी पीने के लिए हैं। तो सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह क्लीयर आश्वासन चाहता हूं कि आप उन गांवों के लिए स्कीमें पकड़ें चाहे जितनी सरकार में ताकत हो, दम हो। जहां औरतों को सिर के ऊपर पानी उठाने के लिए अपने गांव से 5-6-10 मील दूर जाना पड़ता है उन गांवों की आप संख्या बताने की कोशिश मत करो कि जिस गांव में 10 हजार की पोपुलेशन भी उनका इन्तजाम कर दिया और 50 गांवों में स्कीम दे दी। मैं समझता हूं, इस समस्या का मुकाबला सरकार ने नहीं किया है। लोगों को असुविधा है, अभी जिस तरह से पोपुलेशन के लिहाज से भारत सरकार का प्लान है, भारत सरकार को सुझाव दो। भारत सरकार की चुनी हुई प्रजातन्त्र की सरकार है और हमारी भी प्रजातन्त्र की सरकार है, कैसे नहीं मानेगी। मैं खुद मानता हूं, हमारे बोर्डर के एरिया में जब प्लान में पैसा नहीं आ रहा था तो भीमड़ा बायतू स्कीम, मैं 76 के जमाने की कहता हूं, 89 लाख रुपये की स्कीम है, एक करोड़ रुपये की स्कीमें सैंक्शन हुई हैं, उस वक्त फेमिन के हैड से फेमिन मिनिस्टर ने सैंक्शन की थी उससे आज सैकड़ों मील में लाखों की तादाद में पशुपालक लोग बस रहे हैं। इस एरिया में, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षण इस चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी पापुलेशन बहुत कम है और एरिया लम्बा है हमारे वहां का जीवन पशुओं पर आधारित है। आज तक जो स्कीमें बनी हैं, उनमें पशुओं के लिये प्रावधान नहीं है। उसके कारण क्या हुआ है, बाकायदा पैसा तो स्कीमों में लगा मगर सरकार ने बनायी है पापुलेशन की, मनुष्यों की इसलिये अगर पचास गांव की स्कीम बनायी है तो वह स्कीम कामयाब हो रही है 30 गांव में और 20 गांव की होदियों में पानी नहीं जा रहा है। बराबर आदमियों को मिला रहे हैं लेकिन वह पशुपालक लोग हैं, जिनकी जिन्दगी पशुओं पर आधारित है वे पानी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते चाहे कैसी भी बढ़िया स्कीम हो। वहां तो 90 पर्सेन्ट लोगों का रोजगार पशुओं का है इसलिये जो भी स्कीम बनायी जाय उसमें पशु और इन्सान का ध्यान रखा जाय।

सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का मैं साथ ही इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा एरिया बोर्डर का है और उसमें पापुलेशन कम है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की दो बार लड़ाई हुई, इसमें दो बार कई गांवों को खाली कराना पड़ा। 2-2, 3-3 महीने के बाद वापस लौटना पड़ा है। वहां पुलिस है, बी० एस० एफ० है, उनके सामने भी पानी की समस्या आती है। हमारी तरफ वैसे भी ध्यान नहीं था। जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तब भारत सरकार और रक्षा विभाग का राजस्थान सरकार पर भारी दबाव पड़ा तब कुछ स्कीमें बनीं, नहीं तो हमारी पोपुलेशन और कम काबलियत को देखते हुए वह क्षेत्र नजरअन्दाज किया जा रहा था, जो अभी किया

(श्री अमीन खां)

जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जेसलमेर तहसील में 84 गांव हैं, उसमें एक भी पैसे की 79-80 और 80-81 में सैंक्शन नहीं है। जैसलमेर में लाखों कुए बिगड़ रहे हैं। एक तो सांगड़ चेलक स्कीम थी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने उस गांव में जाकर स्कीम बनायी, आकरा दे दिया, शिलान्यास भी करा दिया। मगर पता नहीं वह कागज कहां है, या तो भैरोंसिंह जी को मालूम है या वर्तमान सरकार को मालूम है, सैंक्शन तो हुई नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ट्यूब वैल तो खुद गए ना ?

श्री अमीन खां : ट्यूब वैल तो पहले ही खुद गया था। सज्जन का पार से झेलुण्ड आपने स्कीम बनाई थी, आपने शिलान्यास भी किया था मगर दस गांवों की स्कीम का ...

श्री परसराम मदेरणा : इनके वक्त में ट्यूब वैल खुदे हैं लेकिन मैंने फैमिन के वक्त में एक ट्यूब वैल खोदा था वह नहीं लिया।

श्री अमीन खां : तो सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है कि आपने भी खोदा और मैंने भी खोदा लेकिन यह सरकार नहीं खोद रही है।

श्री अमीन खां : इस तरह से मैंने जिस तरह से ध्यानाकर्षण में रखा कि बाड़मेर के....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय मदेरणा साहब और माननीय शेखावत साहब मिलकर कोई कुआ तो नहीं खोद रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अमीन खां : उसमें क्षेत्रीय जल योजना गडरा रोड से तलब का पार में 22 लाख रुपयों की लागत बताई है और गडरा रोड से जयसिंदर और झेलुण्ड स्कीम बताई जिस पर पांच लाख रुपया खर्च होगा मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर क्लियर करना चाहता हूं कि यह बात उन्होंने गलत लिखी है। क्योंकि गडरा रोड से तलब का पार के बीच में यह झेलुण्ड गांव आता है। यहां पर पांच लाख की जरूरत ही नहीं है। हमारी 22 लाख की स्कीम दो नहीं, एक ही है। इस तरह से जो उन्होंने बताया है वह उनको मालूम ही नहीं है कि वहां पर क्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन गांवों की लिस्ट दी गई है, हमारी सिफारिश चले या न चले, कलेक्टर को मजबूर होकर फेमिन के वक्त द्वारा जिन-जिन गांवों में बीस-बीस, तीस-तीस मील बाहर टैंकर भेज कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, असली पीड़ित तो वही लोग हैं। नहीं तो जो प्रभावशाली है, होशियार होवे हैं, जो कस्बे होवे हैं, शहर होवे हैं जिनमें दो चार वकील रहते हैं और बीस-पच्चीस व्यापारी रहते हैं, वे अधिकारियों के पास, बाबुओं के पास, मन्त्रियों के पास कहीं भी जाकर स्कीम सैंक्शन करवा कर ले आते हैं। हमारे जैसे भोले आदमियों को मौके पर जब स्कीम आती है, सर्वे होता है तब पता चलता है कि फलां स्कीम सैंक्शन हो गई। तो मेरा निवेदन है कि जो हम इंसान हैं, पशुपालक हैं, पशु जैसे हैं, पशुओं पर 90 प्रतिशत

(62)

(श्री अमीन खां)

गुजारा करते हैं, यह वर्ल्ड बैंक का पैसा हमारे डेजर्ट को नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक से पैसा दो, फेमिन फंड से पैसा दो और चाहे गांठ से पैसा दो लेकिन जो बीस-बीस मील से बाहर पीने के पानी के लिए जाते हैं उनको पानी पहुंचाना सरकार का फर्ज होता है। 35 वर्ष आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान की औरत बीस मील पीने के पानी के लिए बाहर जाती है तो चाहे वह उधर के बैठने वाले हों, चाहे इधर के बैठने वाले हों, अपने को घमण्ड नहीं होना चाहिए, हम बहुत पीछे हैं ...

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : शर्म की बात है।

श्री अमीन खां : शर्म की बात भी है ही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमीन खां : सभापति महोदया, मैं तो इतना ही मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि कानूनी दिक्कत क्या है और उसको किस तरह से हल कर सकते हैं यह तो हमारे परसरामजी को ज्यादा मालूम है, अभी दो मिनट में बता देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो गांव है, सज्जन का पार, लखकापार, लकड़ियाली, तलब का पार, सेजुण्ड, जैसिन्दर, मीसेरी, बन्दिडा, रतनडोरी इन गांवों की आधी आबादी खाली हुई है वह पीने के पानी की वजह से हुई है और वहां जो मैंने गांव बताये है उनमें तीन चार में वी एफ एफ को फोर्सेज हैं जो बाड़मेर से नीमोली और गडरारोड से पानी ला करके पीते हैं। अगर पानी नहीं मिलता है तो उनके लिए भी मुश्किल होती है। यह बोर्डर एरिया है इसलिए विशेष प्रावधान कर कहीं से भी पानी की व्यवस्था करावें। इतना कह कर मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी इस तकलीफ पर ध्यान देकर इसको दूर करने का आश्वासन देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी !

श्री बनवारीलाल (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य का यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है कि वर्ष 1980-81 में पेयजल योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में पश्चिमी राजस्थान को अलग रखा गया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में जिन योजनाओं की वर्ष 1980-81 में स्वीकृति प्रदान की गई है उनकी सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है। इस सूची को देखने से ज्ञात होगा कि बाड़मेर जिले में 16 क्षेत्रीय योजनायें व 57 हैण्ड पम्प योजनायें तथा जैसलमेर जिले में 8 क्षेत्रीय योजनायें व 29 हैण्ड पम्प योजनायें इस वर्ष में स्वीकृत की गई हैं जिनसे क्रमशः 162 बाड़मेर व 67 जैसलमेर के ग्राम लाभान्वित होंगे। रेगिस्तानी क्षेत्र में योजनाओं की लागत बहुत अधिक आती है इस पर भी एक वर्ष में इतने अधिक ग्रामों को वर्ष 1980-81 में स्वीकृति प्रदान करना सिद्ध करता है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र की समस्या के लिए कितनी सजग है। मार्च, 1980 तक बाड़मेर जिले के कुल 837 ग्रामों में से 338 ग्रामों में पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 3.93 लाख (1971) है। इसी प्रकार, जैसलमेर जिले

(श्री बनवारीलाल)

के कुल 432 ग्रामों में से 154 बसी हुई 0.82 लाख जनसंख्या हेतु योजनाएं मार्च, 1980 तक स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बाड़मेर जिले को लगभग 55 प्रतिशत समस्याग्रस्त तथा जैसलमेर जिले को लगभग 57 प्रतिशत समस्याग्रस्त ग्रामों को योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री महाराम चौधरी : कागजों में हो गई है।

श्री बनवारीलाल : इन आंकड़ों में यदि वर्ष 1980-81 में स्वीकृत ग्राम और जोड़ दिये जायें तो बाड़मेर जिले में कुल 500 और जैसलमेर जिले में कुल 221 चालू वर्ष के अन्त तक ग्रामों हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इससे बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में क्रमशः लगभग 4.9 व 1.05 लाख अर्थात् 69 प्रतिशत व 73 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सकेगा।

अब प्रश्न उठता है सीमा पर स्थित सेना के क्षेत्रों का। इस विषय में स्थिति यह है कि सेना जहां सीमा पर स्थित गांवों अथवा कस्बों में रहती है तथा जहां उन गांवों में पेयजल योजनायें हैं वहां सेना के लिए सीधे ही पाइप के टैंकर इत्यादि इन जल योजनाओं से पानी ले जाते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिन ग्रामों का उल्लेख किया गया है, उनकी स्थिति परिशिष्ट 'ख' में दर्शायी गई है। इसे देखने से ज्ञात होगा कि प्रस्ताव में उल्लेखित चार ग्रामों के अलावा सभी ग्रामों को वर्ष 1981-82 में स्वीकृति हेतु जिला सलाहकार समिति बाड़मेर द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं तथा धन उपलब्धि के अनुसार इन योजनाओं को आगामी वर्षों में क्रियान्वित करना सम्भव होगा। शेष चार ग्रामों अर्थात् लकडियाली, चाडीकापार····

(1.27 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मुताबा स्टेशन एवं मीठेरी को बाड़मेर जिले के लिए प्रस्तावित शेष योजनाओं की फीजेबिलिटी रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा रहा है।

माननीय सदस्य की सूचना हेतु यह भी निवेदन है कि अकाल से ग्रसित क्षेत्र में जिन ग्रामों के पास पेयजल उपलब्ध नहीं है वहां टैंकरों तथा अन्य उपायों द्वारा पेयजल की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

श्री अमीन खां : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने पानी का इन्तजाम किया है लेकिन उसमें सिद्धान्त क्या रखा है? मैंने ही कहा था कि 58 गांव की पचपदरा तहसील में स्कीम सैंक्शन हुई है, सिवाणा में स्कीम सैंक्शन कर दी लेकिन कोई काम नहीं हुआ। शिव तहसील में एक भी गांव में सैंक्शन नहीं हुई है। चौहटन तहसील में एक भी स्कीम सैंक्शन नहीं हुई बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र में एक भी गांव की सैंक्शन नहीं हुई है। लाखों रुपया फेमिन पर खर्चा कर रहे हैं, मेरा तो यही कहना है।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, शिव से आने वाले माननीय सदस्य जिस समस्या की अनुभूति कर रहे हैं वह बात सही है। फेमिन में भी कुछ करोड़ की रीजनल पाइप लाइन की सैंक्शन हुई थी उसमें ग्राम रोडू और पारासर की योजनायें मैंने स्वयं ने स्वीकृत की थीं, यह सोच कर कि यह एरिया ऐसा रेगिस्तानी एरिया है जहां पर हर वर्ष पानी के परिवहन के लिए लाखों रुपया अकाल के वक्त में खर्च करना पड़ता है। यह बात भी सही है, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शिव से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट बना है जिसका टार्जेट 81-82 से 85-86 तक इसको कम्पलीट करने का रखा है। जो जवाई हेमावास से पानी जोधपुर और जोधपुर के पास के क्षेत्र और फिर उसके बाद में यह पूरी कम्पलीट होगी, 90 के आस पास हेम व स की योजना कम्पलीट होगी। इसी प्रोजेक्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि 91-92 में राजस्थान केनाल की चैनल लाइन जाएगी। मैं इस प्रश्न को पहले भी सदन में उठा चुका हूं और आपकी मार्फत में पी. एच. ई. मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि आप दो प्रोजेक्ट बना रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक के बाद एक क्विक सक्सेशन में पूरा करना चाहते हैं। एक पर खर्चा होगा 35 करोड़ और दूसरे पर खर्चा होगा 40 करोड़ का। कुल मिला करके 75 करोड़ का खर्चा होगा। इसलिए इस 75 करोड़ की योजना से पानी लाया जाएगा, जो जोधपुर, पाली और आसपास के क्षेत्र में पानी उपलब्ध हो सकेगा सन् 1990 तक। उसके बाद में राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को आपको कम्पलीट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो राजस्थान केनाल की योजना है इसको बन्द करके सूरतगढ़ के बाद चैनल को राजस्थान केनाल में पचपदरा से, जो सबसे बड़ी खारेपानी की, सेलाइन वाटर की बेल्ट है, जहां पर ग्राउण्ड वाटर नहीं है, लें तो जिस योजना का जिक्र आप कर रहे हैं जिस योजना में उड़ से लेकर करोड़ों, लाखों खर्च करेंगे तो जोधपुर में भी पानी की समस्या सदा-सदा के लिये हल हो जाती और आप सिवाना के लिये भी जितना खर्चा कर रहे हैं उसका वर्क फोर्स खर्चा करना पड़ता, वह पैसा आपके पास बचता। इसलिये जो रेगिस्तानी इलाके में खर्च करना चाहते हैं पाइप लाइन पर और पानी की स्कीम्स पर, किस क्षेत्र में कितना किया जायगा, उसका अनुपात अलग-अलग क्षेत्रों में क्या होगा। अन्य राजस्थान के क्षेत्रों में, डेजर्ट एरिया के क्षेत्र के बीच में अनुपात 1 और 6 का रखा है। यह गाइड लाइन अभी तक कहां हुई है। प्लानिंग की बैठकों में बार बार इसका जिक्र करते हैं लेकिन यहां आने के बाद यह बैग में रख दी जाती है और प्रस्ताव बस्ता-ए-खामोशी के अन्दर बन्द हो जाते हैं। इसलिये हमारा अनुरोध यह है, अध्यक्ष महोदय, सरकार की गाइड लाइन है, डेजर्ट क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में एक और छः का अनुपात होना चाहिये इस गाइड लाइन के अनुसार चलने दें, क्यों रुकावट कर रहे हैं। एक तो हमारा सजेशन यह है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जैसा आप स्वयं जानते हैं आपके स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र रेगिस्तान में यह होगा क्योंकि यह रीजनल पाइप लाइन अभी जो डिपार्टमेंट बना रहा है उसमें केवल रूरल पोपुलेशन की रिक्वायरमेंट को

(श्री परसराम मदेरणा)

ध्यान में रखते हैं लेकिन रेगिस्तानी इलाके की पूरी इकानामी है। इसलिये एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड इकानामी में कैटल और ह्यूमन पापुलेशन को ध्यान में रख कर पाइप लाइन नहीं बनाई जायेगी, रीजनल पाइप लाइन नहीं बनाई जायेगी तो यह कोई परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं है रेगिस्तानी इलाके में।

इसके साथ ही इस संदर्भ में मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प की योजना शुरू की गई है। हैण्ड पम्प जैसलमेर में भी लगायेंगे, बाड़मेर में भी 60-70....

श्री अध्यक्ष : हैण्ड पंप से एक ऊंट को कितने घंटे में पानी....

श्री परसराम मदेरणा : एक भैंस को ढाई घंटे लगते हैं, अध्यक्ष महोदय, ऊंट जो है दो दिन बाद भी पी सकता है, उसको तीन घंटे लगेंगे, क्यू में खड़ा रहेगा। तो हैण्ड पंप की योजना धौलपुर के सब डिवीजन में कामयाब हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं रेगिस्तानी क्षेत्र की जो कैटल और ह्यूमन पापुलेशन है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। हैण्ड पंप की योजना रेगिस्तान के इलाके में कंपलीटली फेल्योर है और यह फेल्योर ही नहीं है बल्कि मनी का अपव्यय है। इस पर नाजायज धन खर्च करेंगे। इसलिये हैण्ड पंप तो मेहरबानी करके बन्द कर दीजिये। भैंसों को पानी पिलाने के लिये हैण्ड पंप हाथ में लिये खड़े रहेंगे। एक-एक आदमी रखता है 3-4 मवेशी, तो सुबह से शाम तक हैण्ड पंप लिये ही खड़ा रहेगा। इस तरह से 2700 गांवों को हैण्ड पंप से पानी पिलाना चाहेंगे, तो भगवान ही मालिक है आपका।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, पिछली साल अकाल था, यह तीसरा साल अकाल का है। पिछले साल प्रधान मंत्री के 12 पाइन्ट प्रोग्राम में भी था जिसमें रीजनल पाइप लाइन योजना बनी उसमें (अपव्यय) पहले इन्फार्म नहीं किया गया इसका परिणाम यह हुआ कि 18-18 मील लम्बी योजना बनी, एक ओर कुओं में पानी का डिस्चार्ज 3 हजार लीटर है, 2-2 कुए खोदे गये, आगमेंटेशन किया गया। 1-1 योजना पर 15-15 लाख दुबारा खर्च किये गये। मेरा निवेदन है कि एक्सपेरिमेंटल ट्यूब वैल बोरिंग हुआ, पिछली साल प्रधान मंत्री के 12 पाइन्ट में कुए खोदे। इस साल उस प्रोग्राम की बात पर मंत्री जी ने सिर्फ धौलपुर और भरतपुर का ध्यान रखा, उसको आपने तिलांजलि दे दी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग चार तारीख को जोधपुर में हुई थी, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं पधारे थे, उस मीटिंग में भी कहा था कि एक्सपेरिमेंटल बोरिंग को पहले करना चाहिये, उसके बाद रीजनल पाइप लाइन बनानी चाहिये। ये क्या करते हैं, पहले रीजनल पाइप लाइन का सब खर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में ज्यादातर फेल होती है, पानी नहीं आता है, मवेशियों का सवाल ही नहीं, आदमियों के लिये भी पानी नहीं पहुंचता। यही प्रश्न पिछले सत्र में भी उठाया था। उस वक्त आपके वरदी प्रीडिसेसर बैठे हुए थे, उन्हीं के एक इन्जीनियर गर्दन हिला कर कुछ बात कह रहे थे। मैंने कहा, इन्जीनियर आपको मिस-

(श्री परसराम मदेरणा)

गाइड करता है। उसके बाद में लैटर आया डिप्टी मिनिस्टर का कि आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सी जगहों पर पानी नहीं पहुंच रहा है, आपके क्षेत्र में भी बहुत सी योजनाओं में पानी ग्रब गया है इतने सालों बाद। अब भी दो योजनाएं रोहिड़ा, सुडी और मोखरा हैं, उसमें एक में पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पंप के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वह एक्सपेरीमेंटल ट्यूब वोरिंग पर खर्चा करना चाहिये ताकि उसके बाद में रीजनल पाइप लाइन बनवायें····

एक माननीय सदस्य : ताली बजाओ।

श्री परसराम मदेरणा : आवश्यकता नहीं है ताली बजाने की। ताली बजाने वाले दूसरी जगह रहते हैं वहां चले जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): ताली बजाने वाले अलवर में भी शामिल हुए हैं, आप वहां चले जाइये।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उनके क्षेत्र में रीजनल पाइप लाइन सैंक्शन नहीं की गई है इसका मतलब यही है कि दूसरे क्षेत्रों में की गई है। दूसरे क्षेत्र में की गई है वहां पर राजस्थान का चैनल आना चाहिये। राजस्थान का चैनल तब आयेगा जब हेमावास की योजना को छोड़ करके राजस्थान कैनाल को करेंगे उसमें 35 करोड़ का खर्चा मत कीजिये, 40 करोड़ का खर्चा कर दीजिये और चैनल बड़ी बनाने से 60 करोड़ ज्यादा खर्च नहीं होंगे। 90 में करने जा रहे हैं और 35 करोड़ पहले व्यय कर रहे हैं। यह भी मैं समझता हूं कि अपव्यय है या इस प्रन का जब कि हमारे पास शार्टेज आफ फण्ड्स है, पासिटी आफ फण्ड्स है, पहली बात, एक्सपेरीमेंट ट्यूब वोरिंग के सम्बन्ध में आप कीजिये दूसरी बात, तीसरी ट्राइबल एण्ड ह्यूमन पापूलेशन के सम्बन्ध में दोनों की पानी की रिक्वायरमेंट का ध्यान में रख कर रीजनल पाइप लाइन बनावें और तीसरी हैण्ड पम्प को सदा के लिये आप जरा छोड़िये, रेगिस्तानी इलाके में, मैं आपके लिये छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं ··

श्री अध्यक्ष : आप अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहिये।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि सी. एफ. डी. और ग्राउण्ड वाटर बोर्ड अलग होने के बाद में वित्त मंत्री जी ने जो आप के अपने क्षेत्र में दाब रखी है उसको हमारे क्षेत्र में भी भेजिये, बार और रेगिस्तानी इलाके के लिये जो सरकार की गाइड लाइन में धन के आवंटन का एक और छः का रेशयो है उसके अनुसार धन का आवंटन कीजिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : यह जो पश्चिमी राजस्थान का सवाल है इसमें पानी की समस्या है, इसमें माननीय सदस्य ढाणियों की बात कहना भूल गये।

श्री अध्यक्ष : ग्राउंर प्लीज, माननीय विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बाड़मेर, जैसलमेर के लिये कुछ स्कीम्स का उल्लेख

(भैरोंसिंह शेखावत)

कर दिया है, बताया है कि कुछ तो मार्च, 80 के पहले स्वीकृत की गई और कुछ मार्च, 80 के बाद स्वीकार हुई हैं। उन्होंने अलग अलग योजनाओं के आंकड़े प्रस्तुत किये। लेकिन मैं उनसे इतनी ही जानकारी करना चाहूंगा कि मार्च, 80 के पहले जो मंजूर हो चुकी है उन योजनाओं पर अब तक कितना खर्चा हो गया और इन योजनाओं की क्या स्थिति है और 80-81 के लिये आपने जो योजनाएं बनाई हैं उनमें कितना खर्चा हुआ है? एक तो उससे पता चल जायेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है और उनका पूरा काम चालू हुआ या नहीं और काम चालू हुआ है तो कितना खर्चा हुआ है। इन दोनों के आधार पर पता लग सकेगा कि 79-80 के लिये जो प्रावधान था उसमें से बजट के अनुसार कितना अमाउण्ट लैप्स हो गया। एक तो यह जानकारी दें। दूसरी यह जानकारी दें कि भोपालगढ़ से आये माननीय सदस्य ने हैण्ड पंप के बारे में सभी कुछ कहा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसलमेर में 4-5 गांव बता दें जहां हैंड पंप लग सकें और बाड़मेर तहसील के किस गांव में हैण्ड पंप लगा रहे हैं यह ...

श्री अध्यक्ष : यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपलब्ध नहीं है? इन्होंने मंजूर कर दी।

श्री महाराम चौधरी : और एक जगह तो टूट कर लकड़ी हाथ में आ गई हैण्ड पंप की....

श्री परसराम मदेरणा : और जैसलमेर में जहां सलेक्ट किया है वहां पापुलेशन क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन गांवों में, माननीय मंत्री महोदय सुनें, बाड़मेर जैसलमेर के जिन गांवों में हैण्ड पंप हुए स्वीकार हैं, क्या इससे पहले उन गांवों का सर्वे कराया कि बाड़मेर जैसलमेर जिले के कौन कौन से गांव हैं जहां 100 फीट से पानी ऊपर और नीचे है। जो हैण्ड पम्प के लिये आवश्यक है उस आधार पर आदमी की जनसंख्या और पशुओं की संख्या, इन दोनों का आपने अनुमान लगाया है या नहीं? उस अनुमान के आधार पर कितने हैण्ड पम्प की आवश्यकता है और कितने स्वीकार किये हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम ! संक्षेप में।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पानी की जो भयंकर समस्या जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के गांवों में है वैसे ही मेरे नागौर निर्वाचन क्षेत्र में है। इन गांवों के लिये जो पेयजल की योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे त्रुटिपूर्ण हैं, इसमें जो दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है वह तो सही है लेकिन ये योजनाएं ढाणियों को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाई जा रही हैं और जो योजना बनी है वे एक कोने में हैं और ढाणियों की बस्ती दूसरी जगह पर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नागाड़ी के पास में हैण्ड पम्प की स्कीम मंजूर हुई थी। मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी कहा कि हैण्ड पम्प से पानी निकाल कर हम को बताइये। ज्यादा गहराई 150 फीट की होने से हैण्ड पम्प से पानी निकाल सकते हैं। पानी निकालते निकालते और जानवरों को पिलाते पिलाते आदमी थक जाता है। हैण्ड पम्प की लकड़ी टूट जाती है और पानी निकालना

(श्री महाराम चौधरी)

मुश्किल हो जाता है। इसलिए अधिकतर हैण्ड पम्प यूं ही पड़े रहते हैं। इसलिए मेरा जलदाय मंत्री महोदय को यह निवेदन है कि जो पेयजल की योजना बनावें उसमें आप ढाणियों को मद्देनजर रखते हुवे बनावें। चीफ इन्जीनियर राजवंशी से मिला था। उन्होंने कहा कि ढाणी में पानी कैसे पहुंचावें। गांव के एक सोर्स में, उसके आस पास पानी पहुंचा सकते हैं। परन्तु उस गांव के आदमी या यहां की आबादी उस से लाभान्वित नहीं हो सके तो क्या फायदा होगा। फिर आप उस आबादी को लाभान्वित होने की कैटेगरी में किस तरह लेते हैं। 1980-81 में जो स्वीकृतियां दी गई हैं उनमें एक जगह भी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। आपने अपने कागजों के अन्दर ही लाभान्वित होना बताया है। इसलिए इन योजनाओं को गांव वालों के साथ बैठ करके, पंचायत समितियों के साथ में बैठ करके उनके आधार पर योजनाओं को बनाना चाहिए तो लाभ होगा।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है। 15 तारीख को जोधपुर जिला-डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। विधान सभा का सत्र चल रहा है और आप भी यहां पर हैं इसलिये गवर्नमेन्ट यह व्यवस्था करे कि इस कमेटी की मीटिंग जयपुर में बुला ली जाये। केवल कलेक्टर और इन्जीनियर को ही आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी मार्फत पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि 15 तारीख की इस मीटिंग में वे भी सम्मिलित हों। हम भी कुछ सजेशन देना चाहेंगे, और आपको पानी की समस्या से अवगत करा सकेंगे। खास तौर से नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो बात कही है वह मैं वह कहना भूल गया था। यह आवश्यक है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 8/9 मील, पांच मील के रेडियस में जाकर के, मेरे गांव में ही 9 मील की दूरी पर एक ट्यूब वैल है। वहां से लोग रातों रात पानी ले आते हैं। यह जो ट्यूब वैल का पाइन्ट है वहां टैंकर पम्प की योजना बने। गांव के अन्दर नहीं बने तो गांव की जो आबादी रहती है ढाणियों का जो समूह का समूह है उसके बीच में एक्सपेरीमेन्टल ट्यूब वैल हो, पाइप लाईन की बात नहीं कह रहा हूं केवल वहां पर टैंक बना दिया जाए ताकि लोग उससे अपने टंकियों में पानी ले जा सकें। इसमें तीन सौ, चार सौ घरों और मवेशियों का पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। मेरा पांचवां सजेशन यह है कि ढाणियों में जो हैण्ड पम्प की योजना है, यह आपके समक्ष में तभी आयेगी जब 15 तारीख को होने वाली मीटिंग मे आप शरीक हों।

श्री अध्यक्ष : अपने पैरों पर है। आर्डर प्लीज। अलग-अलग बात नहीं आवेगी, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल की समस्या विकट है और जो सरकार ने योजनाएं बनाई है या बन रही है वे योजनाएं कारगर सिद्ध नहीं हो रही हैं। आबादी ढाणियों में बसती है। मवेशी और मनुष्य एक ही ठिकाने से पानी पीते हैं। परिस्थितियों को शायद इन्जीनियर्स ने अच्छी तरह से नहीं समझा है और राज्य सरकार भी अच्छी तरह से

(श्री अध्यक्ष)

नहीं समझी है। उपयुक्त यही होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र चाहे सीकर हो, चाहे झूंझनूं हो, चाहे बीकानेर के क्षेत्र हो, चाहे जोधपुर डिवीजन के विभिन्न जिले हों, वहां के प्रतिनिधियों और माननीय सदस्यों को बुलाकर मंत्री महोदय और उनके इन्जीनियर्स उनके सुझावों के आधार पर इन योजनाओं को बनावें तो मैं समझता हूं कि ये योजनाएं ज्यादा कारगर, उपयोगी होंगी और पेयजल की समस्या को हल करने में वास्तव में मददगार होगी।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय जो आपने सुझाव/आदेश दिया है उससे मैं सहमत हूं और माननीय सदस्यों के साथ बैठ कर वहां की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, उस पर बात कर के, अधिकारियों के साथ बैठ कर के····

श्री अध्यक्ष : मरुस्थलीय क्षेत्र की बात हो रही है।

श्री बनवारी लाल : आपकी जानकारी के लिए बता दूं·········

श्री देवेन्द्र कुमार : (सराड़ा) हमारे इलाके में भी·······

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं पानी की समस्या अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से है जो प्रस्ताव आया था वह मरुस्थलीय क्षेत्र के विषय में था। उस के लिए बात हो रही है और उसके लिए सुझाव आये हैं। पर्वतीय क्षेत्र में, जन जातीय क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की पेयजल की समस्या है, उस के लिए अलग से जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है, बैठ कर बात करें। जो बात नहीं कही गयी है वह फर्माना चाहते हैं तो कहें वरना तकलीफ तो सब जगह है। ऐसी कोई बात जो नहीं कही गयी है वह कहें।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा यह निवेदन है कि हैण्ड पम्प पर 10-5 हजार खर्चा होता है। हमारी पंचायत समिति क्षेत्र में 8-9 10 हैण्ड पम्प हैं। मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है और वहां पर जो हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं वे कामयाब नहीं होते हैं। 150-200 फीट की गहराई पर पानी होता है और 5-7 दिन बाद ही वह खराब हो जाता है। हैण्ड पम्प उस जगह लगाया जाए जहां पर बिजली है परन्तु ऐसी जगह न लगा कर इन्जीनियर जान बूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन कि हैण्ड पम्प न लगवा कर टेंक बनवाए जाए ताकि पानी सप्लाई कर सकें। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 7-8 कुएं हैं परन्तु उन सबका पानी खारा है और लोगों को दो मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है

श्री अध्यक्ष : अलग अलग गांव की समस्या पर नहीं, माननीय सदस्य ····

श्री महेन्द्रसिंह : गांव की आबादी 8 8 हजार है। दो मील दूर से पानी लाना पड़ता है······· ····

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में 32,000 गांव हैं और वहां की अलग-अलग समस्याएं हैं। उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि माननीय

(श्री बनवारी लाल)

सदस्यों के सुझाव मांग कर के हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैंने कार्यवाही चालू भी कर दी है। कल मैंने सीकर और झुन्झुनूं जिले के एम. एल. ए. को बुलाया था और उनकी समस्याओं पर विचार किया था। माननीय सदस्य महादेव सिंह जी उसमें शरीक नहीं हुए थे इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ा। हैंड पम्प की समस्या है और जो समस्या है उन सब का समाधान कैसे निकल सकता है, किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक की योजना से लाभ पहुंचाया जा सकता है हम किसी निर्णय पर पहुंचे हैं और जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी उस हिसाब से उन समस्याओं का हल निकाला जायेगा।

एक माननीय सदस्य : झुन्झुनूं जिले के किन किन माननीय सदस्यों को बुलाया था यह भी बता दें ?

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सभी पार्टी के लोगों को बुलाता हूं, सभी आमंत्रित हैं। मैं विरोधी दल के नेता महोदय को भी आमंत्रण देता हूं वे जो भी सुझाव देंगे उसको क्रियान्वित करने का हम हर सम्भव प्रयास करेंगे। उसको सफल बनाने का जैसे भी सम्भव हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। हमारा आपका सबका उद्देश्य यही है कि जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाय····

श्री अध्यक्ष : बात बढ़ रहे हैं। भाषण नहीं। प्रश्न यह था डजर्ट की समस्या है पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है उसके बारे में बताने का था····

श्री बनवारी लाल : वही अर्ज कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

जहां तक हैंड पम्प के बारे में भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो यह बता दूं कि हैंड पम्प वहां लगाये जाते हैं जहां कि 150 फीट पर पानी हो, मीठा पानी हो। यदि टेक्निकली वह गलत है और वह समझते हैं कि वहां पर पानी नीचा है या पानी मीठा नहीं है तो वहां की और जानकारी कर लूंगा और उसको रोक दिया जायेगा। जो क्राइटेरिया में आते हैं और टेक्निकली अप्रूव्ड हैं उनकी बात अलग है। कुछ ऐसा भी है कि पापुलेशन के ऊपर भी यह डिपेन्ड करता है। जहां छोटी जनसंख्या होती है वहां पर इतना खर्चा करके पाइप लाइन बनाई जाय और पानी पहुंचायें इसके लिये तो इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है इसलिये फिलहाल राहत देने के लिये यह किया है कि जहां पर 150 फीट पर पानी उपलब्ध है वहां पर यह काम किया जा रहा है। जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय ने बताया कि बाड़मेर जिले में······

श्री परसराम मदेरणा: गाय, भैंस और भेड़ कितनी है यह भी बता दें।

श्री बनवारी लाल : वही निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक से जो सहायता मिलती है वह मनुष्यों की जनसंख्या के आधार पर ही मंजूर की जाती है। यह सही है कि इस क्षेत्र में कैटल्स की बहुत बड़ी समस्या है। जो योजनायें बनाई जाती हैं उनमें कैटल्स की समस्याओं पर ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिये सर-

(श्री बनवारीलाल)

बार से, केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं, हम निवेदन कर रहे हैं यहां का मेन धन्धा कैटल्स का है, इन लोगों का जीवन कैटल्स पर निर्भर करता है। यह सही है कि वहां पर मनुष्यों की जनसंख्या के आधार पर ही योजनायें बना रहे हैं इसलिये इस बात को मद्दे नजर रखते हुए केन्द्रीय सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार की सहायता दी जाय। इस प्रकार की योजनाओं की सैंक्शन दी जाये ताकि वहां के मवेशी के पीने के पानी की समस्या हल हो सके, उसका स्थायी समाधान हो सके।

माननीय सदस्य, अमीन खां ने बताया कि हमारे यहां जो भी योजना बनाई जाती है वह किसी तहसील या किसी विधान सभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती है। यह सही है कि राजस्थान 33 हजार गांवों में से आज लगभग 24 हजार गांव समस्याग्रस्त हैं। इन स्थानों पर कैसे पानी पहुंचाया जाय, यह प्रश्न विचारणीय है। पर मेरा दृष्टिकोण है कि बाड़मेर और जैसलमेर में यह समस्या ज्यादा है और इसके लिये जनसंख्या और डी. पी. सी. का जो क्राइटेरिया है।

श्री परसराम मदेरणा : परिभाषा क्या है, यह भी हाउस को बता दें, समस्याग्रस्त गांवों की।

श्री बनवारीलाल : इसके बारे में यह है कि जहां पर पानी गहरा है मीठा नहीं है या पानी नहीं है या पानी दूर है या पानी में कोई बीमारी है, बीमारी के कीटाणु हैं इस प्रकार के गांवों को समस्याग्रस्त माना गया है। चार पांच कारण हैं जिनको लेकर चलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन जिन गांवों में पानी नहीं है वहां हमारा तो उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा गांवों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दें, खास तौर से बाड़मेर और जैसलमेर के बारे निवेदन है कि बाड़मेर में 73 प्रतिशत और जैसलमेर में 67 प्रतिशत गांवों को हम पानी उपलब्ध करा चुके हैं। इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है।

श्री अमीन खां : पानी वहीं पहुंचाया है जहां पर लोगों को शिकायत नहीं है। अभी ढाई करोड़ रुपया जो मंजूर किया गया है वह भी ऐसी जगह के लिये ही किया गया है।

श्री बनवारी लाल : ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आप जो गांवों का नाम बता रहे हैं वह समस्याग्रस्त गांव में नहीं आता हो पर उसमें भी डी.पी.सी या जो भी क्राइटेरिया है उसके आधार पर ही ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री बनवारीलाल : मैं मानता हूं कि राजस्थान में यह एक बड़ी समस्या है। मुख्य मंत्रीजी ने जैसा सदन में घोषणा की हमारा उद्देश्य यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हम राजस्थान में इस समस्या को समाप्त कर दें। ऐसी हमारी योजना है, ऐसा हमारा विचार है। आपके साथ बैठ कर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जायगा जिससे कि इसका समाधान हो सके। यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री श्री राम गोटेवाला : एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था, पायलट चैनल के बारे में कहा था अगर उससे पानी की व्यवस्था करते हैं तो जो करोड़ों रुपये व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं वह नहीं होगा। पायलट चैनल के बारे में मंत्री जी विचार करें।

श्री बनवरीलाल : कौनसी पायलट चैनल योजना ?

श्री श्री राम गोटेवाला : पायलट चैनल योजना जो राजस्थान नहर के····

श्री अध्यक्ष : यह विकल्प नहीं है। ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पर्टीकूलरी दो प्रश्न किये थे। वर्ष 1980-81 और 1979-80 में जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो योजनायें मंजूर की गई थीं, 30 मार्च तक जो मंजूर हो चुकी है और 30 मार्च से लेकर 81 तक जो योजना बनी है उनमें कितना खर्च हुआ और कितने की सैंक्शन थी, उसमें क्या प्रोग्रेस है ? कितनी 80-81 में हैं ? यह बता दें। आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जैसलमेर जिले का एक प्रश्न था, पिछले सत्र में पूछा गया था, जो उसका सरकार की ओर से उत्तर आया था वह दो लाइन का है, मैं पढ़ कर सुना देता हूं। वर्ष 1980-81 में 3 ग्रामों को पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है इस वर्ष के अन्दर निम्न गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का लक्ष्य है :-

घाटेड, छायड, अगरना, नोहरडायन सारड, मानीया, गड़ा घाट, कछवाही, बांधा, बसवा, मंडाई, छोगा, कानपूरिया।

उपरोक्त गांवों में क्रम संख्या एक से तीन तक तो पाइप लाइन के द्वारा और 4 से 12 तक हैंड पम्प द्वारा जल उपलब्ध कराया जायेगा। यह पक्का आश्वासन दिया था, इसके अन्तर्गत कितना काम हुआ यह बता दें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): एक प्रश्न मेरा भी है। मैं जानकारी चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक जो पैसा दे रहा है यह सिर्फ हैण्ड पम्प के लिये दे रहा है क्या, या पीने के पानी क्या व्यवस्था के लिये दे रहा है ? अगर पानी की व्यवस्था के लिये दे रहा है तो अगर आप एक गांव में 8 हैंड पम्प देते हैं एक हैंड पम्प पर 15 हजार रुपया लगता है। आप इस रकम से क्यों नहीं एक ट्यूबवैल और एक टंकी बना देते हैं इससे काफी बचत होगी और पानी भी दे सकेंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? इस तरह क्यों नहीं कर रहे हैं ? या यह सही है कि रावड़े का तेल पल्ले पे ही सही।

एक माननीय सदस्य : यह रावड़े का तेल नहीं है, कर्जा है, वापस करना है।

श्री बनवारीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो जानकारी चाही है वह इस समय तो मैं सदन को नहीं दे सकता हूं लेकिन इतना विश्वास दिला सकता हूं कि बजट लेप्स नहीं होने दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट लेप्स नहीं होने का क्या मतलब होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इतनी विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतहपुर) : यह सरकार बिलकुल झूंठे दस्तावेज देती है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । चर्चा समाप्त हुई ।

शासकीय वक्तव्य

भारत पाक युद्ध के समय सिन्ध से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

श्री चन्दनमल बैद (पुनर्वास मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत पाक संघर्ष 1971 के फलस्वरूप आये 8,608 परिवार विभिन्न शिविरों में आवास कर रहे थे। इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। उनमें से 4,922 परिवारों का कृषि एवं पशुपालन योजना, लघु व्यवसाय योजना, एकल सदस्य एवं वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत पुनर्वास कर दिया गया है। राजस्थान नहर क्षेत्र में 3,000 विस्थापित परिवारों को बसाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत 2,860 परिवारों को भूमि आवंटन के लिए लाटरी द्वारा चक व मुरब्बे निश्चित कर दिये गये हैं एवं शेष 140 परिवारों के लिए यह कार्य शीघ्र सम्पादित हो जायेगा। भूमि आवंटन पूगल व कोलायत नं. 1 व 2 क्षेत्रों में किया गया है। इनमें से सबसे उत्तम क्षेत्र अनुसूचित जाति व जनजाति के विस्थापितों के लिये चुना गया है।

इस क्षेत्र में आबादी के चक भी निर्धारित कर दिये गये हैं। डिग्गियों के लिए स्थान का निर्धारण भी लगभग हो गया है।

डिग्गियों आदि की आधारभूत आवश्यकताओं के लिये भारत सरकार 90 लाख रुपया अनुदान स्वरूप राज्य को दे रही है तथा तत्सम्बन्धी विस्तृत योजना भारत सरकार को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार इन 3,000 मुरब्बों के लिए 8 करोड़ दस लाख रुपयों का ऋण विस्थापितों को दे रही है।

बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर में जो विस्थापित बसाये गये हैं उन्हें आधारभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए 133,20 लाख रुपया भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। इन कार्यों के सम्पादन के लिए धन राशि सम्बन्धित विभागों को आवंटित कर दी गई है।

जो विस्थापित बसा दिये गये हैं उनको 4.67 लाख रुपये अनुदान स्वरूप तथा 1,15,53,000 रुपये का ऋण वितरण कर दिया है। राजस्थान नहर क्षेत्र में भी भारत सरकार ने विस्थापितों के परिवारों के लिए निम्न ऋण, अनुदान स्वीकृत कर दिये गये हैं ।

1. झोंपा निर्माण	950	अनुदन	550
2. ऊंट और बैल जोड़ी हेतु		–	2500
3. भूमि सुधार हेतु		–	1600
4. खाद बीज हेतु		–	2000
5. चारा क्रय हेतु		–	100
	950		6750-7,700

इन लोगों को बीज, खाद, ऊंट, बैल आदि के लिए पहले भारत सरकार ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिलाये जाने का प्रस्ताव किया था, किन्तु राजस्थान सरकार ने आग्रह किया है कि इन प्रयोगों के लिए भी इनको सरकार द्वारा ही ऋण दिये जावे ।

(श्री चन्दनमल बैद)

इन लगभग 10 वर्षों में परिवारों की संख्या 201 कम हो गई है, कुछ परिवार जुड़ गए हैं तथा कुछ मृत्यु के कारण नहीं रहे। शेष 485 परिवारों को भी बसाने की भी योजनायें बन गई है तथा 1981 के अन्त तक शिविरों में आवास करने वाले सभी परिवारों का पुनर्वास सम्पादित हो जायेगा, ऐसी आशा है।

श्री देवीसिंह भाटी: मन्त्री महोदय, म्हाने नयूं रूला रिया हो ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है तथा शरणार्थियों के बसाने की जो योजना है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। पहला तो निवेदन मेरा यह है कि शिविरों में आवास करने वालों को बसाने की योजना बनाई, पांच हजार परिवार ऐसे थे जिनको मन्त्री महोदय ने माना है जो शिविरों में नहीं रहे। शिविरों में वे लोग रहे जिनका भरण पोषण सरकारी खर्चे से किया गया और सारी उनकी जिम्मेदारी सरकार की थी तथा कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर, मजदूरी करके, दुकानदारी से अपना पेट भरा। ऐसी स्थिति में वे शिविरों में नहीं रहे। उन लोगों को बसाने की सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिये हैं सरकार के पास। मेरा निवेदन है कि जिन्होंने पैरों पर खड़े होकर पेट भरा उन पर सरकार ने खर्चा नहीं किया, जो भारत पाक युद्ध के समय आये, मन्त्री महोदय ने उनको बसाने की योजना का उल्लेख नहीं किया। उनको राहत देने के बारे में सरकार घोषणा करे।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि शरणार्थियों के साथ 80 शिक्षक भी आए थे। वह पाकिस्तान में थे और बाद में यहां आये, उनको विभिन्न स्कूलों में लगाया गया। उनकी जो डिग्रियां थीं, उनके बारे में सरकार ने स्पष्टीकरण दिया, पंजाब और सिंध में जो डिग्रियां प्राप्त कीं वे राजस्थान की इन डिग्रियों के समकक्ष मानी जायेंगी। वे सभी लोग आठ साल तक लगातार स्कूलों में काम करते रहे। अब उन व्यक्तियों को सरकार परमानेन्ट सर्विस में नहीं रख रही है। आठ साल तक सरकारी सेवा में रहे वह उनकी सर्विस में काउन्ट नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में आने के पश्चात् वे जिन स्कूलों में रहे, उन की डिग्री मानी गई तो उनकी आठ साल की सेवायें भी काउन्ट की जानी चाहिये।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि तीस हजार परिवारों को, मैंने वक्तव्य में तो नहीं सुना लेकिन समाचार पत्रों में पढ़ा है, लोन पर मुरब्बे दिये जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि ये लोग अपनी सारी सम्पत्ति और जमीन जायदाद छोड़कर आये हैं, भारत की सेवाओं के लिये उनको यहां आना पड़ा है, उन तीस हजार परिवारों को ऋण नहीं दिया जाकर भारत की सेवाओं के पारितोषिक के रूप में मुरब्बों का आवंटन किया जाय।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अन्त में निवेदन मेरा यह है कि जिन्होंने कृषि का काम नहीं दिखाया, व्यापार दिखाया उन लोगों को 15 हजार रुपये देने की योजना है वह भी भारी व्याज पर। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से कृषि वालों को मुरब्बा दे रहे हैं, इनको भी उसी प्रकार से तीस हजार दिया जाय, व्याज पर नहीं, या 4 पर्सेन्ट व्याज लिया जाय या यह निर्णय लिया जाय कि इनको अनुदान के रूप में दिया जाय ताकि वे लोग सैटल हो सकें। इसी के साथ मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इनके बारे में स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसके आधार पर 8 करोड़ 10 लाख रुपये ऋण के रूप में जो नये शरणार्थियों को अदा करना है, वह राजस्थान सरकार को मिला और 90 लाख रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला। अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुसार 1947 के पश्चात् जितने भी शरणार्थी भारत में आते हैं उनके पुनर्वास की पूर्णतया जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, किसी प्रकार का भी राज्य सरकार का उसमें लेना देना नहीं है। इसलिए 71-72 में जितने भी शरणार्थी आये उन शरणार्थियों पर अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करने में भारत सरकार का लगभग 17 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ज्यादा हुआ होगा, कम नहीं। लेकिन यह 17 करोड़ यदि 71-72 में खर्च कर दिया जाता तो न इन लोगों के सामने और न सरकार के सामने यह समस्या खड़ी होती। कई वर्षों तक यह प्रश्न विवादास्पद बना रहा कि उनको भारत की नागरिकता के अधिकार दिये जायं या नहीं। उनको जो सुविधायें भारत के नागरिक होने के नाते उपलब्ध हो सकती थीं वे वर्षों तक उपलब्ध नहीं हो सकी। उनको नागरिकता दो वर्ष पहले दी गई और नागरिकता देने के साथ ही पुनर्वास का प्रश्न भी भारत सरकार और राज्य सरकार के विवाद का विषय बन गया। राज्य सरकार ने यह चाहा कि इनको राजस्थान कैनाल के ऊपर भूमि का आवन्टन किया जाय। शिव और बाड़मेर के क्षेत्र में लोगों को शिकायत थी कि यहीं के लोगों को दी जाय, शरणार्थियों को नहीं। भारत सरकार ने इसको सिद्धान्ततः स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद प्रश्न यह खड़ा हुआ कि जो राजस्थान कैनाल के एरिया में भूमि का आवंटन किया जायेगा उसकी कीमत कौन चुकाये ? भारत सरकार ने पहले इस बात पर जिद्द रखी कि राज्य सरकार को कीमत चुकानी चाहिये। राज्य सरकार की ओर से बार बार इस बात को कहा गया कि जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है, भारत सरकार की है, जो भी खर्चा होगा भारत सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो पहली किश्त, जहां तक मुझे याद है, भारत सरकार ने कहा एज ए टोटल हम आपको एक करोड़ रुपये दे देते हैं और इस आधार पर आप उनको भूमि का आवंटन कर दीजिये आपके यहां भूमि की कमी नहीं है, राजस्थान कैनाल में जो भूमि आवंटन होगा उसमें हमको भी शामिल कीजिये। राज्य सरकार की ओर से फिर इस बात पर चर्चा चलती रही और चर्चा में जहां तक मुझे याद है हमने इस बात की मांग की थी कि एक मुरब्बे की कीमत एक लाख रुपए

(76)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमको दी जाय। भारत सरकार कहने लगी, एक लाख कीमत नहीं दी जा सकती। अंत में यह फैसला नहीं हुआ कितना रुपया भारत सरकार से लिया जाय। लेकिन जहां तक मुझे याद है, एक बैठक में मैं भी शामिल था, उस समय भारत सरकार ने हमको 9 करोड़ की आफर की, हमने कहा 9 करोड़ से काम नहीं चलेगा, हमारी 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जा रही है उसके अगेन्स्ट में केवल 9 करोड़ दिये जायं, हमें संतोष नहीं है। मुझे मालूम नहीं मिनट्स में हैं या नहीं मंत्री महोदय देख लें, उस समय मीटिंग में यह हुआ कि 9 करोड़ की राशि को और बढ़ाया जाय, मेरे सामने चर्चा हुई थी कि 9 करोड़ से 15 करोड़ तक जा सकते हैं लेकिन आपकी 30 करोड़ की मांग ज्यादा है। उस समय अनौपचारिक चर्चा के आधार पर मुझे विश्वास था कि 20 करोड़ में राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में....

श्री अध्यक्ष: आपने रिकार्ड लिखित में रखा या नहीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है।

श्री चंदनमल बैद: जबानी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिखित में है। हमारी मांग देखेंगे कि मांग इतनी होगी, 30 से कम नहीं लिखी हुई होगी। उस समय प्रश्न खड़ा हुआ कि हम क्यों दें? उसमें विलम्ब होने लगा। हमने भी तकाजा किया, उस समय मुख्य मंत्री भी बीच में थे। उन्होंने कहा, 9 करोड़। तो 30 करोड़ के एवज में 9 करोड़ ले लिया। अब यह व्यवस्था कर दी कि 9 करोड़ रुपये शरणार्थियों को कर्ज के रूप में दिये जायेंगे। राज्य सरकार के माध्यम से दिये जायेंगे। उस समय विवाद का प्रश्न और खड़ा हुआ कि 9 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिये जायं और यह रुपया यदि राज्य सरकार ने शरणार्थियों को दिये और उन्होंने चुकारा नहीं किया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? वह चाहते थे कि जिम्मेदारी राज्य सरकार ले। मंत्री महोदय बतायेंगे कि किस शर्त पर इस पैसे को स्वीकार किया है? सरकार ने किस कारण गलती की है? 30 करोड़ की भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, एक लाख मुरब्बे में जो राजस्थान कैनाल की जमीन जा रही है, एक लाख रुपया भारत सरकार से लेते तो निश्चित रूप से हमें लाभ होता और शरणार्थियों को जमीन भी मिल जाती। आज कर्ज का नाम लेकर यह कहा 30 हजार रुपये दे रहे हैं। अगर एक लाख में हम देते तो एक लाख, एक शरणार्थी पर कर्जा मिलता। हमने सिद्धांततः विरोध किया कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है भारत सरकार बसाये और मुरब्बे की कीमत राज्य सरकार को दे। मंत्री महोदय स्पष्टीकरण कर दें तो ज्यादा उचित होगा।

(2.09म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

दूसरी बात, जैसा श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सारे रिहैबिलिटेशन में केवल उन लोगों को लिया है जो कैम्प्स में हैं, बहुत से कैम्पस में नहीं हैं, उन बाहर रहने वाले लोगों को आपने किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। अनाज नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, शरणार्थियों के रूप में उनका रिकग्नेशन नहीं हुआ और उस कारण से जो सुविधायें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको उपलब्ध हो सकती थीं, वह नहीं हुई। क्या उन परिवारों को भी राजस्थान कैनाल या अन्य क्षेत्र में भूमि आवंटन करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है? कृपया इसकी जानकारी दें।

श्री चंदनमल बैद : माननीय सभानेत्रीजी, मैंने जो वक्तव्य दिया उसके बारे में आम तौर पर मुझे संतोष ही मालूम पड़ा किन्तु एक दो प्रश्न उठाये गए हैं। पहली बात यह कही गई है कि जब विरोधी दल के नेता सदन के नेता थे और मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि 3 हजार परिवारों को बसाने के लिए जो 3 हजार मुरब्बा जमीन दी जाय उसकी कीमत 30 करोड़ रुपये हो। ठीक है, 30 करोड़ की मांग उस समय की गई थी, यह बात सही है। तो विरोधी दल के नेता ने जैसे खुद कहा है, भारत सरकार ने उस समय एक करोड़ देने की बात कही थी। अगर यही बारगेन हम बराबर करते रहते वह एक के डेढ़ करोड़ और हम 30 के 29 करोड़ मांगते, इस तरह से चलता रहता तो यह पुनर्वास की समस्या जो हल करने की बात कर रहे हैं, जो यह मानवीय प्रश्न है, आखिर 1971 में घर छोड़कर आये, कैम्पों में रह रहे हैं, उन लोगों को 10 साल तक बसा नहीं पाये यह अपने आप में अच्छी चीज नहीं है। और उसके बारगेन को और खींचते रहे हम कहें कि हमको 29 करोड़ दिये जायें वे कहें कि 11 करोड़ रुपये ले लो, इस प्रकार चलते जाते तो परेशानी की बात होती। इस वास्ते वाजब यह माना गया कि जो हम कीमत भूमिहीनों से ले रहे हैं वही कीमत उन शरणार्थियों से भी ली जाय 30 हजार रुपये प्रति मुरब्बा हम भूमिहीनों से ले रहे हैं, यही कीमत उनसे ली जाय क्योंकि आखिर उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी है और जैसा आपके सदस्य कह रहे हैं उन्होंने देश की सेवायें की हैं। एक लाख रुपए का कर्जा हम उन पर लाद देते तो अच्छा नहीं होता।

जब आप कह रहे हैं कि उनको मुफ्त क्यों नहीं दी गई। सभानेत्री महोदय, यह प्रश्न केवल राजस्थान का नहीं है इस प्रश्न से सारा हिन्दुस्तान जुड़ा हुआ है। यह केवल 3 हजार परिवारों का सवाल नहीं है, यह सवाल तो हजारों परिवारों का है जो बंगलादेश उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान, था से हजारों शरणार्थी आये। यहां भी सैंकड़ों हजारों शरणार्थी दूसरी जगह से आये। सारे लोगों को बसाने के लिए भारत सरकार को अपनी नीति तय करनी पड़ी। यह प्रश्न भारत सरकार का है, राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। पुनर्वास उन्हीं को करना है, नीति उन्हीं को तय करनी है। किस तरीके से उनका पुनर्वास करना है, सारे भारतवर्ष के लिए एक नीति उनको बनानी है। उन्होंने यह नीति तय की कि जिनको पैसा देंगे, सामान देंगे, सुविधा देंगे, वह लोन के रूप में देंगे आम तौर पर। कुछ हो सकता है अनुदान के रूप में दे दें। तो थोड़ा अनुदान और ऋण तय किया। हमने उसी आधार पर फैसला किया कि आखिर नीति उनकी है हम तो केवल एजेंसी मात्र हैं, क्योंकि शरणार्थी राजस्थान में हैं इसलिए उनकी एजेंसी के रूप में हम यह कार्य कर रहे हैं। हमारा जो भी स्टाफ काम करता है उसका पैसा भी भारत सरकार देती है। इसलिए भारत सरकार ने सारे देश को देखते हुए नीति तय की और उसके

(श्री चन्दनमल बैद)

अनुसार यह काम हो रहा है। हम ज्यादा पैसा मांगने की कोशिश करते तो केवल इतना कह सकते हैं कि ज्यादा दिन पड़े रहते तो शायद 8-10 करोड़ की जगह 15—20 करोड़ खींच लेते लेकिन जितना हम अड़ते उनकी तकलीफ बढ़ती इसलिए हमने उचित समझा कि अपने भूमिहीनों पर जिस कीमत पर दे रहे हैं उसी कीमत पर उनको जिनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, जमीन दे देते हैं तो हमको पैसा भारत सरकार से नकद मिल जाता है। भूमिहीनों को जो जमीन देते हैं उसका पैसा किश्तों में कई सालों तक मिल जाता है, यह पैसा भारत सरकार से आधे से ज्यादा मिल चुका है और बाकी पैसा 29 मार्च से पहले मिल जायेगा तो एक किश्त में पैसा मिल रहा है। 30 हजार की जो कीमत हमने भूमिहीनों के लिए तय की है वह भी मिल रही है, जायज समझी गयी। इसलिए मानवीय आधार पर और दूसरे आधार पर हमने मान लिया।

श्री राव बहादुर : सभानेत्रीजी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा। सवाल यह है कि जब नेगोशिएट किया तो उस नेगोशिएशन में इकानामिक प्राइस प्रति एकड़ मिली या नहीं विस्थापितों की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है जैसा आपने कहा क्योंकि राजस्थान कैनाल के डवलप्ड एरिया में नेगोशिएटेड प्राइस तय करने का दोनों को समान अधिकार था, उसमें जो प्राइस आपने ली, अगर मैं विरोधी दल के नेता को सही समझता हूं क्या इकानामिक वैल्यू लैंड की मिल गयी, आप संतुष्ट हैं ? मेरे खयाल से नहीं।

श्री चंदनमल बैद : यह कहना बड़ा मुश्किल है।

श्री परसराम मदेरणा: इसी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न यह है कि विरोधी दल के नेता कुछ भी कहें, रिहेबिलिटेशन कमिश्नर श्री शेरसिंह, कालोनाइजेशन कमिश्नर श्री बराया....

श्री चंदनमल बैद: रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य

श्री परसराम मदेरणा : रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर भोपालगढ़ से आने वाले, कालोनाइजेशन मिनिस्टर भी वही सदस्य। मेरी मीटिंग भारत सरकार में अपने काउंटर-पार्ट रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर के साथ हुई थी। जहां तक मेरी मेमोरी मुझे धोखा नहीं दे रही है नवम्बर 1976 में वह मीटिंग हुई, वह मिनट्स भी देखलें, मैं कमिट करके आया था 3 हजार मुरब्बे उनको देंगे लेकिन रिजर्व्ड प्राइस पर नहीं क्योंकि आपके पास 75 करोड़ रुपए विस्थापितों को पुनर्वास के लिए फंड भारत सरकार के पास अलग ईयरमार्क्ड है, आपके पास कापली फंड है यह फंड पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए है वर्मा या दूसरे लोगों के लिये नहीं है। इसलिए हमने मुरब्बे देने का कमिटमेंट करते हुए मिनट्स कन्फर्म करके भेजे। आज आप रिहेबिलिटेशन मंत्री है उससे पहले कुछ भी किया जा सकता था क्योंकि अब आपके पास कागज और फाइलें हैं आप देखें, कान्स्टीट्यूशन की ओथ आपके पास में है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इकानामिक प्राइस वसूल करने की बात है। आपने कहा कि उन लोगों को जल्दी बसाने

(परसराम मदेरणा)

आप जा रहे हैं यह कोलायत में एक और दो में बसा रहे है। माननीय सदस्य ने कहा कि आप उनको कहां पर टेक रहे हो। वह टेक रहे जैसी बात नहीं है। यह हमारे भाई हैं, राजस्थान के नागरिक हैं और उनको भारतीय सिटीजनशिप मिल चुकी है। ऐसी हालत में वारगेन करने का प्रश्न नहीं है। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी वह उसको बसाये। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये भारत सरकार ने उनको रिहैबिलिटेट करने के वास्ते यह किया हैं लेकिन राजस्थान कैनाल एरिया की जमीन को बेचकर घाटा आपका 95 करोड़ हैं उस डैफिसिट को पूरा करने की आपने योजना बनायी थी। आपको अब राजस्थान कैनाल के एरिया में इन लोगों को जमीन देने से 12 करोड़ रुपये का दिखता घाटा हो गया है इस पर आप विचार कीजिये। विचार करते वक्त आप यह सोच कर विचार करें कि अभी आप रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर हैं और उस हैसियत से जवाब दे रहे हैं फाइनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री राजबहादुर : आप इस बात को आज ही उठा सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने इतना बड़ा घाटा उठाया है इसके साथ ही आपको 8 करोड़ रुपये कर्ज के दिये तो क्या यह रिजर्व-प्राइस दिये है जैसे कि हर अलाटी, जिसे कि राजस्थान कैनाल एरिया में लैण्ड अलाट की जाती है, से एक मुरब्बा जमीन का तीस हजार रुपया वसूल करते हैं उसी तरह आपने क्या इनसे भी तीस हजार रुपये रिजर्व प्राइस के लिये हैं? उनको रिहैबिलिटेट करने के लिये भारत सरकार ग्रान्ट इन एड भी दे सकती है। ओवर एण्ड अबोव इसके आपको कोशिश करना चाहिये। यह बहुत बड़ा घाटा आपको हो रहा है। एक बात दूसरी बात यह हैं जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उसका उत्तर भी आप दें। आप उसका उत्तर भी देंगे ऐसा मैं विश्वास करते हुए चलता हूं। जो 8605 परिवार इण्डो पाक वार के समय सन 1971 में आये उनमें से आपने कहा कि 4922 परिवार के लोगों को कृषि एवं पशुपालन में लगा दिया। तो कृषि और पशुपालन में आपने जिन लोगों को बसाने की बात कही है, एक तो आपने बाड़मेर जिले में शिव-तहसील के चौहटन में बसाया है, उन्हें वहां पर बसाया है जहां कि आपने लोगों को बेदखल किया है, वहां पर लोगों ने खेतों को छोड़ा नहीं हैं और जो पुराने लोग जमे हुए बैठे हैं वह बेदखल हुए नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि ला एण्ड आर्डर की वहां पर बड़ी भारी प्राबलम हो गयी है वहां पर किसी को भी भी पजेशन अभी तक मिला नहीं है। रूल 17 के अन्तर्गत एग्रीकल्चर लैण्ड पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत जो अलाटमेंट रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के अन्तर्गत आपने 16 जून को पांच कलेक्टर्स के मार्फत लैण्ड अलाट करवाई है उन्होंने रूल्स को एक तरफ करके जमीन अलाट की है आपने जमीन तो अलाट कर दी पर वहां बड़ी भारी समस्या पैदा हो गयी है प्राबलम यह हुई है कि जो जमीन आपने अलाट की थी वह जमीन खालसा हो गयी थी सन् 65 में और उस खालसा जमीन पर वहां के लोकल रेजीडैन्ट जाकर बैठ गये वहां वह उस जमीन पर अभी तक बैठे हुए हैं पर कौन बैठे हैं वह आपको बता दूं वहां पर बैठे है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइबस और माइनोरिटी

(श्री परसराम मदेरणा)

के लोग, उनको आप अभी तक निकाल नहीं सके हो। वहां पर अभी तक समस्या बनी हुई है। जब तक आप लोगों को हटा कर इन लोगों को पूरी तरह से पुनर्स्थापित नहीं करेंगे तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसलिये आप इनको वहां पर बसाइये।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदया, जहां तक प्राइस का सवाल है, मैं पहले ही अर्ज कर कर चुका हूं, माननीय सदस्य, जो भोपालगढ़ से आने वाले और जो माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले हैं, उन्होंने यह प्रश्न उठाया तो इकानामिक प्राइस का सवाल है मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने उन लोगों से इस प्रकार से प्राइस ली है, जैसे कि लैण्ड लैस से रिजर्व प्राइस ली जाती है उसी तरह से हमने उनको भी रिजर्व प्राइस पर जमीन दी है। वहां पर उनको इकानामिक प्राइस पर देने का सवाल ही नहीं उठता। जो पैसे हम लैण्ड लैस लेते हैं वही रिजर्व प्राइस उनसे वसूल की है। यहां पर इकानामिक प्राइस और अनइकानामिक प्राइस का सवाल ही नहीं है। वह लोग हमारे देश के नागरिक हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह उनको बसाती। उसने हमसे कहा कि आखिर हमारे देश की सरकार एक है हम कोई दो देश थोड़े ही हैं, एक ही देश की सरकार है। एक पूरे देश की सरकार है, दूसरी प्रान्त की सरकार है। उसने कहा कि एक ही देश की दो सरकारें हैं, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको बसाया जाय उसने उनको बसाने के लिये जमीन की कीमत हमको 8 करोड़ 10 लाख रुपये दे दी। 30 हजार रुपये प्रति मुरब्बे के हिसाब से हमें दिये हैं, इसमें जायज क्या है और नाजायज क्या है वह बात नहीं है मेरी समझ में यह बात नाजायज नहीं है।

श्री राजबहादुर : एक बात पूछना चाहता हूं। बीच में इन्ट्रप्शन कर रहा हूं पर इन्ट्रप्शन के लिये इन्ट्रप्शन नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आपने कहा कि सारी जिम्मेदारी उनको बसाने की भारत सरकार की है, भारत सरकार हमको पैसा देगी और हम जमीन देंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रहे हैं तो फिर आप इकानामिक प्राइस उस जमीन की क्यों नहीं वसूल कर रहे हैं।

This economic price shouhld be given by the Government of India.

इसके अन्दर यह हो सकता था। इसमें जो कुछ कन्ट्रीब्यूशन के रूप में आप देते उसके बाद में जो पैसा ज्यादा मिलता हमें भारत सरकार देती। इकानामिक प्राइस के लिये आप नहीं कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिम्मेदारी आपकी नहीं है तो आप फिर प्राइस पूरी कर लें। अगर पूरी प्राइस नहीं ले रहे हैं, तो आप माने कि जिम्मेदारी आपकी है लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप स्वयं भी यह कहते हैं तो we must get economic value of the land. We must get that, यह जो आपका बजट है वह इन्डीकेट करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मन्त्री जी दो तीन बार कह चुके हैं।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, नहीं सभापति महोदया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सांघी जी आप बैठ जाओ। यह आपके समझने की बात नहीं है।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि वह हमारे भाई हैं, दूसरी तरफ उन लैण्ड लैस से जो प्राइस ली जाती है वह प्राइस उनसे ली है, रिजर्व प्राइस ली। तो मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो शरणार्थी आए हैं, उनके अलावा दूसरे देशों से जो शरणार्थी आये, जैसे बर्मा से आये हैं लंका से आये हैं, चाहे युगाण्डा से आये हैं, बाकी का तो मुझे पता नहीं लेकिन दो का मामला तो मुझे पता है। जो लंका और बर्मा से आये, भारत सरकार ने उनकी जो प्रापर्टी वहां पर थी उसका उनको कम्पेनसेशन दिया था, जो भी उनके क्लेम्स थे वह दिये, पर जो पाकिस्तान से शरणार्थी भारत मे आये हैं उनको कोई क्लेम्स नहीं दिये गए हैं। आपने जो यह बात कही कि इनको रियायत दी गयी है, रियायत के रूप में आपने उनको तीस हजार में जमीन दी है तो यह बात सही नहीं है। आपने कोई रियायत नहीं दी है, भारत सरकार ने उनको कोई कम्पनसन्स नहीं दिया है। आपने कहा कि हम एक करोड़ रुपये से उनको 9 करोड़ पर ले आये तो मेरी जानकारी के अनुसार भारत सकार ने टोटल ग्रान्ट 9 करोड़ की दी है। इसमें इफ्रास्ट्रक्चर पर लोन देने का प्रश्न नहीं होगा। इसमें तो भारत सरकार यह कहती थी कि हम इतने रुपये देंगे, इतने से ज्यादा नहीं दे सकते। वह रकम बढ़ाई भी जा सकती थी। जो आप बारगेन वाली बात कह रहे हैं वह बात आप चाहें तो कह दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आपने उनको कहां पर रिहेबिलेटेट किया है? आपने उनको कोलायत में रिहेबिलेटेड किया है जहां पर पानी नहीं है, अब कब वहां पर पानी पहुंचेगा? जब पानी पहुंचेगा तब वहां सिचाई हो सकेगी। इसके अलावा अगर बस भी गये तो जिस तरह से बाड़मेर जिले की शिव तहसील के चौहटन में पड़े हैं उसी तरह पड़े रहेंगे तो आपने मानवीय आधार पर क्या किया है?

अगर आप थोड़े दिन और इन्तजार करते तो मैं समझता हूं कि आपको 9 करोड़ से ज्यादा ही पैसा भारत सरकार को देना पड़ता। आपको इन लोगों के लिए टोटल ग्रांट मिलती।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदया माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि विस्थापितों को जल्दी से जल्दी बसाया जाय। सभानेत्री महोदया, सन् 72 से 77 तक इस विधान सभा में इन लोगों को जल्दी से जल्दी बसाये जाने की चर्चा होती थी और कहा जाता था कि मानवीय दृष्टिकोण अपना कर इन्हे जल्दी बसाया जाय। अब जब हमने कोशिश करके बसा दिया है तो यह कह रहे हैं कि यह क्यों किया। इन्होंने तो कहा है कि हमने कोशिश की पर हम इनको नहीं बसा सके। आपने स्वयं ने माना कि आप बसा नहीं सके। लेकिन जब हमने इनको जल्दी से जल्दी बसा दिया है तो आपको इसका स्वागत करना चाहिये। मैं अभी भी कोशिश करूंगा, मैने और ज्यादा पैसा प्राप्त करने की कोशिश भी की थी लेकिन मानवीय दृष्टिकोण को भी तो भुलाया नहीं जा सकता। आज तीन हजार परिवारों का सवाल था। वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की भी समस्या हो गयी थी इस-

(श्री चन्दनमल बैद)

लिए इन विस्थापितों को जल्दी से जल्दी बसाने के लिये भी कार्यवाही करनी पडी। मुझे याद पडता है आप तो उस समय नहीं थे, मैं उस समय था। आपके पार्टी के सदस्य यहां पर सदन में कहते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा था सदन में।

श्री चन्दनमल बैद : आप सन् 72 से 77 तक विधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपने कहीं बाहर कहा होगा पर यहां पर आपकी पार्टी के सदस्यों ने कहा था। इसके बाद में आप सन् 77 से जब तक पावर में रहे तब तक इसको झुलाते रहे। आप इसको तय नहीं करा सके। लेकिन हमने इसको तय करा दिया और भारत सरकार से एड भी लाये। अब जब हमने करवा दिया तो आप कह रहे हैं कि तुमने क्या किया? आपने नहीं किया वह हमने किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, एक मिनट। सन 71 से 77 तक 16 वर्ष निकल गए।

श्री चन्दनमल बैद : 16 वर्ष कहां निकल गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10 वर्ष निकल गए। 1971 में आये, 1977 में गये 6 वर्ष में आपने उनको नागरिकता के अधिकार नहीं दिलाये। यह जनता पार्टी का शासन था जिसमें उनको नागरिकता के अधिकार दिये।

श्री चन्दनमल बैद : आप गालियां देकर खुश हो लीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जो बसाने का हमारी सरकार ने किया मानवीय आधार पर और उसके बाद भी राजस्थान सरकार ने अपने हितों को सुरक्षित रखा–तो दोनों की कहीं तो सीमा लानी पड़ेगी। मानवीय आधारों को नहीं देखें और इकानामिक प्राईस को नहीं देखें तो गलत होगा....

श्री राजबहादुर : मानवीय आधार भी देखिये और इकानामिक प्राइस भी देखिये।

श्री चन्दनमल बैद : 8 करोड़ 10 लाख रुपयों के बारे में जो हमने बात की वह सही थी, ठीक थी और अच्छी थी।

अब दूसरी बात हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं....

मैं जवाब दे लूं तो ठीक रहेगा।

श्री आत्माराम : सभापति महोदया, मैं कुछ कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : मंत्री महोदय जवाब दे दें उसके बाद आप बोल लें।

श्री आत्माराम : मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जवाब दे दूं फिर बोल लेना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लीजिए। मंत्री महोदय का जवाब आने दें।

श्री चन्दनमल बैद : अब इसके अलावा जो परिवार बाड़मेर में बसाये गये हैं उनको जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है इसके बारे में मैं इतना ही अर्ज करना

(श्री चन्दनमल वैद)

चाहता हूं कि जमीन पर कब्जा करना आसान काम नहीं है। हम जानते हैं इस बात को कि जहां-जहां भी भूमिहीनों को हरिजनों को हम जमीन देते हैं हम जानते हैं उसमें कई परेशानियां और दिक्कत हो जाती हैं क्योंकि जिन लोगों के नाजायज कब्जे होते हैं या जो लोग किसी तरह से कब्जा किये बैठे रहते हैं वह कब्जा नहीं करने देते हैं। इस बात की तरफ हम पूरा ध्यान देंगे कि जिन विस्थापितों को जमीन दी है उनकी जमीन का कब्जा मिल जाये और अपनी काश्त को वह आराम से कर सकें इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और जिलाधीश को बराबर ताकीद करेंगे कि वह इस प्रकार का इन्तजाम करे।

अब यह एक बात कही गयी है कि 403 परिवार जो कि शिविरों में नहीं थे उनको क्यों नहीं बसाया गया है। माननीय सभापति महोदया जो लोग शिविर में नहीं आये और अपने रिश्तेदारों के पास या दूसरी जगह चले गये और कोई कामकाज करने लग गए और भारतीय नागरिकता उनको मिल गयी उनके बारे में यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारतीय नागरिकों को व्यवसाय के लिए, उद्योगों के लिए, दूसरी चीजों के लिऐ जो ऋण लेने की या बैंकों से सुविधायें लेने की और सरकार से जो सुविधायें लेने की जो भी प्रक्रिया है उसके अन्दर वह आयें, उनके प्रार्थना पत्रों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। आप शिविर में नहीं रहें, पांच-छः साल तक नहीं रहे तो कहीं न कहीं अपने पैरों पर खड़े रहे यानि आप उनसे तो मजबूत ही थे जो कि शिविर में रहे। मजबूत थे, आपने किसी पर बोझ नहीं डाला इसके लिए स्वागत है लेकिन अब तो आप भारत के नागरिक हो गए और अब दूसरे नागरिकों जैसे हैं, दूसरे नागरिक जैसे बैंकों के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं आप भी आइये प्रार्थना-पत्रों पर गौर से विचार किया जायेगा। यही मुद्दे उठाये गये थे।

अध्यापिकाओं का सवाल है। इसके बारे में यही अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी योग्यता अगर मान्य है तो उनको सेवा में ले लिया जायेगा और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जो पुरानी सेवायें है उसको सेवा में जोड़ दिया जाये इस पर भी विचार किया जा रहा है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को हम इस बात के लिखेंगे और कहेंगे कि मेहरबानी करके वह इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरी बात का समाधान नहीं किया। मेरा यही निवेदन था...

श्री सभापति : मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : तीन हजार परिवार बसाये जा चुके हैं। कोलायत की एक, दो, तीन और चार तहसीलें हैं उसमें पांच-पांच सौ परिवारों को बसा दिया जाए तो हमें एतराज नहीं है। हमारे जो लोग भूमिहीन हैं....

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : आपने मुझे आज्ञा दी है और यह बोल रहे हैं।

श्री सभापति : पहले आप बोल लें। आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : तीन हजार परिवारों को कोलायत में एक और दो तहसील में ही बसाया जा रहा है। मेरा यह निवेदन था कि मैंने पहले भी कहा था कि काफी भूमिहीन हैं जिन्होंने अपने प्रार्थना पत्र तहसील में दे रखे हैं और उनको जमीन नहीं मिल पाई है। उनको एक ही जगह बसाया जायेगा तो आपस में दंगे फसाद होंगे और मंत्री महोदय को मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि गैर इनको जबर्दस्ती बसाने की कोशिश की गयी तो खून खराबा होगा और किसी तरह से मौके पर कब्जा नहीं मिलेगा मैं आपको चेतावनी देता हूं। मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : क्या यह सही है मंत्री महोदय क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता बाहर जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1976 में शिमला समझौते के अनुसार इनको वापस पाकिस्तान लेने के लिए तैयार था। वहां का मिनिस्टर मंसूरी अमरकोट आकर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में शरणार्थियों से मिला था। भारत सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार लेने को तैयार है। उस वक्त के राष्ट्रपति प्रधान मंत्री हो गए। जुल्फिकारअली भुट्टो ने आश्वासन दिया था कि इनके साथ में कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा और इनको जमीन वापस मिल जायेगी इसलिए नागरिक अधिकार नहीं दिये थे लेकिन जब शिमला समझौता इम्पलीमेन्ट नहीं हो सका, शरणार्थियों में आतंक था कि जाने के बाद सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे-तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि इनको नागरिक अधिकार दे दिये जायें क्या यह बात सही है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और क्या यह सही है कि भारत सरकार ने आपकी बात को मंजूर नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं मंजूर किया। मंजूर नहीं किया और मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ने लिखा था कि 1976 में शिमला समझौता के अनुसार यह वापस जायेंगे इसलिये 2 करोड़ रुपये साल की जो ग्रान्ट दे रहे हैं खाने पीने की वह फालतु खर्च कर रहे हैं। उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए और उनको अधिकार देने चाहिएं।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो नहीं कह सकता कि क्या बातचीत हुई लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर उन शरणार्थियों को वापस ले लिया जाता तो जो हालत भुट्टो की पाकिस्तान में हुई वही उनकी हालत होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही हमने उस समय कहा था जो आपने कहा है।

श्री अहमदबक्श सिंधी : क्या यह सही है कि जनता पार्टी की गवर्नमेन्ट के जमाने में श्री भैरोंसिंहजी साहब बहादुर ने उन लोगों को उस जमीन पर बसाने की कोशिश जबरन पुलिस के जरिये की? जिनको रेगुलेराइज करने का हक था, जिनको अलाटमेंट का हक था दफा 17 की आड़ लेकर आपने से आतंक मचाया उस जमाने में और लोगों को बेदखल किया गया। जनता पार्टी ने यह काम किया है। नम्बर 2—इनके साथ इन्सानियत का बर्ताव करते हुए राजस्थान नहर में इतनी कीमती जमीन पर बसाया जा रहा है तो क्या यह इन्सानियत है या वह थी ? यह बताइये।

श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : मैं सभापति महोदया की मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बड़े आदमियों की कसक हो सकती है। उस समय नागरिकता के अधिकार दे रहे थे या नहीं दे रहे थे ? उनको राइट्स मिल गए। जैसा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर उनको बसा दिया गया है, यह अच्छा किया लेकिन उनको देहात में ही क्यों बसा रहे हैं ? इनको आप शहरों में क्यों नहीं बसाते ? सबको नहीं बसाते तो कम से कम कुछ प्रपोर्शन तो रखें। शहरों में हाउसिंग बोर्ड की स्कीम चल रही है। कृपया उसमें उनको रखिये। शहरों के अन्दर इण्डस्ट्रियल एरियाज में भी लोगों को लोन दिये जा रहे हैं कृपा कर उनको लोन दो। तो मेरा मंत्री महोदय से और सरकार से नम्र निवेदन है कि वह इस आधार पर भी सोचें। मानवीय आधार के साथ ही साथ इस आधार पर भी सोचें कि उनको शहरों में भी बसायें। जब देहात में बसाने की बात होती है तो किसी के हक मारने की बात होती है मेरा आपसे अर्ज करना यह है कि एक दो तहसीलों पर ही क्यों मेहरबानी की जा रही है उनको सही जगह बसाने के लिए मेहरबानी क्यों नहीं की जा रही है। इसको कृपया स्पष्ट करें।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : माननीय सभापति महोदय, मेरे सिर्फ दो प्रश्न हैं यह जो चार सौ परिवारों के बारे में मंत्री महोदय ने फर्माया 40 परिवार थे जिनको उस समय तम्बुओं आप के अभाव में यह कह दिया कि लोग गांवों में रहो, आपको सहायता मिल जायेगी एक डेढ़ साल सहायता दी गई फिर बंद हो गयी उनको सहायता देने का आर्डर हुआ किन्तु उनको सहायता नहीं मिली, उनका पुनर्वास नहीं हुआ। दूसरा यह है कि दो सौ परिवार कम किये गये वहां के अहलकारों के कारण काकाई भाई अलग थे उनको भी शामिल कर लिया गया कोई 13-13 जनों के परिवार थे उनको सम्मिलित कर लिया गया। जिनको मुरब्बा मिल गया वह तो जाकर बैठ जायेगें, दूसरे जो काकाई भाई बेचारे वंचित रह गये। यह दो सौ परिवार उजड़ नही गये? उसकी आप जांच करवाईये। कोई अलग परिवार है तो उसे बसाने की व्यवस्था करें और 40 परिवार 400 परिवारों से भिन्न हैं उनके लिए सहायता का आर्डर हुआ उन बेचारों की प्रापर्टी भी रह गई उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिला। उनको भी सहायता होनी चाहिये। यह मेरे दो प्रश्न है।

श्री अमीन खां : मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं मेरा कहना यही है कि जैसे हमारे बाड़मेर जिले में चौहटन, शिव और बाड़मेर तहसीलों में शरणार्थियों को बसाया गया है उनसे हममें कोई नफरत नहीं है जैसे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने यहां तक कह दिया की खून खच्चर होगा। हमारे यहां चार हजार परिवार बसा दो हमें तहदिल से मंजूर है लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो भारत के कदीमी निवासी है, जिनमें 70 प्रतिशत हरिजन हैं, भूमिहीन हैं उन लोगों का सम्पत्ति पर कब्जा है उन लोगों को जनता सरकार ने बेदखल करके शरणार्थियों को अलाट करने का जो निर्णय लिया उस पर अमल नहीं करवे जो नाजायज तरीके से जमींदारी तरीके से कोई हड़पना चाहता है उसको आप भले ही

(श्री अमीन खां)

हथकड़ी लगा कर निकालिये लेकिन जो हरिजन है गांव का वासी है, हिन्दुस्तान का निवासी है और भूमिहीन है जिसके परिवार के पास मां बाप, दादा की कोई जमीन नहीं है उस आदमी को आप बेदखल करके रिफ्यूजी को आप अलाट मत करो। हो सकता है हमारे यहां कोई दूसरी जमीन हो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

(व्यवधान)

श्री अमीन खां : वह कहते हैं कि खून खच्चर होगा। उनको समझाइये आप....

श्री भगवानदास शास्त्री : XXX

(व्यवधान)

श्री अमीन खां : जो भूमिहीन हैं....

श्री भगवानदास शास्त्री : ....शर्म आनी चाहिये ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य.... ।

एक माननीय सदस्य : 27 साल तक अब्दुल हादी....

श्री अमीन खां : X X X

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य.... ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : X X X

श्री अमीन खां : सबूत दो या तुम इस्तीफा दे देना या मैं दे दूंगा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने.... भेजा है....

श्री अहमदबक्श सिंधी : ....मैं कहता हूं पीर पैगम्बरों के मुरीद जैसलमेर में आपके एम. एल. ए. हैं उसने चिट्ठी मंगाकर वोट लिये। X X X

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर ...

श्री भगवानदास शास्त्री : अब्दुल हादी आपका है....

श्री अमीन खां : भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने क्या एक्शन लिया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको जेल में बन्द रखा है। आपको कांग्रेस सरकार ने जेल में बन्द रखा है XXX

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस सरकार ने आपको बन्दी रखा।

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री महोदया, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझसे जवाब मांगा है। जवाब तो मैं क्या दूं वह तो विधान सभा में खून खच्चर की बात कहते हैं यह जिम्मेदारी तो गृह मन्त्री पर होती है पुलिस मंत्री पर नहीं। वे अपने आप देख लेंगे खून खच्चर होने पर

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित की गई।

(श्री चन्दनमल वैद)

क्या करेंगे। अब मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। पुराना इतिहास क्या था किसने क्या किया। यह इतिहास में लिखा हुआ है। फाइलों में लिखा हुआ है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूं कि पुनर्वास की समस्या थी उस पुनर्वास की समस्या को इस साल के अन्दर समाप्त कर दिया जायेगा। यह अपने आप में एक अचीवमेंट है। यह अच्छी बात है। सभानेत्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ की बात सुनने के बाद सारे सदन को विश्वास हो जायेगा कि राजस्थान सरकार ने जो निर्णय किया है वह सही निर्णय था और कोई निर्णय इसके अलावा हो नहीं सकता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान सरकार के पहाड़िया जी ने सरेन्डर करके 30 करोड़ रुपये छोड़ आये। यह निर्णय हुआ....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह हाई कोर्ट का फैसला हुआ है।

श्री सभापति : बहस समाप्त हुई। आर्डर प्लीज।

श्री अहमदबक्श सिंधी : ....जो भूमिहीन हैं ..

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अगर एक के बजाय दो तीन, चार तहसीलों में बसाया जाता तो वहां के नागरिकों को, काश्तकारों को इतना नुकसान नहीं होता, उन लोगों पर कुठाराघात नहीं होता। मेरा यही निवेदन था उनको एक जगह नहीं, चार तहसीलों में बसाने का निर्णय कर दिया जायें तो न किसी का बुरा होगा, न खून खराबे की नौबत आयेगी।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं लेकिन जमीन कहां पर अलाट होगी और कितनी जमीन अलाट होगी। यह काम रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर का नहीं है। कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट का है वह मार्क करता है कहां जमीन है इतने मुरब्बा दे रहे हैं इस तहसील में, उन सब तहसील में वह अलाट होती है। रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर को खून खच्चर की बात कहें तो वह जमीन कहां से देंगे, जहां पर कहेंगे वहां पर जमीन दी जायेगी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति : अब बजट पर बहस प्रारम्भ हो।

श्री सूरजपाल सिंह !

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): सभापति महोदया, मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने वर्ष 81-82 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मेरी यह मान्यता है कि मौजूदा स्थिति में इस से अच्छा और कोई बजट हो नहीं सकता।

श्री गोपाल पचेरवाल : दबे हुए मन से कह रहे हो।

श्री सूरजपाल सिंह: सभापति महोदया, विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने इसे

(श्री सूरजपाल सिंह)

पूरा ही निराशाजनक बजट कहा है। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहूंगा कि जिनकी दिशा ही नही है उनके लिये निश्चित तौर पर दिशाहीन ही है। तीन साल तक शासन में रहने के बावजूद जनता पार्टी अपना कोई बजट नहीं दे सकी लेकिन आज हमें यह कहते हैं कि हमारा बजट दिशाहीन है, जो कुछ भी है, इस बजट में जो कमियां है जिसके लिये अगर कोई दोषी है तो विरोधी दल में बैठने वाले यह माननीय सदस्य ही दोषी हैं जो तीन साल शासन में रह कर इस राजस्थान के राजकोष को खाली करके अर्थ-व्यवस्था का भट्ठा बिठाकर चले गये और आज हँस रहे हैं। बजट प्रावधान कम कर सकें, यह काम रहा है। यह सब दिशाहीन कहने वालों का श्रेय भी इधर की बैंचों पर बैठने वालों को ही जाता है। सभापति महोदया,....

(व्यवधान)

ये माननीय सदस्य नये आये हैं। हमने इनके भी तीन बजट देखे हैं बड़े रंगीन बजट हुआ करते थे. कभी पीले, कभी हरे-सुन्दर बजट हुआ करते थे मगर इनके बजट इसी प्रकार के हुआ करते थे। मेरी निश्चित मान्यता है मौजूद जो परिस्थिति है, मौजूदा स्थिति के अन्दर इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता है ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किन्तु ..

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : किन्तु परन्तु कुछ नहीं है, ये तो हमेशा रहेंगे चाहे कोई भी बजट प्रस्तुत करे ..

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बजट पर बोलिये, इधर उधर की व्यर्थ की बातें न करें।

श्री सूरजपाल सिंह : ये डिस्टर्ब करते हैं, मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

आज राज्य के 26 जिले अकालग्रस्त हैं। अकाल के निदान हेतु इस सरकार ने समय पर कदम उठाने का प्रयास किया है। आज ये लोग जो विरोध में बैठने वाले हैं, कहते हैं दिशाहीन है, ये काम नहीं कर सके लेकिन मैं कहता हूं कि हमने नवम्बर में टैस्ट वर्क शुरू कर दिये थे। कुछ कमियां रही हैं और समय पर इम्प्लीमेन्टेशन नहीं कर सके तो इसके लिये भी मैं दोष जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को ही देता हूं। आज भी कलेक्टर या उच्च पदाधिकारी इनके समय के बैठे हुए हैं। राइटली और टाइमली इम्प्लीमेन्टेशन करने में कमी है तो वह भी इनके ही खाते में जाती है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप इनको रोका-टोकी न करें वरना आपका समय कम करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदया, दोष देने के अलावा इनके पास कुछ कहने को नहीं है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप महिलाओं के साथ पक्षपात कर रही हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं बार-बार निवेदन कर रही हूं, आपस में बातचीत न करें। जरा वातावरण को गंभीर रखिये जैसा सदन का होना चाहिये।

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति महोदया, विरोधी दलों को तो आंकड़ों के भ्रमजाल में फंसाने की बहुत बुरी लत है। आंकड़ों की बातें हमेशा कहा करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से मैं, सभापति महोदया, इनसे जीत नहीं सकता हूं। विरोधी दल आंकड़े देने में बहुत बड़े माहिर हैं इसलिये मैं आंकड़ों के भ्रमजाल की तो बातें नहीं करना चाहता हूं लेकिन निश्चित रूप से जो बजट में व्यवस्था की गई है वह ठीक है। उसका इम्प्लीमेन्टेशन सही तरीके से करना चाहिये ..

(व्यवधान)

पेयजल के लिये इस वर्ष के बजट में 31.31 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैं चतुर्वेदीजी से पूछना चाहता हूं तीन बजट इन्होंने भी प्रस्तुत किये हैं, इन्होंने क्या किया है....

(व्यवधान)

ये तो चले गये और बाद में भी चले जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं, पेयजल के विषय में मेरे कुछ सुझाव हैं। वे यह हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर सदैव अकाल पड़े रहते हैं, हर दो-तीन साल बाद निश्चित रूप से अकाल पड़ता है। कुछ यहां की भोगोलिक स्थिति ही ऐसी है जिससे अकाल पड़ते ही रहते हैं। हर साल टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। मेरा सुझाव है जब यह समस्या हमारे सामने आती है तो पेयजल उपलब्ध कराने के लिये टैंकरों पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है डीजल जला कर, किराया आदि देकर काफी पैसा खर्च करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाकर परमानेन्ट हल निकालना चाहिये। उसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

दूसरा, इस बजट के अन्दर ग्रामीण जल प्रदाय योजना में हैण्ड पम्पों की स्कीम लागू की गई है। इस हैण्ड पम्प की स्कीम में भी ये क्या करते हैं जहां खारा पानी है वहां भी हैण्ड पम्प लगा देते हैं। जब क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाते हैं तो उन गांवों को यह कह कर छोड़ देते हैं कि इन गांवों में हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। इस तरह कह कर उन गांवों को इग्नोर कर दिया जाता है कि जल प्रदाय योजना लागू कर दी गई है, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। खाली हैण्ड पम्प लगा देने से ही उस गांव की पेयजल की समस्या का निदान नहीं हो जाता है। मेरा निवेदन है जब कभी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाई जाती है तो उस समय भी उन गांवों, जिनमें एक-दो हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं, को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की स्कीम से महरूम न रखा जाय।

सभापति महोदय, इसके अलावा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के नजदीक कुछ ऐसे भी गांव हैं जो दो चार, पांच किलोमीटर के अन्दर है। जब कभी फैमिन की स्थिति होती है तो टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध

(श्री सूरजपाल सिंह)

कराते हैं जिसकी कीमत दुगुनी से भी ज्यादा पड़ जाती है। तो जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है, उनसे जोड़कर परमानेन्ट हल निकालना चाहिये।

कृषि के क्षेत्र में भी मेरा सुझाव है कि कृषि क्षेत्र में बजट काफी दिया गया है मगर जितना खर्चा होता है वह एस्टेब्लिशमेंट में ही अधिकांशतः होता है। एग्रीकल्चर डिपार्ट-मेन्ट में ही नहीं अमूमन हर डिपार्टमेंट में जितना डवलपमेंट में खर्च होता है वह नहीं हो पाता है और एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा खर्चा जाता है। एग्रीकल्चर के बारे में दो-एक सुझाव देना चाहता हूं। हर साल कुछ सब्सिडी दी जाती है, इस वर्ष भी अलवर भरतपुर, जालौर में दी गई है। अगर हम किसानों को वास्तव में कुछ फायदा देना चाहते हैं, उस फायदे से किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है काश्तकारों को पेस्टीसाइड और वीडीसा-इड की सब्सिडी दी जाती है उसमें सुधार करना चाहिये। आधुनिक तरीके से जो खेती करते हैं उसमें 700) रु० का खर्चा आता है। इस 700) रु० में 150) रु० वीडी-साइड का खर्चा आता है। वीडीसाइड का करीब 50 पर्सेन्ट खर्चा होता है इसलिये वीडीसाइड की सब्सिडी अधिक दी जाय। वीडीसाइड की रेट पिछले 5-7 साल में दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है, जो वीडोन 16-17 रुपये में आता था आज 45) रु० में आता है। पेस्टीसाइड 73-74 में 22) रु० का मिलता था वह आज 50) रु० का हो गया है। इसलिये मेरा सुझाव है, कृषि मंत्री जी कि यह किसानों के लिये एक अहम् मसला है। अगर हम वीडीसाइड पर 50 पर्सेन्ट सब्सिडी लागू कर दें तो हम किसानों को बहुत बड़ी राहत दे सकेंगे।

इसी प्रकार किसानों को सीड समय पर उपलब्ध हो। अक्सर यह देखा जाता है, सभापति महोदय, काश्तकार को जो बीज उपलब्ध होता है वह बहुत ही घटिया किस्म का सीड मिलता है। बाजार में ट्रूथफुल नाम से सीड आता है, अब वह ट्रूथफुल चले या और कोई चले जब तक तो ठीक है, लेकिन बाजार में दूसरी किस्म के बीजों को छान लेते हैं वही पैकिंग होकर आ जाता है। मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आगामी खरीफ की फसल से पहले एग्री-कल्चर डिपार्टमेंट के बस डी. ओज. को इस चीज के लिये पूर्णतया हिदायत दे दी जाय कि जो ट्रूथफुल सीड और लोकल सीड वहीं से एकत्रित करके थैलियों में भर देते हैं और किसानों को दे देते हैं, उससे सावधान रहें। इस प्रकार की लाखों थैलियां फर्जी बाजार में मिलती हैं। इसको रोकने के लिये बहुत ही एक्टिवली प्रयत्न किये जायं। इसके लिए हिदायत दी जाय तो हम किसानों की एक भारी सेवा कर सकते हैं। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र और बाड़मेर जिले में जो भूमि कटाव की समस्या है, वह बहुत जबर्दस्त समस्या है। लूणी, सागी, जवाई सागी, इन नदियों के जो बहाव हैं और नदियों के तट पर जितने गांव आये हुए हैं, क्योंकि नदियों का रुख हर साल बदलता रहता है उसकी वजह से उन गांवों की भूमि के कटाव की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस विषय को मैंने इस सदन में भी उठाया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियों में भी बार बार इस चीज को नोटिस में लाया हूं। पिछले दो साल पहले हमारे जालौर जिले की

(श्री सूरजपालसिंह

एक योजना भी बनाकर सर्वे कराकर 96 लाख रुपये की भेजी गई थी उसकी ओर अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार बाड़मेर जिले में और अन्य जिले की भी भेजी गई होगी। तो भूमि कटाव की समस्या को हल करने की योजनाओं पर अगर अमल नहीं करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में लूणी, सागड़ी, जवाई, सागी, यह सारी नदियां आकर इकट्ठी हो जाती हैं, वहां तो यह समस्या बहुत ही जबर्दस्त समस्या है। उससे सम्बन्धित आज मैंने विधान सभा में भी प्रश्न पूछा था। क्योंकि सरकारी अधिकारी तो कुछ उसी प्रकार के उत्तर देते हैं इसलिए उसमें उन्होंने जालौर जिले की करीब 30 हजार बीघा जमीन खराब होना बताया था। मेरी निश्चित मान्यता है कि अकेले जालौर जिले के अन्दर एक लाख बीघा भूमि कटाव से खराब हो गई है जिसकी आज भी काश्तकार बीगोड़ी देते हैं। कुछ तो सरेन्डर भी कर दी है लेकिन अधिकांशतः भूमि उसके कब्जे को है। इस समस्या का अगर हम प्रापरली सर्वे करवा कर, केन्द्रीय सरकार से सहयोग लेकर उसका कम्पलीट सर्वे करा कर इस योजना को इम्प्लीमेन्ट करते हैं तो बीस सूत्री कार्यक्रम में हम कहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन देंगे उस जमीन में से मगर किसी ने सरेन्डर नहीं की है तो वह जमीन नहीं मिल सकती, यह ठीक है मगर जो जमीन कई वर्षों से भूमि कटाव के अन्दर आ गयी है और कुछ लोगों ने सरेन्डर भी कर दी है तो ऐसी जमीन हमें उपलब्ध होगी। हम क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को वह भूमि देकर एक बहुत बड़े उपयोगी काम भी कर सकेंगे और जो भूमि कटाव की समस्या है, इसका भी परमानेन्ट हल निकाल सकेंगे। बढ़ते हुए रेगिस्तान, आज भी जो आगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बढ़ रहा है, की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो भूमि कटाव की समस्या के साथ-साथ रेगिस्तान भी आगे अधिक बढ़ता जायेगा। सभापति महोदय, बिजली के बारे में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये पहले हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था। दो मिनट और ले लीजिए।

श्री सूरजपाल सिंह : बिजली का संकट इस वर्ष हमारे सम्पूर्ण राजस्थान में रहा उसकी वजह से किसानों को बहुत ही तकलीफ रही। मेरा यह सुझाव है कि हमें जनरेशन बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। जो भी कोटा थर्मल योजना है या बीकानेर की योजना है, जो भी हमारी योजनायें हैं उनके लिए जो भी बजट प्रावधान हमने रखे हैं, उससे भी अधिक बजट प्रावधान रख कर इस समस्या का समाधान निकालें। इसके अलावा भी जो लाइनें हैं और जो काम हुए हैं, ये 33 के० वी० ग्रिड स्टेशन पिछले 2-3 सालों से बनने चाहिये थे वह नहीं बने हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर 33 के० वी० स्टेशन जहां जहां भी प्रपोज्ड हैं उनको भी युद्ध स्तर पर बनाया जाय, क्योंकि वोल्टेज की प्राब्लम है फ्लक्चुशन जो हमेशा आते रहते हैं, उससे भी काफी राहत मिलेगी। हम 6 घण्टे बिजली देने की बात करते हैं, मगर लाइनें लम्बी होने से वोल्टेज सही

(श्री सूरजपाल सिंह)

नहीं मिलने की वजह से, फ्लक्चूअशन आने की वजह से हम आज 6 घण्टे हम कह देते हैं, उसकी जगह 4 या 5 घण्टे ही मिल सकती हैं। ये 33 के0 वी0 स्टेशन और जनरेशन केपेसिटी बढ़ाने के विषय पर भी हमें ज्यादा से ज्यादा युद्ध स्तर पर काम करना होगा।

सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और इसी साथ धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

आपका नाम आयेगा, आपका नम्बर आयेगा तो बोलिये। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): सभापति महोदय, बजट भाषण इस वर्ष का भी पढ़ा, पिछले वर्ष का भी देखा और उससे पिछले वर्ष का भी देखा और उसको देखने के बाद कोई भी नागरिक, जो बजट प्रणाली में ज्यादा नहीं समझता है, कुछ निष्कर्ष निकाले बिना नहीं रह सकता सरकार की तरफ से यह बजट भी उतना अनअलर्ट है, नॉन परफर्मिंग है, उतना ही कन्फ्यूज्ड, उतना ही नौन रेस्पोन्सिव है नान कमिटेड है, जो हमको कुछ भी कनवे करता नहीं। दिशाहीन शब्द पर बहुत से माननीय सदस्यों को एतराज हुआ था पर वह दिशाहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको अगर एकचुअल में हम कहें कि यह क्रूडप्रजेन्टेशन आफ स्टेटिस्टिकल इलूजन है तो अतिशयोक्ति नहीं है, बाकी इसके अलावा इस बजट के कोई मायने नहीं हैं। वैसे आज के समय में विशेष तौर से जो सरकार आजकल चल रही है, कांग्रेस की सरकार, उसको देखते हुए बजट में न कोई मायने हैं, न कोई रेलेवेन्सी है क्योंकि जो दिल्ली में सेन्ट्रल से बजट बनते हैं, जो बजट पास होते हैं, आलरेडी उसमें बहुत से परोक्ष व अपरोक्ष कर भी होते हैं। उन डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट कर का शेयर तो स्टेट को मिलता ही है लेकिन उसके अलावा अध्यादेशों से बीच बीच में बजट पास होता रहता है जो यहां रेगूलेराइज करवाया जाता है। इस तरह से यह जो डबल बजट प्रणाली है यह केवल आंकड़ों की जगलरी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बजट में तुलनात्मक आंकड़े केवल 80-81 के दिये गये हैं फिर भी अचीवमेन्टस का कम्पेरेटिवली कहीं जिक्र नहीं है। जितने आंकड़े पिछली बार रखे, उसके कम्पेरिजन में टार्गेट्स क्या थे, अचीवमेन्ट्स क्या हुए, इसका कहीं कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट बजट में दिखाया नहीं देता है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि इस वर्ष की योजना का बजट पिछले वर्ष की योजना से 10 प्रतिशत, अधिक है, पर हमको इसको इस पर्सपेक्ट में जरूर देखना होगा कि एक वर्ष में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। एक वर्ष के अन्दर जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वह निश्चित रूप से 16 प्रतिशत के आस पास है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बार बार दुहाई श्रीमती गांधी जी की दी है जब कि वास्तविकता यह है कि सरकार के केन्द्र में आने के चार महीने के अन्तर्गत ही उनकी स्वयं की पॉपूलेरिटी उनके नान परफार्मेन्स के बेसेस पर कितनी गिर गयी, उसको बताने की जरूरत नहीं है पर आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 28 प्रतिशत पापुलेरिटी सरकार के आने

(श्रीमती विद्या पाठक)

के समय थी वह घट कर 8 प्रतिशत केवल चन्द 4 महीनों में रह गयी। कल जैसा हमारे माननीय विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि पहाड़िया जी इस अपने युग को इस अपने वर्ष को स्वर्ण मानते हैं और स्वर्णिम युग कहते हैं। ऐसा बोस्ट करते हैं, इसके विषय में कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। जहां तक हमारी स्टेट की परकेपिटा इनकम का प्रश्न है, 1979-80 के अन्दर जो 498 रुपये थी वह 80-81 में घटकर 495 रुपया रह गई। स्वाभाविक है कि इस तरह से अगर परकेपिटा इनकम घटेगी तो जीवन स्तर भी घटेगा और अपने प्रदेश की खुशहाली भी घटेगी। जहां तक फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन का सवाल है 1979-80 में 52.1 लाख टन था, वह 80-81 में घटकर 47.11 लाख टन रह गया। आल इंडिया कंजूमर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स, माननीय सभापति महोदया, जो 80-81 में 13 पर्सेंट था आल इंडिया का वहां हमारी स्टेट का वह 14.8 पर्सेन्ट से भी अधिक है। जहां तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सवाल है, बहुत लॉस हुआ है, बहुत घाटा हुआ है और बहुत नुकसान हुआ है। शुगर प्रोडक्शन 23 पर्सेंट, सीमेंट प्रोडक्शन 9.2 पर्सेंट, यूरिया प्रोडक्शन 7.1 पर्सेंट, इतना प्रोडक्शन घटा है। ऐसी स्थिति में खुशहाली की कल्पना कहां की जा सकती है? इस तरह से प्रोडक्शन घटने का एक सबसे बड़ा कारण हमारे यहां अभाव की स्थिति है। चाहे वह पावर के पक्ष में हो, चाहे वह कोल और सीमेंट के पक्ष में हो। दूसरा बड़ा कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव अपेथी। अभी कुछ ही दिन पहले स्वदेशी माल्ट एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज की एक सेमिनार हुई थी जिसमें उन्होंने यह इंगित किया था कि चौबीसों घण्टे प्रोसेसिंग वाले जो कारखाने हैं उनको बड़ी भारी क्षति हो रही है। यह स्पष्ट है कि सिमको, लैलेण्ड आदि जो अन्य कारखाने हैं, इस बात का पुनः निर्णय करेंगे कि ऐसे अभाव की स्थिति वाले प्रदेश में जिसमें कभी वह आकर्षित होकर आए थे, तब यहां अभाव की स्थिति नहीं थी, उसमें अपने कारखाने लगाये रखेंगे या अन्यत्र ले जायेंगे। यह स्वयं में यह बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। जहां तक लेबर लाज का प्रश्न है, हमारे पिछले कलेण्डर वर्ष में है, जहां स्ट्राइक्स से, हड़तालों से 79 में 1.76 लाख मैन आवर का नुकसान हुआ वहां 80 में यह मैन पावर लॉस 2.21 लैक्स हो गया। लॉक आउट्स 1979 में जहां 33 लाख मैन आवर का करीब-करीब नुकसान हुआ था सन् 80 में वह बढ़ कर 30 लाख मैन आवर्स का नुकसान हुआ। इस तरह से इतना लेबर और इतने प्रोडक्शन आवर्स का लॉस हुआ। इस लॉस को देखते हुए विकास की गति के लिए स्वयं कल्पना की जा सकती है। बजट में आंकड़े कितने बढ़ा चढ़ा कर बताये गये हैं, आंकड़ों के जाल में जनता को कितना भरमाने की कोशिश की गई है यह स्वयं में स्पष्ट है। इसके पीछे भी कारण यही है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं या अन्य ऐसी स्थितियां हैं उन पर सरकार प्राथमिकता से न तो इण्टरवीन करती है और न गौर करती है। बजट में बताया गया कि इस साल में बेरोजगारी की समस्या का हल करने की बड़ी कोशिश की गई मगर आंकड़े इससे बिलकुल उल्टे बतलाते हैं। 79 में जहां एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में

(श्रीमती विद्या पाठक)

रजिस्ट्रेशन नं. 3,37,868 था, 80 में वह बढ़ कर 3,61,710 हो गया जो 7.6 पर्सेंट की वृद्धि है। जहां तक महंगाई का प्रश्न है, महंगाई 15 से 16 प्रतिशत केवल पिछले एक वर्ष में बढ़ी है। महंगाई बढ़ने का कारण जैसा सभी को मालुम है राजस्थान के अन्दर विशेष रूप से इसके बहुतायत और इफरात से बढ़ने का कारण यहां की गलत योजनायें और अन सूटिंग उनकी प्राथमिकतायें हैं। 5 प्रतिशत डवलपमेंट योजना के अनुसार प्रति वर्ष होना चाहिये। एक रुपया जनरेट करने के लिये जहां चार रुपये लगने चाहिये, हिन्दुस्तान की तरह, हमारे राजस्थान में छः रुपये से भी कहीं ज्यादा इस समय लग रहा है। योजनाओं की प्राथमिकता का जहां तक केन्द्र का प्रश्न है, मैं एक उदाहरण देती हूं। जैसलमेर के ओ.एन.जी.सी. को ले लें। एक कोलोनी 15 लाख की लागत से बनाई जैसलमेर में, उसके लिये एक रेस्ट हाउस भी बनाया गया बहुत पैसा भी खर्च किया गया लेकिन उसका मुख्यालय आज भी जोधपुर में ही है। विकास रुक रहा है पर राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही केन्द्र में नहीं की है। इस तरह से हमारे यहां के विकास योजनाओं को सफलता यहां एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिट में पड़ कर रह जाती है कि जनता का बेनीफिट और आउट पुट स्टेट को कुछ मिलता नहीं है।

जहां तक पावर और वाटर डवलपमेंट का प्रश्न है, एक मुख्य एतराज की बात यह है कि बजट भाषण में यह बताया गया है कि 1 आर ई सी योजनायें स्वीकृत हुई। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 21 आर ई सी योजनायें इस वर्ष में स्वीकृत हुई या जब से स्वतंत्रता मिली और राजस्थान की सरकार बनी तब से स्वीकृत हुई, यह विचारणीय विषय है जिसको स्पष्ट नहीं किया गया है। पावर और वाटर डवलपमेंट में सन् 80-81 बजट में 193.45 करोड़ रुपया रखा गया। 81-82 में यह केवल 187.67 करोड़ रुपया रह गया है। जहां तक इकानामिकल डवलपमेंट एण्ड अदर सर्विसेज का सवाल है जिसमें एग्रीकल्चर, पावर, इरिगेशन, दूसरे डवलपमेंट वर्क्स आते हैं इन तीस सालों में पहली बार रिकार्ड है हमारी, राज्य सरकार का सभापति महोदया, कि जो 80-81 के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स थे बजट के वे 4 अरब 33 करोड़ जो कुल बजट का 32.70 प्रतिशत है, इस साल जो बजट प्रोविजन, एस्टीमेट रखे गये हैं वे 81-82 में 4 अरब 24 करोड़ यानी बजट का केवल 29.11 प्रतिशत ही है। यह बजट जो इसका रखा गया है इसमें भी घाटा है। यह डवलपमेंट जो डाइरेक्टली सीधा जनता को प्रभावित करता हैं, इसमें भी आंकड़े कटौती बताते हैं। इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है और इसलिए निश्चित रूप से उन्नति के बजाय अवनति होगी।

जहां तक पब्लिक हैल्थ और सैनीटेशन, वाटर सप्लाई का प्रश्न है, पिछली बार के बजट में रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 80-81 में 31 करोड़ करीब करीब रखा गया था और इस साल इस बजट में 29 करोड़ रखा गया है। यहां भी प्रावधान घाटा है। यहां भी बढ़ोतरी के बजाय अवनति की ओर ही है। जहां तक सोशल सिक्योरिटी जो हर वैलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है का प्रश्न है। सोशल सिक्योरिटी में 79-80 में

(श्रीमती विद्या पाठक)

19 करोड़ 58 लाख रखा गया था उसकी तुलना में जब से दूसरी सरकार यानी कांग्रेस सरकार वर्तमान सरकार आई, 80-81 में यह आंकड़ा घट कर 17.16 करोड़ रह गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, मेरी पार्टी के समय से कुछ समय देने का कष्ट करें।

80-81 में यह 17 करोड़ 16 लाख रुपया रह गया। 81-82 में 17 करोड 63 लाख, 63 में से 16 माइनस अगर कर दीजिए तो इतना सा पैसा जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज में है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन भी आ गई और इस तरह की दूसरी सर्विसेज जो बढ़नी चाहिए वेलफेयर स्टेट में, वहां भी घटे हुए आंकड़े सरकार की संवेदनशीलता बताते हैं। वसूली और प्रोक्यूशन तो और भी गिरे हैं और इसके पीछे स्पष्ट कारण हम सभी अनुभव कर रहे हैं ढीले प्रशासन की वजह है। प्रशासन की पकड़ मंत्रिमण्डल को, वित्त मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्री महोदय को नहीं हो पाई है और यथावत् स्थिति रखना चाहते हैं।

इकानामिक पालिसी योजनायें एवं उनकी प्राथमिकतायें गलत हैं। काम्पीटिशन है ही नहीं कहीं क्योंकि एनकरेजमेंट कहीं है ही नहीं। इस नाते यह स्वाभाविक है कि विकास रुफर करें। जहां तक घाटे का प्रश्न है, यहां भी बहुत बड़ा वेरिएशन और रिलेशन है। आय-व्यय के आंकड़े यदि हम देखें तो रेवेन्यू रिसीट 80-81 में जहां 1548.29 करोड़ रुपया मे है, 81-82 में वह घटाकर भी रेवेन्यू रिसीट 1464.50 करोड़ रह गई है। एक्सपेंडीचर का जहां तक प्रश्न है, जहां 1601.75 करोड़ एक्सपेंडीचर 80-81 में हुआ था है, उसके मुकाबले में 81-82 में एक्सपेंडीचर मद में बढ़ाकर 1548.37 करोड़ रुपया रखा गया यदि हम आय-व्यय को घटाते हैं तो इस वर्ष कुल घाटा 83.87 करोड़ रुपया आता है जब कि बजट भाषण के पेज नम्बर 22 पर वित्त मंत्री महोदय ने इस घाटे को 42.11 करोड़ ही बताया है। अब वित्त मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि कौन से आंकड़े सही हैं और क्या चीज सही है, इसका स्पष्टीकरण वित्त मंत्री महोदय देंगे जब वे इसका जवाब देंगे। अगर बजट के प्लान को सही मान लिया जाता है तो 80-81 का 53.4 करोड़ रुपया जोड़कर आज जो 95.57 करोड़ रुपया बता रहे हैं वह वास्तव में 137,33 करोड़ रुपया होगा हम बजट के आंकड़े बजट की किताबों में लिखें हुए पढ़ते हैं तो इस तरह का निष्कर्ष मिलता है, इस स्थिति को माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे। घाटे का बजट पेश करने की परम्परा बन गई है। घाटे का बजट पेश किये बिना मानो विकास होगा ही नहीं। यह एक विदेशी परंपरा संभवतया रही है कि घाटे का बजट पास किया जाय जब कि होना यह चाहिये कि विकास करके उसकी बचत से लोन वापिस सरकार ले और उसके माध्यम से विकास हो तो यह साइकिल घाटे की टूटेगी अन्यथा घाटे का बजट बार बार पास करना जो कि विभाग के लिये, विभाग के कर्मचारियों के लिये प्रेस्टिज इश्यू है गवर्नमेंट के लिये भी कि कहीं पैसा लेप्स न हो जाहै वह इनडिस्क्रीमिनेट पर्चेज के रूप में खर्च कर

(श्रीमती विद्या पाठक)

दिया जाय। इस बात को चाहे केन्द्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो उसको एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि यह जो अनकंट्रोल्ड खर्चा हो रहा है जो अनकंट्रोलेबल है और जिसका कोई एक्चुल बेनीफिट समाज को है नहीं। इसको शामिल करते हुए इस प्रणाली को न अपनाया जाय। यह घाटे के बजट की परंपरा समाप्त करने की कोशिश की जाय इसको हम प्रेक्टिकली नहीं देख पाये हैं एक्चुअल अचीवमेंट स्पष्ट इंगित नहीं होता। रिवाइज्ड बजट का सवाल है तो आंकड़े जो दिये हैं जो कि वास्तविक स्थिति की हम को जानकारी है कि जितना बेनीफिट हुआ है, उससे कहीं मेल नहीं खाते हैं। जहां तक पब्लिक डेटस का सवाल है राज्य पर 31-3-80 को 10.83 अरब रुपये पब्लिक बैंक का कर्जा था, जो 31-3-82 को 14.91 अरब रु. हो जायेगा जिसका 93.21 लाख 81-82 में ब्याज देना पड़ेगा।

ओवर ड्राफ्ट की चर्चा हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर से की थी। उन्होंने कहा था कि ओवर ड्राफ्ट 27 करोड़ एक हजार का है यह ओवर ड्राफ्ट यदि हम देखें, 4 जनवरी की राजस्थान पत्रिका में जो आंकड़े दिये गये हैं उसको यदि हम देखें तो जुलाई 80 में 27 करोड़ एक हजार का ओवर ड्राफ्ट था जो कि जनवरी 80 में 86.55 करोड़ रुपये हो गया। छः महीने में अगर 59.55 करोड़ ओवर ड्राफ्ट बढ़ गया जो पिछले सभी रिकार्डों को तोड़ता है। यह जो देश के 8 प्रदेशों के आंकड़े दिये हैं ओवर ड्राफ्ट के उनमें हाइएस्ट है राजस्थान का। यह दूसरा कीर्तिमान राज्य सरकार ने बजट में प्रस्तुत किया है।

जहां तक घाटे की पूर्ति का प्रश्न है पिछली बार भी वित्त मंत्री ने कहा था कि हम कर नहीं लगा रहे हैं और घाटे की पूर्ति करेंगे नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा करके, प्रशासन में इकानामी करके, कि केन्द्र से अधिक से अधिक ग्रान्ट लेंगे। इस प्रकार घाटे की पूर्ति करेंगे। मगर आंकड़े बिलकुल उल्टा बताते है। यह नमूना मिलता है देखने को कि स्टेट टैक्स रेवेन्यू का 80-81 में बजट एस्टीमेट 247.83 करोड़ था रिवाइज्ड एस्टीमेट में वही रेवेन्यू 223 करोड़ रह गई। नान टैक्स रेवेन्यू 155.52 करोड़ थी 80-81 में बजट एस्टीमेट में 81-82 घटकर 147.93 करोड़ का अनुमान रह गया। यह स्वयं में इस इस बात को इंगित करता है कि हमारी सरकार का टैक्स मैनेजमेंट कितना खराब है और वसूलियां किस तरह से हो रही हैं, अगर यही प्रवृत्ति रही तो कौन से वर्ष में, कौन से बजट में राजस्थान की सरकार दिवालिया घोषित हो जायेगी और इकानामिक इमरजेंसी जरूरी रूप से लागू करनी पड़े यह पूरे प्रदेश के लिये सोचने का प्रश्न है?

नियमानुसार प्रशासन पर खर्च 12 से 16 प्रतिशत होना चाहिये बजट का। 80-81 में आंकड़े बताते है 2.19 अरब रु. प्रशासन पर खर्च हुआ जो बजट का 29.15 प्रतिशत था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

81-82 के आंकड़े बताते हैं कि इस बार बजट में रखा 2.33 अरब

(श्रीमती विद्या पाठक)

खर्च हुआ है जो 30.75 प्रतिशत बजट का है। इस तरह से जो इकानामी बजट की करना चाहते थे, वह इकानामी भी नहीं हो पाई है। होने का प्रश्न ही नहीं उठता, था कर्मचारियों की संख्या जहां घटाने को कहते रहे वह 1979 में राजस्थान में कर्मचारियों की संख्या 3.30 लाख थी, 80-81 में बढ़ कर 3.65 लाख हो गई। यह सारे आंकड़े बताते हैं कि कहीं घाटे की पूर्ति कर पायेंगे नहीं और हमारा भविष्य इनके हाथों में अन्धकारमय है।

घाटे में कमी के सन्दर्भ में जहां तक नान प्लान आयोजना का प्रश्न है, 80-81 में 207.80 करोड़ रु. का खर्चा था, रिवाइज्ड एस्टीमेट में नान प्लान खर्चा 219.58 करोड़ होगया 81-82 में बजट एस्टीमेंट 233.34 करोड़ रखा हुआ है। यह तो पहले के बजट से भी कहीं ज्यादा है इसलिये इस हालत में घाटे की पूर्ति कहां से हो पायेगी यह बड़ा चिन्तनीय विषय है। इसी प्रकार से घाटे की पूर्ति हमारे वित्त मंत्री जी इस वर्ष में भी करना चाहते है राजस्थान नहर की भूमि की बिक्री और आवंटन से। अब तक यह निश्चित नहीं हैं कि भूमि नीलाम की जायेगी या बेची जायेगी। नियमों में कहीं भी स्पष्टता नहीं हैं अब नियम बदलने की बात करते हैं। खेती की भूमि को आबादी में बदल कर घाटे की पूर्ति करना चाहते हैं। विचारणीय प्रश्न यह हैं, स्वयं उनको भी जानकारी है कि किस प्रकार बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं अनअथाराइज्ड जमीनों पर एन्क्रोचमेंट किया जा रहा है इस सब की जानकारी उनको है फिर किस प्रकार से करवर्शन से ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। जहां तक अकाल राहत की असुविधा है यह स्वयं में स्पष्ट है और केन्द्र का दृष्टिकोण पिछले डेढ़ साल में बिलकुल ही स्पष्ट है। जिस तरह से केन्द्र ने हमारे वित्त मन्त्री महोदय और राजस्थान की हैल्प की है। जिस प्रकार से झोंक झोंक कर अकाल राहत के लिए नगण्य पैसा दिया है वह स्वयं में स्पष्ट है कि केन्द्र से क्या हैल्प मिल सकती है। इन्टर स्टेट मामलों में केन्द्र का राजस्थान के प्रति रुख स्वयं में स्थिति स्पष्ट करता है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पिछली साल महिलाओं के लिए मेंहदी और सिन्दूर में तो रियायत की गई। राजस्थान की महिलाएं यदि विचारवान होंगी और वह हैं भी निश्चित रूप से ही तो इस बार बजट में हाथ चक्की पर टैक्स माफ किया गया है महिलाएं इससे रुष्ट हैं। महिलाएं इनको वोट देने वाली अब के नहीं है और देना चाहिये भी नहीं। यह कैसा जमाना लाना चाहते हैं। विज्ञान का जमाना है, पर अपनी सरकार अपने प्रदेश को कितने वर्ष पीछे ले जाना चाहती है ? आज गांवों में कितनी महिलाएं हैं जो चक्की चलाती हैं ? गांव-गांव में बिजली की चक्की लग गई हैं। यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसके अलावा

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया सुनने का कष्ट करें

एक माननीय सदस्य: चक्की चलाइये, तन्दुरुस्ती अच्छी हो जायेगी।

श्रीमती विद्या पाठक : इसके अलावा ग्रेल पेपर और ड्रेन पत्तियों पर कर माफ

(98)

(श्रीमती विद्या पाठक)

किया गया इससे तो अच्छा रहता उन हेण्डीकेप लोगों को सक्षम बनाते तो वे इनको इस्तेमाल कर सकते। आज तो उनकी इकानामिक कंडीशन भी बहुत नीची है इसलिए इसका बेनीफिट विशेष होने वाला नहीं है।

ग्रामीण लोगों की सुविधा के नाम पर वित्त मन्त्री जी ने लकड़ी की गाड़ी, हाथ गाड़ी और उसके उपकरणों पर टैक्स माफ किया है। मगर गांवों में वे जानते हैं कि इनका कोई उपयोग नहीं है। वहां बैलों की और ऊंटों की गाड़ियां ही चलती हैं इसलिये इनका लाभ भी कुछ शहर वालों को ही मिलेगा। जहां तक विकलांग वर्ग का प्रश्न है उनके लिये कोई विशेष रियायत या घोषणा मंत्री महोदय नहीं कर पाये।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसा तो खर्च किया जायेगा ही पर महत्वपूर्ण यह है कि प्रशासन की क्वालिटी में चेंज आना चाहिये जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसका एक्चुअल बेनीफिट जनता को मिलना चाहिये। इसके लिए जनहित को प्राथमिकता जब तक मंत्रिमण्डल, सरकारी पक्ष के लोग नहीं देते तब तक ब्यूरोक्रेसी या काम करने वाले लोगों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते। जब घोटाला बड़े लोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनके नीचे काम करने वाले ज्यादा करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक स्कूलों के विकास का प्रश्न है, मुझे बड़े खेद और क्षोभ के साथ कहना पड़ता है कि पिछले वर्ष विकास में राजनीति घुसी। यह दृष्टिकोण सही नहीं है, राजनीति काम कर रही है। आवश्यकता वाले स्थानों पर औषधालय नहीं खोले गये, स्कूल नहीं खोले गये। यहां तक कि स्कूलों तक भी का ट्रांसफर किया गया। शुगर स्केण्डल के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, यह सबको मालूम है।

कुछ वृद्ध महिलाएं पेंशन के लिये डेढ़ साल से भटक रही है जिसके लिये मैं अपनी मांग पर बोलूंगी। यह स्वयं में कीतिमान है कि हमारी सरकार गरीबों के लिये कितना करना चाहती है।

एक एक्सीडेंटल इमरजेन्सी के लिये घोषणा की गई कि कुछ उसे स्ट्रेन्थन किया जायेगा और काटेज बनायेंगे, अच्छी बात है। पर मुख्य मंत्रीजी जनरल वार्ड में रहने वालों के अटेण्डेण्ट के लिए भी व्यावहारिक समाधान होना चाहिये था। उनके लिए कोई व्यवस्था किया जाना जरूरी है।

जलदाय योजनाओं के बारे में बहुत चर्चा की गई।

श्री सभापति ; माननीय सदस्या आपको याद दिला दूं····

श्रीमती विद्या पाठक : मैं दो मिनट में ही समाप्त कर रही हूं।

जलदाय योजनाओं के बारे में बातें हुईं। मैं जैसलमेर गई थी। जैसलमेर शहर के किले में ऊपर जो टंकी बनी है, हजारों लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए उसको डिमोलिश करने के आर्डर्स दे दिये गये हैं, टेण्डर हो गये हैं परन्तु अभी तक उसका कोई आल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट

(श्रीमती विद्या पाठक)

नहीं किया गया है। कई जगह जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, मैंने स्वयं ने देखा है और वहां का पानी पिया है जो पीने योग्य नहीं है। कई जगह पर टंकियां जो दस वर्ष पहले बनी थीं, वे अच्छी टंकियां हैं, जरूरतमन्द क्षेत्रों में है। उनमें से सिर्फ एक गांव की टंकी में, जैसलमेर क्षेत्र में जहां श्रीमती गांधी गई थी उस टंकी में, सिर्फ दो दिन पहले पानी डालना शुरू किया गया है वरना किसी भी टंकी तक पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि कोई अच्छी योजना है और उसमें हमारा योगदान लेना चाहते हैं तो हम देने को तैयार हैं परन्तु निश्चित रूप से यह जनहित की नीति होनी चाहिए। इस नाते अगर बजट को देखते हैं और जितना हमने देखा है उससे लगता है उसमें किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं है। निश्चित रूप से यह एक दिशाहीन बजट है और लोगों को मात्र गुमराह करने वाला बजट है।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह।

आपको याद दिलाता हूं माननीय सदस्य आपकी पार्टी के 21 माननीय सदस्यों के नामों की सूची पड़ी है। इसलिए संक्षेप में ही कहें। सबको मौका मिलना चाहिए।

श्री माधोसिंह दीवान (सोजत) : जब भी आप घंटी बजायेंगे मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदया, हमारे मुख्य मन्त्री ने जो बजट पेश किया है उसमें एक बात स्वागत योग्य है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है। परन्तु साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता को जो उम्मीदें हम लोगों से थीं, जनता ने जिस आकांक्षा से हमको वोट दिया था, जिन आकांक्षाओं को जनता पार्टी की सरकार पूरी नहीं कर पाई थी, जिस विकास की गति की जनता को हमसे थी, वह इस बजट से नहीं हो पायेगी। टैक्स नहीं लगाये जा रहे हैं, यह एक बात है परन्तु जो हमारा अर्द्ध विकसित राज्य है उसकी विकास की गति को बढ़ाना जरूरी है। 1952 में जहां 5-6 करोड़ का बजट बनता था वहां आज 1500 करोड़ के आस पास यह बजट पहुंच गया है। इसमें अगर पिछली सरकार टैक्स नहीं लगाती या हिम्मत नहीं करके या कुछ नाराजगी जनता की नहीं लेती तो राज्य इतनी गति से विकास नहीं कर सकता था। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर टैक्स आसानी से बढ़ाया जा सकता था। उस टैक्स की वसूली से काफी गति लाई जा सकती थी जैसे कि सिंचाई की दरें बढ़ाना। बांधों के द्वारा जिस बांध से सिंचाई होती है उनकी बहुत ही कम रेट ली जाती है, आप देखें एक एकड़ की आमदनी, 1500/ से 2000 रु. करीब करीब सालाना के बीच पड़ती है और अगर उसमें से दस पर्सेन्ट सिंचाई की रेट ली जाय तो कोई ज्यादा नहीं होगा। जो कुए से सिंचाई करते हैं, बिजली की मोटर लगा कर करते हैं, हम लोगों की एक चौथाई आमदनी उस सिंचाई के अन्दर चली जाती है, सारा खर्चा सिंचाई में चला जाता है जबकि बांधों की सिंचाई दर 21/- रुपया प्रति एकड़ है वह लोगों से ली जा रही है। बजट का सब से अधिक पैसा सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया जाता है। पिछली बार जनता सरकार ने हिम्मत करके 21 से 28 रुपया

(श्री माधवसिंह दीवान)

प्रति एकड़ करने की कोशिश की थी परन्तु उसकी भी पार नहीं पड़ी। मुझे उम्मीद है कि जिस सेक्टर में जितना ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, उसमें टैक्स लगाया जाता है, ताकि विकास का जो फायदा मिले वह पैसा अन्य रेगिस्तानी इलाकों में लगाया जाय तो जनता को राहत हो। इसलिये इन सेक्टर पर टैक्स लगाकर दूसरे क्षेत्र का भी विकास किया जाना चाहिए।

हमारी सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना की भूमि की नीलामी करके बजट का घाटा घटाये जाने की बात कही है। मुझे सिर्फ इसमें यह आशंका है कि इस नीलामी के द्वारा-चूंकि हमारा पड़ौसी राज्य हरियाणा, पंजाब के किसान काफी खुशहाल हैं, कहीं ऐसा न हो कि उस एरिया के लोग ज्यादा पैसा देकर राजस्थान नहर की भूमि पर कब्जा कर लें और यहां के दुखी किसानों को इस बात का फायदा न मिले। इसलिये नीलामी के पहले कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बाबत सरकार को पूरा पूरा विचार करना जरूरी है।

आज के दिन जहां तक राजस्व का सवाल है वह सैल्स टैक्स से अधिक है। जितना भ्रष्टाचार सैल्स टैक्स में है उतना अन्य किसी विभाग में नहीं है। सैल्स टैक्स का कोई वकील है तो यह बात करता है, सेल्स टैक्स का कोई केस निपटाना है तो एक हजार रुपया देना पड़ेगा। यह एक हजार रुपया कितना साहब के पहुंचाता है और कितना वकील साहब के पास रहता है और उसके बाद वह फाइल तय हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि सेल्स टैक्स कानून में लीकेज है, लेकूना है। इसको सही कर दें तो कम से कम 50 करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है और राज्य के अन्दर 50 करोड़ रुपये से विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है।

पर्यटन के विकास की दृष्टि से राजस्थान में अच्छी जगह हैं और कई फारेनर्स यहां पर आते हैं फिर राज्य की आमदनी में पर्यटन का काफी कम हिस्सा है। मुझे आशा है कि इसमें कुछ प्रावधान बढ़ाये जाएंगे और टूरिस्ट बंगला, इन्फर्मेशन केन्द्र को बढ़ावें ताकि विदेशी पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आयें और हम लोगों को फायदा मिल सके।

स्कूलों का जहां तक सवाल है, एक ही वर्ष में 250 सैकण्डरी स्कूल खोल दिये गये और इस वर्ष एक भी नहीं खोले जा रहे हैं। अच्छा होता कि पिछले साल इतने स्कूल्स नहीं खोले जाते और हर वर्ष कुछ न कुछ नये स्कूल्स खोले जाते ताकि लोगों के अन्दर यह आकांक्षा बनी रहती कि हमारे एरिया में इस साल स्कूल, कालेज खुलेगा। इस वर्ष यह विचित्र स्थिति बन गई है, हम क्षेत्र में जाकर किस प्रकार कहें कि इस साल कोई मिडिल स्कूल नहीं खुलने वाला है, कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं खुलने वाला है।

चिकित्सा में भी बहुत से ऐसे मद हैं जहां पर कि पैसा बिलकुल ही बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह कि मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम में पैसा व्यय किया जा रहा है। जैसे जैसे मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम का बजट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह क्यों कर रहे हैं ? यह जो आपने सर्वेलियन्स इन्सपेक्टर

(श्री माधव सिंह दीवान)

और मलेरिया इन्सपेक्टर लगा रखे है, यह गोलियां दे रहे हैं क्लोरिक्वीन की परन्तु मेरा यह मानना हैं कि मलेरिया पर जितना भी खर्च हो रहा है वह फिजूल है। हो सकता है कि यह सेन्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम हो और उसके तहत आपको पैसा मिल रहा हो परन्तु फिर भी इसका अन्यत्र उपयोग किया जाना चाहिए। मलेरिया उन्मूलन में मच्छरों को खतम करने के लिये जो पैसा लग रहा है उसमें कमी करके आसानी से यह पैसा डिस्पेन्सरीज के अन्दर दवाइयां उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि लोगों को असाध्य बीमारियों से राहत मिल सके।

पश्चिमी राजस्थान में अकाल और पीने के पानी की समस्या है जो सदियों से चली आ रही है। इतने वर्षों के बाद ऐसा कोई समाधान नहीं निकाल सके जिससे कि अकाल के समय लोगों को रोजगार दिया जा सके। जैसे ही अकाल पड़ता है, अकाल राहत कार्य खुलते हैं, राहत कार्यों के लिए किसी प्रकार की पहले से हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। ज्यादातर मजदूर हमारे एरिया में कच्ची सड़कें बनाने और कंकरी तोड़ने में लगे हुए हैं। एनिकट खड़ीन वगैरह की योजना है जिनको अकाल सहायता मद में तैयार करनी चाहिए और उनका सर्वे, एस्टीमेट पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए और तत्काल उनको सैंक्शन देकर जितने मजदूर उस पर लग सकते हैं, लगाये जाने चाहिए। ऐसे-ऐसे कार्य होते तो आने वाले वर्षों में फायदा मिल सकता था।

बिजली के बाबत जोधपुर का इलाका टेल एण्ड पर आया हुआ है। काफी समय से भीलवाड़ा से जोधपुर के लिए 220 के० वी० लाइन सैंक्शन्ड कर रखी है परन्तु बड़े ही दुख की बात है कि उस पर आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। जोधपुर के किसान, उद्योग आज भी उतने ही दुखी हैं जितने कि पिछले दस वर्ष पहले थे। इसलिए निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस 220 के० वी० लाइन का कार्य शुरू करें ताकि उस एरिया की बिजली की समस्या, वाल्टेज की समस्या काफी हद तक दूर हो और किसानों को राहत मिले।

काफी स्कूल ऐसे हैं, मेरे क्षेत्र में जहां पर करीब 150 छात्र पढ़ते हैं और उन पर एक ही मास्टर लगा हुआ है। अब विकास अधिकारी से कहते हैं तो वह कहता है कि हमने सैंक्शन के लिये भेजा हुआ है और अभी तक सैंक्शन प्राप्त नहीं हुई है। स्कूल खोलने से ही कुछ नहीं होगा, इसके लिये गवर्नमेंट का एक सर्क्यूलर भी निकला हुआ है कि 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिये, तो कृपा करके इस वर्ष चाहे एक ही नया स्कूल खोलें पर पर्याप्त संख्या में सही संख्या में टीचर दे सकें तो बच्चों को सही एजूकेशन मिल सकेगी।

सरकार की हालत आज कुछ हद तक नगरपालिका जैसी हो गई है। नगरपालिका यह करती है कि चुंगी वसूल करती है और जो कार्यकर्त्ता काम करते उनकी तनख्वाह चुकाती है। तनख्वाह चुकाने के सिवाय अब बहुत कम काम ऐसा रह गया है जो सरकारी अधिकारी और उनके अलावा पटवारी आदि हैं उनकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई है। जितने टैक्स वसूल होते हैं उनकी काफी मात्रा तनख्वाह में चली जाती है। इसलिए सरकार की हालत खराब है। जनता ने वोट दिया है

(श्री माधवसिंह दीवान)

उसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वह कोई मूलभूत परिवर्तन चाहती है, जो तीस साल का ढांचा है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन किया जाये। जनता को तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक यह नहीं होगा। जनता का विश्वास नहीं रहेगा तो जयपुर में बैठे बैठे प्रशासन को अच्छी तरह चला पायेंगे इसमें संदेह है। मुझे आशा यह है कि सरकार अपनी नीति पर पुर्नविचार करेगी, उसको चेंज करेगी और सोचेगी कि हमको ऐसा क्या काम करना है जिससे कि हमारा जनता में विश्वास बना रहे। यह बतायें कि किस प्रकार उनके विकास के लिये और गरीबी दूर करने के लिये कदम उठा रही है।

इतना ही कहते हुये मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टैक्स नहीं लगाये हैं और वे दूसरे साधनों से पैसा लेकर उसको विकास में लगायेंगे।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र सिंह !

श्री देवेन्द्रसिंह (सराड़ा) : सभानेत्री महोदया, 1981-82 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मेरी मान्यता यह है और मैं महसूस भी कर रहा हूं कि यह गरीबों का बजट है और गरीबों का हितैषी है। सभानेत्री महोदया, बजट में सिंचाई के बारे में कई योजनायें ऐसी बनायीं जिन पर सरकार की ओर से लाखों रुपया खर्च करने की बात कही है, उसको ध्यान में रखते हुये सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि जो ऐसा एरिया है जहां खेती के लिये सिंचाई की जरूरत है वहां पर इस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में बहुत सी तहसीलें हैं जिनका सारा एरिया पहाड़ी है। वहां पर हमारे से आदिवासी रहते हैं जिनको दो टाइम रोटी भी नहीं मिलती है और जिन्होंने कई प्रकार के कर्जे ले रखे हैं। वहां पानी की कमी है जिससे खेती नहीं कर पाते हैं। वहां सिंचाई के साधन करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पहाड़ी एरिया में आदिवासियों के छोटे छोटे टुकड़े ज्यादा से ज्यादा सिंचित हों तो वे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। उस क्षेत्र में, पहाड़ी एरिया में हमेशा तीस सालों में हर वक्त अकाल आता रहता है उनको अपना और अपने बच्चों का निर्वाह करने के लिये साल भर अनाज नहीं मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार वहां पर छोटे छोटे बांध बनाकर, दरिया बांध कर अधिक पानी दें ताकि वहां के आदिवासी अपना जीवन निर्वाह कर सकें तभी उनका जीवन निर्वाह हो सकता है।

मैं उदाहरण के तौर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा गत साल भी मैंने यही निवेदन किया था सरकार से और फिर कहता हूं कि मेरे क्षेत्र सराड़ा में छोटे बांध बनायें जिससे वहां के आदिवासी अपनी कम से कम तीन तीन, चार चार बीघा और 10 बीघा तक जमीन सिंचित कर सकें और अपना निर्वाह कर सकें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां तालाब बांधें और कुएं बनायें ताकि वे अपना निर्वाह कर सकें।

मैं इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जनजाति के विकास के लिये और भारत सरकार ने भी

(श्री देवेन्द्र सिंह)

जनजाति योजना के अन्तर्गत आदिवासी और दूसरे लोगों के लिये काफी पैसा खर्च करने का प्रावधान किया है, जिसमें ज्यादा पैसा जनजाति के लिये रखा गया है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं परन्तु इन रुपयों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जिन लोगों पर इसको पूरा करने की जिम्मेदारी है वे अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह हो रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कामों के लिये, जिस क्षेत्र के लिये, जन जाति के लिये प्लान के अन्तर्गत योजना बनायी वह अगर वास्तव में हमारे यहां खर्च करते तो सारे क्षेत्र का उत्थान होता।

मैं साथ ही ज्यादा टाइम न लेते हुये आपके वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभानेत्री महोदया, हमारा पहाड़ी एरिया है और वन अधिकारी वहां के रहने वाले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, मैं इस वक्त साफ कहना चाहता हूं पक्षपात की बात नहीं है, आदिवासियों के साथ विभाग के कुछ अधिकारी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनको जिस तरह परेशान कर रहे हैं वह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ...

एक माननीय सदस्य : तो आप इधर आ जायं।

श्री देवेन्द्रसिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्री महोदया, गांव के लोग 57 से अपनी खेती में लगे हुये हैं अब उनको परेशान किया जा रहा है उनके पास पट्टे हैं, उनकी खेती है उनको बेदखल किया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह जो वन विभाग के लोग परेशान करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इसके साथ ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक हालत खराब है, इस वक्त अकाल है और हम लोग गांवों में नहीं जा सकते हैं। गरीब लोगों का नाजायज फायदा उठा कर कुछ मांग लेते हैं। उनको होटल में ले जाते हैं उनको बैठाकर परेशान करते हैं और अनियमिततायें होती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारियों की ओर सरकार सबसे पहले ध्यान दे और गरीबों को तंग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री महमद बक्श सिंधी। लेकिन समय आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा।

श्री महमद बक्श सिंधी (जोधपुर): वह तो देख लेंगे।

मादाम सदरे मजलिस, यह कहा गया है विरोधी पार्टी की ओर से कि यह बजट क्या है आंकड़ों की भूल भुलैया है यह एतराज किया गया है कि इससे प्रोडक्शन कम होगा इण्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पावर, कोल और सीमेंट की कमी है। लेकिन उन्होंने यह भुला दिया वे यह भूल गये, भूल गयी मेरी बहिन, जो सांगानेर से आयी हैं, माननीय सदस्या भूल गईं कि उन्होंने यह जाल फैलाया है...

एक माननीय सदस्य : तो आप डर रहे हैं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : और यह भूल गईं कि उन्हीं की पालिसी की विरासत है उसी का नतीजा है यह जो मिला है। यह जितनी भी तकलीफें इन्होंने बयान की हैं, जो मैंने अभी बयान की हैं, यह सब उन्हीं की गवर्नमेंट की देन है और उन्हीं की गलत पालिसीज का नतीजा है कि राजस्थान को दिवालिया बना कर रख दिया। हम इनके वारिस बने। उनको दुरुस्त करने में टाइम लगेगा। एक लड़के को अगर गलत सबक सिखाया जाय, पढ़ाया जाय तो उसको ठीक करना पड़ेगा, उसकी स्लेट ठीक करनी पड़ेगी, उसकी स्लेट को मिटाना पड़ेगा और फिर ठीक करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा हम काफी बातों को मिटा भी पाये हैं और सही रास्ते पर कदम उठा रहे हैं। आप घबराये नहीं. जिन मुश्किलात में हमको हुकूमत मिली उन मुश्किलात का अन्दाज आपने नहीं लगाया। आप देखिये कि आपने जब गवर्नमेंट छोड़ी तो खजाना खाली था। हमारे अनाज का भण्डार, जो हमने बड़ी मुश्किलों से करोड़ों टन जमा किया था, गलत पालिसीज के तहत खाली कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : गरीबों के पेट में गया था।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : गरीबों के पेट में नहीं, आपके पेट में गया।

श्री भगवानदास शास्त्री : इन्क्वायरी बैठाओ।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : इन्क्वायरी भी बिठायेंगे।

यह कहा गया कि बिजली की कमी है, चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगाया। इस फिलहाल की प्ली लेते हुए कहा गया कि यह धोखे की टट्टी है, यह धोखा किया, यह बड़ी होशियारी की है, फिलहाल के माने एट प्रजेन्ट, इसमें धोखे की क्या बात है साफ लिखा है, जरूरत पड़ी तो टैक्स लगाये जायेंगे। फिलहाल के मायने यही है, नहीं समझो तो आपकी मर्जी। हम कहते हैं, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का ध्येय है ....

श्री भगवानदास शास्त्री : जय हो।

श्री यदुनाथ सिंह : संजय गांधी के बारे में नहीं कहोगे ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जय भी हो जायेगी। आब्जेक्ट है कि गरीबी किसी प्रकार हटे।

श्री भगवानदास शास्त्री : गरीब मिटें।

श्री अहमद बक्श सिन्धी: चीजों के भाव कम हों, गरीबों को राहत पहुंचे। बजट इन बातों की पूर्ति करता है, इसलिए मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने इन हालात को देखते हुए जो बजट बनाया इससे अच्छा बजट नहीं बन सकता था। आप कितनी ही टिप्पणियां करते रहें, 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए....

(व्यवधान)

पानी पीने की बाबत अर्ज करना चाहता हूं। प्राथमिकता दी। जानवरों के चारे के लिए काफी रुपयों का प्रावधान है बजट में और काम शुरू हो गया। लेकिन एक बात

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

जरूरी है कि कम से कम इन दस पन्द्रह दिनों में सिर्फ किसानों को बिजली दी जाय ताकि खेती को बचाया जा सके, चाहे फैक्ट्रियां बन्द हो जायं, परवाह नहीं। 15 दिनों में कोई नुकसान नहीं होगा, इतना नुकसान हुआ है और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। किसानों को पन्द्रह दिन और बिजली दी जानी चाहिए ताकि खेती बढ़ सके और जीवन का पालन हो सके।

गांवों में जो कुएं हैं उनको गहरा करने और उनको बिजली से लैस करने का प्रावधान रखा है बीस हजार कुओं का, यह क्या कम बात है। शहरों में, जोधपुर में, जयपुर में, बड़े रजवाड़ों के शहरों में भी पीने के पानी का प्रावधान है। इसलिए पानी की मांग में बहुत मदद मिलने वाली है। असाधारण स्थिति जानकर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब नेशनल कैलेमिटीज आती हैं, आधी रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता है, कुदरत ने साथ नहीं दिया। जनता पार्टी ने भट्टा बिठा दिया है तो इसको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं। थोड़े दिनों की बात है उसके बाद जो प्रोग्रेसिव पालिसीज हैं उनको ईमानदारी के साथ हमारी मिनिस्ट्री ने अमल किया तो तकलीफें थोड़े ही दिनों में दूर हो जायेंगी। डीजल पर कण्ट्रोल हट गया, डीजल की कोई शिकायत नहीं है। सरकार मिट्टी का तेल, सीमेन्ट और शक्कर पर भी कन्ट्रोल हटाने वाली है।

जोधपुर शहर में अगर थर्मल पावर स्टेशन लगाया जाय तो मैं समझता हूं, बिजली की कमी वेस्ट राजस्थान में नहीं रहेगी। किसानों को बिजली मिलेगी, इण्डस्ट्री को बिजली मिलेगी। एक पलाना में स्कीम थी लेकिन मुझे अफसोस है, मिनिस्टर साहब नोट करें, नोट करो जी लिखकर। पलाना में और जोधपुर में थर्मल पावर स्टेशन लगाया जाय ताकि वेस्ट राजस्थान की बिजली की कमी को पूरा किया जा सके।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसी ने रोका है क्या आपको अहमद बक्शजी।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जो राजस्थान नहर है उसके लिए टिप्पणियां की गईं लेकिन मैं कहता हूं लिफ्ट सिस्टम से राजस्थान नहर का निर्माण किया जाय तो फलौदी और फलोदी से जोधपुर और नागौर भी आ सकती है, बाड़मेर भी आ सकती है सब जगह जायेगी। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में लिफ्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाय तो पाली वालों को भी कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। हमारी गवर्नमेन्ट इस बात को करने वाली है, नहीं करे तो नोट कर लीजिये। केबिनेट में इस मसले को रखिये। जितने पैसे की कमी आवे तो जोधपुर वाले कण्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बजट में तो कमी...।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं नोट नहीं लेता हूं, आप चुप रहिये। इण्डस्ट्री की बाबत अर्ज करना चाहता हूं। चूड़ी की इण्डस्ट्री, परमात्माओं बहिनों के लिए बिन्दिया पर टैक्स हटाया। चूड़ी पर भी हटा दें। चूड़ी सुहाग की निशानी है, यह भी 8 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स से मुक्त होनी चाहिये। गुजरात

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा कर्नाटक जहां इसका धन्धा है, इण्डस्ट्रीज है वहां टैक्स नहीं है। लिहाजा यह एक यूनीक बात है, राजस्थान में चूड़ी पर टैक्स नहीं हो, नोट करिये चूड़ी पर टैक्स हटाना है।

दूसरी बात शहरों में कच्ची बस्तियां है, चाहे राजस्थान में किसी भी जगह पर हो, उन कच्ची बस्तियों में जो सहूलियतें हैं, जिन्दगी में जैसे पानी है, बिजली है, सड़क वगैरह है, वे मुहैया की जानी चाहिये। गरीब व्यक्तियों के लिये यह स्कीम है हमारी पार्टी का आब्जक्ट है अगर गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो टिक नहीं पाओगे। गरीबों ने जो बस्तियां बनाई है उनका नियमन करना है प्लानिंग करके उन को बसावें, उनको उजाड़ना नहीं। उजाड़ने के हम सब खिलाफ हैं क्योंकि गरीब लोगों का मामला है। एक बात आपको ध्यान से सुननी होगी जो बहुत अहम है, क्या होता है—

श्री परसराम मदेरणा : सभी बातों को ध्यान से सुना है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आदाब अर्ज है। क्या होता है कुछ लोग मजहब का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और रुकावटें अगर मजहब के नाम पर डाली जायं, तो मदाम सदरे मजलिस, उन रुकावटों को बरदाश्त नहीं किया जायगा। कुछ फिरका परस्त लोग रातों रात मस्जिद में मूर्ति रख देते हैं, कुछ फिरका परस्त लोग ताजियों के रास्ते में जहां एक आम रास्ता है, मूर्ति लटका देते हैं। 10 साल तक जोधपुर में ताजिया नहीं निकला, सिर्फ यही वजह है। फिरका परस्तों पर पाबंदी लगाई जाय मैं समझता हूं जो आर० एस० एस० वाले लोग हैं खास तौर से फिरका परस्ती फैलाने में बड़े माहिर हैं, उन पर उस समय पाबन्दी लगाई थी तब जाकर सीधे हुये हैं। अब्बल एजूकेशन का सारा मामला आर० एस० एस० वालों से कराते हैं....

(व्यवधान)

सुन लो। गौर करो और आर० एस० एस० वालों को एक-एक करके निकालो। जो नेशनलिस्ट माइंडेड हैं उनके हाथ में दिया जाय।

(व्यवधान)

जो माइनोरिटीज इन्स्टीट्यूशन्स हैं चाहे सिखों की हों, चाहे ईसाइयों की हों या मुसलमानों की हों चाहे जैनियों की हो, मेरे दोस्त एक माइनोरिटी मिनिस्टर बैठे हैं चन्दन मल बैद। वे माइनोरिटीज में हैं। इन लोगों की इन्स्टीट्यूशन्स को ज्यादा एड दी जाय, नोट करिये एजूकेशन मिनिस्टर आप देखिये वे जो माइनोरिटीज के स्कूल्स हैं उनके रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। आप किसी भी माइनोरिटी के स्कूल का रिजल्ट देखिए, मिसाल के तौर पर जोधपुर का इसलामिया सैकन्डरी स्कूल का रिजल्ट 70-80-90 पर्सेंट है, एड क्या देते हैं? 60 पर्सेन्ट। जो माइनोरिटीज की इन्स्टीट्यूशन्स अपने खर्च से चलाते हैं जो गरीब लोग अपने खर्च से चलाते हैं उनको एड ज्यादा मिलनी चाहिए। कम से कम 90 पर्सेंट

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

जो मैंने इतनी बातें अर्ज की, एक बैंक लोन बाबत अर्ज करता हूं। गरीब लोगों को बैंक लोन मिलने के डाइरेक्शन्स हैं लेकिन उनको लोन मिलने में बड़ी कठिनाई होती हैं। एक-एक दो-दो महीने तक चक्कर कटवाये जाते हैं और न मालूम उनको क्या उम्मीद गरीबों से हो सकती है यह तो वे जाने जो लोग फिरकापरस्ती जहालियत के बैठे हैं बैंकों में वे दुत्कार कर गरीबों को निकाल देते हैं इस बात की ओर ध्यान दें ताकि गरीबों को लोन मिले, वह फैक्ट्री लगायें कुछ करें।

अब जंगलात के मन्त्री बैठे हैं। जंगलों में नाजायज लकड़ियां कटती हैं गरीब आदमी नहीं काटते हैं, पैसे वाले काटते हैं और वे लोग काटते हैं जिनको हिन्दुस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। ट्रकों की ट्रकें भर कर रोज ले जाते हैं और देखते हैं जोधपुर में कम से कम गीली लकड़ियों को 100 ट्रक आते हैं, वे कहां से आते हैं? कोई नागौर से आता है कोई जयपुर से, दौसा से कभी कहीं से, इन्तजाम कीजिये ताकि दरख्त कटने न पायें उसके लिए सख्त सजा रखी जाय ताकि उन लोगों को जिनमें एम एल एज० भी शामिल हैं ...

एक माननीय सदस्य: जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के ?

श्री अहमद बक्श सिंधी: यह तो आप समझ सकते हैं कि कौन हो सकते हैं। यह बहुत गलत है यह नहीं होना चाहिये। मैं इन सुझावों के साथ इस बजट को सबसे अच्छा बजट इस साल का घोषित करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री महाराम चौधरी !

श्री महाराम चौधरी (नागौर): सभापति महोदय, वित्त मंत्री के बजट के संबंध में मेरा यही निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले काश्तकार और मजदूरों के संबंध में यह बिलकुल दिशाहीन है। इस बजट में ग्रामीणों और किसानों को जो राहत पहुंचनी चाहिए थी, उनको दिशा निर्देशन, इसमें न हो महसूस हो रहा है। एक एक आइटम भी हम लें सबसे पहले कृषि को लें तो कृषि के संबंध में जो बीज, खाद और दवाइयों का प्रावधान रखा गया है, वह बहुत कम है कृषि बगैर अपने राजस्थान का विकास होना असंभव है। खाद और बीज बहुत महंगे भाव पर किसानों को दिया जाता है और समय पर नहीं दिया जाता है, इससे काश्तकारों में बहुत ही असंतोष है। ग्रामीण क्षेत्रों में और ढाणीयों में रहने वाले किसानों पेयजल समस्या के मामले में जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं, पिछले बजट के प्रावधान के अनुसार 10 हजार गांवों में बिजली उपलब्ध करा दी गई है? लेकिन वास्तव में देखा जाय तो यह पेयजल सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, सेंक्शन भी कागजों में ही होती है, लेकिन पानी का प्रबंध पिछले बजट में जो प्रावधान था उसके अनुसार भी नहीं हुआ है। बजट में 2700 गांवों के लिए पानी का प्रावधान रखा है, यह बहुत कम है जो योजनायें सरकार अपने हाथ में लेकर चला रही है उन योजनाओं में भी पशुओं और ढाणियों में रहने वाले आदमियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक गांव में जो सार्वजनिक कुए बने हुए हैं उन कुओं को ही गहरा करके यदि उनमें

108

(श्री महाराम चौधरी)

पानी उपलब्ध कराया जाय तो हर समय के लिये उन गांव वालों को पानी मिल सकता है। आज हालात यह है कि एक एक आदमी को पानी लाने के लिए अपना दिन भर खराब करना पड़ता है फिर भी उसको पानी पूरा नहीं मिलता है।

कला और संस्कृति के संबंध में जो शहरों में योजनायें हैं इण्डोर गेम्स के लिए, स्टेडियम के लिए संस्कृत अकादमी खोलने के लिए, ये योजनायें शहरों में पहले ही हैं लेकिन प्राइमरी स्कूलों की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष भी प्राइमरी स्कूलों का प्रावधान रखा था बड़े क्षेत्रों में 10-10 स्कूल खोले गये लेकिन पिछड़े एरियाज में, ढाणियों में रहने वाले बच्चे 10-10 मील नहीं आ सकते उन क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल खोलने में बड़ी अनियमिततायें बरती गई हैं। यह जो पैसा पब्लिक स्कूल या संस्कृत अकादमी या कला संस्कृति शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए रखा गया है अगर यही पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों की तरफ ज्यादा लगाया जाय तो शायद गांव में रहने वाले आदमियों को यह सुविधा उपलब्ध हो सकती थी और उनको भी पढ़ाई का थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिल सकता था।

सभापति महोदया, गांवों में रहने वाले लोगों को कम से कम प्राइमरी स्कूल तक की सुविधा तो उपलब्ध करायी जानी चाहिये। मगर आप गांव वालों को प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा की सुविधा भी नहीं दिला सकते हैं। आप संस्कृत विद्यालय और इण्डोर गेम्स की बात करते हैं तो इससे गांव वालों को क्या फायदा होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो ढाणियों में लोग रहते हैं उनके बच्चों की पढाई के लिये कम से कम आप प्राइमरी स्कूल खोलें। जहां भी 15-20 बच्चे इकट्ठे हों वहां पर आपको प्राइमरी स्कूल खोल देना चाहिये। हम यह तो उम्मीद नहीं करते हैं कि आप ढाणी-ढाणी गांव-गांव में यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेज खोल देंगे पर हमारी यह इच्छा रहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल होने ही चाहिये ताकि उनको प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक की शिक्षा उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदया, राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो रहने वाले आदमी हैं उनमें खासतौर से जो पशुपालन का धन्धा करते हैं, खेती करते हैं उनके लिये राज्य सरकार ने चिकित्सा सुविधा दी है। लेकिन जितनी चिकित्सा सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल पा रही है। आज जिस आधार से उन क्षेत्रों में सुविधा दी जानी चाहिये उस आधार से वहां बिलकुल उपलब्ध नहीं है। जिस जगह पर जानवर कम हैं या जहां पर उद्योग धन्धे खुले हुए हैं। या खेती होती है वहां पर पशु चिकित्सालय खोल दिये गये हैं और जिन क्षेत्रों में पहले ही पशु चिकित्सालय खोलने चाहिये उन क्षेत्रों को हमेशा से ही इगनोर किया जा रहा है वे आज भी इगनोर किये गये हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के आधार पर पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिये और ज्यादा से ज्यादा यह सुविधा उनको मिलनी चाहिये।

(श्री महाराम चौधरी)

सभापति महोदया, राजस्थान का हमेशा से ही दुर्भाग्य रहा है, यहां पर हमेशा से ही कहतशाली रही है। इस कहतशाली के परमानेन्ट हल के लिये राजस्थान नहर से ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जाय साथ ही खेती के लिये जमीन राजस्थान नहर में उपलब्ध कराई जाय। अगर यह नहीं किया गया तो अकाल की समस्या बनी रहेगी। काश्तकार अपनी जीविका का उपार्जन नहीं कर सकेगा। आज स्थिति यह है, सभापति महोदया, कहतशाली होती है तब काश्तकारों को काम की तलाश में अपने गांव को छोड़ कर दूसरे गांवों को जाना पड़ता है। अभी अकाल के समय में लोग अपना गांव छोड़ कर चले गये। इस समय कहीं पर जनगणना हो गयी है और कहीं पर होने वाली है। जहां पर जनगणना हो गयी है वहां जो गांवों में अनुसूचित जाति के लोग और गरीब तबके के लोगों की गिनती होती है उसके अनुसार गांवों का प्लान बनेगा उसीके आधार पर गरीब तबके के लोगों को 50 प्रतिशत के ऊपर सुविधा मिलती है, अनुसूचित जाति के लोगों की गिनती नहीं होने की वजह से वह इस सुविधा से महरूम हो जायेंगे, इसलिये सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि जब बरसात हो जावे और वह लोग वापस अपने गांवों को आ जायं तब उन गांवों में, जहां पर की कहतशाली पड़ी दुबारा जनगणना करायी जानी चाहिये ताकि वहां के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिये वह मिल सके।

सभापति महोदया, विकेन्द्रीकरण के नाम पर पंचायत समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिये पंचायत समितियां बनी थीं। लोग ग्रामीण क्षेत्र में इस बात की आशायें लगाये हुए थे कि हमारे क्षेत्रों का विकास होगा लेकिन उस कमी को पूरी करने के लिये कोई तवज्जोह नहीं दी गई। इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आज तक नहीं हो सका और इसलिये स्कीम्स को बदला गया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये डी. पी. ए. पी., सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम खोले गये सभापति महोदया स्कीम्स जितनी भी बनी वह या तो जयपुर में बैठकर बनायी गई या जिला स्तर पर बनायी गई। इन स्कीम्स में जन प्रतिनिधियों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसलिए यह स्कीम्स ठीक तरह से नहीं बन सकी हैं। आज जितना डी. पी. ए. पी. से और विकास कार्यक्रमों से फायदा काश्तकारों को मिलना चाहिये था वह वास्तविक फायदा काश्तकारों को कतई नहीं मिल सका है। इसलिये डी पी.ए.पी. कार्यक्रम अगर दूसरे जो कार्यक्रम गांवों के विकास के राज्य सरकार द्वारा चलाये जाते हैं वह पंचायत समितियों के मार्फत चलाये जाने चाहिये। सरपंच और आसपास के जो प्रतिनिधि है उनको शामिल करके योजना बनाई जानी चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अच्छी तरह से हो सकेगा। इसके अलावा डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत जो वित्तीय सहायता काश्तकारों को सहकारी बैंकों के जरिये और कामर्शियल बैंकों के जरिये उपलब्ध करायी जाती हैं वह जरूरतमंद आदमियों को गांवों में नहीं मिल पा रही है। आज जितने भी को आपरेटिव बैंक्स हैं या कामर्शियल बैंक्स है वह या तो ठिकाणों में, गढ़ों में घुस गये हैं या व्यापारियों के घरों में घुस

(श्री महाराम चौधरी)

गये है। इस कारण गरीब तबके को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिचोलिये बीच में ही पैसे हजम कर जाते हैं। इसके अलावा काश्तकारों को जो ऋण देने के लिये एप्लीकेशन्स दी जाती हैं उनका जो प्रोफार्मा है वह इतने जटिल है कि एक साधारण गांव का किसान उसको समझ ही नहीं सकता। उसको एक एप्लीकेशन में कई जगह पर अंगूठा लगाना पड़ता है। कहीं एक भी जगह अंगूठा रह जाय तो 3-4 महीनों की, की गई कार्यवाही बेकार चली जाती है और उनको ऋण नहीं मिल पाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विद्युतीकरण करना बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र को बिजली की सुविधा से सभी तरह से आज तक महरूम रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में उद्योग धंधा लगाने के लिये बिजली और पीने के पानी की जब तक सुविधा नहीं होगी तब तक वहां पर उद्योग धंधे नही लगाये जा सकते हैं इसलिये गांवों में ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचाई जानी चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से रेगिस्तानी इलाके में यातायात व आवागमन के साधनों की बहुत कठिन समस्या है। आज शहरों से अगर लोगों को कोई चीज लानी हो चाहे उत्पादन के लिये, चाहे मकान बनाने के लिये पट्टियां लानी हो, चाहे चूना लाना हो तो उसे लाने मे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आवागमन के साधन नहीं हैं। आज गांवों के अन्दर सड़कें बहुत कम हैं। अच्छी सड़कें और डामर वाली सड़कें सबसे ज्यादा शहरों में हैं। सभापति महोदया, गांवों में तो पहले से ही सड़कों की बहुत कमी है और शहरों में पहले से ही बहुत सड़कें बनी हुई हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों में सड़कें ज्यादा से ज्यादा बनायी जायं। एक तरफ तो आज गांवों में अकाल राहत के कार्य नहीं खुले हैं। कहीं खुले हैं तो सड़कें नहीं बन रही हैं। सड़कें बन रही है तो वह सारी कागजों में ही हैं। वह शुरू ही नहीं हुई हैं। काम चाहे सेंक्शन हो गये हैं उसमें मेन कमी यह रह जाती है कि जो फेमिन में अधिकारी काम करते हैं वह उसकी ओर तवज्जोह ही नहीं देते हैं। जब अधिकारी गांव में जाते हैं तो वह मस्टर रोल लेकर सोचते हैं कि यह मस्टर रोल किसको दूं। जो मेट या सुपरवाइजर उसको मस्टर रोल से ज्यादा पैसा दिलायेगा उसको ही काम सौंपेगा। तो मेरा सुझाव है इस ओर विशेष रूप से निगरानी रखी जानी चाहिये और उससे काम करवाना चाहिये जो कि सही ढंग से काम करा सके। आज अधिकारियों की हालत यह है कि उनको जिला लेवल पर बहुत सी जीपें अलाट हो गयी हैं। वह गांवों में शाही विजिट में जाते हैं और काम नहीं करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिलाधीश के नीचे के लेवल के अधिकारियों के पास से जीप गाड़ियां ले ली जानी चाहिये और बसों में जाने की व्यवस्था करनी चाहिये। आज रोडवेज की बसें काफी जाती हैं। जब अधिकारी बसों में जायेगा तो वह गांव वालों से बातचीत करेगा उनकी समस्याओं को सुनेगा और उसके आधार पर काम करेगा वरना आज अधिकारियों में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की कोई भावना ही नहीं है। वहां पर आपने शहरी लोगों को नौकरियां

(श्री महाराम चौधरी)

रहे ही हैं। शहरी लोगों की गांवों के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति ही नहीं होती है। यही कारण है कि आज गांवों में पेयजल की समस्या है, गांवों में स्कूलों की समस्या है, प्राइमरी स्कूल कम हैं, चिकित्सालय की कमी है। गांव के अन्दर शहर के लोग आते हैं या तो बड़े जागीरदारों के वहां चले जाते हैं या बड़े साहूकारों के यहां पर जाकर बैठते हैं। गांव वालों से बातचीत उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में नहीं करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों को यहां पर लगाया जावे जो लोग तत्पर और भावना युक्त हो, जो कि गांवों का सही ढंग से विकास करना चाहते हैं, उनको वहां पर लगाया जाना चाहिये।

बजट में जो भी प्रावधान रखे गये हैं उनसे तो मैं पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हूं लेकिन जो कुछ भी रखा है उसके साथ-साथ एक रिश्वत वाली बात और जोड़ दी जाती तो शायद अधिकारीगणों के मन में लालच आता कि जितने भी पैसे विकास के कार्यों में लगेंगे उसमें से 15 पर्सेन्ट या 20 पर्सेन्ट जितना उचित समझते हैं अगर वह पैसा उनको मिल जाय और इसके बारे में उनको पहले से मालूम हो जाय कि यह पैसा तनख्वाह के अलावा काम करने से मिलेगा तो शायद यह ठीक रहता। नहीं तो योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसमें से 25 पर्सेन्ट तो उस फण्ड में से चाहे खरीददारी से समझ लीजिए चाहे पैट्रोल से समझ लीजिए या एस्टेब्लिशमेन्ट से समझ लीजिए उनको पैसा मिल जाता है और जिन आदमियों को इस लाभान्वित करते हैं उसमें से वह अधिकारीगण बटोर लेते हैं। यह तो प्रत्यक्षदर्शी बात है कि जो डी. पी. ए. पी. क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को वर्ल्ड बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है उसमें से अधिकारी लोग समझते हैं कि यह पैसा न तो राजस्थान सरकार का है और न तुम्हारा है। यह पैसा तो वर्ल्ड बैंक का है और इस

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

वर्ल्ड बैंक के पैसे में जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही हमारा अधिकार है। इसलिए यह जो अनुदान और आर्थिक सहायता के अन्दर पैसा दिया जाता है उस पैसे से पूरी तरह जांच और तत्परता से और भावना से यदि काम किया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी थोड़ा बहुत विकास हो सकता है।

यह कहकर मैं बजट भाषण को किसान विरोधी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का विरोधी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का विरोधी भाषण कहता हूं। यह कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मानूराम !

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह !

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : माननीय सभापति जी, सन् 1981-82 के बजट अनुमानों, जो कि सदन के सम्मुख माननीय मुख्य मन्त्री जी ने रखे हैं, उनमें किसी प्रकार का कर नहीं लगाया उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन इस बजट को ध्यान में रखते हुए कुछ समस्यायें पश्चिमी राजस्थान की हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा।

(श्री मानसिंह देवड़ा)

पश्चिमी राजस्थान एक तरह से समस्याओं से घिरा हुआ है और हम लोग उन समस्याओं के समाधान के लिए लालायित रहते हैं, समाधान के लिए कोशिश करते हैं परन्तु किसी प्रकार की कार्यवाही इसके लिए नहीं की जाती है। सर्वप्रथम हाई कोर्ट को खण्डित किया गया। उसके बदले जोधपुर सम्भाग को क्या मिला ? अब एकमात्र जो मुख्यालय भूजल विभाग का जोधपुर में है उसको भी खण्डित किया जा रहा है। जोधपुर सम्भाग के विधायकों ने मुख्य मन्त्री जी को बार बार अनुरोध किया कि इस विभाग को खण्डित होने से आप बचायें लेकिन उन्होंने हमारी नहीं मानी। बार बार अनुरोध करने के उपरान्त भी इस ओर जो मशीनें थी वहां से उनको स्थानान्तरित कीं। मैं उनको पुनः नम्र निवेदन करता हूं कि इस विभाग को जोधपुर में ही रहने दें। यह सारे प्रदेश की सेवा करेगा और विशेष कर इस विभाग का कार्य पश्चिमी राजस्थान में ही है इसको खण्डित होने से बचायें।

जोधपुर की जो विकट समस्या है वह बिजली की है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, उसी के अनुसार मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि थर्मल प्लान्ट की स्थापना जोधपुर में जल्दी से जल्दी की जाय जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। 220 के. वी. लाइन से जल्दी से जल्दी जोड़ने की कोशिश करें। बिजली के कारण जोधपुर में इण्डस्ट्रीज की बहुत बुरी हालत हो रही है। आज की स्थिति यह है कि पूरे समय के लिए बिजली काट दी गई है। मेरा निवेदन है किसानों को बिजली दी जाय उसके साथ ही साथ कुछ मात्रा में इण्डस्ट्रीज को भी दी जाय जिससे कि कार्य चालू रहे क्योंकि वहां भी तो मजदूर कार्य करते हैं। वह बेकार हो रहे हैं। इसका समाधान यही है कि कुछ मात्रा बिजली की जोधपुर में भी इण्डस्ट्रीज को दी जाय।

दूसरे, आज जो जोधपुर की सड़कों की हालत है यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसमें मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जो रिपेयर्स का अमाउन्ट है वह भी लैप्स होने जा रहा है। इसका क्या कारण है ? जो रिपेयर्स का अमाउन्ट है वह भी लैप्स हो जायेगा तो फिर निर्माण कार्यों की क्या हालत होगी ? जिन विभागों में भी चाहे वह सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग हो या अन्य विभाग हो, जो रिपेयर्स का अमाउन्ट लैप्स हो रहा है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। जोधपुर नेशनल हाई वे नम्बर 8 और 11 के द्वारा और मुख्य सड़कों से जोधपुर को अन्य भागों से जोड़े जाने को उचित कार्यवाही करें।

मैं इसके साथ ही पर्यटन स्थानों के विकास की बाबत भी कुछ निवेदन करूंगा। ऐतिहासिक नगर जोधपुर में पर्यटन विकास की बहुत गुंजाइश है। मण्डोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और किसी प्रकार की रिपेयर नहीं हो रही है। उसके लिए कुछ रकम अलग से आवंटित की जाय जिससे कि उसका कार्य जल्दी से जल्दी हो सके। मयूरिया पहाड़ी के विकास के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्व में निर्णय लिया जा चुका था लेकिन

(श्री मानसिंह देवड़ा)

इस हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। मसूरिया पहाड़ी के विकास के साथ-साथ उसके ऊपर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा भी स्थापित करने हेतु पिछली सरकार ने निर्णय भी लिया था लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

पिछले वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण पानी की भयंकर समस्या जोधपुर में खड़ी हुई है। अकाल पड़ा हुआ है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि जोधपुर को जवाई से पाइप लाइन द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो यह कार्य जल्दी से जल्दी चालू किया जाय और उसके साथ ही स्थाई हल के लिए राजस्थान नहर को लिफ्ट करके जोधपुर तक पानी पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जाय।

जोधपुर में सरकारी उद्योगों की भी स्थापना की जाय। इस हेतु सरकार द्वारा पूर्व में एक बार घोषणा की गई थी लेकिन आज तक किसी प्रकार का सरकारी उद्योग की स्थापना हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वितरण व्यवस्था के बारे में क्या कहूं। चाहे शक्कर हो या धान हो या सीमेन्ट हो, वितरण व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि चाहे डी.एस.ओ. हो या इन्सपेक्टर हो उनकी वजह से खुले आम चोरियां हो रही है। इसके लीकेज को रोका जाये और वितरण व्यवस्था को सुधारा जाय।

शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करूं। सभी क्षेत्रों में सभी विधायकों को स्कूल दिये गये है या नहीं लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए भी तीन प्राइमरी स्कूल आवंटित किये गये थे लेकिन उसमें से एक भी स्कूल मेरे क्षेत्र में नहीं खोला गया है। इसमें अधिकारियों की गलती थी या कहां से हुई है उसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में तीन शालायें, जो आवंटित की गयी थी, जल्दी से जल्दी खोलने की व्यवस्था करें।

मैं लैण्ड एण्ड बिल्डिंग्स टैक्स के बारे में बताऊं कि जितना अमाउन्ट वह कलेक्ट करते हैं उससे आधा या तीन चौथाई भाग तो उनके खुद के खर्च में ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि खर्च कम हो और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाय। मेरा सुझाव है कि या तो इस टैक्स को बिलकुल ही हटा दिया जाय। इससे कोई फायदा नहीं है। टैक्स जितना वसूल करते हैं उससे तीन चौथाई तो खुद पर ही खर्च कर देते हैं।

मैं एक निवेदन और करूं, पिछले वर्ष जो भयंकर बाढ़ आई थी उसमें हमारे एरिया में नदी के किनारों से जिनको ऊपर के स्थानों पर बसाया गया था उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इसलिये जो संबंधित अधिकारी है चाहे एस. डी. ओ. हैं, चाहे तहसीलदार हैं, उनको निर्देश दिये जायं, विपत्ति के समय में उनको जहां बसाया गया था वहीं रहने दिया जाय।

कुछ मुख्य विभाग पश्चिमी राजस्थान के विकास हेतु जोधपुर में खोलना अति आवश्यक है। यहां से बदलने के लिये वह हम समझेंगे हमें हाई कोर्ट के बदले मिले हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का कार्यालय

(श्री मानसिंह देवड़ा)

जोधपुर में स्थापित किया जाय जिससे कि उस एरिया का विकास हो सके। पश्चिमी राजस्थान में पानी की भयंकर समस्या में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का मुख्य कार्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाय। निदेशालय,पशु पालन विभाग जोधपुर में स्थापित किया जाय क्योंकि राजस्थान का अधिकांश पशु धन पश्चिमी राजस्थान में निर्वाह करता है वहां के निवासियों का मापदण्ड पशु पालन ही है। दूसरा, डेयरी, विकास फेडरेशन का कार्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाय। डेयरी विकास की सम्भावनाएं जोधपुर में ही हैं। इस प्रकार राजस्थान का पश्चिमी भाग जिस तरह से समस्याओं से गुजर रहा है उसके विकास हेतु पुनः अनुरोध करता हूं।

आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह गहलोत! (अनुपस्थित)

श्री भैरूलाल भारद्वाज!
(अनुपस्थित)

श्री सी. पी. जोशी!

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदया, बजट बहस में भाग लेते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, जो परिस्थितियां देश और प्रदेश के अन्दर विद्यमान हैं, उनमें इससे बढ़िया बजट हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में राजनैतिक बदलाव हुआ है। मतदाताओं की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में जो बदलाव आया है उसकी ओर भी हमें गौर करना चाहिये। सन् 1977 और 1980 के बाद जब मतदाताओं ने दो तरह की सरकार में बदलाव किया उसके बाद जनता में जिस हिसाब से आकांक्षाएँ और अपेक्षायें बढ़ीं, मैं तो मानता हूं कि शायद उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हम बजट को जो रूप देना चाहते हैं वह रूप देने में सक्षम नहीं रहे हैं। इसलिये मेरा मानना पहले भी यह है, जो डेमोक्रेसी जिस स्टेज पर गुजर रही है हमने अपने बजट के इस ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किये, हमने यदि रेडिकल चेन्जेज नहीं किये आने वाले वर्षों में नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। केवल मात्र उदाहरण देना चाहता हूं कि कल ही पता लगा,इस बात को सुना राजस्थान कैनाल का जो बजट 66 करोड़ रुपये का था, 6 वर्षों में उसे पूरा नहीं कर सके। आज हालत यह है कि राजस्थान कैनाल का बजट 416 करोड़ रुपये का हो गया। हम फार्मल टार्गेट्स जो हम कवर करना चाहते हैं। हम कम्पलीटली नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हम राजस्थान कैनाल का विकास करना चाहते हैं, सीमेंट नहीं मिलता, या अन्य सामग्री, कोयला चाहते हैं वह नहीं मिलता है तो आने वाले वर्षों में हम नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति अपने बजट के माध्यम से नहीं कर पायेंगे। मैं अपनी बात आंकड़ों से इसलिये नहीं करना चाहता हूं, मैं स्वयं स्टेटेस्टिक्स का विद्यार्थी हूं। आंकड़ों की हालत यह है कि यदि एक आदमी बिलो 0 डिग्री है और दूसरा दरवाजा 100 डिग्री है तो

(श्री सी. पी. जोशी)

एवरेज में वह कम्फर्टेबल आ जायेगा। इस लिये आंकड़ों से मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता। मैं अपनी बात इस तरह से कहना चाहता हूं, मतदाताओं की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में परिवर्तन हुआ है। यदि हम राजनीति में डेमोक्रेसी के माध्यम से आज नहीं चलना चाहते हैं उसके अनुरूप काम करना नहीं चाहते हैं तो उनकी आकांक्षाए और अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी।

कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। हमने यह निश्चय किया था कि राजस्थान में हैण्ड पम्प की योजना के माध्यम से गांवों में शुद्ध पानी मुहैया करायें। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पी. एच. ई. डी. के जो टेण्डर हुए हैं उसके टेण्डर को रेट 20 पर्सेन्ट हायर एक्सक्लेशन आफ कास्ट हुई है। उस टेण्डर के अन्दर जिन्होंने ठेका लिया है उस ठेकेदार की ठेकेदारी में यह कोई क्लाज नहीं है कि उसको टार्गेट कब पूरा करना है, टार्गेट पूरा नहीं करें तो पेनल्टी क्या होगी, इसकी अरनेस्ट मनी क्या होगी। यह कोई क्लाज नहीं है। राजस्थान सरकार ने टेण्डर दे दिया। आज हालत यह है कि हैण्ड पम्प का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।

दूसरा, राजस्थान के मुख्य अभियन्ता, भवन एवं पथ ने ठेकेदार से एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेन्ट का क्लाज इस तरह का है कि उसमें 20 पर्सेन्ट एक्सक्लेशन आफ कास्ट को चेंज करने का उसको अधिकार दिया गया है। उस अधिकार का फायदा बड़े ठेकेदारों को होने वाला है, छोटे ठेकेदारों को नहीं होने वाला है। हालत यह है कि कमाण्ड एरिया डवलपमेंट के अन्दर काम करने वाले ठेकेदार को एक्सक्लेशन क्लाज का एडवान्टेज मिल रहा है। 20 से 25 पर्सेन्ट हायर रेट चीफ इन्जीनियर फिक्स करते हैं लेकिन इसी एरिया में गवर्नमेंट का काम करने वाले को किसी को यह राइट नहीं मिल रहा है। पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर दो तरह के एग्रीमेंट हैं। अगर हम बजट के अनुरूप काम करना चाहते हैं, भवन का निर्माण करना चाहते हैं, मैं समझता हूं, यह सम्भव नहीं हो पायेगा। ठीक इसी तरह की स्थिति कुछ दूसरे विभागों की है। मेरी जो आत्मा की अप्रोच है उससे कहना चाहता हूं कि आज हम बजट का जो रूप बनायेंगे, हम जो अपना सिस्टम है उसको ढंग से वाच नहीं कर पायेंगे, हम अपने बजट के जो प्रावधान हैं उसकी पूर्ति भी नहीं कर पायेंगे। यह इस तरह भी आवश्यक है कि डेमोक्रेसी सिस्टम में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सीज हैं कुल मिलाकर सारा ताल मेल इस बात पर निर्भर करता है जो बजट के प्रावधान रखे हैं उसकी पूर्ति करनी है या नहीं करनी है। जो कन्सेप्ट लिया गया है, 1977-78 की योजना के बाद हालत यह हुई कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ब्यूरोक्रेट सबसे बड़ी बाधा उपस्थित कर रहे हैं। यह तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। मेरा अपना एप्रीहेन्शन यह है कि जो बजट में प्रावधान रखे हैं उन बजट के प्रावधानों को हम पूरा कर पायेंगे इस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से या नहीं, यह मोटा क्वेश्चन जन प्रतिनिधियों के सामने हैं, सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों के सामने है, नहीं तो सोचना पड़ेगा कि क्या हालत होगी।

(श्री सी. पी. जोशी)

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं अकाल राहत के नाम पर हम लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। अकाल राहत के अन्दर हमने सड़कों के काम हाथ में लिये, अकाल राहत के अन्दर हमने सिंचाई के काम हाथ में लिये, बहुत तरह के काम हाथ में लिये। राजस्थान में अकाल कोई नई चीज नहीं है। अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी यदि हम अकाल की विभीषिका को सुलझा नहीं पाये, अलग बात है, गांवों में पीने का पानी या सड़कें मुहैया नहीं कर सकें, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि यह बजट जो 1980-81 का पैसा मिल रहा है, या 1981-82 का पैसा मिल रहा है, या फिक्स प्लान में मिलेगा उसमें से 50 करोड़ रुपये की मोटी रकम का उपयोग हम आने वाले प्लान में करें। अगर हम नहीं करेंगे तो यह देश के लिये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जायेगा। 50 करोड़ रुपया अकाल राहत में खर्च करना चाहते हैं और प्लान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये इस तरह के जो काम अकाल राहत के माध्यम से लेते हैं उन कार्यों को छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायें। अन्यथा सारा पैसा जो हमारे डवलपमेंट में उपयोग कर सकते हैं वह नहीं कर पायेंगे। इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अकाल कोड जो 1950-61 का बना हुआ है उसमें मजदूरों को पांच रुपये देते हैं। अकाल राहत जो प्रारंभ हो रहे हैं, जो चल रहे हैं उसमें मजदूरों को कितना गैंती, फावड़ा, आदि जो मिलना चाहिए वह मुहैय्या नहीं किया जा रहा है फिर आधा पेमेन्ट मेजरमेंट के बाद करेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अकाल राहत में जो ठेकेदारों से काम कराया जाता है उसमें मेजरमेंट का क्लाज नहीं है। ठेकेदार जब किसी डिपार्टमेंट को सामान सप्लाई करता है उसके लिए मेजरमेंट की एक यूनिट होती है उस यूनिट के तहत डिपार्टमेंट को सामान दिया जाता है। अकाल राहत के अन्दर जो ठेकेदार को सामान सप्लाई किया जाता है उसके मेजरमेंट के लिये कोई यूनिट नहीं है यदि मेजरमेंट का यूनिट नहीं रखा है मेरा यह एप्रीहेन्शन है कि अकाल का बहुत बड़ा पैसा अकाल राहत की बजाय ठेकेदार और इन्जीनियर की जेबों में चला जायेगा... इसलिये हमें जो सिस्टम है, उसको चेन्ज करना चाहिये नहीं तो जितना ज्यादा काम करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगा। इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं इस राजस्थान में और हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने देश का वन-फोर्थ बजट एग्रीकल्चर के लिये अलाट किया है। छठी पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी, । सभापति महोदया, आज लोक सभा में एक माननीय सदस्या के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जायगा। माननीय मंत्री महोदय छठी पंचवर्षीय योजना में अलग कृषि विद्यालय बनायेंगे–ये दोनों स्थिति समझ में नहीं आती है। आइ.सी.ए.आर–इंडियन कौन्सिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम की जो स्कीम राजस्थान सरकार को सैंक्शन की है उस पैसे का उपयोग राजस्थान सरकार आज तक नहीं कर पाई। वर्ल्ड बैंक का

(श्री सी. पी. जोशी)

पांच करोड़ रुपया राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर को ट्रान्सफर किया जाय। उस पांच करोड़ रुपये का राजस्थान सरकार उपयोग नहीं कर पाई। सभापति महोदया, मेरे पास सूचना है मिनिस्टरी ऑफ लेबर ने 25 लाख रुपये राजस्थान सरकार को इस बात के लिये दिये कि लैण्ड लैस लेवर्स को भूमि का आवंटन किया जाय किन्तु उस पैसे का उपयोग अभी तक राजस्थान सरकार नहीं कर पाई। नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट का भवन जो दिल्ली में है उसका एक कार्यालय राजस्थान में भी आ सकता है यदि जयपुर में उसको जमीन मुहैया करें। यदि राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा और वह विकास बिना राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किये हुये नहीं हो सकेगा– बिना इसके हम काश्तकारों को कोई फायदा नहीं दे पायेंगे। आज हालत यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय में जो मल्टी फेकल्टीज है उसका फायदा हम गंगानगर के फार्म के माध्यम से नहीं ले पायेंगे। उदयपुर में 20 प्रतिशत एग्रीकल्चर जमीन उपलब्ध है बाकी सारा पहाड़ी इलाका है। यदि हम एग्रीकल्चर के इनपुट्स को नहीं बढ़ा पाये तो आगे आने वाले समय में हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे, यह एक सन्देह की स्थिति उत्पन्न करता है। इसी तरह में आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या उदयपुर जिले में रहती है लेकिन उदयपुर जिले में आइ ए एस. का सेन्टर न बनाकर जयपुर में बनाया गया है। आज उदयपुर जिले के आदिवासियों में से कितने आई. ए. एस. निकले, कितने आई. पी. एस. निकले इसकी राजस्थान सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। जितने पैसे भारत सरकार, राजस्थान सरकार को दे रही है उसका सही उपयोग आदिवासियों के लिये नहीं हो रहा है। राजस्थान के 60 पर्सेन्ट एम्पलाईज डेपूटेशन पर है वे सेलेरी डिपार्टमेन्ट से भी ले रहे हैं और कार्पोरेशन से भी ले रहे है किन्तु आदिवासियों का जो ग्रुप निकलता है उसमें बिचौलियों द्वारा शोषण हो रहा है इसलिए आदिवासी भाइयों के पैसों का सही उपयोग नही हो पा रहा है। जो भारत सरकार ने रुपया दिया है उसमें आदिवासियों का इन्वोल्वमेंट करना पडेगा तब जाकर कार्पोरेशन्स का फायदा हम उठा पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बिचौलिये पैदा हो गये हैं उनको रोकने के लिए हमें भरपूर क्षमता का उपयोग करना पड़ेगा।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो एम्पलायमेन्ट की प्राब्लम है उसके लिए विधान सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं-हर भारत के नागरिक को अधिकार है कि वह किसी भी जगह जाकर नौकरी करे लेकिन राजस्थान में इतने उद्योग लगने के बाद भी सेमी स्कील्ड में लोग नहीं लगे यह बड़े खेद की बात है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूं एक डिग्री राजस्थान में पास नहीं हो, मैं यह नहीं कहता हूं पास नहीं हो कम से कम एक डिग्री राजस्थान से पास किया हुआ होना चाहिये वह भी लेबर क्लास के लिये किन्तु इसकी पाबन्दी नहीं करें नहीं तो हमारे यहां के विद्यार्थी नौकरी नहीं कर पायेंगे अगर इस स्कीम को लागू नहीं करेंगे तो टेक्निकल एजूकेशन नहीं होने के

(118)

(श्री सी. पी. जोशी)

कारण एम्पलाईज नहीं मिल सकते हैं और अन्त में मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हल्दी घाटी जिले के आसपास लगभग 26-27 परसेन्ट आदिवासी नाथद्वारा और कुम्भलगढ़ में निवास करते हैं लेकिन ट्राइबल कार्पोरेशन का नाम और काम इस तरह का बना हुआ है कि लड़ाई लड़ने वाले भील को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यदि उनके नाम पर कोई संशोधन करना पड़े तो वह करें लेकिन नाथद्वारा और कुम्भलगढ के आदिवासियों को ट्राइबल कार्पोरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत कर आया हूं वहां टेम्पल बोर्ड की आय का बहुत बड़ा स्रोत है लेकिन मुझे दुःख होता है उस टेम्पल बोर्ड का गठन इस प्रकार किया गया है कि जो लाखों की सम्पत्ति राजस्थान में आनी चाहिये वह चन्द लोगों के हाथ में चली जाती है। राजस्थान में यात्री भी बहुत आते हैं लेकिन राजस्थान की रेवेन्यू में उसका कोई अकाउन्ट नहीं होता है इस टेम्पल बोर्ड का विवाद भी न्यायालय में चल रहा है अतः सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ताकि राजस्थान के आय के स्रोत बढ़ें। टेम्पल बोर्ड में सीनियर आर. ए. एस. अफिसर को एम्पलाई करते हैं और यदि उसमें कहीं कोई प्रोविजन हो तो विधान सभा सदस्य को भी एक मैम्बर के रूप में रखा जाय यदि कहीं कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है तो टेम्पल बोर्ड के मेनेजमेंट में संशोधन किया जाय, जनता की सुविधा के लिये किया जाय। हमने वहां के चेयरमैन से भी बात की। टेम्पल बोर्ड के नाम से जिन लोगों ने प्रापर्टी बना ई है उनका राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सभापति महोदया अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो राजस्थान की आय के स्रोत होने चाहिये वे नहीं होंगे।

अन्त में एक और निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया, अगर ब्यूरोक्रेसी चैक नहीं करेंगे तो राजस्थान स्टेट के जो माइन्स और मिनरल्स राजस्थान की आय के बहुत बड़े स्रोत हैं मेरा गंभीर आरोप है कि उसमें एक करोड़ पर एनम का ये लोग मेनुपुलेशन करते हैं जिससे राजस्थान की आय को सीधा घाटा होता है। हर साल एक-डेढ़ करोड़ का अकाउन्ट शो नहीं करके इस तरह का जो धोखा राजस्थान सरकार को दिया जा रहा है वह बहुत बड़ा धोखा है और ऐसा लगता है कि 5-7 साल में वह घाटे में चला जायेगा।

जो छोटी योजनाएं हैं, मेरे विपक्ष में बैठने वाले साथी जो कल तक सत्ता पक्ष में थे उन्होंने कहा यह बजट दिशाहीन है। मैं एक छोटी सी बात कह कर समाप्त करता हूं ढाई साल के शासन में आपने कोई इरिगेशन की स्कीमें कम्पलीट की हो तो बता दें, कोई अचीवमेंट किया हो तो बता दें कहने के लिये कह सकते हैं कि इतने स्कूल खोल दिये लेकिन मैं कहता हूं जितने एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स इस बार खुले है उतने 30 साल में नहीं खुले। आपने एक काम बहुत बढ़िया किया और उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, आपने तीनों विश्वविद्यालयों का गठन इस प्रकार किया है। उदयपुर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार के झगड़े चल रहे थे हायर एजूकेशन के मामले में वे आपने अवश्य समाप्त किये हैं। यह ढाई साल का आपका अचीवमेंट है इसको मैं जरूर मानता

(श्री सी. पी. जोशी)

हुं बाकी की जो परिस्थितियां हैं उनमें जनता की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि द्रुत गति से राजस्थान का विकास नहीं कर पाये तो प्रदेश के विकास की और गंभीर समस्यायें उत्पन्न हो जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल !

श्री मोहनलाल मोदी : इनका नाम दिया है।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : सभापति महोदय, मैं बजट के ऊपर अपना विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा निवेदन है कोई भी पार्टी जिसका शासन है उसका यह फर्ज हो जाता है कि साल के शुरुआत में अपना बजट रखती है और बजट प्रगति का प्रतीक होता है बजट किस तरह बनाया जाता है वह देखना होता है। जो बजट बनाया जाता है वह यहां बैठकर बनाया है इस बजट की योजना होनी चाहिये वह जो गावों में रहने वाले है और ग्रामीणों की जो इच्छाएं होती हैं उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं मानता हुं पंचायतों से बजट मांगा जाता है, पंचायत सेक्रेटरी से मांगा जाता है, जिला बोर्डों से मांगा जाता है लेकिन जब बजट तैयार होता है तो जो खास खास मुद्दे होते हैं वे सब पहले से तय हो जाते हैं और जब बजट एलोकेशन होता है यानि खर्चे की जो वितरण किया जाना है उस पर बड़ी भारीछीना-झपटी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि यह बजट है, आगे जाकर एक राजनीतिक स्वरुप धारण कर लेता है और राजनीतिक खींचतान होने से जो गावों के लोगों का फायदा होने वाला होता है जो लोग, विधायकों को जिस आशा और आकांक्षाओं से इस विधान सभा के अन्दर उनके क्षेत्र की प्रगति के विचार हेतु भेजते हैं, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है उन पर तुषारापात हो जाता है। तो मेरी मान्यता है कि बजट की तैयारी के के अन्दर एलोकेशन का ध्यान बहुत जरूरी है। लीजिए, आप अकाल की समस्या को देखिये। मैं कहता हूं कि सही मायने में अकाल उस स्थान पर आंका जाना चाहिए जिस क्षेत्र में ज्यादा मजदूर इधर उधर मजदूरी के लिए मारे-मारे फिरते हैं। मैं तो मानता हूं कि जो अकाल है, कई स्थानों पर तो बिलकुल ठीक घोषित हुआ है लेकिन कई स्थानों पर राजनीतिक अकाल भी पड़े हुए हैं, जो आप लोग सब मानते हैं लेकिन इस समय कोई कहने के लिए तैयार नहीं है यह सारी अव्यवस्था राजनीतिक कारणों से होती है जिससे राजनीतिक अकाल भी घोषित हो जाते हैं, वास्तविक अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को जितना फायदा मिलना चाहिए मिलता है और जो राजनीतिक के वह नहीं अन्दर अपने दांव पेच के अन्दर होशियार होते हैं और जो खींचतान के अन्दर होशियार होते हैं, वे अपने क्षेत्र में कार्य करा लेते हैं और जिस क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ होती है तो वास्तविक अकाल ग्रस्त क्षेत्र का भला नहीं होता। मेरी मान्यता है कि अगर बजट बनता है बजट का एलोकेशन लोगों की मर्जी माफिक और उनकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होता है। तो वह बजट सही मायने में नहीं है। ऐसी हालत में वह हमारे राज्य का, देश का सही प्रतिनिधि नहीं माना जायेगा। इस

(श्री कनकराज मेहता)

लिए मेरी मान्यता है कि जो बजट बनाया जाता है कम से कम जो विधायक हैं, उन लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। बजट का जो एलोकेशन किया जाता है, उस वक्त विधायकों को कोई नहीं पूछता। मैं यह मानता हूं कि विधायक लोग अपने–अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहां आते हैं लेकिन क्या होता है कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर ··

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया गया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : मैं खेतसिंह जी से निवेदन करूंगा कि समय बढ़ाने के साथ-साथ कुछ सहुलियतें भी बढ़ाने का प्रस्ताव लायें। यह सदस्यों का एक तरह से शोषण है। यह उन लोगों की तरह नहीं फिरते रहते हैं और आते जाते रहते हैं जो नियमित रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं, उन लोगों के प्रति यह शोषण है। इसलिए कभी इस पर भी विचार करें। उस वक्त का हम इन्तजार करेंगे कि आप ऐसा कोई प्रस्ताव लायें। जैसा आपने कह दिया एक घन्टा, एक घन्टे के बाद फिर कह देंगे फिर एक घण्टा। आपका तो घण्टा बढ़ता ही रहेगा इस शोषण को किस प्रकार से बन्द करें यदि आपके पास काम ज्यादा है तो सत्र को ज्यादा और चलाइये यदि आपके पास काम ज्यादा है और समय बढ़ाना चाहते हैं तो उसका कुछ पारिश्रमिक दीजिए। ओवर टाइम बैंक वालों को देते हो, ड्राइवरों को देते हो, रेलवे वालों को देते हो। या जो नहीं बैठते हैं सदन के अन्दर, जैसे कुछ ऐसे आदमी हैं, जो एक बजते ही मिनिस्टरों के साथ चले जाते हैं, उनके लिए तो एक घण्टा, दो घण्टा, चार घण्टा बढ़ना कोई खास बात नहीं है लेकिन जो रेगूलर रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं, उनके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए इस अन्याय को बन्द करो। इसका जरूर सुझाव लाओ, जिसका सब समर्थन करें।

श्री महाराम चौधरी : जाने वालों का पैसा काट कर बैठने वालो को दे दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं जल्दी ही कुछ अच्छा सुझाव लाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : आप XXX बोल रहे हैं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री कनकराज मेहता : सभापति महोदय, मैं बजट के बारे में आपसे यह निवे-

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कनकराज मेहता)

हन करना चाहता हूं कि जो बजट होता है, उसका जो क्लासिफिकेशन जिलेवार होता है, वह बहुत डिफेक्टिव है। स्थान-स्थान पर घोटाले हो रहे हैं, जहां जो काम खोलने चाहिए वे नहीं खुलते। जहां पानी की तंगी है, वहां पानी नहीं पहुंचा रहे हैं, वहां पानी के पैसे के लिए कंजूसी की जाती है और जहां पानी ज्यादा मिलता है वहां पर हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं और धन का दुरुपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो फेमिन का पैसा आता है, जो बजट आता है, वह विवेकपूर्ण तरीके से खर्च नहीं होता है। इससे जनता को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और हम लोगों का यहां बैठना, यहां आना या गला फाड़ कर शिकायतें करना और हाथ जोड़ना कोई वक्त नहीं रखता है। मेरा निवेदन है कि जो बजट का एलोकेशन हो, उसको ठीक ढंग से और क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना बहुत आवश्यक है। काफी स्थानों पर आप देखते हैं कि पॉलिटिकल सड़कें भी बनी हुई हैं। मेरे क्षेत्र की बात आपके सामने कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर कम से कम गत फेमिन यानि 12 वर्ष पूर्व 10-12 सड़कें बनी थीं लेकिन वे सड़कें लाखों रुपये व्यय होने पर भी काम में नहीं आ रही हैं। क्या कारण है। आपसे किसने कहा कि सड़कें बनाओ? लेकिन सड़कें बनाने के बाद कितना ध्यान राजस्थान सरकार का व्यय होने के बाद उन सड़कों पर दिया गया? दुख है कि ऐसी सड़कों पर आज तक एक वाहन नहीं चल रहा है, एक गाड़ी नहीं चल रही है। तो क्या जरूरत है, ऐसी सड़कों की? ये लोगों को गुमराह करने की सड़कें हैं। इस तरह की सड़कें, मैं कहता हूं, देश के विकास को गति नहीं दे सकती मेरी मान्यता है कि जहां-जहां ये सड़के मेरे क्षेत्र में बनी हुई हैं, ये आज तक अपूर्ण हैं। वे क्यों नहीं पूरी की जाती हैं। यह जनता का पैसा क्यों अपव्यय किया गया है? मेरा कहना है कि नयी नयी सड़कें नहीं खोलना चाहते हैं, इसको सरकूलेर लेकिन जो पूर्व फेमिन के अन्दर लाखों रुपये इसके अन्दर व्यय हुए हैं, वह आज तक सड़कें हैं, उनको पूर्ण क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है ताकि जो जनता का पैसा खर्च हुआ है, उसका सदुपयोग हो सके और आम जनता और काश्तकारों को फायदा मिल सके। मेरे क्षेत्र के अन्दर पश्चिमी भाग ऐसा है जहां न तो धरती में पानी है और न और कोई जगह पानी है, बरसात बहुत ही कम होती है, धरती के अन्दर पानी खारा है और दूसरा कोई सोर्स पेयजल का नहीं है। मेरे क्षेत्र में ऐसे कम से कम 40 गांव हैं जहां पानी का भयंकर संकट है लेकिन संकट के विमोचन के लिए, उस संकट को मिटाने के लिए आज तक कोई कारगर कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। मेरी मान्यता है कि इस सम्बन्ध में जहां तक हो सके, ऐसे स्थानों को अन्य स्थानों से, ट्यूबवैल बनाकर पानी उपलब्ध कराया जाय ताकि क्षेत्र को पानी दिया जा सके और जो लोग पानी के अभाव से दुखी हैं, उनको राहत मिल सके। मेरी मान्यता है कि इस बजट के अन्दर जो प्राथमिक शालाओं की संख्या काफी घटा

(श्री कनकराज मेहता)

जी है, यह एक समस्या है। मेरी मान्यता है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है वे इसे कम्पल्सरी करना तो दूर रहा लेकिन इस बजट के अन्दर आज प्राथमिक शालाओं की संख्या घटायी है जो एक अच्छी बात नहीं है। यह देश के विकास के अन्दर, प्रगति में सहायक नहीं होकर बाधक होगी। जब आप कालेज नहीं खोल रहे हैं, हाई स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं और प्राथमिक शालाओं के अन्दर कंजूसी बरत रहे हैं, तो वह इस देश के विकास अन्दर बाधक सिद्ध होगी। मेरी मान्यता है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर लूणी नदी बह रही है लेकिन उस नदी का आज तक सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। इस नदी से कटाव के कारण लाखों रुपये की कीमत के खेत कट गये हैं, कई खेत हैं जो मिट्टी से दब गये हैं लेकिन उनको कोई राहत नहीं दी गई है। लूणी के अन्दर जहां पानी पड़ा रहता है वहां खार बढ़ता जा रहा है। इसका पूरा सर्वेक्षण नहीं होने के कारण हमारी तहसील की कई एकड़ भूमि है, वह बेकार होती जा रही है। मैं कहता हूं कि यदि राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो मेरे खयाल से वहां का काश्तकार थोड़े ही दिनों के अन्दर भूमिहीन होता नजर आयेगा। तो मेरी मान्यता है कि इस वर्ष के अन्दर इस लूणी नदी के अन्दर जो आने वाले खेत हैं जो आने वाली भूमि है उसका पूर्ण रूप से सर्वेक्षण किया जाय। इस क्षेत्र में दिनोंदिन खार व नदी का कटाव बढ़ रहा है, उसकी यदि रोकथाम नहीं की तो मेरे खयाल से हमारे सांचौर के अन्दर जो काश्त का धन्धा करने वाले हैं वे थोड़े ही अर्से में बिलकुल बेकार हो जायेंगे। एक और मेरी मान्यता है कि सरकार ने जो ऐलान किया है कि नया टैक्स नहीं लगेगा, मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं लेकिन टैक्स नहीं लगाना ही काफी नहीं है। जो बजट घाटे का सालों साल चला आ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूं कि हर वर्ष का बजट होता है, वह एक शोचनीय बजट नहीं है। इसकी पूर्ति किस ढंग से की जानी चाहिये, इसकी व्यवस्था और विमोचन किया जाना, बहुत ही जरूरी है ताकि राजस्थान की बहुमुखी प्रगति हो सके।

घाटा किस कारण होता है? मैं मानता हूं कि काफी डिपार्टमेंट के अन्दर नियंत्रण नहीं है, कई डिपार्टमेंट्स का खर्चा फालतू होता है। जैसे मलेरिया का डिपार्टमेंट है उसके अन्दर किस तरह से रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई अधिकारी लोग घर जाते हैं, खाना खाने जाते हैं तो जीप के बिना नहीं जा सकते। लोग सब्जी लेने भी जायेंगे तो जीप में बैठ कर आते हैं। इस तरह की गड़बड़ियां हैं। धन का दुरुपयोग हो रहा है, अपव्यय हो रहा है उसका कारण यही है कि उन पर नियंत्रण नहीं है। यह देश हित में सरासर अन्याय है। इन पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो मेरे खयाल में यह जो राजस्थान सरकार का घाटे का बजट है वह कभी ऊंचा नहीं आ सकेगा। मेरी यह भी मान्यता है कि यहां पर जो हम लोग अपने क्षेत्र की शिकायतें लेकर आते हैं उनका भी पूरी तरह से हमारे क्षेत्र को मांगों के माफिक निराकरण नहीं होने से हम लोगों को बड़ी भारी शर्मिन्दगी महसूस होती है। हमें अपने क्षेत्र में बड़ा शर्मिन्दा होना पड़ता है। हम जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं लेकर आते हैं उन समस्याओं

(श्री कनकराज मेहता)

पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाकर उनका विवेचन कर निराकरण किया जाना आवश्यक है। जब तक यह नहीं किया जाएगा, तब तक विधायकों को अपने कर्त्तव्य का पालन जिस ढंग से करना चाहिये वह ठीक तरह से नहीं हो सकेगा और हम अपने आप को एक विधायक के रूप में जस्टीफाई नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो चिकित्सालय खोले हैं वे भी जहां-जहां पर खोले जाने चाहियें वहां नहीं खोले जाते हैं। चिकित्सालयों के अन्दर कहीं डाक्टर नहीं हैं तो कहीं कम्पाउण्डर नहीं हैं तो कहीं पर नर्सेज नहीं हैं। आज हमारे सांचोर के अन्दर सबसे बड़ा शफाखाना प्राइमेरी हैल्थ सेन्टर है लेकिन वहां पर भी न तो नर्स है, न कम्पाउण्डर है और डाक्टर भी एक ही है। करीब डेढ़ लाख की जनसंख्या के ऊपर भी इस तरह की हालत हो तो उस पर विचार किया जाना आवश्यक है। मेरी यह भी मान्यता है कि जो रेवेन्यू सैक्शन है वह भी राजस्थान के अन्दर ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। हमारे भीनमाल सब-डिवीजन के अन्दर जो सहायक जिलाधीशों की पोस्टें हैं

(5.02 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

वह क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज गोचर भूमि, अगोर भूमि, पड़त भूमि बुरी तरह से बेची जा रही है। उस पर पूरी तरह से कण्ट्रोल नहीं है। मेरी मान्यता है कि जो रिटायर होने वाले हैं, अगर उन लोगों को इन डिवीजनों में भेजा जाता है तो वे लोग बखेड़ा-बाजियां करके ऐसी गोचर भूमि नाड़ी की भूमि को जो बहुत कीमती होती है का बेचने में लगे हुए हैं। इस पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है. यह बड़े अफसोस की बात है। अगर इस तरह से रेवेन्यू अथॉरिटी जमीन बेचने का जेबों का जरिया बनाना चाहती है तो वह बर्दाश्त नहीं होना चाहिये। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? कम से कम सो डेढ़ सौ मुकदमे इस सब-डिवीजन भीनमाल के अन्दर ऐसे हैं जिनमें असिस्टेन्ट कलेक्टर गोचर, पड़त, अगोर और नाड़िया जैसी भूमि के पट्टे देने में लगाये गये हैं। उन पट्टों को देने के बावजूद खुद अधिकारी ने उस भूमि को वापस एग्रीकल्चरल भूमि में कन्वर्ट करने के आदेश दिये हैं। यह क्या कानून की ऐसी ही मंशा है? मैं कहता हूं कि यह कतई कानून की मंशा नहीं है। अधिकारी इस तरह का डिवीजन नहीं ले सकते। इस तरह की भूमि गोचर भूमि को काबिल काश्त के अन्दर कन्वर्ट करने का कानूनन उनका अधिकार नहीं है। लेकिन आज तक इस पर नियन्त्रण नहीं हो हो पाने के कारण जनता काफी दुखी है। इधर तहसीलदार लोग 91 के मुकदमे लगा रहे हैं और वह भी इस अकाल में वर्ष में चलाए जा रहे हैं। क्या वजह है कि आज रेवेन्यू कानून को पास हुए इतना अर्सा हो गया है लेकिन 91 के केसेज होते जाते हैं, समझ में नहीं आता है। क्या भूमि रबड़ है कि खींचने से बढ़ जाती है। लेकिन यह बात सही है कि उन्होंने अपनी जेबों के जरिए बना रखे हैं। पटवारियों ने जेबों के जरिए बना लिए हैं। तहसीलदारों ने जेबों के जरिए बना लिए हैं।

(श्री कनकराज मेहता)

गोचर भूमि पर 91 के मुकदमे प्रत्येक वर्ष के अन्दर लिये जाते हैं किन्तु उसका नक्शा व एरिया नहीं है। उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। दरअसल होना यह चाहिये कि कम से कम ऐसी भूमि का डिमार्केशन होना जरूरी है। कृषि भूमि पर 91 के मुकदमे चलाये जा रहे हैं लेकिन वह पटवारी की मर्जी से चलाये जाते हैं। जो काश्तकार पटवारी को खुश नहीं रख पाता है उसका नाम दे दिया जाता है कि उसका नाजायज कब्जा है, लेकिन मौके पर जाकर आज दिन तक किसी भी तहसीलदार ने न तो भूमि को नापा है और न उसका निराकरण किया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो रेवेन्यू साइड में जमीन है, अधिकारी लोगों के द्वारा 91 के मुकदमे बनाए जा रहे हैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जो इस तरह की कार्यवाही की जाती है और जनता का शोषण किया जाता, इसको बन्द किया जाना चाहिये। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाय।

अन्त में इस बजट के सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ अच्छाइयां भी हैं। कोई टैक्स नहीं है। कुछ शरणार्थियों को बसाने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन साथ में यह भी मेरी मान्यता है कि इन अच्छाइयों के कारण पूरा बजट अच्छा नहीं हो सकता है।

जो मैंने अपने क्षेत्र की कमियां बताई हैं और रेवेन्यू साइड के अन्दर जो जनता को गलत निर्णयों से दुख पैदा हो रहा है और जनता दुखी है उसको मिटाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल शर्मा !

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष जी, सन् 1980-81 का बजट हमारे मुख्य मंत्री ने इस सदन में रखा और कल से उस पर बहस की जा रही है। हां पक्ष और ना पक्ष, दोनों तरफ के सदस्यों ने बहस में भाग लिया और दोनों का यह निश्चित मत है कि बजट दिशाहीन है। चाहे हां पक्ष वाले उसको दूसरे शब्दों में व्यक्त करें। वे स्वागत करते हैं तो कहते हैं परन्तु उसके बाद बजट का कोई गुणगान कोई भी हां पक्ष का सदस्य कर पाया हो ऐसा मैंने नहीं देखा। इससे मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि वास्तव में बजट दिशाहीन है। घाटे का बजट बनाने का एक फैशन हो गया है। आप सेंटर को देखो, स्टेट्स को देखो और राजस्थान का पिछला बजट देखो। यह बजट भी घाटे का है घाटे की पूर्ति के लिए जो प्रावधान रखे जाते हैं वह विशफुल थिंकिंग होती है। अब इस बजट में जो घाटे को पूरा करने के लिए जो प्रावधान बताये गये हैं जो अनुमान लगाये गये है उनमें शराबबन्दी के बारे में फिर से सोचना। दूसरा, भूमि को बेचना और तीसरा एग्रीकल्चर भूमि को आबादी में कन्वर्ट करना। यह तीन मुद्दे इन्होंने घाटे की पूर्ति के लिए रखे हैं।

अब मैं एक एक मुद्दे पर आऊं तो शराबबन्दी आपने की, बहुत सोच समझ कर की और वाजिब था करना अब आज फिर किसलिए सोचने लग गए कि ताजा-

(श्री हजारी लाल शर्मा)

यज शराब बनती है। जिससे सरकार को नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, जो नाजायज शराब बनती है और आज उसको रोक नहीं सकते। इसलिए आप उस पर पुनर्विचार करने के लिये ही तैयार हो रहे हैं कि शराबबन्दी खतम कर दी जाय। यह बहुत अहम् मसला है कि हमारे बद्री-प्रसादजी गुप्ता जैसे आदमी केबिनेट में बैठे हुए हैं, गांधीवादी हैं और वह शराबबन्दी के बारे में फिर से विचार करने पर सोच रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूं कि जिस चीज को इतने वर्षों से कोशिश करते-करते आप बन्द कर पाये उसको फिर से खोलने का विचार आप करना चाहें इतने से टाइम में, यह मैं समझता हूं कि रिट्रोग्रेड स्टेप है। यह कोई अच्छा स्टेप नहीं कहा जा सकता है। प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं कहा जा सकता है।

दूसरा, जो आपने कि घाटे को पूरा करने के लिये वह लिया है कन्वर्शन आफ लैण्ड, लेने के लिये मेरी निश्चित मान्यता है कि जिस जमीन पर आबादी हो सकती थी वह हो चुकी है और आपकी यह ताकत नहीं है कि उन आबाद लोगों का हटा कर कन्वर्सन चार्जेज ले लें। उनसे वसूल होने वाला कुछ नहीं। दूसरा आपने लिया है कि कैनाल एरिया पर जमीन का आवंटन और नीलामी। इसमें कुछ मिल सकता है आपको। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इतना बड़ा घाटा तीन मुद्दों से पूरा कर लेंगे। कभी नहीं हो सकता। इसमें जो मुख्य बात है कि वह यह है कि जितना प्रावधान किया है अगर उस रुपये को सही मायने में इस्तेमाल कर लिया जाय तो कमी नहीं है। लेकिन इसका सही उपयोग हो रहा है क्या? यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेन्ट पाइंट है। आप घर का बजट बनाते हैं। दो अध्यापक हैं, अपने घर का बजट बनाते हैं, 500 रुपया तनख्वाह मिलती है। एक का कार्य सुचारू रूप से चलता है, दूसरे का रुपया 25 दिन में पूरा हो जाता है। इसलिये कि एक की गृहिणी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। इसलिये उसका प्लानिंग गलत होने के कारण 25 दिन में खर्च हो जाता है दूसरे का 30 दिन मजे में चल जाता है। यही सरकारी हिसाब में सबसे बड़ी कमी और दिक्कत है, मिस यूटिलाइ-जेशन आफ फण्ड्स। एक बार इसको रोक लें तो मैं समझता हूं कि जो रुपया आवंटित किया है वह कम नहीं पड़ेगा। मैं आपको कांक्रीट उदाहरण दूंगा कि आज कहां कहां मिस यूटिलाइजेशन होता है। मैं उदाहरण दूं, बद्री प्रसाद जी सरकार के मिनिस्टर हैं। मेरे क्षेत्र में एक गांव है काजड़ा, उसमें आपका मेडिकल एड पोस्ट काम करती है 5 साल से। उसमें तीन आदमी काम करते हैं, तीन का वेतन और करीब 1 हजार रुपये की दवा उठती है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि एक दिन भी उस गांव में आपके विभाग का आदमी आया हो तो बता दें। अगर वही रुपया ठीक ढंग से इस्तेमाल होता तो वह मिस यूटिलाइज नहीं होता। लेकिन वह बेकार गया या नहीं? इसी तरह से स्कूल खोले आपने अनाप शनाप। लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया। मेरे ही क्षेत्र का बता रहा हूं, दो गांव हैं बड़सरी का बास और कीडवाना। कीडवाना में 800 लड़के हैं और बड़सरी का बास में 125। दोनों में ही मिडिल स्कूल है। बड़सरी के बास में तीन कमरे

(श्री हजारीलाल शर्मा)

और कोडवाना में नौ कमरे। बडसरी के वास में स्कूल खोला, कोडवाना में नहीं। क्यों? क्योंकि बडसरी वास के आदमियों ने कुछ नेताओं को बुलाकर पैसा दे दिया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां 400 लड़के थे वहां स्कूल खोलते तो यूटिलाइजेशन ठीक होता या 125 लड़कों पर खोला वहां ठीक हुआ।

इसी तरह से पुलिस के महकमे में भी आपने ऐसी मजेदार व्यवस्था की है कि चार आई जी बना दिये, अब तक एक ही हुआ करता था अब चार कर दिये और चारों ही ट्रांसफरेबल पोस्टें कर दी एक की जगह दूसरा आ सकता है। मतलब यह हुआ कि None of them is responsible for the Government. यदि चार आई जी को फायदा देना था, चार आई जी को प्रमोट करना था तो कम से कम एक डाइरेक्टर जनरल तो बनाते, एक को उनसे सुपीरियर तो बनाते तब तो बात समझ में आती कि आपका जजमेंट वाजिब है, लेकिन चारों को बना कर आपने सारा ही मामला साफ कर दिया। एक मस्जिद और एक मंदिर का मामला था। मंदिर को हटाकर मस्जिद बना दी तो एक शायर ने लाइन बनाई कि—

शेख ने मस्जिद बना मिस्मार बुतखाना किया, उसका जवाब आया

पहले एक सूरत तो थी, अब साफ वीराना किया।

तो पहले एक आई. जी. तो था, कुछ तो समझ में आता था, कुछ तो काम होता था अब तो पूरा ही साफ कर दिया।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम।

श्री अध्यक्ष : कोरम की चिन्ता मुझे भी थी लेकिन तीस है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात)

प्रारंभ कीजिये।

श्री हजारीलाल शर्मा : तो मैं बता रहा था कि प्रशासन पर आपका जितना खर्चा होता है वह खर्चा अगर सही हो तो मैं समझता हूं कि जितने रुपये का प्रावधान है वह ठीक होगा लेकिन प्रशासन जिस तरह से चला रहे हैं उसमें मिस यूटिलाइजेशन आफ फण्ड्स हो रहा है वह आपको परेशान करता है और वह घाटे का सौदा बना हुआ है।

जो जो चीजें कंट्रोल से उपलब्ध होती है जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसीन, शुगर, सीमेंट ये सारी आवश्यक वस्तुएं हैं और यह सही है कि जितनी मात्रा में इनकी जरूरत है उतनी उपलब्ध नहीं होती लेकिन जितनी उपलब्ध होती है उनका अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाय सही ढंग से उसका वितरण किया जाय तो वह कम नहीं होगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हमारे यहां डीजल की कितनी बड़ी शार्टेज है कम से कम 50-60 ट्रेक्टर वाले पेट्रोल पंप पर लाइन बनाकर खड़े होते हैं और पूरे दिन इंतजार करने पर भी उनको डीजल मिल जाय यह गारंटी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो फ्री हो गया है।

श्री हजारीलाल शर्मा : सुनिये, आपको बोलने की बहुत जल्दी रहती है, पहले सुन तो लीजिये। उस जमाने में कितनी शार्टेज थी। एक इन्फोर्समेंट इंसपेक्टर जिसका नाम श्री रामचन्द्र जी है झुंझुनू में पोस्टेड थे, वे चिड़ावा गये और अपने एक रिश्तेदार के नाम पर ट्रेक्टर था उस नाम से उन्होंने 200 लीटर का परमिट बनाया और 200 लीटर का परमिट बना कर पैट्रोल पम्प के मालिक से 200 लीटर डीजल ले लिया और वहीं 6 रुपये के भाव से बेच दिया। इस बात को रखा गया विजिलेंस कमेटी की मीटिंग में। इस बात के प्रमाण दिये गये, पैट्रोल पंप से उसके कागज प्राप्त किये गये। एस. डी.एम. द्वारा इन्क्वायरी की गई। यह सही पाया गया 200 लीटर के बारे में ई.आई. ने रामसिंह ड्राइवर के नाम से खुद एप्लीकेशन लिख कर दी खुद ही आर्डर किया जबकि वह इसके लिये सक्षम नहीं था परमिट काटने में। उस वक्त जो डी. एस. ओ. थे उनको अधिकार था 60 लीटर पेट्रोल को परमिट काटने का और ई. आई. को कोई परमिट काटने का अधिकार नहीं था फिर भी खुद फार डी.एस. ओ. अपने दस्तखत करके इश्यू किया, डीजल प्राप्त किया और बेच दिया यह सिद्ध हो गया एस.डी.एम. ने इन्क्वायरी करली। 200 लीटर का गलत तरीके से परमिट प्राप्त किया। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों ? इसका कारण क्या है। वह सज्जन इन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर हमारे राजस्थान के कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता के रिश्तेदार हैं। सिर्फ इस कारण से उस आदमी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरा उदाहरण एडमिनिस्ट्रेशन का आपको मैं दूं। ओल्ड ऐज पेन्शन आप ग्रान्ट करते हैं। जो असहाय है, डिसएबल्ड हैं, काम के लायक न रहे, और दूसरा कोई सहारा जीवनयापन का न हो, उसको आप पेन्शन ग्रान्ट करते हैं, 40 रुपया, तीस रुपया, 60 रुपया या 70 रुपया। इस तरह से चिड़ावा में एक हरिजन महिला जमुना नाम की थी उसको पेन्शन दी गई। पेन्शन मिलते उसको चार साल हो गये और एक दिन अचानक उसकी पेन्शन बन्द हो गई। वह जगह-जगह फिरी। तहसील में गई। केशियर के पास गई। एस. डी. एम. के पास गई। कलक्टर के पास गई। मेरे पास में भी आई। मेरी पेन्शन क्यों बन्द हो गई। मुझे मालूम नहीं। कोई इन्क्वायरी हो, कोई शिकायत हो उसकी। तहसील से मालूम हुआ कि उसके खिलाफ शिकायत है। शिकायत यह है कि उसका लड़का ईराक में बिजनेस करता है। इसलिये इसको जरूरत नहीं है। जबकि उसके कोई लड़का नहीं हुआ। ईराक में कमाने का कोई प्रश्न नहीं है। उसके कोई लड़का नहीं हुआ है जन्म से। उसके एक लड़की जन्मी और वही कारण रहा उसकी पेन्शन बन्द होने का। उस लड़की के दो लड़कियां है। वह नानी के पास आकर रहने लगी। हाकिम साहब की तबीयत बिगड़ी उस एक लड़की से दुर्व्यवहार करने के लिये। वह शादीशुदा थी और अपने पति को छोड़कर आई हुई थी। चलता रहा। अब हाकिम की मांग हुई कि जो दूसरी लड़की अनमेरिड है उसको पेश किया जाये। This she could not do वह कारण था उसकी पेन्शन बन्द होने का। बराबर वह मांग की जाती रही। उसने दोनों लड़कियाँ

(श्री हजारीलाल शर्मा)

को अपनी माँ के पास दिल्ली में भेज दिया। उसने साफ इन्कार कर दिया। मेरा खयाल है कि सात महीने तक उसकी पेन्शन बन्द रही। फिर विजिलेन्स कमेटी की मीटिंग में इस पाइन्ट को उठाया क्यों कि मुझ को सारी बात की जानकारी, तथ्य मालूम हो गये थे। इसलिए मैंने विजिलेन्स कमेटी की मीटिंग में इस प्रश्न को उठाया और कलेक्टर ने कहा मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। जब आप यह कह रहे हैं आपका सिर शर्म से झुक रहा है फिर भी उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। अब यह एडमिनिस्ट्रेशन है। आप इस एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर यह चाहते हैं कि विकास हो, हमारे सब कार्य ठीक हो जाये तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का भट्टा कैसे नहीं बैठेगा।

मैं और उदाहरण पेश करूंगा आपके सामने। फेमिन में आप बराबर प्रभाकरजी यह जवाब दे चुके हैं कि सब मजदूरों को पैसा मिल चुका है को जिन्होंने काम किया है उनको पेमेन्ट हो चुका है। यह सरासर गलतबयानी है मैं आपको मेरे क्षेत्र के बारे में बता सकता हूं। कम से कम 90 हजार रुपया आज भी मजदूरों का बकाया है। आप जब पूछते हैं डिपार्टमेन्ट से तो आपका डिपार्टमेन्ट जवाब देता है कि सब चुकारा हो गया है। हम बोलते हैं तो आप चुप रहते हैं। पैसा नहीं चुकाया है। मजदूर रो रहे है, परेशान हो रहे हैं परन्तु आप नहीं मानते हैं। आपको यह साहस, नहीं है कि आप अपनी तरफ से इन्क्वायरी करवा लें और गलत बयानी जो आपसे कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। यह हिम्मत नहीं है। यह क्यों नहीं है। मैं आउट स्पोकन हो रहा हूं। लेकिन दुख हो रहा है मेरे हृदय में इसलिए बोल रहा हूं। हम सब लोग जो बैठे हैं वे सब भले आदमी हैं। परन्तु हम सारे ईमानदार नहीं है, अच्छे आदमी नहीं है दोनों तरफ। मैं एक तरफ की बात नहीं कह रहा हूं। हम सारे एक जैसे हैं। असलियत यह है कि यह सरकारी कर्मचारी जो गड़बड़ी करते हैं, रिश्वत खाते हैं बदइन्तजामी करते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं, वह सारे इतने होशियार हैं वे यह देखते हैं कि यह आदमी तंग कर सकता है यह आदमी बदमाशी कर सकता है तेरी पोल खोल सकता है उसके पहले ही वे उसको पटा लेते हैं। उसको नाजायज तरीके से फायदा दिलाते हैं। वह चक्कर में नहीं आता है तो उसके लड़के को, उसकी औरत को चक्कर में लेते हैं, उसके नौकर को लेते हैं। इस तरह से उसमें मिल जाते हैं कि हमारा कोई साहस नहीं होता है कि हम उसके खिलाफ बोल सके और उस आड़ में वह अधिकारी अपना उल्लू सीधा करते हैं और पूरे राष्ट्र का नुकसान करते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें अधिकारी पैसा देते हैं। जो अधिकारी हमको चुनाव के लिए दस हजार रुपया देगा उसकी रिश्वत की हम शिकायत करेंगे? वह हमसे डरेगा? क्या वह हम को मानेगा कि यह कोई आदमी है मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदय जब तक हमारे देश में इस चुनाव प्रक्रिया के अन्दर पैसे की कीमत रहेगी, पैसे का प्रभाव रहेगा तब तक यह मानना कि करप्शन दूर हो जायेगा, देश की हालत ठीक हो जायेगी,

(श्री हजारीलाल शर्मा)

तो मैं समझता हूं कि असंभव है। जो पैसा हमको देता है चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे वह पूंजीपति हो, चाहे वह और कोई हो, मिल मालिक हो, वह हमेशा नाजायज फायदा उठाना चाहेगा और हम उसका विरोध नहीं कर सकेंगे। इसमें कोई एक दिन का काम नहीं, एक आदमी के वश का काम नहीं है लेकिन यह निश्चित् बात है, यह एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जब तक हमारी राजनीति के अन्दर, हमारी चुनाव प्रक्रिया के अन्दर पैसे का महत्व रहेगा तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया !

श्री भंवरलाल शर्मा : आप के यहां कालेज खुल गया है।

श्री खेतसिंह : आप डिस्टर्ब मत करिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपके पास में बजट है उसको पढ़ लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं है तो नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : याद दिलाया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन के अन्दर 1981-82 का अनुमानित आय-व्ययक पत्रक प्रस्तुत किया है उसको आद्योपान्त पढ़ा है। घाटे के बजट के बावजूद भी कुछ ऐसी रियायतें दी गई हैं जो नहीं के बराबर हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो धन्यवाद के योग्य हैं कुछ बातें ऐसी हैं जो आलोचना के लायक हैं।

मैं सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करूंगा कि पिछले बजट में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे वे कहां तक पूरे किये गये और उनकी क्रियान्विति में किस तरह से पक्षपात किया गया है यह इस सारे सदन को समय-समय पर अवगत होता रहा है। मैं सारे राजस्थान के लिये नहीं अपनी क्षेत्र के लिये विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी जो कि पिछले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने तो जरूर मेरे क्षेत्र में एक मिडिल स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल और एक दसवीं क्लास का स्कूल खोला है। वह खोला, दूसरे जितने भी विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किये थे उन्होंने कोई काम नहीं किया बल्कि उल्टा काम किया कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न किया। यह इन्होंने अपनी इच्छा से किया है या किसी के इशारे पर किया है यह मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि सभ्यता संस्कृति और सौम्यता का अर्थ कहीं बुजदिली तो नहीं समझा गया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल सही बात है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया [illegible] हमने मांग की थी कि हमारे यहां पर औषधालय खोला जावे। उसके लिये एक लाख रुपये की बिल्डिंग बनकर तैयार थी लेकिन उस सीतसर गांव में औषधालय नहीं खोला और मालूदासर में जो पहले औषधालय था उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया। इस

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

तरह की व्यवस्था राज्य में है तो सोचना पड़ेगा कि धन्यवाद दें या ओलमा दें। यह जहां हम बैठे हैं यह एक पवित्र स्थान है···

एक माननीय सदस्य : तो फिर अपवित्र कौनसा है ?

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : और इसलिये जनता इस पवित्र सदन से यह आशा रखती है कि यहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा···

श्री भंवरलाल शर्मा : परन्तु यहां तो दूध का भी पानी कर दिया।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : इसी तरह कृषि विभाग जो कृषि उपज मंडी को भी सम्भालता है, रतनगढ़ में कृषि उपज मंडी समिति नहीं है उसको सुजानगढ़ मंडी समिति से जोड़ रखा है। गत वर्षों में वहां से लाखों रुपया वसूल हुआ है और हो रहा है लेकिन उसमें से आज तक एक भी पैसा रतनगढ़ के किसानों के लिये खर्च नहीं हुआ है। मैंने आशा और विश्वास के ऊपर और पुराने ताल्लुकात को ध्यान में रखते हुये एक छोटी सी मांग कर ली कि वहां पर अलग मंडी समिति बना दी जाय फिर भी मंजूर नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सूचित करना चाहता हूं कि यदि वहां के किसानों के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया तो भविष्य में इस प्रश्न पर सोचा जायेगा कि जो वसूली है वह चालू रखी जाय या बंद की जाय। यह तो नहीं हो सकता है कि लम्बे अर्से तक इस बात को बर्दाश्त किया जा सके। लाखों रुपया रतनगढ़ से इकट्ठा होकर सुजानगढ़ जाता है और वहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है सरकार से बार-बार मांग करते हैं पर उसके साथ अन्याय होता रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

जितने सदस्य यहां पर बैठे हैं वे सब जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। यदि हम जनता की भावनाओं को आशा और आकांक्षाओं को इस सदन में प्रस्तुत नहीं करेंगे सत्यता के साथ तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात सबको समझायें।

एक माननीय सदस्य : सबको ही सुना रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : मैं एक छोटी सी बात निवेदन करूं, आपके माध्यम से कि आप एक व्यवस्था कर दें। जयपुर बस स्टेण्ड, जिसको सिंधी कैम्प भी कहते हैं, पर एक विद्युत् स्वचालित घड़ी है, वह एक जगह फिक्स है। मैं जब से जयपुर में बहैसियत एम. एल. ए. आया हूं उसको बंद देखता हूं कहीं दो बजकर कितने मिनट हो जाते है तो दूसरी तरह पश्चिम की तरफ बजते हैं···

श्री भंवरलाल शर्मा : पौने आठ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : 10 बजकर 17 मिनट हो जाते हैं। इसके लिए मैंने अध्यक्ष रोडवेज को लिखा, रोडवेज के मंत्रीजी को लिखा लेकिन वह यथावत खड़ी है, वह बंद पड़ी है...

एक माननीय सदस्य : इसके लिये बजट प्रोविजन नहीं हुआ है इसलिए ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : इस बजट के अन्दर संस्कृत भाषा के लिये एक अकादमी का जो सुझाव दिया गया है जो योजना दी गई है उसके लिए मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं···

एक माननीय सदस्य : खुलने तो दें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : विश्वास करें वह हो जायगा । इसके साथ एक सुझाव देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थानी हो तो आपकी भाषा राजस्थानी के वास्ते भी आपा ने एक अकादमी री स्थापना करनी चाहिये। आप आपणा आसन सूं समझाये दें तो जल्दी समझ में आ जासी । यह बात आपसे निवेदन करूंगा और विश्वास करूं हूं कि हमारी भाषा जो राजस्थानी है वाकी भी एकेडेमी री स्थापना या सरकार करे ली ।

एक माननीय सदस्य : हमारी बृज भाषा है···

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : बृज भाषा की भी अकादमी स्थापित करें अगर वा राजस्थानी भाषा है तो ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो ही जिलों में है और कहीं नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश में है मान्यता ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : अध्यक्ष महोदय, तीन चार चीजों पर छूट दी गई है। एक तो नेत्रहीनों का जो कागज है उस कागज पर छूट दी है और दूसरी ब्रेल ही घड़ी है उस पर छूट दी हैं। नेत्रहीन कितने हैं राजस्थान में...

एक माननीय सदस्य : ज्यादातर हैं !

एक माननीय सदस्य : दो करोड़ हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : तीसरी छूट हाथ से चलने वाली पत्थर की चक्की है उस पर दी है। चौथी छूट है लकड़ी की बनी हुई हाथ से चलने वाली गाड़ी पर। अब प्रसन्नता भी होती है कि घाटे के बजट के होते हुए भी इतनी बड़ी रियायतें दी गई है और जब इनकी उपयोगिता को देखते हैं तो हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है ।

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी शर्म करो ।

श्री गोपाल पचेरवाल : पिछली बार बेलन को लिया था इस बार चक्की को ले लिया है ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : बीती बात बिसारिए और आगे की सुध लें। इसमें यह है कि सरकार की मंशा वाकई लकड़ी की बनी गाड़ी को कर मुक्त करने की है तो उसमें यह जोड़ा जाना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर और शहरी क्षेत्रों के अन्दर पशुचालित लकड़ी की बनीहुई गाड़ी कर मुक्त हो। यह मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं । आप अपने आसन से समझा देंगे तो मान जायेंगे, मेरी बात तो शायद नहीं मानें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ जाओ इधर।

(132)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : पानी के बारे में निवेदन करूं, राजस्थान में कई वर्षों से सूखा रहा है। मैंने इस सदन में आने के बाद भरतपुर, गंगानगर, कोटा के प्रतिनिधियों से सुना कि उनके यहां भी पानी की व्यवस्था नहीं है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो यही मानकर चलते थे कि गंगानगर में नहरें हैं, कोटा और भरतपुर सरसब्ज-इलाका है लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि वे भी प्यासे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे क्षेत्र को जानते हैं, रेगिस्तानी इलाका है, हमारी क्या हालत है, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार कुछ कर भी नहीं रही है। शहरों के अन्दर, अभी मैंने बात की, शहरों के बाहरी इलाकों में जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और आर्थिक दृष्टि से शोषित, पीड़ित लोग, गरीब लोग रहते हैं, उनको पानी नहीं देवें, उनकी पानी की व्यवस्था नहीं करेगें तो शहर के बाहरी इलाकों में कोई धणीधोरी नहीं होगा, मैं समझता हूं, यह न्यायोचित नहीं होगा। बाहर इलाकों में भी पेयजल के लिए उचित धन राशि जरूर ही स्वीकृत करायें।

एक सुझाव आपको और देना चाहता हूं लेकिन आपके हाथ में वह है नहीं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। वह यह है कि अभी अकाल की स्थिति है और भारत सरकार भी अकाल से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को हृदय से सहयोग दे रही है। बिदासर से रतनगढ़ तक जो हाई वे नं० 11 है, वह बरसात के दिनों में टूट जाता है और कई एक्सीडेन्ट होते हैं। एक्सीडेन्ट होते हैं तब तो इसकी चर्चा खूब होती है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अकाल का मौसम है और यदि उस सड़क को ठीक करा दें तो उस एरिया के लोगों को काम मिल जायेगा काम के साथ-साथ सड़क का निर्माण भी हो जायेगा और भारत सरकार का जो लाखों रुपया खर्च होता है उससे बचत होगी, इसलिए आपके माध्यम से मैंने याद दिलाने के लिये निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह !

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : एक मिनट और देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कहिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : कल मुझे विपक्षी बेंचेज की तरफ से जब यह पैरा 21 दिखाया गया फिर उन्होंने कहा तो जब मैंने देखा, पहले भी घर पर देखा हुआ था उसके बारे में उनका यही इशारा था कि कालेज नहीं है। कालेज तो होगा, बेफिक्र रहें इसके लिए क्योंकि मुझे आत्म संतोष है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े आदमी जिन्होंने सदन के अन्दर आश्वासन दिया, मुझे अकेले को बुला कर नही दिया, आज तक अकेले से तो बात भी नहीं हुई, बात हो जाती तो अलबत्ता कालेज भी खुल जाता। मैं तो जो बात कहता हूं मेरे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन में कहता हूं और उन्होंने सदन में कहा है कि कालेज खुल जायेगा, पंडितजी, तो मैं उनका विश्वास करता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं और यह मानता हूं कि जो कुछ वे कहेंगे, करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : बड़ा धोखा है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : सरकार के खर्चे से नहीं करें तो मेरे दो सुझाव हैं। मुझे वैर का तो नहीं मालूम, अखबारों में पढ़ा था वैर में प्राइवेट कालेज की स्वीकृति दी है तो हमको भी दें। सरकार के बजट में घाटा है तो कम से कम भवन बनाने लिये स्वीकृति दे दें। न राज के पैसे की स्वीकृति, न भवन बनाने की, प्राईवेट रूप में भवन की स्वीकृति देंगे तो फिर हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ावें।

श्री महाराम चौधरी : वैर भेजें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : एक जून तक मैं इन्तजार करूंगा। एक जून का दिन मेरे लिये अच्छा दिन है क्योंकि उस दिन मेरे एम. एल. ए. बनने की घोषणा हुई थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जून 81, या 82

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : तो मैं एक जून तक इन्तजार करूंगा उसके बाद में मुझे क्या करना है, यह आप मेरे पर छोड़ दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह भी बता दीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : 1 जून, 1981 जो इसी साल आयेगी। मुझे ऐसी संभावना लगती है कि शायद जो गरीबों की इतनी बात सोचते हैं कि चक्की पर टैक्स हटा दिया तो हमारी जो समस्या है, अभी जब उत्तर देंगे तो कह देंगे, अच्छा, रतनगढ़ में कालेज खोल देंगे, ऐसी मुझे आशा है। न भी हो तो, नहीं सुनने की स्थिति में मेरे मन में घबराहट नहीं है। मैं संघर्ष प्रिय आदमी हूं। संघर्ष में मुझे विश्वास है। संघर्ष में ही मेरा जीवन बीता है। एक जून के बाद सरकार अपनी सोचे, मैं मेरी सोचूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह !

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, वित्तीय वर्ष 81-82 का बजट जो इस सदन में विचाराधीन है वह राजस्थान में व्याप्त प्राकृतिक विपदाओं के परिप्रेक्ष में यदि देखा जाय और जनता पार्टी के कुशासन से जनित जो आर्थिक दुर्गति हुई राजस्थान की उस परिप्रेक्ष में देखा जाय तो वह निश्चित रूप से एक सामयिक, साहसिक और सराहनीय कदम है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो भरतपुर जिला बोल रहा है।

श्री हरिसिंह : आप तसल्ली से सुन लीजिये जरा। यह कोई आवश्यक नहीं कि जो बात आपको प्रिय लगे वही इस सदन में बोली जाय। मैं आपसे निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी बजट को मूल्यांकन के लिये केवल बजट की आलोचना समालोचना करने के लिए यह नितान्त आवश्यक हुआ करता है कि उस समय प्रदेश में जो आर्थिक परिस्थितियां थीं उनका जायजा लिया जाय, उनका सिंहावलोकन किया जाय। उनका सिंहावलोकन हम यदि नहीं करेंगे तो केवल राजनीति के कारण कल्पनाओं की उड़ान भरेंगे। यदि इस वस्तुस्थिति को देखेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से यह बात छिपी हुई नहीं है कि जिस समय सरकार शासन में आई थी, उस समय राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या थी।

(134)

(श्री हरिसिंह)

मैं यह स्मरण नहीं कराना चाहता हूं आपके लिये उस समय कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं वह भी नहीं कहना चाहता क्योंकि यह सर्वविदित है कि सरकार ने राजस्थान के न सिर्फ गल्ले को बल्कि उसके खजाने तक को खाली कर दिया। मैं इसका एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सन् 1970-71 में जो राजस्थान की पर कैपिटा इनकम थी वह 620 रुपये थी। जिस समय वर्तमान सरकार ने यह शासन संभाला 1979-80 की प्रति व्यक्ति आय आंकी जाय तो वह केवल 498 रुपये थी। जनता पार्टी के शासन में 122 रुपये की प्रतिव्यक्ति आय घट चुकी थी। इस परिस्थिति के अन्दर किसी भी वित्त मंत्री के लिये संभव हो सकता था कि वह राजस्थान की गरीब जनता पर अधिक टैक्स लगा कर ऐसा बजट बना दे जो घाटे का बजट नहीं होता था ?

श्री गुलाबचंद कटारिया : रेफरेंस बुक का नाम।

श्री हरिसिंह : किताब है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (राजस्थान, जयपुर) इसका पृष्ठ है 56। 1970-71 की इनकम 620)। 1979-80 की इनकम 498)। 1970-71 का जो प्राइस लेवल है उस आधार पर जिस समय सरकार ने शासन संभाला उस समय 1970-71 के लेवल से राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 120) कम हुई। तो राजस्थान के वित्त मंत्री, जो मुख्य मंत्री भी है, उचित समझा कि घाटे का बजट प्रस्तुत कर राजस्थान की जनता को और अधिक टैक्स के भार से बोझिल नहीं करना चाहिये

श्रीमन्, कोई घाटे का बजट पेश करना नई बात नहीं। जितने डवलप्ड कन्ट्रीज हैं वे सब जिस समय आवश्यक होता है उस समय घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं और यदि यह बुरी अवस्था है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी वाले जिस बात को क्रिटीसाइज करते हैं कि घाटे का बजट क्यों पेश किया तो उन्होंने दो वर्ष घाटे का बजट क्यों पेश किया ? उन्होंने तो टैक्स लगाया फिर भी घाटे का बजट पेश किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने....

श्री गुलाबचंद कटारिया : थोड़ा सा रेफरेंस के लिये आप अपनी किताब को पढ़ना शुरू करें। 1976-77 का भी पढ़ लें, आपकी काबलियत ...

श्री हरिसिंह : जो अवरोध पैदा किया जा रहा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह : आप गलत बता रहे हैं।

श्री गुलाबचंद कटारिया : 620 से ही पढ़ना शुरू करें।

श्री हरिसिंह : 1970-71 में प्रति व्यक्ति आय 620) थी, 1979-80 में 498) रह गई। 120-122 रुपये प्रति व्यक्ति आय 1970-71 में भी कम थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1976-77 में क्या थी ?

श्री हरिसिंह : यह अपने उत्तर के समय बता दें।

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य कोई पाइंट्स उठाना चाहें तो दल की तरफ से एक माननीय सदस्य को अधिकृत कर दें।

श्री हरिसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में कि जनता पार्टी शासन ने 1977-78 का बजट 58.94 करोड़ का पेश किया और 1.15 करोड़ के नये कर लगाए थे। 1978-79 में आपने 26.40 करोड़ घाटे का बजट पेश किया उसके बाद 6 करोड़ रुपये के कर लगाकर....

श्री भंवरलाल शर्मा: तभी विकास हुआ था।

श्री हरिसिंह : क्या फर्मा रहे हैं ? विकास की बात कर रहे हैं। तसल्ली से सुन लीजिये। अभी बजट के अन्दर उन्होंने क्या रियायतें दी हैं चाहे न्यूनतम हैं लेकिन आपने टैक्स लगाते समय अपने सिद्धांतों को तिलांजली दे दी।

श्री अध्यक्ष : दहेज की बछिया के दांत नहीं देखे जाते।

श्री हरिसिंह : राजस्थान में पीने का पानी मिलता है उस पर अधिभार लगाकर पूरे राजस्थान की सेवा की थी, वह आज राजस्थान की जनता के लिए स्मरणीय रहेगा। किसी भी वित्त मंत्री का या मुख्य मंत्री का कर्त्तव्य होता है कि जितना भी समय उनको मिले 8-9 महीने का, वे इस बात का प्रयास करें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाय, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में कुछ बढ़ोतरी की जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का पूरा प्रयास किया गया और ये आंकड़े इस बात को साबित करेंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कितनी कोशिश की गई है। राजस्थान का 1979-80 का जो बजट था, बजट ही नहीं, जो आपके आंकड़े आये हैं जो अकाउंट्स कहते हैं, टोटल टैक्स रेवेन्यू 1979-80 की केवल 374 करोड़ थी 1980-81 में 392 करोड़ हुई और यह तब हुआ जब राजस्थान की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया। राजस्थान में 1300 स्कूल खोले गये, 25? हायर सेकन्डरी, 800 प्राइमरी और काफी मिडिल स्कूल खोले गये। उसके बाद यह इनकम....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1981-82 का बतायें।

श्री हरिसिंह : नान टैक्स रेवेन्यू आपके शासन काल में 279 करोड़ थी। 1980-81 में 338 करोड़। इस प्रकार राजस्व खाते में 1979-80 में कुल आय 653 करोड़ रु. थी जो 1980-81 में बढ़कर 730 करोड़ हुई। इस प्रकार 8-9 महीने में राजस्थान के राजस्व खाते में हमारे वित्त मन्त्री ने 77 करोड़ रुपये आपके मुकाबले में बढ़ाये। आप कहेंगे 77 करोड़ बड़ी राशि नहीं होती है तो आपने पिछले वर्ष 1978-79 के मुकाबले में 1979-80 में केवल 57 करोड़ की वृद्धि की थी और यह वह समय है जब निरन्तर दो वर्ष से अकाल पड़ता चला आ रहा है। श्रीमन्, यदि आप देखें कि टैक्स रेवेन्यू अधिक बढ़ी या नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ी इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1970-71 के.... ~

अनेक माननीय सदस्य: टाइम हो गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री खेतसिंह राठोड़ : (मुख्य सचेतक): सभा का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हरिसिंह : इण्डेक्स आफ नान टैक्स रेवेन्यू : 1970-71 का लेविल 100 है। 1979-80 में नान टैक्स रेवेन्यू का 380 प्राइस इण्डेक्स था, और 1980-81 में 460 का पहुंच गया है। इससे स्पष्ट हुआ कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इन आठ महीनों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्तमान बजट है, जितना पैसा है "जैसे पांच प्रतिशत ... और उसमें किस प्रकार से अलाटमेंट किया है राजस्व खाते में डवलपमेंट एक्सपेंडीचर इस बजट में 480 करोड़ रखा गया है और नान-डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर 213 करोड़ रखा गया है। राजस्व खाते में इस प्रकार 693 करोड़ का प्रावधान है। यदि दोनों को मिलाया जाय रेवेन्यू, कैपिटल और लोन्स को मिलाकर देखा जाय तो 1979-80 में यह खर्चा 815 करोड़, 1980-81 में 957 करोड़ और 1981-82 में 977 करोड़ रुपया हो गया। डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर और नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर का जो अनुपात है 69.24 पर्सेंट है। कोई भी बजट 70 पर्सेंट से ज्यादा डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता, यह माना हुआ सिद्धान्त है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस में लिखा हुआ है।

श्री हरिसिंह : आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिये नहीं तो take it from me जो इस बजट का एलोकेशन है, किन किन सर्विसेज पर क्या क्या पर्सेंटेज है, उसका मुलाहिजा करेंगे तो जनरल सर्विसेज पर 30.75 पर्सेंट, खर्चा प्रोवाइड किया गया है, सोशल सर्विसेज पर 40.14 पर्सेंट प्रोवाइड किया है, इकानामिक सर्विसेज के लिए 29.11 पर्सेंट प्रोवाइड किया गया है।

अब, अध्यक्ष महोदय, जनरल सर्विसेज और सोशल सर्विसेज के लिये राजस्थान जैसे प्रान्त के लिये किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिये, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लाजिमी बात सो यह होती है कि पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाय। शिक्षा में भी, श्रीमन्, प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाय जो कि राजस्थान की गरीब जनता के लिये ज्यादा आवश्यक है। तो श्रीमन् इस बजट में इस बात की तरफ ध्यान दिया गया है जो कि इस बजट में प्रावधित है। अगर आप मुलाहिजा करें तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी एजुकेशन पर इस बजट में 80.52 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह सैकण्डरी स्कूलों की शिक्षा के लिये 49.14 करोड़ रुपये प्रोवाइड किया गया है। इसी प्रकार नये आइटम,

(श्री हरिसिंह)

पर 3.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इस प्रकार कुल 133.41 करोड़ रुपया प्रावधित किया गया है। इसके अलावा भी और भी शिक्षा पर खर्च रखा गया है। इस प्रकार कुल शिक्षा पर इस बजट में 154 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया है। तो, श्रीमन् प्राइमरी ग्रौर सैकण्डरी स्कूल ग्राफ एजूकेशन पर 133.41 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। श्रीमन्, इससे ग्रौर सुनियोजित शिक्षा के सम्बन्ध में कोई बजट हो ही नहीं सकता।

दूसरी जिस बात पर ध्यान देना चाहिये वह यह है कि राजस्थान प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिये ग्रौर लेबर पर भी बजट में काफी रुपया प्रोवाइड किया गया है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ग्रोर देखें कि सन् 79-80 में सिर्फ 81 लाख रुपये जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार और लेबर के ऊपर प्रोवाइड किया था और इस साल 81-82 के बजट में 6.65 करोड़ रुपये लेबर और रोजगार के लिये प्रोवाइड किये गये है। तो श्रीमन्, कहां तो 79-80 में 81 लाख रुपये और 81-82 में 6.65 करोड़ का प्रोविजन। तो, श्रीमन्, 12 गुना नहीं तो 10 गुना से ज्यादा प्रोविजन किया गया हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमन्, यह जो बजट पेश किया गया है यह तो अत्यधिक सन्तुलित बजट है जिसकी सराहना किये बिना मैं नहीं रह सकता।

यह तो मैंने बताया राजस्व खाते के सम्बन्ध में अब थोड़ा मैं कैपिटल आउट ले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उस पर दृष्टि डालें तो आपको दृष्टिगोचर होगा कि जनरल सर्विसेज पर 4.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ग्रौर सोशल ग्रौर कम्यूनिटी सर्विसेज पर 38.81 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इसी तरह इकानामिक सर्विसेज पर 129.26 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। श्रीमन्, इसका अगर आप इण्डेक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि 78-79 में जहां 453 करोड़ रुपये का प्रावधान था वहां 81-82 में 624 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि डेढ़ गुना अधिक है यह तो बजट राजस्व खाते की बात है। 80-81 के प्लान के मद में भी राजस्थान जैसे पिछड़े क्षेत्र को देखते हुए जो प्रोविजन्स किये गये हैं वह सराहनीय है। आज राजस्थान में जो सबसे अधिक ग्रावश्यकता की बात है वह यह है, जैसा कि कहते हैं कि राजस्थान में किसानों की पापूलेशन 70-80 प्रतिशत है तो लाजिमी है कि किसान के ऊपर ज्यादा खर्च करने का प्रावधान रखा जाय। किसानों के लिये ज्यादा उपयोगी पानी व बिजली होती है। श्रीमन्, राजस्थान के हर खेत पर पानी एकदम नहीं पहुंच सकता है ग्रौर न ही नहर एकदम हर खेत पर पहुंच सकती हैं लेकिन इतना जरूर है कि हर खेत पर बिजली जरूर पहुंचाई जा सकती है जिससे कि बोर करके जमीन के गर्भ से पानी निकाला जा सके। श्रीमन्, इस सिद्धांत को मानते हुए 81-82 के प्लान में 187.67 करोड़ रुपया सिंचाई और विद्युत के लिये रखा गया है। यह बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने 1980-81 में 20 हजार कुओं को बिजली देने का लक्ष्य

(श्री हरिसिंह)

रखा था इस साल 81-82 में वहीं 20 हजार कुओं पर बिजली देने का लक्ष्य रखा है। श्रीमन् हमें बिजली तो मिलती है 113 लाख यूनिट पर इसके अगेंस्ट में हमें आवश्यकता है 180 लाख यूनिट की। प्रतिवर्ष 30 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता और बढ़ जाती है इसको कैसे पूरा किया जाय इसके लिये राज्य सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। अगर यह पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान खुशहाल नहीं हो सकेगा और राजस्थान की पर केपिटा इनकम भी नहीं बढ़ सकती है। इसलिये मैं राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहता हूं श्रीमन आपके माध्यम से कि राजस्थान में सुपर थर्मल प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा लगाये जायें। कम से कम एक सुपर थर्मल प्लान्ट एक हजार से लेकर दो हजार मेगावाट का अगले साल केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर लगाया जाय। श्रीमन् जब तक सुपर थर्मल प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तब तक क्योंकि हमारा कोटा अणु बिजली घर शिशु अवस्था में है इसलिये राजस्थान की बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिये मैंने सुझाव दिया कि सुपर थर्मल प्लान्ट यहां लगाये जाय।

श्रीमन् अब मैं भरतपुर जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। भरतपुर जिला राजस्थान में सबसे घनी आबादी वाला जिला है। राजस्थान के अन्य जिलों की आबादी के अनुपात में भरतपुर जिले की प्रति किलो मीटर डेन्सिटी आफ पापूलेशन ज्यादा है। जहां दूसरे जिलों की पर किलो मीटर डेन्सिटी आफ पापूलेशन 99 है तो भरतपुर की 248 है करीब ढाई गुणा तीन गुना के बराबर है। उसको देखते हुए भरतपुर में जो सुविधायें आपने जनता को प्रदान की हैं वह बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत ही कम हैं। आप चाहे किसी भी तरह की सुविधा ले लें चाहे अस्पतालों को ले लें, राजस्थान में प्रति हजार की आबादी पर 0.69 प्रतिशत शैया है मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि राजस्थान में अस्पतालों में शैयाओं की कमी है इसलिये यह बढाई जानी चाहिये क्योंकि एक हजार पर 0.69 है तो 1800 व्यक्ति की आबादी के पीछे एक शैया मिलती है। इस अनुपात में भरतपुर में 2632 व्यक्तियों पर एक शैया है। तो कहां राजस्थान के दूसरे हिस्सों में 1800 की आबादी पर एक शैया और कहां भरतपुर में 2632 पर एक शैय्या है तो श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस विषमता को दूर किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार शिक्षा का जहां तक सवाल है राजस्थान में जो लिट्रेसी है भरतपुर में आपको इससे ज्यादा मिलेगी लेकिन स्कूल्स और इन्स्टीट्यूशन्स भरतपुर जिले में बहुत कम है इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले में इन सभी सुविधाओं में अधिक से अधिक बढ़ोतरी कराने की कृपा करें। भरतपुर जिला राजस्थान सरकार को सिवाय जयपुर के दूसरे जिलों से अधिक टैक्स देता है फिर आमदनी और खर्च के अनुपात में भरतपुर के विकास के लिये इतनी कमी क्यों? इसलिये मेरा निवेदन है कि भरतपुर जिले की जनता को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान कराने की कृपा करें।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त मैं कुम्हेर क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री हरिसिंह)

कुम्हेर क्षेत्र से मैं आया हूं वह, श्रीमन् राजा के जमाने में तहसील हैड क्वार्टर था लेकिन बाद में उसको सब तहसील हैड क्वार्टर कर दिया गया जबकि कुम्हेर को आबादी दो लाख की है वहां पटवार सर्किल और रेवेन्यू सर्किल है। राजस्थान की कई तहसीलों से कुम्हेर बड़ा है। मैं आपके माध्यम से श्रीमन् राजस्थान के राजस्व मंत्री श्रीमती कमला जी को निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी राजस्थान में सब-तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करने के लिये विचार किया जावे तब कुम्हेर सब-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। कुम्हेर के लिये जो सबसे आवश्यक बात हैं वह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, वहां पर किसानों की बस्ती ही अधिक हैं लेकिन किसानों के खेतों पर निरन्तर पानी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर एक नहर 10-12 साल पहले बनाई गई। उसमें यह अरेन्जमेंट रखा था कि उसको यू. पी. से पानी मिलता रहेगा पर गत कई वर्षों से यू. पी. से उस नहर को पानी नहीं मिल रहा हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को यह निवेदन है कि प्रयास करके यू. पी. से जो पहले पानी उस नहर को मिलने की व्यवस्था थी उसको पूरा करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी प्रकार श्रीमन्, अस्पतालों और पशु चिकित्सालयों की वहां बहुत कमी है। उसे भी पूरी कराई जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो निवेदन किया उस पर राज्य सरकार ध्यान दे मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11 मार्च, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही साय 6.10 बजे बुधवार दिनांक 11 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची

सूची

वर्ष 1979–80 में
पशु पालन निदेशालय, जयपुर द्वारा जिला बाड़मेर में जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई उनकी सूची।

1. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री गंगासिंह
2. श्री लेखाराम पुत्र श्री जेवाराम
3. श्री सवाईसिंह पुत्र श्री चांदसिंह

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 169 की सूची

कोटा जिले में सन् 80–81 में नियुक्त किए गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नियुक्त किए गए कर्मचारियों के नाम	जाति	निवास स्थान [जिला]	जिला अधिकारी द्वारा नियुक्ति दी गई	नियुक्ति आदेश का क्रमांक व दिनांक
1.	श्री ताराचन्द	हरिजन	टोंक	निदेशक, पशुपालन विभाग	एफ. बी. 12 [5] स्था/[illegible]/80/ 459–49 दिनांक 29–11–80
2.	,, शंकरलाल	मीणा	जयपुर	,,	672–80 दिनांक 15–12–80
3.	,, लल्लूलाल	वैरवा	जयपुर	,,	,,
4.	,, गिर्राज प्रसाद	जाटव	भरतपुर	,,	,,
5.	,, राधेश्याम हरिजन	हरिजन	टोंक	,,	,,
6.	,, मदनलाल	धोबी	टोंक	,,	772–80 दिनांक 26–12–80
7.	,, रामफूल	बलाई	जयपुर	,,	,,
8.	,, बाबूलाल	मीणा	जयपुर	,,	,,
9.	,, भीमशंकर	ढोली	कोटा	,,	1012–18 दिनांक 22–1–81
10.	,, रमेशकुमार	खटीक	कोटा	,,	1[illegible]43–50 दिनांक 31–1–81
11.	,, पूनमचन्द	मीणा	सवाई माधोपुर	उप निदेशक [क्षेत्र] पशुपालन राज० जयपुर।	एफ. बी. [ ] स्था/80/81/80 दिनांक 30–1–81

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 148 का विवरण

नाजायज भट्टे जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही उसका विवरणः—

क. स	नाम व्यक्ति एवं पता	कब से चल रहा	क्या कार्यवाही की जा रही है।
1	2	3	4
1.	श्रीमती कमलादेवी पत्नी सीताराम माली साकिन धावड़ियावास	10-5-80	भट्टे की लीज नियमानुसार नहीं होने से निरस्त कर दी गई। प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। प्रार्थी से आगामी 5 वर्ष की रकम जमा कर वाली गई है।
2.	तखूराम पुत्र हीराराम कोम मेघवाल साकिन कल्यानसर	20-1-79	भट्टा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाने से अवैध है। लीज की रकम 5 साल की जमा हो चुकी है।
3.	श्री बन्शीधर नन्दकिशोर पिता सेवाराम माली निवासी सुजानदेशर	10-3-81	अवधि बढ़ाने की कार्यवाही चालू है।
4.	श्री उदाराम पुत्र हीराराम मेघवाल साकिन पाबूवारी	16-12-80	,, ,,
5.	श्री इब्राहीम खां पुत्र समेद खां पंजाबगिरी साकिन बीकानेर।	6-12-80	मियाद बढ़ाने की कार्यवाही जेरकार है
6.	श्री मूलचन्द पुत्र छगनलाल माली निवासी शिवबाड़ी	1-8-80	अवैध रूप से भट्टा चलाने की रिपोर्ट आने पर माल जब्त कर लिया गया। जब्त माल को चुराने पर एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई है।

(143)

1	2	3	4
7.	नसीर खां बशीर खां पुत्र हाजीदिन खां पंजाबगिरी बीकानेर एवं श्री सम्पत लाल पुत्र सेवाराम माली निवासी, सुजानगढ़	13-1-91	इनको पूर्व में नीलामी कर रकम जमा कर ली गई है। दोनों ही मामलों में पुनः नीलामी की तिथि दिनांक 16-3-81 निश्चित की परन्तु प्रार्थी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं।
8.	श्री जगमालसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी शिव बाड़ी	23-4-79	अवैध भट्टा चलाने की सूचना मिलने पर उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही जेरकार है। आगामी तारीख पेशी दिनांक 1[illegible]-3-81 नियत है।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 149 के निर्देश

जयपुर, दिनांक 31-9-76

आदेश

विषय :- आयुर्वेद प्रवेशिका, आयुर्वेदाचार्य (कन्डेन्ड कोर्स) तथा आयुर्वेद वृहस्पति के पाठ्क्रम में प्रवेश के लिये निर्देश।

संख्या एफ 7 (54) एम० पी० एच० /73 आयुर्वेद महाविद्यालय, जयपुर तथा उदयपुर में आयुर्वेद प्रवेशिका आयुर्वेदाचार्य (कन्डेन्ड कोर्स) तथा आयुर्वेद वृहस्पति पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते है जो तुरन्त प्रभाव से लागू होगें :- (1) आवेदन पत्र आमन्त्रित करना :- दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचना अपने अपने महाविद्यालयों सूचना पट्ट पर लगायेगें। यह आवेदन पर निर्धारित प्रपत्र (क) में मांगें जावेगें जिसकी प्रतियां आयुर्वेद महाविद्यालय के कार्यालय से 2 रुपये प्रति आवेदन पत्र जमा कराने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(2) भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करना :- आशार्थी आवेदन पत्र भर कर आवश्यक प्रमाण पत्र लगाकर निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित आयुर्वेद महाविद्यालय के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद महाविद्यालय के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को तुरन्त एक पंजिका में दर्ज किया जावेगा तथा आवेदन पत्रों की जांच कीजाकर प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्धारित अंक दिये जावेगें। यह कार्य निम्नलिखित समिति द्वारा किया जावेगा।

1- आयुर्वेद महाविद्यालय का प्राचार्य
2- आयुर्वेद महाविद्यालय का वरिष्ठतम आचार्य
3- आयुर्वेद महाविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापक

(3) शैक्षणिक योग्यता :- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिये शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित होगी :-

क-आयुर्वेद प्रवेशिका

1- अंग्रेजी विषय के साथ संस्कृत उपाध्याय (बोर्ड आफ सेकेन्डरी ऐजूकेशन। राजस्थान

2- वैकल्पिक विषय संस्कृत के साथ हायर सेकेन्डरी(अंग्रेजी के सहित) या तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण।

(145)

3- प्रवेशार्थी को योग्यता परीक्षा के अंतिम वर्ष में कुल प्राप्तांक का 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हुआ होना चाहिये ।

4- हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को वैकल्पिक संस्कृतविषय में 45 प्र.श. अंक प्राप्त किया हुआ होना चाहिये तथा राजस्थानी भाषा जानने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी ।

(ख) आयुर्वेदाचार्य (कन्डेन्स्ड कोर्स)

1. भिषगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य (राजस्थान)

2. योग्यता परीक्षा में कुल प्राप्तांक का 50 प्रतिशत और कार्य चिकित्सा/रस भेषज कल्पना विषय में भी 50 प्रतिशत प्राप्तांक होना आवश्यक है। यह अंक सभी वर्षों, खण्डों की परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर प्रतिशत के रूप में निकाला जावेगा ।

3. प्रवेश के पूर्व कोई साक्षात्कार नहीं होगा । संबंधित प्राचार्य प्रवेश के समय यह देखले कि किसी चयनित विकलांग आशार्थी ने किसी प्रकार का विशेष शारीरिक दोष नहीं है । जिससे चिकित्सा अध्यापन के क्षेत्र में बाधा न हो । उदाहरण के तौर पर जैसे दोनों आंखों का न होना, बोलने में असमर्थता होना, बहरा होना, दोनों हाथ न होना, पैर न होना जिससे कक्षा में खड़ा न हो सके आदि । यदि कोई विशेष शारीरिक दोष न हो तो उन्हें प्रवेश दिया जा सकेगा । यदि विकलांग आशार्थी में कोई विशेष शारीरिक दोष हो तो और प्राचार्य इस सम्बन्ध में यह निर्णय न ले सके तो ऐसे आशार्थी को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा । यदि यदि किसी आशार्थी के संबन्ध में अयोग्यता संबंधी कोई संशय हो तो प्रवेश देने के पूर्व प्राचार्य उसका निराकरण कर लें । आवेदन पत्रों में समस्त खानो की वांछित पूर्ति न होने पर अथवा वांछनीय प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर आशार्थी को एक सप्ताह में पूर्ण सूचना पत्रादि देने को कहा जावेगा और पूर्ण सूचना, पत्रादि न देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा ।

4. प्रवेश के समय आयु:- प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 16 वर्ष होगी । यह आयु सत्र में पहली अक्टूबर की गिनी जावेगी । अधिकतम आयु सीमायें निम्न प्रकार होगी:-

   1. सभी पुरुषों के लिये 27 वर्ष एवं महिलाओं के लिये 32 वर्ष । यह भी पहली अक्टूबर को गिनी जा सकेगी ।

   2. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिये 33 वर्ष । यह भी पहली अक्टूबर को गिनी जावेगी ।

3. अधिकतम आयु से अधिकतम आयु वाली महिलायें निम्न शर्तों पर भर्ती हो सकेगी :—

(क) यदि नियमानुसार आयु सीमा के अभ्यर्थियों की भर्ती के बाद स्थान रिक्त रह जावे ।

(ख) यदि वह लिखित में दे कि वह सरकारी नोकरी के लिये, यदि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुकी होगी, तो आवेदन नहीं देगी ।

5. अंको का विभाजन:- वरीयता सूची बनाने के लिये प्रत्येक आशार्थी को निम्न-लिखित पद्धति के अंक दिये जावेंगे :- /

1. शैक्षणिक योग्यता -योग्यतात्मक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक/आधार अंक माने जायेंगे । यह अंक उसी शैक्षिक योग्यता में दिये जावेंगे जिसके आधार

2- पाठ्येत्तर प्रवृतियां:-राज्य स्तरीय खेलकूद अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 2 अंक अतिरिक्त दिये जावेंगे ।

3- राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संस्था की ओर से खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले आशार्थियों को 3 अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।

4- हायर सैकण्डरी विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण करने वाले आशार्थी को 2 अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।

5- आयुर्वेद प्रवेशिका में प्रवेश के लिये संस्कृत सहित आशार्थी को 2 अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।

6- अनुसूचित जाति/जनजाति महिला वर्ग भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों को 3 अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।

6- चयन प्रक्रिया:-निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाकर चयन का कार्य समिति द्वारा किया जावेगा–

1- प्रत्येक वर्ग जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन पत्र अलग-अलग छांट लिये जावेंगे तथा इनकी प्रविष्ठी एक पंजिका में की जावेगी जिससे इनकी योग्यता, पाठ्येतर प्रवृत्ति तथा अतिरिक्त अंक के लिये कोष्ठक बनाये जावेंगे । जो प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त हुये हों उसको भी इस पंजिका में दर्ज किया जावेगा ।

2- प्रमाण-पत्रों की मूल प्रमाण-पत्रों से जांच का कार्य करने के बाद प्रत्येक आशार्थी को जितने अंक उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित है, दिये जावेंगे । प्रत्येक वर्ग के आवेदन पत्रों के अनुसार निर्धारित हैं, दिये जावेंगे

प्रत्येक वर्ग के आवेदन पत्रों को प्राप्तांक के घटते वरीयता क्रम में एकत्र किया जावेगा। यदि दो आशार्थियों के अंक बराबर हो तो उनमें आयु में जो बड़ा होगा उसे वरिष्ठ मानकर उच्च स्थान दे दिया जावेगा। प्राचार्य निर्धारित प्रवेश दिनांक से 10 दिन पहले इन सूचियों को सूचना पट्ट पर लगायेंगे। सूची में वरीयता के प्राप्तांक का भी उल्लेख होगा।

7. प्रवेश के सम्बन्ध में तिथियों का निश्चय:-प्रवेश सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिये तिथियों का निश्चय निम्न प्रकार से किया जावेगा:—

(अ) आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की अधिसूचना जारी करने की अन्तिम तिथि जून 7।

(आ) भरे हुए आवेदन आशार्थियों से प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 5 जुलाई।

(इ) चयन समिति द्वारा सूची को अन्तिम रूप देने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई।

(ई) चयनित आशार्थियों के नाम घोषित करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई।

(उ) महाविद्यालय में प्रवेश के बाद उपस्थिति प्रारम्भ होने की अन्तिम तिथि 1 अगस्त।

वरीयता सूची प्रकाशित करते समय प्राचार्य आरक्षित सूची भी प्रकाशित करेंगे और उसमें निर्देश देंगे की आरक्षित सूची के आशार्थियों की उपस्थिति से 3 दिन पहले उनसे मिले ताकि स्थान रिक्त रहने पर उन्हें तुरन्त प्रवेश मिल सके। मुख्य सूची के प्रवेशार्थी दिनांक 29 जुलाई तक महाविद्यालय के कार्य का समय समाप्त होने तक फीस न जमा करावेगें तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा व उसके स्थान पर आरक्षित सूची में उपस्थित रहने वाले आशार्थी वरीयता क्रम से प्राचार्य प्रवेश दे दें। यदि मुख्य सूची और आरक्षित सूची में से प्रवेश देने के बाद भी दिनांक 5 अगस्त तक स्थान रिक्त रहे तो प्राचार्य उन पर किसी को प्रवेश नहीं देंगे और रिक्त स्थानों की सूचना 10 अगस्त तक चिकित्सा सचिव को भेजेंगे।

8. छात्रावास.-जिन महाविद्यालय के छात्रावास हैं उसमें रहने के इच्छुक छात्रों से आवेदन पत्र मांगे जावेंगे। जो छात्र जयपुर व उदयपुर नगर के बाहर के होंगे उनको प्रवेश के लिये निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार छात्रावास में रहने की स्वीकृति दी जावेगी। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश तिथि को बढ़ाना, अस्थाई प्रवेश देना, निर्धारित नियमों के विपरीत कम अथवा अधिक आयु वाले को प्रवेश देना तथा प्रवेश से सम्बन्धित अन्य नियमों के शिथिलन की कार्यवाही किसी भी परिस्थिति में नहीं की जावेगी।

9- राज्य सेवारत छात्र 3-राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये राज्य सेवारत वैद्यों हेतु अपने व्यय पर अध्ययन अवकाश लेकर जाने वाले वैद्यों के विषय में प्रसारित किये गये निर्देश लागू होंगे।

आज्ञा से,
एस0 डी0
(चन्द्रभानु गुप्त)
उप-शासन सचिव।

149

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न

पशु मेलों के

मेले का नाम	वर्ष	फराशखाना	रोशनी	जल	डाक	पारितोषिक
1	2	3	4	5	6	7
पुष्कर	1980	23000/–	13000/–	18000/-	—	15000/-
मेड़ता	1980	4093/–	6635/–	12060/-	—	—
गोगामेड़ी	1980	8799=99	7791=32	5933-34	25-54	2663/-
करौली	1980	4890=90	5144=78	3686-30	—	2541/-

5

150 की सूची

खर्चों की सूची

मजदूरी 8	सफाई 9	प्रचार 10	प्रदर्शनी 11	अन्य 12	कुल 13
5000/–	4000/–	3500/–	3000/–	13500/–	98000/–
—	—	—	—	8586=70	31374=70
1288/–	—	—	650/–	4763=68	31914=78
7208=31	—	1426/–	—	4471–91	29368=20

(151)

परिशिष्ट—6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

झालावाड़ जिले में देवस्थान विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

159. श्री बालचंद आर्यवीर (डग) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में देवस्थान विभाग की कितनी भूमि पर किन-किन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं? कृपया कब्जा करने वालों के पूर्ण पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अतिक्रमियों को हटाने हेतु सरकार कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) अतिक्रमियों से भूमि कब तक विभाग के अधिकार में ले ली जायगी तथा कौन-कौन सी भूमि के लिये किस स्तर पर कार्यवाही चल रही है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) जी हां। मामले की जांच के बाद नियमानुसार वाद प्रस्तुत कर बेदखल करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) काबिज अतिक्रमणियों के विरुद्ध राजस्व न्यायालयों व सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनका निर्णय होने के बाद भूमि को विभाग के कब्जे में लिया जा सकेगा।

"सूची"

1–	मंदिर श्री जाग पीपानन्द जी ग्राम भानपुरा झालरापाटन	12 बीघा कृषि भूमि	श्री पेला कीर का नाजायज कब्जा है।
2·	मंदिर श्री जाग पीपानन्द जी ग्राम भानपुरा झालरापाटन	53 बीघा कृषि भूमि	श्री सार्दुल सिंह, सरपंच गागरोन

3–मंदिर श्री रामजी, ग्राम सुनेल तहसील पिड़ावा	25)3 बीघा	मंदिर के वहां परम्परागत पुजारियों श्रीमती कमला बाई पुत्री श्री हरि भाऊ, श्रीमती मधु कान्ता देवी बेवा, श्री हरि भाऊ श्रीमती अन्नापूर्ण बाई, बेवा जानकी लाल, कृष्णा बाई पुत्री श्यामल द्वारा अपने नाम अंकित करा ली गई हैं ।

राजकीय चिकित्सालय नैनवा (बूंदी)

160. श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय नैनवा, जिला बूंदी, में 20 रोगी शैयाओं की स्वीकृति पहले से ही है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति के अनुसार शैय्या एवं स्टाफ व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नैनवा राजकीय चिकित्सालय के भवन में समुचित सुधार करवाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी अनुमोदित एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, बूंदी द्वारा तैयारशुदा एस्टीमेट्स स्वीकृति हेतु विभाग के पास प्रस्तुत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन पर स्वीकृति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक स्वीकृति हो जायेगी ?

(3) पंचायत समिति नैनवा (बूंदी) में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष (1980-81) से कितने स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1979-80 में स्वीकृत 20 रोगी शैयाओं में से 10 शैयाएं कार्यरत है । शेष शैयाएं भवन व्यवस्था के अभाव में नहीं लगाई गई है । बैड एवं स्टाफ की व्यवस्था पूर्ण हैं ।

(2) जी हां, वित्तीय प्रावधान के अभाव में स्वीकृति प्रसारित नहीं की जा सकी ।

(3) एक भी नहीं । प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण समुचित राज्य में बुनियादी न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भी उपकेन्द्र नहीं खोला गया ।

जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में मरु उद्यान लगाने की योजना

161. श्री नाथूसिंह (बादीकुई) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में मरु उद्यान लगाने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो योजना क्या है व इस पर कब तक कार्य पूरा हो जायेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले के घोषित क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान नामक वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जा चुकी है तथा इसकी विशेष योजना केन्द्र सरकार द्वारा भी स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) इस योजना के तहत घोषित मरु क्षेत्र में वन्य जीव तथा वनस्पति की सुरक्षा तथा संवर्धन किया जावेगा और समस्त घोषित मरु क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। योजनानुसार राष्ट्रीय मरु उद्यान के क्षेत्र के विकास का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा इसका प्रथम चरण छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा किये जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का पूर्ण क्षेत्र 2100 वर्ग किलोमीटर है तथा इसके लिये छठी पंच वर्षीय योजना काल में 247.16 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत है। अन्य विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिए स्वीकृत राशि का विवरण

क्रम सं.	विवरण	राशि लाख रुपयों में
1.	प्रस्थापना	35.57
2.	भवन, वाहन तथा सामग्री	31.13
3.	पर्यावरण सुरक्षा	151.05
4.	जल स्रोतों का निकास	23.38
5.	वुड फोसिल पार्क	1.83
6.	अन्य विविध व्यय	4.20
	योग :	247.16

ग्राम दांता में अस्पताल खोलना

162. श्री नारायणसिंह (दांता रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) क्या यह सही है कि एक साल का खर्चा ग्रामवासियों से लेकर ग्राम दांता में 30 शैय्याओं का अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2 क्या यह भी सही है कि गत सरकार के शासन में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यहां अस्पताल खोलने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर.

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी हां। अगर दानदाता अस्पताल व आवासीय भवन बनाकर जरूरी साज-सज्जा के साथ 1982-83 तक दे देवें, तो अस्पताल 1983-84 तक चालू किया जा सकता है।

छात्रावास अधीक्षकों के वेतनमानों में भिन्नता

163. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रावास अधीक्षकों की दो विभिन्न वेतन श्रृंखला रखने का क्या आधार है ?

उत्तर

अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रावासों के अधीक्षकों की विभिन्न वेतन श्रृंखला रखने का मुख्य कारण छात्रावास में छात्रों की संख्या है।

रासायनिक खाद व उन्नत बीज का क्रय

164. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) मार्च, 1980 से जनवरी, 1981 तक काश्तकारों के उपयोग हेतु कितनी रासायनिक खाद व कितना उन्नत बीज किस-किस कम्पनी से कब-कब खरीदा गया ? दोनों की कृपया पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रासायनिक खाद की दर में बढ़ोतरी हुई है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) जब बढ़ी हुई दरों पर रासायनिक खाद क्रय किया गया उस समय विभाग के पास तथा प्राईवेट डीलर्स के पास कितना खाद स्टाक में था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) रासायनिक खाद की दरें बढ़ने से प्राईवेट डीलर्स को व सरकार को कितना लाभ हुआ ? क्या सरकार काश्तकारों को चार्ज की गई बढ़ी दर की राशि वापिस दिलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रासायनिक खाद विभाग द्वारा क्रय नहीं किया जाता बल्कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य को आवंटित किया जाता है। अतः खरीफ 1980(फरवरी से जुलाई 1980 तक) एवं रबी (अगस्त, 80 से जनवरी, 1981 तक) में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को उर्वरक आवंटन का विवरण परिशिष्ट (अ) तथा मार्च, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि में राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रय उन्नत बीज का विवरण परिशिष्ट (ब) में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। माह जून, 1980 में वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई दरों के लिए भारत सरकार ने आगामी कोई अवधि निश्चित नहीं की है।

(3) विभाग द्वारा रसायनिक खाद का क्रय ही नहीं किया जाता है। अतः विभाग के पास स्टाक रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है तथा शेष से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(4) उर्वरकों का विक्रय विभाग नहीं करता है न हीं विभाग के पास कोई उर्वरक स्टाक रहते हैं। प्राईवेट डीलरों के लाभ का संकलन करने हेतु स्टाक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

भारत सरकार द्वारा राजस्थान को वर्ष 1980-81 में आवन्टित उर्वरक का विवरण

माध्यम	नाइट्रोजन	फोसफेटिक	पोटाश	
	(मात्रा मैट्रिक टनों में)			
(आवन्टन खरीफ-फरवरी से जुलाई, 1980)				
1. श्रीराम फर्टिलाइजर	21060	1320	-	यूरिया व सुपरफोस्फेट
2. जी.एस.एफ.सी. बड़ौदा	2228	774	-	यूरिया डोएपी अमो. सल्फेट
3. इफको कांडला	1535	2968	1484	एन. पी. के. मिश्रण 12-32-16
4. इफको कलोल	5648	-	-	यूरिया
5. हिन्दुस्तान जिंक	-	350	-	सिंगल सुपर फोसफेट (14 प्रतिशत)
6. एन. एफ. एल., नांगल	1800	-	-	सी. ए. एन. यूरिया
7. एन. एफ. एल., भटिण्डा	7800	-	-	यूरिया
8. हिन्दुस्तान कापर	-	600	-	एस. एस. पी. व टी. एस. पी.
9. भारत एलव्स्	-	300	-	एस. एस. पी.
10. लिबर्टी पेस्टीसाइड्स	-	400	-	" "
11. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स	-	300	-	" "
12. मधुवन केमिकल्स	-	480	-	" "
13. महाराणा खनिज उद्योग	-	300	-	" "
योग नान पूल	40071	7792	1484	
पूल आई पीएल	6920	1262	—	
कुल योग	46991	9054	1484	

(आवंटन रबी अगस्त, 1980 से जनवरी, 1981 तक)

1. श्रीराम फरटीलाइजर्स	26680	1600	—	यूरिया व सुपरफोस्फेट
2. इफको कांडला	2183	5820	2910	एन. पी. के. मिश्रण 12-32-16
3. इफको, कलोल	14600	—	—	यूरिया
4. जी.एस.एफ.सी., बड़ोदा	4620	1600	—	यूरिया डी. ए. पी. व एस. एस.

1	2	3	4	5	6
5.	एन. एफ. एल. नांगल	3000	—	—	यूरिया, सी. ए. एन.
6.	एन. एफ. एल., भटिण्डा	6360	—	—	यूरिया
7.	हिन्दुस्तान कापर	—	780	—	एस.एस.पी. व टी.एस पी.
8.	हिन्दुस्तान जिंक	—	1500	—	एस.एस.पी. 14 प्रतिशत
9.	भारत एल्मस	—	960	—	एस. एस. पी.
10.	लिबर्टी पेस्टीसाइड्स	—	400	—	,, ,,
11.	मधुवन केमिकल्स	—	600	—	,, ,,
12.	महाराणा खनिज	—	400	—	,, ,,
13.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर	—	300	—	,, ,,
14.	खींचा एण्ड कं.	—	300	—	,, ,,
	योग नान पूल	49243	17260	2910	
	पूल आई पी एल	37810	2820	1780	
	कुल योग	87053	20180	4670	

परिशिष्ट 'ब'

मार्च, 1980 से जनवरी, 81 तक राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन द्वारा निम्न प्रकार से काश्तकारों के उपयोग हेतु प्रमाणित बीज खरीदा गया —

1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय बीज निगम	मात्रा क्विंटल में	माह
	बाजरा बी. जे-104	5582-29	मई से जून
	मक्का-जी-5	1344-89	मई से जून
	जी-2	2017-58	,, ,,
	कम्पोजिट विजय	202-16	,, ,,
	ज्वार-सी एस एच-5	876-72	मई से जुलाई
	सी एस एच-6	101-25	,, ,,
	मूंग-टी-44	2-83	जुलाई
	एस-8	6-71	जुलाई
	उड़द-टी-9	159-95	अप्रेल
2.	राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन		
	उड़द टी-9	67-00	अप्रेल
3.	महिको हाईब्रीड, जालना		
	मूंगफली-एम-13	153-40	अप्रेल
	मक्का-जी-5	500-00	अप्रेल से मई
	ज्वार-सी. एस. एच-1	99-63	,, ,,

1	2	3	4
	सी. एस. एच-6	100-00	अप्रेल से मई
	सी. एस. एच-5	300-00	,, ,,
4.	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इण्डिया		
	मूंग पसा वैशाखी	150-00	मार्च
5.	आंध्र प्रदेश स्टेट सीड्स कारपोरेशन		
	कैस्टर	100-00	जून
6.	हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एण्ड डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि, हिसार		
	अरहर यू. पी. ए. एस-120	200-00	मई

इसी प्रकार रबी, 80 के लिए गेहूं व चना बीज खरीदा गया। जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है: -

1.	एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार. लि. बम्बई		
	गेहूं कल्याण सोना	525-00	नवम्बर
2.	एस. एफ. सी. आई. सी.		
	चना-235	1985-60	सितम्बर
	जी-130	1827-80	,,
	आर. एस-10	1082-80	,,
	आर. एस.-11	901-20	,,
	एच-208	2110-40	,,

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रवासियों का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करना

165. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :-क्या जनजाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा अब तक कितने विषयों का शोध कार्य किया गया है ? क्या इन शोध कार्यों के आधार पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये राज्य सरकार कोई योजना बनाकर क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या जनजाति क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम निर्माण में सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग चाहती है ? यदि हां, तो इसके लिये कौनसी संस्थाओं को सम्मिलित करने का विचार है ?

उत्तर

(1) आदिमजाति शोध संस्थान, उदयपुर द्वारा जनजाति विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर शोध कार्य किये हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये जो योजनाएं बनाई जाती है, उनमें आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित शोध कार्य का समावेश साधारणतया किया जाता है।

(2) सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग चाहती है। क्षेत्र में स्थित जो भी संस्थाएं उपयुक्त पाई जावेगी, उनको इस सहयोग में सम्मिलित किया जावेगा।

लाडनूं तहसील के ग्रामों में विभाग द्वारा लगाये गये वृक्ष

166. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1978-79 में लाडनू तहसील के ग्राम भरनावा एवं मणु में वन विभाग द्वारा कितने वृक्ष निजी फार्मों में लगाने हेतु दिये गये तथा इसमें से कितने मौजूद हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग ने इन वृक्षों के लगाने के लिए एक रुपया प्रति वृक्ष के हिसाब से भुगतान किया था ? यदि हां, तो इनमें से कितने पौधे मौजूद हैं और कितना भुगतान किया गया ;

(3) क्या यह भी सही है कि जो भुगतान दूसरे वर्ष किया गया वह पहले वर्ष में लगाये गये पौधों के हिसाब से ही कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ जबकि वहां एक भी पौधा मौजूद नही था ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 में वन विभाग द्वारा पौधे निजी फार्मों पर लगाने हेतु नहीं दिए गए।

(2) प्रश्न नहीं उठता ;

(3) प्रश्न नहीं उठता।

अटरू स्थित श्री गणेश मन्दिर

167. श्री छीतरलाल आर्य (अटरु) :- क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अटरू स्थित श्री गणेश मन्दिर में खण्डित मूर्ति की पूजा हो रही है ? यदि हां, तो क्या यह धार्मिक दृष्टि से उचित है ?

(श्री छीतरलाल मार्य)

(2) क्या सरकार ने मूर्ति के खण्डन होने की जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि हां, तो कौन-कौन दोषी पाये गये ? कृपया उनके नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह मन्दिर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। इस मूर्ति के खण्डित होने की सूचना देवस्थान विभाग को हाल ही में प्राप्त हुई है तथा तदनुसार न्यायालय से निर्णय हो जाने तक इस मंदिर को दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी गई है। यह सही है कि हिन्दू धर्म की मान्यता अनुसार खण्डित मूर्ति की सेवा पूजा नहीं की जाती है।

(2) मूर्ति के चोला उतारने के सम्बन्ध में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन थाना अटरू, जिला कोटा में दि0 13-6-80 को प्रस्तुत की गई, जिस पर पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत कर दिया गया है तथा यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(3) यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। जिन अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है, उनके नामों की सूची संलग्न है।

(4) यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

अभियुक्तगण के नामों की सूची

1. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री रामनाथ
2. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री जगन्नाथ
3. श्री मूलचन्द
4. श्री विरधीचन्द

जाति ब्राह्मण
निवासीगण अटरू।

राजस्व अभियान

168. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जनता शासन द्वारा चलाये गये राजस्व अभियान की तरह अब भी कोई राजस्व अभियान चलाया जावेगा ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या इस अभियान में अन्त्योदय परिवारों का भी चयन किया जावेगा ? यदि हां, तो क्या अन्त्योदय परिवारों के चयन संबंधी नियम में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने तय किया है कि राजस्व से सम्बन्धित मामलों को मौके पर निपटाने के लिये 1 मई, 1981 से जून, 1981 तक सघन राजस्व अभियान चलाया जावेगा।

(2) कमजोर आर्थिक स्थिति के परिवारों का चयन अब एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत व्यापक रूप से अलग किया जा रहा है। अतः इस अभियान में यह कार्य नहीं किया जावेगा।

बड़े डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक

170. श्री वीरेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राज्य में कितने और कौन-कौन से चिकित्सालयों में पे-क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध है ?

(2) क्या इस सुविधा को लागू करने का प्रयोजन बड़े डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस पर अंकुश लगाना था ? यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता मिली ?

(3) क्या राज्य में सरकारी चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस पूरी तरह बन्द हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन दोनों व्यवस्थाओं को चालू रखना चाहती है ?

(4) क्या बड़े सरकारी डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई और कारगर कदम उठायेगी ?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(5) क्या यूनिट हैड डाक्टर्स आउट डोर में भी मरीजों को देखते हैं ? यदि हां, तो कितने घण्टे ?

उत्तर

(1) राज्य में पे-क्लिनिक की सुविधा केवल मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में ही है।

(2) जी हां, अब कोई भी डाक्टर पे–क्लिनिक के अतिरिक्त मरीजों को नहीं देखता।

(3) कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में पूरी तरह बंद हो गई है।

(4) ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है कि बड़े डॉक्टर अंकुश लगाने के बाद प्राईवेट प्रेक्टिस करते हों। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां। यूनिट हैड डाक्टर्स आउट डोर में क्रमवार आवंटित दिवस को चिकित्सालय के समय में मरीजों को देखते हैं।

भीनमाल कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य

171. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी, भीनमाल का निर्माण कार्य किस वर्ष में प्रारम्भ हुआ एवं प्रारम्भ होने वाले वर्ष से प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना व्यय हुआ ?

(2) इस मण्डी का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायगा और कौन-कौन से निर्माण कार्य अब कराने शेष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मण्डी प्रारम्भ करने हेतु इन्टरनल सड़कें, विद्युत, पानी, ड्रेनेज आदि का कार्य पहले कराये जाने आवश्यक हैं, जो या तो देर से शुरू कराये गये और कुछ प्रारम्भ ही नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल का निर्माण कार्य वर्ष 1975-76 में प्रारम्भ हुआ तथा तब से प्रत्येक वर्ष का निर्माण पर व्यय इस प्रकार हुआ:—

1975-76	1,21,971.67 रुपये
1976-77	1,89 954.89 ,,
1977-78	7,18,703.58 ,,
1978-79	7,68,150.08 ,,
1979-80	5.34.740.39 ,,
1980-81 (upto Jan., 81)	5,55,522.35 ,,

(163)

(कृषि मंत्री)

(2) इस मण्डी का निर्माण कार्य मार्च, 1982 तक पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है। निम्नांकित कार्य अभी कराने शेष हैं:–

1. मण्डी का गेट व चैक पोस्ट
2. पेशाब घर शौचालय ब्लॉक 2
3. पानी की प्याऊ
4. बड़ी दुकाने मय गोदाम 10
5. टंकी तथा पाइप लाइनों की व्यवस्था

(3) जी हां। यह सही है कि यह कार्य पहले कराये जाने चाहियें। इसी दृष्टि से पानी तथा बिजली के कार्यों हेतु क्रमश: जलदाय तथा बिजली बोर्ड को उनके द्वारा बतलाई गई राशि जमा करा दी गई हैं। इन्टरनल सड़क का कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ देने के कारण उसकी रिस्क व कास्ट पर दूसरे ठेकेदार द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है। सड़क का कार्य पूरा हो जाने पर ड्रेनेज व रोड लाइट के कार्य पूरे हो सकेंगे।

डूंगरपुर में वन विभाग द्वारा आदिवासियों की भूमि लिया जाना

172. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग ने ग्राम बोखला, रेन्ज डूंगरपुर में बाउन्डरी बनाई है ? यदि हां तो कौन से सन् में बनाई और उस पर कितना खर्च हुआ ? इस जमीन पर कितने आदिवासियों का कब्जा था ? कृपया उसकी खाता संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में जिन आदिवासियों का कब्जा था, उन्हें वन विभाग द्वारा बेदखल किया गया ? यदि हां तो इसका क्या कारण है तथा अब तक कितने व्यक्तियों को उस क्षेत्र से बेदखल किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस क्षेत्र के खाताबन्दी जमीन पर कितने आदिवासियों के मकान थे, जिन्हें गिराया गया तथा बोखला और शिशोद की रेवेन्यू सीमा पर वन विभाग द्वारा कितनी भूमि ली गई ?

(4) राजस्व विभाग की भूमि पर काबिज कितने आदिवासियों की भूमि पर वन विभाग ने कब्जा किया है ?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग ने ग्राम बोखला व शिशोद की रेवेन्यू सीमा पर रेन्ज, डूंगरपुर वर्ष, 1979–80 में भू-संरक्षण विभाग द्वारा पूर्व में पत्थरों की बनाई गई

(वन मन्त्री)

दीवार की मरम्मत करवाकर अग्रिम मृदा कार्य किया है। उस पर 35970.15 रुपया खर्च हुआ है। इस भूमि पर कार्य करवाने के समय मौके पर किसी आदिवासी का कब्जा नहीं था। अतः खाता संख्या का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। वन विभाग द्वारा किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं किया गया।

(3) उक्त भूमि पर किसी आदिवासी का मकान नहीं था। अतः मकान गिराने का प्रश्न ही नहीं उठता। बोखला व शिशोद की रेवेन्यू सीमा पर 40 हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया।

(4) पूर्व में भू-संरक्षण द्वारा राजस्व बिला नाम भूमि पर वर्ष, 1973-75 के मध्य भू-संरक्षण कार्य इस क्षेत्र में किया गया था। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत बोखला के प्रस्ताव दिनांक 30.4.78 द्वारा वन विभाग से निवेदन किया था कि इस 40 हैक्टर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाय। तदनुसार ही वर्ष, 1979-80 में इस भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

राजस्थान नहर

173. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई एवं पेयजल आवश्यकता का आंकलन किया गया था? यदि हां, तो पिछले 15 वर्षों में केन्द्र से प्राप्त कितनी धनराशि इस कार्य हेतु सरकार द्वारा खर्च की गई है?

(2) क्या यह सही है कि शेष राजस्थान नहर के निर्माण के लिये 2[illegible]0 करोड़ से भी अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इतनी खर्चीली योजना केन्द्र को समर्पित करेगी? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1965-66 से अभी तक केन्द्रीय सरकार से 32.91 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई।

(2) जी हां। यह योजना केन्द्र को समर्पित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 14[illegible] की तालिका

राज्य की मण्डी समितियों की जिलेवार आय

क्र.सं.	जिला	मंडी समिति	मंडी शुल्क हजार रुपयों में	जिले का योग हजार रु. में
1	2	3	4	5
1.	अलवर	अलवर	2777	
2.	,,	खेरथल	1414	
3.	,,	खेरली	1040	
4.	,,	राजगढ़	—	5231
5.	भरतपुर	भरतपुर	1466	
6.	,,	कामां	295	
7.	,,	डीग	594	
8.	,,	नदबई	476	
9.	,,	धौलपुर	363	
10.	,,	बाड़ी	270	
11.	,,	बयाना	334	
12.	,,	नगर	270	
13.	,,	भुसावर	68	4136
14.	जयपुर	जयपुर (अनाज)	48[illegible]2	
15.	,,	जयपुर (फल सब्जी)	1210	
16.	,,	दौसा	831	
17.	,,	कोटपुतली	437	
18.	,,	बान्दीकुई	517	
19.	,,	चाकसू	230	
20.	,,	नरेना	85	
21.	,,	चौमूं	468	
22.	,,	लालसोट	--	8580
23.	अजमेर	अजमेर	1474	
24.	,,	मदनगंज	552	
25.	,,	विजयनगर	626	
26.	,,	ब्यावर	8580	
27.	,,	केकड़ी	921	5244

1	2	3	4	5
28.	सीकर	सीकर	856	
29.	,,	नीम का थाना	337	
30.	,,	श्री माधोपुर	529	
31.	,,	फतेहपुर	322	2044
32.	झुन्झुनू	सूरजगढ़	353	
33.	,,	चिड़ावा	272	
34.	,,	झुन्झुनू	355	
35.	,,	नवलगढ़	315	1295
36.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	626	
37.	,,	गंगापुर सिटी	1063	
38.	,,	हिण्डौन	826	
39.	,,	महुआ मण्डावर	658	3173
40.	कोटा	कोटा	3287	
41.	,,	बारां	896	
42.	,,	सुमेरगंज	117	
43.	,,	अन्ता	350	
44.	,,	इटावा	276	
45.	,,	रामगंज मण्डी	705	
46.	,,	छबड़ा	209	
47.	,,	सांगोद	6	5846
48.	झालावाड़	भवानी मण्डी	314	
49.	,,	चौमेला	44	
50.	,,	खानपुर	100	
51.	,,	झालरापाटन	185	643
52.	बून्दी	बून्दी	573	
53.	,,	केशोरायपाटन	193	766
54.	टौंक	टौंक	271	
55.	,,	मालपुरा	319	
56.	,,	देवली	306	
57.	,,	उनियारा	57	
58	,,	टोडारायसिंह	--	1287
59.	,,	निवाई	331	
60.	उदयपुर	उदयपुर	1537	
61.	,,	नाथद्वारा	132	
62.	,,	भीण्डर	74	

1	2	3	4	5
63.	उदयपुर	आमेट	–	
64.	,,	फतेहनगर	375	
65.	,,	देवगढ़	–	2118
66.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	413	
67.	,,	कपासन	4·6	
68.	,,	निम्बाहेड़ा	641	
69.	,,	बेगू	203	
70.	,,	प्रतापगढ़	393	
71.	,,	रावतभाटा	1	2117
72.	,,	बड़ी सादड़ी	–	
73.	,,	भीलवाड़ा	987	
74	,,	गुलाबपुरा	246	
75.	,,	माण्डलगढ़	21·	
76.	,,	आसीन्द	197	
77.	,,	शाहपुरा	153	
78.	,,	जहाजपुर	85	
79.	,,	बनेड़ा	79	1960
80.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	456	456
8 .	डूंगरपुर	डूंगरपुर	414	414
82.	जोधपुर	जोधपुर	3937	
83.	,,	बिलाड़ा	97	
84.	,,	पीपाड़शहर	159	4193
85.	पाली	पाली	723	
86.	,,	सोजतरोड	596	
87.	,,	जेतारण	333	
88.	,,	रानी	285	
89.	,,	सुमेरपुर	3354	5291
90.	सिरोही	शिवगंज	319	
91.	,,	आबूरोड	361	680
92.	नागौर	नागौर	782	
93.	,,	मेड़तासिटी	519	
94.	,,	कुचामनसिटी	464	
95.	,,	डीडवाना	567	
96.	,,	लाडनू	129	2461
97.	जालौर	भीनमाल	417	
98.	,,	सांचौर	170	

1	2	3	4	5
99.	जालौर	जालौर	—	687
100.	बाड़मेर	बाड़मेर	1695	
101.	,,	बालोतरा	301	1996
102.	बीकानेर	बीकानेर	3534	
103.	,,	नोखा	384	
104.	,,	लूनकरणसर	—	3918
105.	चुरू	सादुलपुर	360	
106.	,,	तारानगर	156	
107.	,,	चुरू	232	
108.	,,	डूंगरगढ़	197	
109.	,,	सरदार शहर	310	
110.	,,	सुजानगढ़	776	2031
111.	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	4304	
112.	,,	रायसिंह नगर	1577	
113.	,,	श्री विजयनगर	1274	
114.	,,	श्री करणपुर	1138	
115.	,,	हनुमानगढ़	3251	
116.	,,	सांगरिया	1278	
117.	,,	पदमपुर	974	
118.	,,	गजसिंहपुर	1043	
119.	,,	केसरीसिंहपुर	817	
120.	,,	सादुल शहर.	922	
121.	,,	पीलीबंगा	2363	
122.	,,	नोहर	1568	
123.	,,	भादरा	508	
124.	,,	सूरतगढ़	—	
125.	,,	रावतसर	273	
126.	,,	अनूपगढ़	642	219 2
			कुल योग	88398

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची

1 अप्रैल से अब तक खोले गये पशु चिकित्सा संस्थाओं की संख्या

क्र. सं.	जिला	चिकित्सालय	औषधालय	स्वा. केन्द्र	योग
1.	अजमेर	2	1	—	3
2.	अलवर	2	—	—	2
3.	बांसवाड़ा	1	—	—	1
4.	बाड़मेर	—	—	2	2
5.	भरतपुर	5	3	—	8
6.	भीलवाड़ा	2	1	—	3
7.	बीकानेर	—	—	3	3
8.	बून्दी	—	—	—	—
9.	चित्तौड़गढ़	3	1	—	4
10.	चूरू	—	—	3	3
11.	डूंगरपुर	1	—	—	1
12.	गंगानगर	2	2	1	5
13.	जयपुर	5	2	—	7
14.	जैसलमेर	—	—	1	1
15.	जालौर	—	—	1	1
16.	झालावाड़	—	—	—	—
17.	झुन्झुनू	—	—	4	4
18.	जोधपुर	—	—	5	5
19.	कोटा	2	—	—	2
20.	नागौर	—	—	3	3
21.	पाली	—	—	2	2
22.	सवाईमाधोपुर	2	1	—	3
23.	सीकर	—	—	5	5
24.	सिरोही	2	—	—	2
25.	टोंक	—	—	—	—
26.	उदयपुर	1	3	—	4
	योग:	30	14	30	74

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

वितरण ऋण की सदस्यवार सूची

प्लाट नं.	नाम सदस्यान		ऋण जो दिया गया
1.	लाल मोहम्मद पुत्र हाजी मोहम्मद	मांगरोल (कोटा)	1840/-
2.	नूर मोहम्मद पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहीम	"	2140/-
3.	अब्दुल कादर पुत्र अब्दुल रहीम	"	2340/-
4.	अब्दुल वहाल पुत्र हमीदुल्ला	"	2340/-
5.	गुल मोहम्मद पुत्र अल्लावक्ष	"	2340/-
6.	अमीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल गफार	"	1840/-
7.	नजीर मोहम्मद पुत्र हाजीवली	"	2090/-
8	रसूल मोहम्मद पुत्र हाजी वली मोहम्मद	"	1340/-
9.	नजीर मोहम्मद पुत्र अल्लावक्ष	"	2090/-
10.	मोहम्मद रमजान पुत्र नजीर मोहम्मद	"	1740 -
11.	अब्दुल सत्तार पुत्र फेज मोहम्मद	"	2090/-
12.	हलीमा पत्नी अब्दुल सत्तार	"	1840/-
13.	लाल मोहम्मद पुत्र कामल मोहम्मद	"	1890/-
14.	नूर मोहम्मद पुत्र कलावक्ष	"	2240/-
15.	अहमद वक्ष पुत्र अब्दुल्ला	"	1740/-
16.	मोहम्मदहुसैन पुत्र अहमदवक्ष	"	1840/-
17.	मोहम्मदअमीन पुत्र मोहम्मद वक्ष	"	2140/-
18.	अलीमुदीन पुत्र मोहम्मद वक्ष	"	1640/-
19.	अब्दुल गुलाम पुत्र अब्दुल रहमान	"	2240/-
20.	मोहम्मद उमर पुत्र नूर मोहम्मद	"	1340/-
21.	अब्दुल करीम पुत्र नूर मोहम्मद	"	2340/-
22.	अब्दुल सलाम पुत्र अबीउल्ला	"	2340/-
23.	अब्दुल जहूर पुत्र अब्दुल कादर	"	2090/-
24.	मोहम्मद इब्राहीम पुत्र हाजी यासीन	"	1340/-
25.	नूरजहां पत्नी यासीन मोहम्मद	"	1840/-
26.	कनीज बेगम पत्नी दीनमोहम्मद	"	1840/-
27.	अब्दुल रहीम पुत्र रहमतुल्ला	"	1840/-
28.	अब्दुल अजीज पुत्र अली मोहम्मद	"	2100/-
29.	खलील रहमान पुत्र अब्दुल्ला	"	2090/-

(171)

1	2	3	4
30.	अब्दुल मजीज पुत्र अजीमुल्ला	मांगरोल (कोटा)	1340/-
31.	फतेह मोहम्मद पुत्र हाजी रहमतुल्ला	,,	1840/-
32.	इस्माइल पुत्र अब्दुल रहमान	,,	1840/-
33.	इलाही बक्ष पुत्र कालूखां	,,	1340/-
34.	नतुल पत्नी इलाही बक्ष	,,	1340/-
35.	नूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद यासीन	,,	1840/-
36.	मोहम्मद इब्राहीम पुत्र मोहम्मद यासीन	,,	1340/-
37.	अब्दुल लतीफ पुत्र बावला	,,	2300/-
38.	अब्दुल हमीद पुत्र फतेह मोहम्मद	,,	2240/-
39.	अमीनुल्ला पुत्र अब्दुल्ला	,,	2100/-
40.	अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल वहाब	,,	1840/-
41.	हाजी नूर मोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला	,,	1840/-
42.	अब्दुल गफूर पुत्र नजीर मोहम्मद	,,	1840/-
43.	अल मुईन पुत्र अब्दुल रहमान	,,	1840/-
44.	मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद याकुब	,,	1840/-
45.	लाल मोहम्मद पुत्र अमीमुल्ला	,,	1340/-
46.	अब्दुल वहाब पुत्र जान मोहम्मद	,,	1840/-
47.	अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मदबक्ष	,,	1840/-
48.	वली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद	,,	1840/-
49.	अब्दुल रशीद पुत्र नूर मोहम्मद	,,	2140/-
50.	मोहम्मद सद्दीक पुत्र अलताफ	,,	2060/-
		कुल योग	95650/-

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची

सूची आवंटी जो उच्च न्यायालयों से स्थगन के कारण काश्त नहीं कर रहे हैं

क्र. सं.	नाम आवंटी	खसरा नं.	रकबा	तारीख आवंटन
1.	चतरा पुत्र जगन्या मोग्या ठीकरया।	143	10 बीघा	18-6-76
2.	रेवती लाल पुत्र नन्द लाल बलाई, नागदा	143	8 बीघा	,,
3.	देवीलाल पुत्र किशनलाल बैरवा, ठीकरया	128	10 बीघा	,,
4.	बाबूलाल पुत्र मोतीलाल हरिजन, अन्ता	133	6 बीघा 10 बिस्वा	,,
5.	जगन्नाथ पुत्र मन्नालाल हरिजन, अन्ता	133	6 बीघा 15 बिस्वा	,,
6.	रामकिशन् पुत्र गंगाराम बलाई, नागदा	105	5 बीघा 6 बिस्वा	,,
7.	राधेश्याम पुत्र केशरीलाल तेली, अन्ता	31	5 बिस्वा	,,
		35	17 बिस्वा	
		36	14 बिस्वा	
		39	12 बिस्वा	
		42	9 बिस्वा	
		96	7 बिस्वा	
		107	16 बिस्वा	
8.	बिरधीलाल पुत्र रामनाथ कांछी नागदा	90	10 बीघा 17 बिस्वा	,,

परि

(अतारांकित प्रश्न

सूची भूमि आवंटन तहसील

क्र. सं०	नाम ग्राम	आवंटन दिनांक
1	2	3
1.	कनेछनकलां	7-4-79
2.	[illegible] सरसू नांदा	,,
3.	फूलियाकलां	,,
4.	[illegible]पुरा	14-4-79
5.	[illegible]रिया	19-4-79
6.	अरवड़ा	,,
7.	डिगास	,,
8.	सरदारपुरा	,,
9.	तहनाल	21-4-79
10.	रूपपुरा	,,
11.	निम्ब हेड़ा	,,
12.	समेलिया	,,
13.	दिलिया	,,
14.	देवरी	,,
15.	उम्मेदपुरा	10-5-79
16.	डोहरिया	,,
17.	रतनपुर	17-5-79
18.	बड़ला	,,
19.	तसवारियाबांटा	,,
20.	फूलियाकलां	,,
21.	चान्दमा	,,
22.	गणपतियांखेड़ा	,,
23.	बाहड़ा	24-5-79
24.	आगलीकलां	29-6-79
25.	पोण्डीक जी खेड़ा	,,
26.	रकायता	30-6-79
27.	गेगवा	,,
28.	सन्तोकपुरा	,,
29.	राजपुरा	,,
30.	हुक्मपुरा	,,
31.	फलियाकलां	,,
32.	धनोप	,,
		कुल योग:--

शिष्ट-11

संख्या 155 की सूची)

शाहपुरा वर्ष 1979-80 (रकबा बीघों में)

अनु० जाति		अनु० जन जाति		अन्य	
सं०	रकबा	सं०	रकबा	सं०	रकबा
4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	1	3-00
6	16-00	—	—	—	—
—	—	2	4-00	1	2-00
1	4-00	—	—	—	—
—	—	—	—	1	0-10
—	—	1	2-00	5	10-00
—	—	—	—	2	6-00
1	3-00	—	—	2	6-00
3	11-00	—	—	3	18-00
7	14-00	—	—	2	7-00
2	10-00	—	—	1	5-13
2	8-00	—	—	1	5-00
7	40-00	—	—	—	—
—	—	1	5-00	—	—
—	—	—	—	4	10-00
2	5-00	—	—	1	4-00
1	5-00	—	—	3	15-00
1	3-00	—	—	3	9-90
3	6-00	—	—	7	25-00
7	4-10	—	—	9	10-00
—	—	—	—	2	22-00
—	—	—	—	1	5-00
1	2-10	—	—	1	2-03
—	—	1	3-00	—	—
1	2-00	—	—	—	—
3	14-00	2	7-00	6	22-10
—	—	—	—	3	15-05
2	6-[illegible]0	—	—		—
—	—	1	1-18	—	—
1	3-00	—	—	1	1-10
1	1-10	—	—	1	1-00
—	—	—	—	2	7-18
52	159-10	8	22-18	63	167-19

सूची तहसील जहाजपुर भूमि आवंटन वर्ष 1979-80 (रकबा वीघों में)

क्र. सं.	नाम ग्राम	आवंटन दिनांक	अनु. जाति		अनु. जन जाति		अन्य	
			संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
1.	सियाणा	28-4-79	—		—	–	1	3 00
2.	भिलड़ी	,,	1	4-00	—	—	—	—
3.	इन्दोकिया	,,	2	16 00	2	13-00	1	6-00
4.	टीटोड़ी	,,	1	3 00	1	4-00	—	—
5.	अखैपुरा	,,	–	—	1	5-00	—	—
6.	विहाड़ा	,,	2	5·17	—	—	—	—
7.	हथोड़िया	,,	1	5·00	—	—	1	5-00
8.	पण्डेर	,,	1	1 -0'	—	—	2	20-00
9.	रोंपा	5.5-79	1	6·02	1	5-00	6	31-10
10.	जामेली	,,		—	—	—	1	5-00
11.	चक्करपुर	11-5-79	1	3-00	—	—	1	3.00
12.	रकमपुरा	,,	—		—	—	1	1- .7
13.	रुघनाथपुरा	,,	—	—	—	—	2	7-00
14.	जामोली	,,	—	–	1	5-00	2	8-00
15.	हाडोजा	,,	1	5-00	—	—		
16.	फखासिया	,,	2	4·00	1	5-00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	ईदुन्वा	19-5-79	—	—	—	—	1	5-00
18.	सुहारी खुर्द	,,	—	—	6	32-00	—	—
19.	सुहारी कला	,,	—	—	2	13-00	—	—
		कुल योग	13	61-19	15	82-00	19	95-07

(177)

सूची तहसील जहाजपुर भूमि आवंटन

क्र. सं.	नाम ग्राम	आवंटन दिनांक
1	2	3
1	छुहारी कलां	9-4-80
2	आमल्दा	6-6-80
3	बिहाड़ा	,,
4	अखेरामजी का खोड़ा	,,
5	सुजानपुरा	,,
6	अमरगढ़	,,
7	सजलपुरा	,,
8	उलेका	,,
9	गड़बोडिया	,,
10	कुचलवाड़ा	26-7-80
11	ऊंचा	,,
12	टीकड़	,,
13	आलमपुरा	,,
14	हाडोता	,,
15	धूवालां	,,
16	केशोविलास	,,
17	गड़बोदिया	,,
18	सबकपुरा	,,
19	सुन्दरगढ़	,,
20	उलेका	,,
21	गोरमगढ़	,,
22	ताड़ोली	,,
23	छाबड़िया	,,
24	छाजोला कासोड़ा	,,
25	पीपलुन्द	,,
26	गोपीपुरा	,,
27	सणगारचंवरी	,,
28	फतहपुर	14-11-80
29	गुढा	,,
30	रोलड़ी	,,

वर्ष 1980–81 (रकबा बाघों में)

अनु० जाति		अनु० जन जाति		अन्य	
सं०	रकबा	सं०	रकबा	सं०	रकबा
4	5	6	7	8	9
—	—	1	10-00	—	—
—	—	—		1	62-10
1	3-15	—	—	—	—
—	—	5	27-00	—	—
—	—	2	8-05	1	1-00
3	18-00	1	5-00	7	31-00
1	—	—	—	2	7-10
3	8-10	4	10-00	2	4-06
—	—	—	—	1.	0-15
—	—	—	—	1	3-01
—	—	6	17-00	—	—
1	1-10	1	4-02	—	—
—	—	1	5-00	—	—
—	—	—	—	1	4-00
1	5-00	1	3-10	—	—
4	20-00	—	—	—	
—	—	—	—	1	4-03
—	—	1	2-00	2	8-00
—	—	3	3-10	—	—
—	—	7	12-10	1	3-00
1	6-00	6	27-07	1	5-00
1	5-00	3	16-16	—	—
—	—	1	15-04	—	—
—	—	2	25-15	—	—
6	33-00	1	5-00	13	64-06
—	—	1	5-00	—	—
—	—	—	—	1	1-17
—	—	15	41-05	—	—
1	2-00	—	—	—	—
2	15-00	—	—	—	—

1	2	3
31	पखाणपुरा	14-11-80
32	हानपुरा	,,
33	डगवासा	
34	आमरूदा	,,
35	लालदपुरा	,,
36	रङ्धाख	,,
37	माधोपुर	,,
38	केसरपुरा	,,
39	छभयपुर	,,
		कुल योग :—

4	5	6	7	8	9
—	—	1	6-00	5	16-00
—	—	—		1	5-00
—	—	10	34-15	2	17-00
2	2-00	—	—	7	18-04
	—	—	—	1	3-00
—	—	1	6-03	—	—
—	—	—	—	1	5-00
—	—	—	—	1	5-00
—	—	1	2-00	1	5-00
26	118-15	74	293-17	54	244-12

ग्राम तहसील	वर्ष	दिनांक आवंटन	ग्राम आवंटन	अनुसूचित ज.जा. व्यक्ति	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
रायपुर	79–80	22-6-79	मोटा	4	11)
,,	,,	,,	पला	—	—
,,	,,	6-7-79	खेमाणा	4	18)
,,	,,	,,	देवरिया	3	35)
,,	,,	7-7-79	मोखुन्दा	2	4)
,,	,,	,,	पालरा	2	10)
,,	,,	7-2-80	बागोलिया	—	—
,,	,,	,,	थला	5	13)
,,	,,	,,	सारेण	9	27)
,,	,,	,,	आशा होली	—	—
,,	,,	,,	बोरीसयापुरा	—	—
,,	,,	8-2-80	मोखुन्दा	3	15)
,,	,,	,,	खाखरमाला	4	14)
,,	,,	,,	कोट	3	1111)
,,	,,	,,	मोटा	—	—
,,	,,	23-2-81	बोराणा	—	—
,,	,,	,,	पालरा	—	—
,,	,,	,,	खेमाणा	5	22)
गंगापुर	,,	29-6-79	गणेशपुरा	2	6)
,,	,,	,,	शिवस्तो	2	1111)
,,	,,	,,	सहाड़ा	1	3)
,,	,,	20 7-79	कोशीवल	6	—
,,	,,	,,	पोटला	2	10)
बनेड़ा	,,	17-8-79	बनेड़ा	2	8)
,,	,,	,,	शरद रनगर	1	4)
,,	,,	,,	काकोलिया	—	—
,,	,,	,,	बबराना	1	2)
,,	,,	31-8-79	बामनिया	3	9)
,,	,,	,,	मूसी	8	14)
,,	,,	,,	मेरास	3	3111)
,,	,,	17-10-79	महलाखुर्द	—	—
बनेड़ा	79-80	17-10-79	देरा	3	9)

अनुसूचित जन जाति		पिछड़ी जाति		अन्य		योग
व्यक्ति	क्षेत्रफल	व्यक्ति	क्षेत्रफल	व्यक्ति	क्षेत्रफल	
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	7	30)	48)
—	—	—	—	3	10॥)	10॥)
—	—		—	25	119)	137)
—	—	—	—	—	—	35)
1	2)	—	—	3	11)	17)
—	—	—	—	12	56)	66)
1	1	—	—	3	15)	20)
3	7)	—	—	5	9)	31)
—	—	—	—	—	—	27)
—	—	—	—	4	9॥)	9॥)
—	—	—	—	18	83)	83)
—	—	—	—	8	36)	51)
—	—	—	—	3	5॥)	19॥)
—	—	—	—	3	11)॥	22॥)
—	—	—	—	16	70॥)4	70॥)4
—	—	—	—	8	25॥)	25॥)
2	8।)	—	—	2	7)	15।)
—	—	—	—	5	17)	39)
—	—	1	3॥)	7	7॥।)	17।)
—	—	—	—	3	6॥)3	18)2
1	2)	—	—	3	4)	9।)
—	—	—	—	17	84)	84)
—	—	—	—	8	20)	30)
4	—	—	—	4	14)	22)
—	—	—	—	5	20)	24)
—	—	—	—	3	8)	8)
—	—	—	—	8	2।)	23)
—	—	—	—	—	—	9)
—	—	—	—	—	—	14)
—	—	—	—	—	—	3॥।)
—	—	—	—	5	15)	15)
—	—	—	—	—	—	9)

(183)

1	2	3	4	5	6
बनेड़ा	79-80	17-10-79	बालेसरिया	—	—
”	”	18-10-79	उपरेड़ा	—	—
”	”	”	बल्दरखा	7	28)
”	”	”	घरटा	1	21)
”	”	19-10-79	साम्बिया	1	5)
”	”	”	निम्बाहेड़ाकला	3	12)
			योग....	98	320

7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	3	7॥)	7॥)
—	—	—	—	13	48॥)	48॥)
—	—	—	—	4	7)	35)
—	—	—	—	—	—	21)
4	17	—	—	15	54	76)
5	24	—	—	25	122)	158)
17	65।)	1	3॥)	148	1046)2	1431॥।)2 895 एकड़

(185)

भू—आवंटन की सूची

नाम तहसील	वर्ष	आवंटित दिनांक	नाम ग्राम आवंटन	नान कमाण्ड क्षेत्र आवंटित भूमि अनुसूचित जाति संख्या	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
भीलवाड़ा	79-80	13- 8-79	कान्दा	6	14)2
,,	,,	13-10-79	सागवा	3	8)4
,,	,,	27-10-79	दरीबा	1	1
,,	,,	2-11-79	पाटनीया	—	—
,,	,,	16-11-79	काणोली	—	—
,,	80-81	5- 9-80	रघुनाथपुरा	—	—
,,	,,	,,	रामपुरिया	—	—
,,	,,	,,	टोला का खेड़ा	—	—
,,	,,	,,	रायड़ा	—	—
,,	,,	,,	गुन्दली	—	—
,,	,,	,,	बासड़ा	—	—
,,	,,	12- 9-80	समोड़ी	2	6)
,,	,,	,,	कोटड़ी	1	111)1
,,	,,	,,	दरीबा	1	11)1
,,	,,	31-10-80	भोली	—	—
,,	,,	,,	स्वरूपगंज	—	—
,,	,,	,,	गुवारड़ी	1	1)1
,,	,,	,,	बराठिया	—	—
,,	,,	,,	कल्याणपुरा	—	—
,,	,,	,,	बिलिया	—	—
,,	,,	14-11-80	गुवारड़ी	2	11)2
,,	,,	,,	काणोली	—	—
,,	,,	,,	कल्याणपुरा	—	—
,,	,,	,,	बरी	—	—
,,	,,	22- 1-81	एकलिंगपुरा	3	711)2
,,	,,	,,	सागवा	5	11111)
,,	,,	8- 2-81	चैनपुरिया	—	—
,,	,,	,,	भोमा	2	1)

का विवरण–क्षेत्रफल बीघों में

पिछड़ी जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य		योग	
संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र
7	8	9	10	11	12	13	14
5	51)	7	4111)3	6	25111)	24	50)
6	281)4	1	1)1	6	231)4	16	61)3
–	–	–	–	8	201)2	9	211)2
–	–	–	–	1	5)	1	5)
–	–	2	71)2	–	–	2	71)2
2	711)	–	–	–	–	2	711)
8	241)3	1	4)	5	11111)2	14	401)
–	–	–	–	1	111)2	1	111)2
–	–	–	–	1	5)	1	5)
–	–	3	31111)2	2	111)1	5	3311)3
–	–	–	–	1	111)	1	111)
1	11)4	1	311)2	5	22)3	9	33)4
4	4)2	–	–	4	7111)1	9	12111)4
7	2[illegible])3	2	2911)	16	441)1	26	991)
2	4111)1	–	–	–	–	2	4111)1
–	–	–	–	4	211)1	4	211)1
1	1)	–	–	9	5111)1	11	61)1
–	–	–	–	4	7)3	4	7)3
6	17)2	–	–	7	291)	13	461)2
–	–	–	–	2	41)4	2	41)4
2	9)	–	–	1	3)	5	131)2
–	–	–	–	1	2)	1	2)
1	3)	–	–	–	–	1	3)
3	4111)2	–	–	–	–	3	4111)2
3	61)1	–	–	3	91)	9	23)3
8	23111)	–	–	1	2111)1	14	331)3
1	51)3	2	19)	1	11)2	4	25)
5	711)4	–	–	–	–	7	811)4

(187)

1	2	3	4	5	6
भीलवाड़ा	80-81	8-2-81	जागदरी	4	611)
,,	,,	,,	कोपुरा	2	3111)2
,,	,,	,,	गोवलिया	1	3)
,,	,,	,,	बांठा	1	1)3
,,	,,	,,	सेथूरिया	4	1711)2
			योग :-	39	84111)4

पुराना

भीलवाड़ा	79-80	27-10-79	दरीबा	-	-
,,	80-81	22-1-81	स.गढ़	4	16111)1
			योग :-	4	16'11)1

नया

भीलवाड़ा	,,	26-9-80	रूपाहेली	8	261)3
			ह. भीलवाड़ा कुल योग :-	51	145)

नोन कमाण्ड

माण्डल	79-80	7-7-79	रैन	1	4)
,,	,,	,,	दहीमता	-	-
,,	,,	,,	जालमपुरा	-	-
,,	,,	18-10-79	मेजा	8	611)
,,	,,	28-10-79	करेड़ा	2	511)3
,,	,,	,,	निम्बाहेड़ा	-	-
,,	,,	,,	जसवन्तपुरा	1	7)
,,	,,	,,	भैरूखेड़ा	-	-
,,	,,	29-10-79	धुंवाला (क)	-	-

7	8	9	10	11	12	13	14
3	3।)4	–	–	3	6।।)1	10	17)
–	–	–	–	6	17)1	10	20।।)3
–	–	2	3)3	6	36।)3	9	43)
–	–	–	–	10	14)2	11	14।)
–	–	–	–	18	41)4	22	58।।)1
70	181)3	21	104)3	132	353)4	262	723।।)4

सीलिंग

1	।।)	–	–	5	2।।)1	6	3'1
3	121)4	–	–	10	56।)	17	85।।)
4	121।)4	–	–	15	58।।)1	23	88।)1

सीलिंग

–	–	–	–	8	34।।)3	16	6।)1
77	207। 1	21	104। 3	100	505।)1	324	965।)2

क्षेत्र

–	–	–	–	4	20)	5	24)
8	24।।)	–	–	5	16।)2	13	41)2
4	20)	–	–	–	–	4	20)
–	–	–	–	10	16`3	18	22।)3
2	2।)3	–	–	13	23।)1	17	41।)2
1	1।)3	–	–	2	6।)1	3	7।।)4
1	–	–	–	1	1।)1	2	8।)1
–	–	–	–	3	15)	3	15)
–	–	–	–	4	12।)1	4	12।)1

1	2	3	4	5	6
माण्डल	79-80	29-10-79	दन्तडी	1	4)
,,	,,	,,	मियाफलास का खेड़ा	—	—
,,	,,	30-10-79	भूमट	—	—
,,	,,	,,	गगास	1	10)
,,	,,	31-10-79	लादवास	3	18)
,,	,,	22-11-79	मजा	—	—
,,	,,	5-12-79	घोडास	—	—
,,	,,	,,	समलिया	—	—
,,	,,	,,	लालपुरा	—	—
,,	,,	,,	सारणा का खेड़ा	—	—
			योग :—	17	55'3
माण्डल	80-81	19-12-80	भाद	7	25.ll)2
,,	,,	,,	भरलों खेड़ा	—	—
,,	,,	,,	गेगास	—	—
,,	,,	,,	बरा	—	12l)
माण्डल	80-81	16-1-81	किशनपुरा	—	—
,,	,,	,,	काशीराम जी की खड़ी	—	—
,,	,,	,,	आलनास	—	—
,,	,,	,,	भगवानपुरा	—	—
,,	,,	17-1-81	चिलखर	1	ll)2
,,	,,	,,	उदयराम जी का गुडा	—	—
			योग:—	11	38ll)4

पुराना

माण्डल	79-80	7-7-79	बेमाली	—	—

नया

,,	80-81	30-10-79	माद्र	1	6l
,,	,,	19-12-80	,,	—	—
			योग:—	1	6)

7	8	9	10	11	12	13	14
—	—	—	—	1	4)	2	8)
—	—	—	—	1	3।।)1	1	3।।)1
1	8)	—	—	1	5)	2	13)
—	—	—	—	—	—	1	10)
—	—	—	—	1	2।।।)	4	20।।।)
—	—	—	—	1	1)	1	1)
—	1।)2	—	—	1	—	1	1।)2
—	—	—	—	1	1।।)	1	।।।)
—	—	—	—	2	6।।।)3	2	6।।।)3
—	—	—	—	1	2।।)2	1	2।।)2
17	58)3	—	—	51	136।।।)	85	254)1
7	26।।)3	—	—	33	132।।)4	47	175)4
—	4)	—	—	13	55।)	13	55।)
1	—	—	—	11	32।)	12	36।)
—	—	—	—	8	7।।।)1	11	20)1
—	—	—	—	1	1।)2	1	1।)2
—	—	—	—	2	3।)3	2	3)3
—	—	—	—	3	2।।)	3	2।।)
—	1।।)2	—	—	1	1।)4	1	2।)1
1	13।।)	6	22।)	19	50।।।)	27	86।।।)2
—	—			1	।।।)2	1	।।।)2
10	45।।।)2	6	22।)	92	277।)1	119	38[illegible])

सीलिंग

11	44	—	—	13	52।)	24	101)4

सीलिंग

1	5	3	1।।)	1	5)	6	27।)
1	1)3	—	—	—	—	1	1)3
2	6।)3	3	1।।)	1	5)	7	17।।)3

कमाण्ड क्षेत्र–परियोजना मेजा।

1	2	3	4	5	6
मेजा					
त.भीलवाड़ा	79-80	25-10-79	बीपीया जोधड़ास	—	—
				1	1।)3
,,	,,	26-10-80	अगरपुरा	1	2)
,,	80-81	17-5-80	मदालीखेड़ा	—	—
,,	,,	23-10-80	जोधड़ास	—	—
मेजा					
त०माण्डल	79-80	1-10-79	अमरपुरा	—	—
सरेड़ी	,,	22-11-78	मेजा	—	—
त०बनेड़ा	80-81	५-6-80	[illegible]सोरिया	—	—
,,	,,	,,	कासोरिया	1	2।।)3
चन्द्रभागा	,,	7-10-80	खाखला	2	9)
त सहाड़ा	,,	,,	नेगड़िया [illegible]ड़ा	3	4।।)
			योग: —	8	19।।)1

सरेरी/चन्द्रभागा/लड़की बान्ध

7	8	9	10	11	12	13	14
--	—	—	—	1	2।।।)1	1	2।।)1
—	—	—	—	—	—	1	1।)3
3	7।।)3	—	—	1	3)3	5	12।।।)
—	—	—	—	1	5)	:	5)
—	—	—	—	2	9)2	2	9)2
—	—	—	—	—	—	—	
3	1)3	—	—	—	--	3	1)3
1	।)1	3	1।।)3	8	14)	12	15।।।)4
—	—	—	—	4	19।।)1	4	19।।)
1	6।)2	1	1।।)3	8	17।।)	11	28)2
2	8)	13	57।।)2	10	47)	97	121।।)2
1	1)	4	7।।)	3	5।।)	11	17।)
11	24।)4	21	68।)3	38	123।।)2	78	234।।।)3

193

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी-गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

बिन्दुवार सूचना वर्ष

क. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	दिनांक आवंटन	आवंटन अनुसूचित जाति संख्या	आवंटन अनुसूचित जाति रकबा
1	2	3	4	5	6
1.	आसीन्द	बड़ी का खेड़ा	28-4-79	1	3 बीघा
2.	,,	रामपुरा	5-5-79	—	—
3.	,,	लाडूआ	16-5 79	2	12 बीघा
4.	,,	ब्राह्मणों की सरेरी	22-6-79	—	—
5.	,,	जेतपुरा	,,	1	5 बीघा
6.	,,	कालियास	,,	1	5 बीघा
7.	,,	आमेसर	,,	3	14 बीघा 11 बि.
7.	,,	छीली	30-7-79	3	13 बी. 14 बि.
9.	,,	मोतीपुर	,,	—	—
10.	,,	बड़ला	,,	4	15 बी. 13 बि.
11.	,,	परासोली	12-11-79	—	—
12.	हुरड़ा	हुरड़ासेजा	21-6-79	1	3 बी. 10 बि.
13.	,,	देवरिया	24-7-79	1	4 बी. 14 बि.
			योग —	17	77 बी. 2 बि.

1979-80 व 1980-81

का विवरण					
अनुसूचित जन जाति		अन्य वर्ग		योग आवंटन	
संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
7	8	9	10	11	12
1	10 बीघा	1	5 बीघा	3	18 बीघा
—	—	1	3 बीघा	1	3 बीघा
—		9	76 बी. 19 वि.	11	88 बी. 19 वि.
3	12 बीघा	2	7 बीघा	5	19 बीघा
—	—	—	—	1	5 बीघा
2	11 बीघा	3	13 बीघा	6	34 बीघा
—		5	30 बीघा	8	44 बीघा 11 वि.
1	4 बी. 10 वि.	2	3 बी. 8 वि.	6	21 बी. 12 वि.
1	5 बीघा	1	5 बी.	2	10 बीघा
1	8 बीघा	1	5 बीघा 18 वि.	6	29 बी. 11 वि.
—	—	2	3 बी 9 वि.	2	3 बी. 9 वि.
—	—	2	7 बीघा	3	10 बी. 10 वि.
1	10 बी. 8 वि.	—	—	2	15 बी. 2 वि.
10	60 बी. 18 वि.	2[illegible]	164 बी. 14 वि.	56	302 बी. 14 वि.

(195)

कृषि भूमि आवंटन वर्ष 1979–80 एवं 1980–81 उपखण्ड कार्यालय, मांडलगढ़

सं.	ग्रुप नाम पंचा.	आवंटन दिनांक	नाम ग्राम	अनु. जाति सं.	अनु. जाति क्षे.	जनजाति सं.	जनजाति क्षे.	अन्य सं.	अन्य क्षे.	कुल योग (एकड़ो में) सं.	कुल योग (एकड़ो में) क्षे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बन्दराय	30-5-79	बन्दराय	—		1	2	4	8	5	10
2.	महुंली	,, ,,	महुंली सोडियास	7	19	2	6	10	37	19	62
3.	कोठाज	31-5-79	काटी.	—		—		1	3	1	3
4.	पारोली	,, ,,	भगरोश	3	7	1	3	3	6	7	16
5.	बिरधोल	22-11-79	बीरधोला	1	2	1	3	6	17	8	22
6.	रासेड़	23-11-79	रासेड़	—		—		1	3	1	3
7.	जन्जोला	6-4-79	सत्ताजी का खेड़ा कराड खेडी /जो. जो.					5	13	6	17
8.	धामनिया	7-4-79	[illegible]या, चांवडीया, कचोलिया मुर्द, [illegible]ठा, हरपुरा, लटाला	7	8	3	3	22	23	32	34
9.	श्यामपुरा	13-4-79	श्यामपुरा रामचन्द्रजी का खेड़ा, धनवाडा, भोपालगढ़	9	21	6	16	14	32	29	69
10.	माल का खेड़ा	13-4-79	माल का खेड़ा धनवाडा, भटखेडी, ऊदजी का खेड़ा	3	7	2	7	23	53	28	67
11.	सराणा	18-4-79	सराणा केकड़िया, रामथली, टहला	8	9	4	4	7	9	19	22
12.	चादजी की खेड़ी	25-4-79	चादजी की खेड़ी, चूना की भटिया, जोलास, सौपुरा निमडिगुया, अमृतपुरीया, गिरधरपुरा, राखोली	4	7	8	13	12	18	24	38

13.	राजगढ़	27-4-79	राजगढ़, उम्मेदपुरा, पितास	7-16	7-16	12-26	26-58
14.	लिलसवां	28-4-79	तिलसवां, मोगरवासा, मुठेयाल, कासीया, बहादुरसिंहजी का खेड़ा, कोयला कुण्डी, पापडवड, केरखेड़ा देवी निवास, इन्द्रपुरा, ब्रिजपुरा, कंवरपुरा	1-2	6-12	21-35	28-49
15.	श्रीनगर	3-5-79	श्रीनगर, किशनपुरीया, दानजी का खेड़ा, नाहरगढ़, बदनपुरा, सालमपुरा, दोलपुरा, सरदारजी का खेड़ा	7-10	8-17	50-59	65-86
16.	महुआ	3-5-79	महुआ, सारण का खेड़ा, जोधपुरीया	19-15	1-1	33-20	53-36
17.	सुरास	5-5-79	सुरास, नाहरगढ़, महताजी का खेड़ा,	2-4	10-23	12-14	24-41
18.	बीकरण	9-5-79	बीकरण, मुकुन्दगढ़, जालमकी झाडी, जस्माजी का खेड़ा, जुजारपुरा, रुपालाई, भेरुसिंहजी का खेड़ा	16-5	9-15	28-38	43-58
19.	बीकरमपुरा	10-5-79	बीकरमपुरा, काछीपुरा, सरकीकुडी, देवनगर, सदारामजी का खेड़ा, उमेदरामजी का खेड़ा, लक्ष्मणपुरा, किशन निवास, गोविन्दपुरा, देवगढ़, गणेशपुरा	5-7	24-41	16-14	45-62
20.	सलावटीया	25-5-79	[illegible] टीडा, झारोली, गाडोली, नयानगर, [illegible]पुरा, रामपुरा, [illegible] बडा, बीलोरना, [illegible] गोपाल नि. जलेरी विरान	3-5	7-15	92-162	102-182

1	2	3	4	5-6	7-8	9-10	11-12
21.	खड़वाड़ा	16-6-79	खड़वाड़ा	6-12	—	1-1	7-13
22.	झालिया	21-6-79	झालिया मोई	2-5	1-3	1-1	4-9
23.	कल्याणपुरा	23-6-79	कल्याणपुरा, चेनपुरीया, काशीरामजी का खेड़ा, कल्याणपुरा का खेड़ा, निलकी खेड़ी	19-18	10-8	26-27	55-53
24.	मानपुरा	27-6-79	मानपुरा, गोपालपुरा	7-16	3-7	9-21	19-44
25.	बिजोलिया खुर्द	30-6-79	बिजोलिया खुर्द, खड़ीपुर, पटियाल, छतरी खेड़ा	2-5	3-8	1-2	6-15
26.	थड़ोदा	30-6-79	थड़ोदा, मानगढ़, केशुविलास, तोखी	2-2	11-24	-1	14-30
27.	मकरेड़ी	24-11-79	रेमुरा, सरकुंडिया, ... मकरेड़ी	2-2	2-5	10-.9	14-26
28.	भोपतपुरा	28-11-79	भोपतपुरा, बांका, छतरीखेड़ा, खेराड़िया, मडोल, लक्ष्मीखेड़ा, गोर्धनपुरा	12-20	21-42	105-168	138-230
29.	मांडलगढ़	3-11-80 व 4-11-80	माडलगढ़, नगपुरा, जावरपुरा, बड़ी तलहटी करणपुरा, कोतवाली का खड़ा, अभयपुरा, भारजी का खेड़ा, तीरोली, फलासीया	10-9	—	72-68	82-77
30.	मेनोली	3-11-80 व 4-11-80	मेनोली, धाकड खेड़ी, बिहारीपुरा	11-13	16-17	16-26	43-56
31.	कल्याणपुरा	3-11-80	वरखेड़ा	—	—	2-2	2-2
32.	भोपतपुरा	6-1-81 व 7-1-81	भोपतपुरा, किशनपुरीया, चेनपुरीया मडोल, बांका खराड़िया, गोपालपुरा लक्ष्मीखेड़ा	9-12	10-21	100-164	119-197
			कुल योग:—	175-265	177-332	716-1090	1068-1687

198

सूची ख

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	आवंटन हेतु उपलब्ध रकबा बीघा/बिस्वा	नाजायज कब्जा वाला रकबा बी.बि.-
1	2	3	4	5
मोन कमाण्ड सिवाय चक्र :—				
1.	तहसील-हुरड़ा	हुरड़ा मेवा	21.14	—
2.	,,	हुरड़ा मगा	139.19	—
3.	,,	कोटड़ी	9.00	—
4.	,,	लक्ष्मीपुरा	4.00	—
5.	,,	चतरपुरा	4.14	—
6.	,,	देवपुरा	15.18	—
7.	,,	गजसिंहपुरा	32.19	—
8.	,,	बड़ला	104.14	—
9.	,,	तसवारिया	13.04	—
10.	,,	हरीपुरा	24.07	—
11.	,,	मादेड़ा	126.05	—
12.	,,	लाम्बा	13.08	—
13.	,,	पाटियों का खेड़ा	1.07	—
14.	,,	श्रीनगर	36.11	—
15.	,,	नंगाजी का खेड़ा	55.10	—
16.	,,	रूपाहेली	86.06	—
17.	,,	कंवलियास	2.07	—
18.	,,	सनोदिया	10.08	—
19.	,,	धनपुरा	4.03	—
20.	,,	सरेरी	1.11	—
21.	,,	धंवालिया	53.14	—
22.	,,	आलमपुरा	12.11	—
23.	,,	बराठिया	54.18	
24.	,,	बालापुरा	7.08	—
25.	,,	परड़ोदास	25.07	—

(199)

1	2	3	4	5
26.	तहसील हुरड़ा	इनाणी खेड़ा	10.17	—
27.	,,	देवरिया	7.04	—
28.	,,	सुरास	25.1?	22.03
29.	,,	उंखलिया	84.10	—
30.	,,	आलमपुरा	67.04	36.02
31.	,,	जूनीखेड़ा	65 01	39 03
32.	,,	मदनपुरा	28.00	—
33.	,,	कुश लपुरा	33.04	—
34.	,,	गागेड़ा	306 08	22.00
35.	,,	गुरायला	1?.00	5.00
36.	,,	दांत[illegible]	54.06	
37.	,,	कानपुरा	82.13	52.14
38.	,,	फलामादा	70.08	16.18
39.	,,	मार्र यास	11.01	10.01
40.	,,	बख्तावरपुरा	16 02	16.00
41.	,,	सोडार	37.01	21.06
			1756.07	241.07
			—703 एकड़	96 एकड़

सूची तहसील जहाजपुर बिलानाम काबिल काश्त भूमि आवंटन योग्य

नाम ग्राम	रकबा (बीघों में)
शक्करगढ़	169-03
बरोदा	662-05
टीटोड़ा	514-08
टीकड़	137-19
गुढ़ा	103-13
मागीथला	12-15
सरसिया	207-00
बामोली	88-00
धुवाला	242-16
योग:—	2?37-19

सूची तहसील शाहपुरा बिलानाम काबिल काश्त भूमि आवंटन योग्य

नाम ग्राम	रकबा (बीघों में)
डीकोला	125-10
इटड़िया	95-00
बावड़ी	22-00
कोठियां	44-00
सांगरिया	33-02
अरवड़	40-05
लसाड़िया	60-15
फुलियाखुर्द	65-11
अरनियाखोड़ा	180-10
डाबलाचांदा	334-18
तसवारियाबासी	128-13
देवरिया	22-10
लसाड़िया	41-08
योग:—	1194-02

तहसील बनेड़ा में आवंटन हेतु अवशेष भूमि की सूची

ग्राम	क्षेत्रफल
1	2
कंकोलिया	113)
बबराना	6ll)
खेड़लिया	5lll)3
महुवा	30l)1
वरण	15lll)3
सालरिया	45lll)4
मेघरास	15l)
उपरेड़ा	12)2
रायला	5lll)1
लाडिबमा खुर्द	52lll)3

1	2
रूपाहेली	101)2
बैंरा	56)4
लाम्बिया कलां	52)1
बनेड़ा	1811)4
मुशी	3)4
सरदा	501)2
बल्दरखा	11111)2
कुन्डिया	171)2
सावला	30111)2
	55411) 347 एकड़

तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा में आवन्टन हेतु उपलब्ध भूमि की सूची ग्राम वाइज

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा		वि० वि०
		बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5
1.	लाठिया खेड़ी	4	6	
2.	टोकरां	41	6	
3.	नाहरी	38	—	
4.	अर्जुनगढ़	3	—	
5.	पालरां	11	10	
6.	पचातरां का खेड़ा	8	—	
7.	मेरनिया खेड़ा	4	—	
8.	आशाहेली	7	—	
9.	बकाण	39	—	
10.	राणास	7	15	
11.	लखाहोली	4	—	
12.	भींटा	25	7	
13.	सेमलाट	17	—	
14.	सरेवड़ी	6	5	

1	2	3	4	5
15.	रूपा का खेड़ा	5	—	
16.	जोरावरपुरा	15	—	
17.	थेरिया खेड़ा	4	—	
18.	शिवनाथ पुरा	4	—	
19.	दुल्हपुरा	6	—	
	योग	259	9=138 एकड़	

तहसील सहाड़ा में आवंटन हेतु अवशेष भूमि की सूची

ग्राम	क्षेत्रफल
बघेरा	176।)
सुरावास	2॥)
रायलियास	26)
मंडपिया	74)
चांगबास	47)
	325।।।) 176 एकड़

भूमि आवंटन से शेष की गांववार सूचियां

क्रमांक	नाम तहसील	नाम गांव	आवंटन से शेष भूमि (क्षेत्रफल एकड़ों में)
1	2	3	4
1.	भीलवाड़ा	मंगरोप	101
2.	,,	कोचरिया	18
3.	,,	मंडपिया	23
4.	,,	सालमपुरा	26
5.	,,	ओगावा	49
6.	,,	कारोई	10

(203)

1	2	3	4
7.	भीलवाड़ा	धलांकाखेड़ा	37
8.	,,	सायला	25
9.	,,	उगडिया	81
10.	,,	खेरहजारिया	6
11.	,,	जवासिया	49
12.	,,	बड़ा महुआ	20
13.	,,	छापरी	30
		योग	475
1.	माण्डल	कीडीमाल	59
2.	,,	वारेली	56
3.	,,	चानसेन	46
4.	,,	घोडास	12
5.	,,	कवंराडिया	70
6.	,,	थापड़ा	75
7.	,,	गराडिया	57
8.	,,	हाथोपुरा	17
9.	,,	सोडास	52
10.	,,	सारणों का खेडा	34
11.	,,	उजवों का खेडा	30
12.	,,	बागोर	95
13.	,,	केरिया	20
14.	,,	सज्जनछुंरा	13
15.	,,	गाजुणा	147
16.	,,	टोकरां	247
17.	,,	थाणा	329
18.	,,	कुवांर	531
19.	नाहरगढ़	नाहरगढ़	40
20.	,,	किशनपुरा	10
21.	,,	समेलिया	4
		योग	1944

तहसील माण्डलगढ़
आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की सूची वर्ष 1981

क्रमांक	ग्राम जहां भूमि उपलब्ध है	आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि	
		कमाण्ड	नोन कमाण्ड
1	2	3	4
1.	विक्रमपुरा	–	7
2.	गणेशपुरा	—	11
3.	गोविन्दपुरा	—	3
4.	कामा	—	26
5.	उम्मेदरामजी का खेड़ा	—	2
6.	काछीपुरा	—	113
7.	सरकीकुड़ी	—	77
8.	देवनगर	—	112
9.	देवगढ़	—	58
10.	सदारामजी का खेड़ा	—	108
11.	करलाव	—	33
12	जलेरीविरान	—	22
13.	बिल्लोनाबड़ी	—	77
14.	रसदपुरा	—	100
15.	गोपालनिवास	—	29
16.	सूखपुरा	—	114
17.	जाड़ोली	—	214
18.	सलावटिया	—	146
19.	रामपुरिया	–	238
20.	आरोली	—	374
21.	नयानगर	—	344
22.	चांदजी की खेड़ी	—	67
23.	सोपुरा	—	28
24.	गिन्धरपुरा	—	23
25.	राखोली	—	65
26.	पंचानपुरा	—	95
27.	नीमड़ीगुवा	—	128
28.	भोपीकारहट	—	9
29.	जीलाबड़ा	—	7

1	2	3	4
30.	चुनाकी भाटिया	—	25
31.	जोलास	—	1
32.	अमृतपुरिया	—	35
33.	बिजोलिया कलां	—	79
34.	नयागांव	—	10
35.	भुतो	—	1
36.	रूघनाथपुरा	—	15
37.	पुरोहितों का खेड़ा	—	4
38.	फतेहपुरा	—	21
39.	शंभुपुरा	—	43
40.	देरोली	—	14
41.	बिजोलिया खुर्द	—	10
42.	बेरीसाल	—	2
43.	छत्रीखेड़ा	—	50
44.	खड़ीपुर	—	37
45.	पटियाल	—	51
46.	थड़ोदा	—	95
47.	मानगढ़	—	42
48.	केशोविलास	—	271
49.	तीखी	—	142
50.	कोयलाकुण्डी	—	30
51.	कंवरपुरा	—	16
52.	मोगरवास	—	55
53.	बाणोयों का तालाब	—	33
54.	केर ड़ा	—	30
55.	कासियां	—	54
56.	बहादुरजी का खेड़ा	—	14
57	सुठियाल	—	4
58.	इन्द्रपुरा	—	26
59.	पापड़बड़	—	32
60.	देवीनिवास	—	59
61.	दृजपुरा	—	43
62.	शिकारगाह	—	13
63.	तिलस्वां	—	82
64.	जलीन्द्री	—	141

1	2	3	4
65.	अमरपुरा	—	36
66.	बड़ोरिया	—	64
67.	रामपुरिया	—	82
68.	माधोपुरा	—	183
69.	सुरेन्वा	—	135
70.	उम्मेदपुरा	—	1
71.	दानपुरा	—	21
72.	कालीघाटी	—	24
73.	भांटी	—	175
74.	गुढ़ा	—	48
75.	मकरेड़ी	—	176
76.	आट	—	52
77.	सतकुड़िया	—	82
78.	भेरुंपुरा	—	20
79.	सूरजविलास	—	50
80.	मोतीपुरा	—	52
81.	लक्ष्मीखेड़ा	—	101
82.	मण्डोल	—	107
83.	किशनपुरिया	—	305
84.	चेनपुरिया	—	55
85.	मोपतपुरा	—	162
86.	बांका	—	2[illegible]5
87.	थलकलां	—	601
88.	रलायता	—	75
88.	बीलीया	—	563
90.	धामनियां	—	4
91.	चावंडिया	—	6
92.	हरपुरा	—	4
93.	जगपुरा	—	3
94.	लटाला	—	5
95.	कचोलिया खुर्द	—	5
96.	मीठा	—	131
97.	सग्रामपुरा	—	30
98.	राजगढ़	—	9
99.	बागथला	—	12

1	2	3	4
100.	पीथास	—	32
101.	थलखुर्द	—	25
102.	उम्मेदपुरा	—	17
103.	जमुजी का खेड़ा	—	32
104.	हिम्मतसिंहजी की गली	—	4
105.	देवपुरा	—	6
106.	किरतपुरा	—	25
107.	सरथला	—	21
108.	आमली	—	139
109.	मधुपुरिया	—	21
110.	सामथला	—	7
111.	भट गढ़ी	—	3
112.	ऊन्द्रों का खेड़ा	—	233
113.	मेघपुरा	—	4
114.	धनखेड़ा	—	238
115.	श्यामपुरा	—	219
116.	गेणोली	—	69
117.	अणदा का खेड़ा	—	32
118.	गाड़िया	—	22
119	मोहनपुरा	—	123
120.	दोलजी का खेड़ा	—	39
121.	अनवासा	—	27
122.	बिकरण	—	23
123.	जस्साजी का खेड़ा	—	105
124.	मुकनगढ़	—	84
125.	रूप तलाई	—	41
126.	जुजारपुरा	—	94
127.	जालम की झूंपड़िया	—	11
128.	गुलगांव	—	7
129.	अजीतपुरा	—	3
130.	नाथजी का खेड़ा	—	16
131.	मोचड़ियों का खेड़ा	—	22
132.	महुआ	—	384
133.	सारण का खेड़ा	—	63
134.	किशनपुरिया	—	47

1	2	3	4
135.	दानजी का बेड़ा	—	40
136.	दौलपुरा	—	125
137.	नाहरगढ़	—	93
138.	सरदारजी का खेड़ा	—	189
139.	सालमपुरा	—	78
140.	श्रीनगर	—	1
141.	बीगोद	—	47
142.	भवानीसिंहजी का खेड़ा	—	52
143	प्रतापपुरा	—	15
144.	केरपुरा	—	38
145.	मारलिया	—	23
146.	भमरतिया	—	2
147.	ला पुरा	—	2
148.	रातियाखेड़ा	—	4
149.	पदमपुरा	—	7
150.	चेनपुरिया	—	29
151.	श्यामगढ़	—	90
152.	सुरास	—	150
153.	महताजी का खेड़ा	—	116
154.	नाहरगढ़	—	247
155.	बड़ला	—	102
156.	बीलोड़	39	—
157.	कल्याणपुरा	—	4
158.	नवलपुरा	—	2
159.	काशीरामजी का खेड़ा	—	6
160.	चेनपुरिया	—	82
161.	बरुखेड़ा	90	—
162.	नीलकी खेड़ी	140	—
163.	सरणा	100	—
164.	रामथली	—	52
165.	टहुला	—	50
166.	केकड़िया	—	5
167.	गोवटा	—	55
168.	खटवाड़ा	—	243
169.	बरुन्दनी	93	45

1	2	3	4
170.	देवपुरा	—	10
171.	झंजोला	—	44
172.	खारेल	—	7
173.	भवताजी का खेड़ा	—	102
174.	मांगटला	—	31
175.	गुढ़ा	—	10
176.	कराड़खेड़ी	—	44
177.	भवलाजी का खेड़ा	—	4
178.	देवली का लुन	—	8
179.	सुरड़िया	—	5
180.	रासींगपुरा	—	4
181.	दपुरिया	7	—
182.	खाचरोल	12	—
183.	जोजवा	7	—
184.	पदमपुरा	—	9
185.	वड़ का खेड़ा	—	20
186.	सोंडियाणा	—	100
187.	मानपुरा	—	1897
		योग :—	13365 बीघा =5346 एकड़

तहसील कोटड़ी

आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की सूची वर्ष 1981

क्रमांक	ग्राम जहां भूमि उपलब्ध है	आवंटन हेतु भूमि कमाण्ड	नोन कमाण्ड
1.	कोटड़ी	--	53
2.	रोठ	—	15
3.	रेड़वास	—	7
4.	सबलपुरा	—	30
5.	रघुनाथपुरा	—	20
6.	जीत्यास	—	29
7.	गोठड़ा	—	47
8.	ककरोलिया घाटी	—	59
9.	पारोली	—	118
10.	दांतड़ा	—	53
11.	नन्दराय	—	20
12.	किशनगढ़	—	15
13.	ईटावा	—	18
14.	अखैपुर	—	2
15.	आगरिया	—	15
16.	बोरड़ा	--	2
17.	देवाखेड़ा	—	67
18.	बेलवा	—	24
19.	छापड़ेल	—	47
20.	बेडुन्दा	—	570
21.	कांटो	—	555
22.	अमरपुरा	—	199
23.	देवरिया	—	342
24.	घेवरिया	--	224
25.	गहूंली	--	22

1	2	3	4
26.	ऊंकारपुरा	—	26
27.	सोड़ियास	—	68
28.	थालेड़ा	—	5
29.	हाजीवास	—	3
30.	बागड़ी	—	113
31.	बिशनियां	—	224
32.	बूती	—	10
33.	चावण्ड खेड़ा	—	70
34.	बड़लियास	—	3
35.	चांदगढ़	—	3
36.	श्रीपुरा	—	8
37.	खारों का खेड़ा	—	252
38.	बीरमियास	—	75
39.	भाकलिया	—	50
40.	सवाईपुर	—	31
41.	सूंठेपा	—	1
42.	उदलियास	—	85
43.	जीत्यां	—	52
44.	चोधरियास	—	20
	योग....	—	2552 बीघा

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 158 की सूची

उन आवंटीगण की सूची जिन्हें कब्जा नहीं दिया गया

नाम ग्राम	नाम आवंटी	कब्जा नहीं देने का कारण
बलावधा	1. प्रोसन हरिजन	भूमि उबड़ खाबड़ होने से लेने से इन्कार
	2. भेरू कोली	,,
	3. नन्दसिंह	आवंटन खारिज
	4. नन्दलाल बलाईं	ऊसर की वजह से लेने से इन्कार
	5. मोहन ब्रा०	,,
	6. नाथू बलाई	,,
	7. बद्रीलाल गूजर	खान खण्डर होने से लेने से इन्कार
	8. अब्दुल गफूरखां	,,
	9. भेरूलाल गूजर	नाकाबिल काश्त होने से लेने से इन्कार
	10. बजरंगा बैरवा	,,
	11. लाला गूजर	,,
	12. श्री किशन बलाई	,,
	13. नवलजी मीना	,,
अन्ता दमोलिया	14. प्रेमनारायण बैरवा	खीपेर होने से लेने से इन्कार
खोगिया.न	15. बाबूलाल	,,
ठीकरिया	16. विरधीलाल, काछी	स्टे आर्डर होने से दखल नहीं दिया गया
	17. राधेश्याम तेली, अन्ता	,,
	18. रामकिशन बलाई नागदा	,,
	19. जगन्नाथ हरिजन, अन्ता	,,
	20. रेवड़ीलाल बलाई, नागदा	,,
	21. घतरा मोग्या, ठीकरिया	,,
	22. देवलास बेरवा, ठीकरिया	,,
	23. कालूलाल हरिजन, ठीकरिया	,,

(213)

तहसील मांगरोल के उन कृषकों की सूची जो कब्जा लेने के पश्चात् काश्त नहीं कर रहे

क्र. सं.	नाम	काश्त न करने का कारण
1.	रामगोपाल	पड़त भूमि खराब खाल खढ्ढर होने से
2.	श्री प्रभुलाल	,,
3.	पांचू रेगर	पड़त साधन कृषि उपलब्ध न होने से
4.	जोधराज यादव	,,
5.	चतुर्भुज माली	पड़त जमीन ठीक न होने से
6.	भूरा मीना	केस चल रहा है
7.	चतुर्भुज रेगर	भूमि खराब व खाल खढ्ढर होने से
8.	प्रभू बलाई सा. देह	,,
9.	रामा नायक	,,
10.	श्री लाल	,,
11.	रामप्रसाद नाई	सीपेज आ जाने से
12.	प्रभूलाल बैरवा	,,
13.	अमर लाल खानपुरिया	,,
14.	किशना नायक	भूमि खाल खढ्ढर होने से
15.	कान्हा नायक	,,
16.	लक्खा खटीक	,,
17.	बहादुर सिंह राजपूत	सीपेज में आ जाने से
18.	भैरु बैरवा	भूमि खराब होने से
19.	किशन लाल बैरवा	,,
20.	हीरालाल मेहर	,,
21.	भवरलाल बैरवा	,,
22.	लखपति सिंह राजपूत	भूमि में सीपेज आ जाने से
23.	गोपाल लाल बैरवा	,,
24.	नारायण बैरवा	,,
25.	सुवालाल हरिजन	,,
26.	पुष्पा पत्नी तेजमल बैरवा	,,
27.	मदनलाल बैरवा	,,
28.	चुन्नीलाल मेहर	,,
29.	सूरजमल हरिजन	अलाटी के न चाहने पर खारिज हुई
30.	लटूरलाल बैरवा	आलोटी की जमीन ठीक न होने से जमीन पड़त कर रखी है ।

1	2	3
31.	किशन मीना	खसरा नम्बर दूर दूर होने से आलोटी ने काश्त नहीं कर रखी है।
32.	मन्धी हरिजन	मौके पर भूमि सीपेज होने से काश्त नहीं कर पाया।
33.	रामनारायण बैरवा	दो साल से गांव छोड़कर चला गया एवं यहां का निवासी नहीं बतलाया है।
34.	नाथू मेहर	अपनी इच्छा से काश्त नहीं करते हैं।
35.	मदनलाल मेहर	"
36.	देवा मेहर	लेने से इन्कार है।
37.	सीताराम बैरवा	स्वेच्छा से काश्त नहीं की है।
38.	रतनलाल मेहर	लेने से इन्कार है।
39.	किशनलाल मेहर	लेने से इन्कार है।
40.	लक्ष्मीनारायण बैरवा	स्वेच्छा से काश्त नहीं करते हैं।
41.	औंकार धोबी	ग्राम से दूर होने की वजह से स्वयं काश्त नहीं करते हैं, मुनाफे से जुताते हैं।
42.	नाथूलाल कुम्हार	"
43.	भूचीलाल बैरवा	"
44.	नारायण लाल खटीक	"
45.	लट्टूर लाल चमार	"
46.	हीरालाल बैरवा	"
47.	नेनग माली	भूमि खाल खड्डर है।
48.	मंगला माली	"
49.	मुरारी नायक	अतिक्रमण है, केस सरकार है।
50.	पन्ना बैरवा	अतिक्रमण है।
51.	दौल्या चमार	पूर्व के आवंटन का कब्जा है।
52.	मदन मीना	"
53	गरीबा	गांव छोड़कर बाहर चला गया (2 वर्ष से)।
54.	नेनगा मेहर	बैल नहीं हैं।
55.	बाबू	बाहर चला गया (2 वर्ष से)।
56.	रणजीत	"
57.	श्री बाबू पुत्र भंवर	"
58.	श्रीलाल	बैल नहीं हैं।
59.	मन्ना मेहर	बैल नहीं हैं।
60.	जगन्नाथ	बाहर चला गया (2 वर्ष से)।

1	2	3
61.	मोहन मेघर	बैल नहीं हैं ।
62.	सरमा हरिजन	काश्त नहीं करना चाहते, पड़त है।
63.	श्रीमती मोहनबाई	अलोटीज ने काश्त नहीं की है भूमि छोड़ दी है ।
64.	पन्ना कुम्हार	काश्त नहीं करना चाहता है पड़त है।
65.	लटर कुम्हार	"
66.	रामविलास बैरागी	अतिक्रमण है।
67.	भंवरलाल नाथ	अलॉटीज कब्जा नहीं चाहता है।
68.	ओगड़ीलाल रेगर	अतिक्रमण है।
69.	मूल चन्द	अतिक्रमण है।
70.	अमरलाल	"
71.	प्रभूलाल	"
72.	हरीलाल	"
73.	किशनलाल चमार	अतिक्रमण है।
74.	मूल चन्द सुनार	भूमि सीलिंग से मुक्त हो गई।
75.	मोतीलाल मीना	"
76.	कल्लो खां	"
77.	मूल चन्द बैरवा	"
78.	रामनारायण बा[illegible]	भूमि पर अतिक्रमण है इस वर्ष भूमि पड़त है
79.	मोतीलाल मीना	भूमि पड़त है कब्जा नहीं किया।
80.	पन्ना सोमल[illegible]	"
81.	श्रीराम मेहरा	भूमि पर अतिक्रमण है, इस वर्ष भूमि पड़त है।
82.	बजरंगी धाकड़	भूमि पड़त हुई , नाकाबिल काश्त बताते हैं।
83.	मोहन लाल बा०	"
84.	मुरलीधर बैरागी	"
85.	जगदीश	"
86.	अमृतलाल मीना	"
87.	नेता रेगर	अतिक्रमण है ।
88.	मथुरालाल राठी	"
89.	गोपाल मीना	"
90.	चोथमल कुम्हार	"
91.	रामकल्याण रेगर	"
92.	अमरलाल बैरवा	"
93.	किशनलाल बैरवा	"

1	2	3
94.	छोटूलाल रेगर	भूमि का नाकाबिल काश्त होने से मौके पर पड़त है।
95.	गिरधीलाल नाई	,,
96.	सुखलाल नाई	,,
97.	विरधी लाल रेगर	,,
98.	गंगाराम चमार	,,
99	धन्तरिया	,,
100.	रामप्रताप माली	,,
101.	नाथू मीणा	स्टे प्राप्त है
102	नन्दा माली	,,
103.	रामकिशन	,,
104.	रामविलास	,,
105.	गोपाल माली	,,
106.	आनन्दा बलाई	,,
107.	मोहन नाथ	,,
108.	मांगीलाल बैरवा	केस रिमाण्ड होने से भूमि सिवाय चक नहीं रही।
109.	गोपाल गूजर	,,
110.	हजारीलाल कुम्हार	,,
111.	तोफान हरिजन	,,
112.	कालू बैरवा	केस रिमाण्ड होने से भूमि सिवाय चक नहीं रही।
113.	रामप्रताप मीना	,,
114.	भूरीलाल बैरवा	,,
1 5.	देवीलाल बैरवा	,,
116.	कालू बैरवा	,,
117.	गोरधन बैरवा	,,
18.	किशोर बैरवा	,,
119.	बजरंगा मीना	पूर्व खातेदार ने कब्जा नहीं दिया।
120.	भेला रेगर	,,
121.	कल्याण बैरवा	दखल देने के बाद भी स्वेच्छा से काश्त नहीं कर रहा है।

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

वर्ष व महीना	क्र. सं.	नाम	आयु (वर्ष में)	पता
1	2	3	4	5
1980	1	दौलाराम पुत्र हरीकिशन	11	किशनगढ़
,,	2	राम व पुत्र चौथजी	8	पीलू जिला नागौर
,,	3	रामेश्वर पुत्र बुद्धसिंह	2	सुंदर विलास अजमेर
,,	4	विमला पुत्र बंशीलाल	6	हाथीभाटा, अजमेर
,,	5	संगीता पुत्री हरीसिंह	4	किशनगढ़
,,	6	गुलशन पुत्र जुम्मा	25	गोगलजी अजमेर
,,	7	लादू पुत्र भूरा	25	टमीरा (केकड़ी)
,,	8	नोसर पुत्र कृष्ण	10	,,
,,	9	जसवंत पुत्र गणपतसिंह	18	मसूदा
,,	10	निदेश पुत्र भंवर लाल	8	रानटेगा (केकड़ी)
,,	11	कैलाश पुत्र सत्यनारायण	9	सिरोजी (मराई) अजमेर
फरवरी, 80				
मार्च, 80	1	लक्ष्मी पत्नी पांचू	22	पाटन (किशनगढ़) जिला अजमेर
,,	2	रतनराम पुत्र भोलाराम	7	उडिया (परबतसर) जिला नागौर
,,	3	मीतू पुत्र मंघाराम	20	हुरमाडा जि० अजमेर
,,	4	भगवान पुत्र ईश्वरदास	29	नवाब का बेड़ा जिला अजमेर
,,	5	भगवान पुत्र मांगीलाल	20	जालौर
,,	6	मीना पुत्री परसराम	12	नवाब का बेड़ा
,,	7	कुलदीप पुत्र हासानन्द	25	पहाड़गंज
,,	8	लक्ष्मण पुत्र नाथूलाल	15	ब्रह्मणी
,,	9	जगदीश पुत्र छोटूलाल	21	किशनगढ़
,,	10	अमरचन्द पुत्र मोहनदास	12	पहाड़गंज
,,	11	रामेश्वर पुत्र रघुनाथ	12	नोक जिला अजमेर
,,	12	शिवराम पुत्र हीरालाल	24	परबतसर जि० नागौर
,,	13	महावीर पुत्र कल्याणमल	8	पदमपुरा (डीडवाना)
,,	14	भवानाराम पुत्र अन्ता	10	भिम्बोल जि० नागौर

218

1	2	3	4	5
मार्च 80	15	मोहनी पुत्र गोवर्धन	14	बडलिया जि. अजमेर
,,	16	हीरालाल पुत्र बलदेव	18	अलवर गेट, अजमेर
,,	17	अल्लू पुत्र नानकराम	3	डिग्गी बाजार, अजमेर
,,	18	बहादुर पुत्र बाबूलाल	35	सिविल लाइन, अजमेर
अप्रेल, 80	1	करामन पुत्र जमाल	$11\frac{1}{2}$	खोलोली (किशनगढ़)
,,	2	बिहारीलाल पुत्र रामकिशन	50	नगरा (अजमेर)
,,	3	घासा पुत्र जारु	8	सीतावर (परबतसर) जि. नागौर
,,	4	श्यामसुन्दर पुत्र मालीराम	14	नगरा, अजमेर
,,	5	प्रतापसिंह पुत्र मारवलसिंह	8	नडो (केकडी) अजमेर
,,	6	प्रहलाद पुत्र लादू	5	घाटपाली (केकड़ी)
,,	7	जानकी पत्नी प्रभु	40	विघा जि. नागौर
,,	8	भागचन्द पुत्र अमरसिंह	10	बायड जि. अजमेर
,,	9	भैरू पुत्र घासी	7	लहवांन अजमेर
,,	10	हीरा पुत्र घासीलाल	10	जालिगा जि. नागौर
,,	11	कमलकिशोर पुत्र बनारसीराम	17	किशनगढ़
,,	12	मुकेश पुत्र रामेश्वर प्रसाद	$3\frac{1}{2}$	अगूचा जि. भीलवाड़ा
,,	13	सीताराम पुत्र गंगाराम	30	साखून जि. जयपुर
,,	14	बिरदीचन्द पुत्र किशन	31	पहोकल, अजमेर
,,	15	हरकू पुत्र रुबाल	60	कोटडी जि. अजमेर
,,	16	घनश्याम पत्नि रोशनलाल	40	शास्त्रीनगर जि. अजमेर
,,	17	सूरज पत्नि किशनसिंह	50	डेगाना (नागौर)
,,	18	राजकुमार पुत्र रघुनाथ	3	नन्मेह (केकडी)
,,	19	एतन पुत्र पीराज	32	नागेली (केकडी) जि. अजमेर
अप्रेल, 80	20	राजेन्द्र पुत्र तेजमल	10	भिनाय जि. अजमेर
,,	21	सोहन पुत्र नन्दा	12	रघुनाथगढ़ जि. अजमेर
,,	22	भंवरलाल पुत्र गंगाराम	40	नयालाडा, अजमेर
,,	23	केजर पुत्र राजेन्द्र	3	डेगाना (नागौर)

२१९

1	2	3	4	5
अप्रेल	24	हुसैना पुत्र अकबरअली	16	लंगरखाना गली, अजमेर
,,	25	मुकेश पुत्र गुलाबचन्द	4	आगूचा जि० भीलवाड़ा
मई, 80	1	धन्नालाल पुत्र बागसिंह	31	किशनगढ़
,,	2	दीपल पुत्र रघुवीरदयाल	9	मेयो कालेज, अजमेर
,,	3	मंजू पुत्र नाथू	6	तिलोनिया
,,	4	मीरा पुत्र गोविन्द	7	,,
,,	5	कान्ती पुत्री लाला राम	16	जंपलिया (बांदनवाड़ा)
,,	6	शान्तादेवी	40	कचहरी रोड, अजमेर
,,	7	पप्पू पुत्र पदमसिंह	7	किशनगढ़
,,	8	सी. एल. साणी पुत्र रामाचन्द्र	42	माखूपुरा, अजमेर
,,	9	नोरत पुत्र भंवरलाल	26	पुराना मंडी, अजमेर
,,	10	सुखसिंह पुत्र किशनसिंह	46	धोवला (नागौर)
,,	11	भागचन्द पुत्र भूरा	10	रामसर
,,	12	अमरी पुत्र कालूराम	27	बोराड़ा (अजमेर)
,,	13	भैरु पुत्र हीरा	29	सरवाड़ (अजमेर)
,,	14	रतनबाई पत्नी सुगनचन्द	20	सरवाड़
,,	15	विद्यादेवी पत्नी रामचंद	67	खातौली, (किशनगढ़)
,,	16	भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र	34	जीरोता (अजमेर)
,,	17	गुरुमुख पुत्र नवलराम	11	पन्ना ग्राम चौक, अजमेर
,,	18	बसंती पुत्र हीरालाल	7	माखूपुरा, अजमेर
,,	19	कायमनूर पुत्र मदारी	6	उटड़ा (अजमेर)
,,	20	भूराराम पुत्र जगन्नाथ	60	नादौली (नागौर)
मई, 80	21	बिन्दू पत्नी धाऊराम	24	मेड़ता सिटी (नागौर)
जून, 80	1	रजनी पुत्री प्रेमचन्द	7	तोपदड़ा
,,	2	मनोज कुमार पुत्र सकलचन्द	12	नसीराबाद
,,	3	परमेश्वरी पुत्री बोदूमल	13	विजयनगर
,,	4	लालसिंह पुत्र मोरसिंह	22	भवानी खेड़ा (अजमेर)
,,	5	फूलाराम पुत्र भूरा	6	विठू
,,	6	किशनलाल पुत्र गणपत	25	किशनगढ़
,,	7	मनोहरसिंह पुत्र बहादुरसिंह	23	अयोलिक रोड अजमेर,
,,	8	दयाल पुत्र बक्श मल	23	नलाबाजार, अजमेर
,,	9	अब्दुल करीम रज्जाक	45	गेगल, अजमेर
,,	10	किस्तूर पुत्र हीराराम	20	रघुनाथपुरा (अजमेर)
,,	11	मनोज पुत्र जवारा	8	श्रीनगर (अजमेर)
,,	12	रतनलाल पुत्र शेखर जी	14	,, ,,

1	2	3	4	5
जून 80	13	झंकारी पुत्री भंवरलाल	40	परबतसर (नागौर)
,,	14	राधाकिशन पुत्र माऊमल	13	सौदागर मोहल्ला (अजमेर
जुलाई 80	1	मदन पुत्र चन्दा	8	रियां (नागौर)
,,	2	छीतर पुत्र रामगोपाल	7	भीलवाड़ा
,	3	नाथूसिंह पुत्र शैतानसिंह	25	दांतड़ा
,	4	राजेशकुमार पुत्र महावीर-प्रसाद	16	दांतड़ा
,,	5	लक्ष्मण पुत्र राघवदास	26	दांतड़ा
,	6	मधुबाला पुत्री नाथूराम	15	दांतड़ा
,	7	पन्नाराम पुत्र चन्दाराम	3	नागौर
,,	8	ओमप्रकाश पुत्र छोटूराम	6	परबतसर
,,	9	ओमप्रकाश पुत्र सोढूराम	24	अजमेर
जुलाई, 80	10	जग्गाराम पुत्र सादरराम	40	परबतसर
,	11	नाथू पुत्र प्रताप	40	किशनगढ़
,,	12	छगनी पुत्री गजजी	13	लुजा गली
,,	13	पारसी पुत्री सुगना	7	मोर्डी (अजमेर)
,,	14	बबलू पुत्र लालसिंह	2	परब (दयपु)
,,	15	देवी पत्नी भंवरलाल	10	कालूपुरा (अजमेर)
अगस्त, 80	1	भींवाराम पुत्र भैरूराम	[illegible]	नाडोली (नागौर)
,,	2	राजेश पुत्र नन्दकिशोर	14	डिग्गी बाजार, (अजमेर)
,,	3	हरीश पुत्र सीताराम	7	घोल भाटा
,,	4	हरि पुत्री नरेन्द्र	4	मयोलिक रोड (अजमेर)
,,	5	मंजू पुत्री तोताराम	7	पुलिस लाईन (अजमेर)
,,	6	गोविन्द पुत्र मांगीलाल	23	बड़लिया (अजमेर)
,,	7	राकेश पुत्र हरनामल	1	लाडपुरा (अजमेर)
,,	8	नाथी पत्नि वंशरपसिंह	35	सालरमाला (अजमेर)
,,	9	शकर पुत्र किशनदास	10	नलाबाजार, (अजमेर)
,,	10	कालीचरण पुत्र किशनलाल	35	मिलिट्री स्कूल (अजमेर)
,,	11	किशनलाल पुत्र भंवरलाल	12	केकड़ी
,,	12	इमाम पुत्र नूरमोहम्मद	12	गलवाना (अजमेर)
,,	13	मदनलाल पुत्र नानरमल	28	लूंणया मोहल्ला, अजमेर

(221)

1	2	3	4	5
अगस्त, 80	14	सीमा पुत्र कैलाशचन्द	12	घसेटी
,,	15	रामचन्द्र पुत्र मूरा	30	खोरोता (अराई)
,,	16	हेमराज पुत्र मांगीलाल	36	अखानागली (अजमेर)
,,	17	मंजू पुत्री गंगासहाय	10	गंज, अजमेर
अगस्त, 80	18	राधेश्याम पुत्र ओंकारमल	39	किशनगढ़
,,	19	रमन पुत्र कमलेश	8	किशनगढ़
,,	20	उदाराम पुत्र भीमसन	6	सावर (केकड़ी)
,,	21	मुराद पुत्र गिरदारखां	13	परबतसर (नागौर)
,,	22	ताराचन्द पुत्र आशाराम	23	भगवानगंज (अजमेर)
,,	23	लाला पुत्र नारायणदास	25	नसीराबाद
,,	24	गुरविन्दर [illegible] पुत्र एस.एस. खेमा	60	जोन्सगंज अजमेर
,,	25	भंवरसिंह पुत्र हजारीसिंह	33	गेगल (अजमेर)
,,	26	छोटूसिंह पुत्र पन्नासिंह	21	नाहरपुरा (अजमेर)
,,	27	भंवर पुत्र मोहन	7	जालिया (नसीराबाद)
,,	28	पुनमगुप्ता पुत्री सी.एल. गुप्ता	22	अलवर गेट अजमेर
,,	29	मोहसिंह पुत्र जोरसिंह	60	मसूदा
,,	30	राजेन्द्र पुत्र भगवानस्वरूप	20	श्रीनगर (अजमेर)
,,	31	सुरेन्द्र पुत्र तेजसिंह	11	सीआरपी जी सी-2 अजमेर।
,,	32	नजीब बानो पत्नी शाहबुद्दीन	27	लंगरखानागली अजमेर
,,	33	रजू पुत्र जेठू	8	बोराड, (नागौर)
,,	34	हीरा पुत्र लादू	55	बोराड, (नागौर)
,,	35	रानी पत्नी प्यारेलाल	40	गुलाबबाड़ी, अजमेर
,,	36	दोड़ी पुत्री पीर	11	किशनगढ़
,,	37	मदन पुत्र गोपचन्द	2	लूंगिया मोहल्ला, अजमेर
,,	38	भंवरलाल पुत्र श्रवण	13	फाईसागर, अजमेर
,,	39	जयनारायण पुत्र रामस्वरूप	3	साली (दूदू) जि. अजमेर
,,	40	तुलसी पुत्र आसाराम	16	डेगाना (नागौर)
अगस्त, 80	41	देवाराम पुत्र किशनाराम	5	डेगाना (नागौर)
,,	42	महेन्द्र पुत्र भंवरलाल	6	मीरशाह अली, अजमेर
सित., 80	1	नारा पुत्र एस.एल. बैग	6	नाकामदार, अजमेर
,,	2	प्रेम पुत्र नाथू	20	केकड़ी (अजमेर)
,,	3	सोना पुत्र प्रभू	20	करगड़ी (अजमेर)
,,	4	गोपाल पुत्र के.के. शर्मा	15	कालाबाग (अजमेर)

1	2	3	4	5
सितम्बर, 80	5	सोनी पत्नी भंवजी	25	बडलिया (परबतसर)
,,	6	महेश पुत्र पूरन शंकर	13	होलीधाड़ा, अजमेर
,,	7	रामसिंह पुत्र कुन्दन सिंह	18	तिलानिया, अजमेर
,,	8	रहीम पुत्र मकबूल	14	मोती कटला, अजमेर
,,	9	पूनमचन्द पुत्र रघुनाथ	60	देहली गेट, अजमेर
,,	10	कालू पुत्र हीरालाल	9	बसीटी मौहल्ला
,,	11	हमीद पुत्र मौहम्मद उमेद	6	रामसर
,,	12	जयराम पुत्र भैरु	5	किशनगढ़
,,	13	महावीर पुत्र फूल चन्द	28	मयापवास, अजमेर
,,	14	मंगलाराम पुत्र दुलेजा	26	नसीराबाद
,,	15	बी. नारायणदास पुत्र एच. दास	69	शास्त्रीनगर, अजमेर
,,	16	कैलाशबाई पुत्री छोटू सिंह	12	बारनेल (परबतसर)
,,	17	सुरेश पुत्र शंकरलाल	14	रूपनगढ़, अजमेर
,,	18	दिलीपकुमार पुत्र नेनुमल	12	श्रीनगर रोड, अजमेर
,,	19	कमला पुत्री छीतरमल	5	किशनगढ़
,,	20	धर्मा पुत्र काला	10	बाजी (जयपुर)
,,	21	ओमप्रकाश पुत्र भूपालसिंह	13	किशनगढ़
,,	22	शिवाजी पुत्र कालूराम	7	ठाठा (नागौर)
,,	23	सफीउल्ला पुत्र सबीउल्ला	50	अन्दर कोट, अजमेर
,,	24	ब्रजकिशोर पुत्र गोपालसिंह	11	ढोला भाटा, अजमेर
,,	25	चौथाराम पुत्र रामदीन	3	परबतसर, नागौर
,,	26	अमरचंद पुत्र गंगाराम	15	किशनगढ़
,,	27	दौलतराम पुत्र ताराचंद	23	आर्यनगर, अजमेर
,,	28	भीम पुत्र मोहन	45	अलडका, अजमेर
,,	29	बालचन्द पुत्र बिरदीचन्द	15	करकेडी, अजमेर
,,	30	मोहनलाल पुत्र चौथाराम	13	आनासागर घाटी, अजमेर
,,	31	पुसाराम पुत्र चन्दमल	40	फतेहगढ़ (सरवाड़), अजमेर
,,	32	नरेशकुमार पुत्र गोपीचन्द	8	खादीकुई, अजमेर
,,	33	जीतमल पुत्र जीवन	60	सिलेटा
,,	34	संतोष पुत्र राजमल	16	बरडूगी (नागौर)
,,	35	मीठूलाल पुत्र आजादकुमार	7	,,
,,	36	सत्तार पुत्र भंवर	9	भीमपुरा, अजमेर

1	2	3	4	5
सितम्बर,80	37	सेमाराम पुत्र पूसाराम	12	डेगाना (परबतसर)
,,	38	हरीश पुत्र झूमरामल	12	लालसाई का मन्दिर देहली गेट, अजमेर
,,	39	जयनारायण पुत्र श्यामलाल	17	सुखाड़ियानगर, अजमेर
,,	40	गोमती पुत्री मोहनदास	7	पुष्कररोड, अजमेर
,,	41	भंवरलाल पुत्र शिवजीराम	18	तिलोनिया (किशनगढ़)
,,	42	रामचरण पुत्र रामस्वरूप	3	,,
,,	43	स्वराज पुत्र देवीलाल	9	किशनगढ़
,,	44	गोपाल पुत्र नन्दा	13	टकड़ा (किशनगढ़)
,,	45	बाबरदास पुत्र चूहड़मल	10	देहलीगेट, अजमेर
,,	46	धन्नी पत्नी नामामल	45	सौदागर मोहल्ला, अजमेर
,,	47	बोदू पुत्र श्रीराम	10	ईटाखुई (दूदू), जयपुर
,,	48	रामी पुत्री पन्ना	8	,, ,,
,,	49	धापूबाई पत्नी किशनदान	65	भानसा (किशनगढ़)
,,	50	मुकेश पुत्र सज्जनसिंह	11	पालबीचला, अजमेर
,,	51	भूराराम पुत्र अमराराम	25	नेतड़ियाल (नागौर)
,,	52	ललीत मोहन पुत्र गोपाल	6	बाबूगढ़ मंदिर अजमेर
अक्टूबर,80	1	त्रिलोक पुत्र चांदमल	12	पुलिस लाइन, अजमेर
,,	2	मगन सिंह पुत्र मगनलाल	15	तिलोनिया (किशनगढ़)
,,	3	लादूराम पुत्र सेवाराम	14	,, ,,
,,	4	गोरी पत्नी मोता	40	गूंठली (मसूदा)
,,	5	फकीर मोहम्मद पुत्र बाबूखान	6	गोदपाक (मेड़ता)
,,	6	राजकुमार पुत्र गौरीशंकर	22	वर्मा जी की कोठी, अजमेर
,,	7	दीपशिखा पुत्री आर. बी. जैन	7	आदर्शनगर, अजमेर
,,	8	मूलचन्द पुत्र हीरानन्द	45	देहलीगेट, अजमेर
,,	9	ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल	6	फाईसागर, अजमेर
,,	10	मेवा पुत्र हीरालाल	4	मारेली
,,	11	जितेन्द्र पुत्र शांतीलाल	11	नेहरू मोहल्ला
,,	12	हुकमराज पुत्र विजयराम	15	मांगलियावास (नागौर)
,,	13	मंगला पुत्री रविचन्द्र	9	सांभरलेक
,,	14	छीतर पुत्र छोटू	30	नसीराबाद
,,	15	विजय पुत्र बीरुमल	12	लाखनकोठरी, अजमेर

224

1	2	3	4	5
अक्टूबर 80	16	रीवा पुत्री गोविन्दप्रसाद	6	खजानागली, अजमेर
,,	17	रमजान पुत्र अंबा	23	किशनगढ़
,,	18	विष्णु कुमार पुत्र रामेश्वर	17	,,
,,	19	देवी ?ती दयालदास	45	चांद बावड़ी, अजमेर
,,	20	श्रीबक्श	30	जीरोता (ब्राई)
,,	21	संतोष पुत्री हिम्मतसिंह	6	पुष्कर
,,	22	दव ? पुत्री इन्दरचन्द	4	किशनगढ़
,,	23	बब्बू पुत्र छीतरमल	30	जोटापुरा जीरोता, अजमेर
,,	24	मुकेश पुत्र चंदर	3	दरगाह बाजार, अजमेर
,,	25	गीता पुत्र घीसा	6	नागेलाल(मांगलियावास) अजमेर
,,	26	गेंदालाल पुत्र चौथमल	56	नाकामदार, अजमेर
,,	27	माणकचन्द पुत्र गेंदालाल	23	गुलाबबाड़ी
,,	28	सुशील पुत्र फिलिप	21	पालबीचला
,,	29	शुकना पुत्र सोजी	8	गोरियाना (ब्राई)
,,	30	घीला पुत्र भूरा	6	गोटियाना
,,	31	भागचन्द पुत्र गोपी	5	,,
,,	32	रमेश पुत्र ?बचन्द	22	अंदरकोट, अजमेर
,,	33	जगदीश पुत्र बीरमल	5	बाड़ी (विजयनगर)
,,	34	महेन्द्र पुत्र मोहन	8	गनेहा (पुष्कर)
,,	35	वीना पुत्री गुलाबचन्द	4	सगरामगढ़ (मसीन्द)
,,	36	रामनिवास पुत्र रामप्रसाद	12	गनेहा (पुष्कर)
नवम्बर, 80	1	दिलिपसिंह पुत्र गुमानसिंह	10	बारेठी (तिजोरा), अजमेर
,,	2	काना पुत्र लाला	10	परवतपुरा, अजमेर
,,	3	हीरा पुत्र बिरदा	55	पाली
,,	4	भोंरी पत्नी हरजी	45	बगरू (जयपुर)
,,	5	रीमा पुत्री रूपचन्द	10	मीरशाहगली, अजमेर
,,	6	गौतम पुत्र जिन्दल	30	मलाबाजार, अजमेर
,,	7	बाबू पुत्र मोहम्मद	11	जाटोनगर, अजमेर
,,	8	शेखी पुत्र हजारी	30	कानाखेड़ी
,,	9	असमी पुत्र द्वारका प्रसाद	7	रिड (नागौर)
,,	10	जंवरी पत्नी सुल्तानखानी	80	लीलाखेड़ी, पुष्कर
,,	11	उमा पुत्री ताराचन्द	10	पुष्कर

1	2	3	4	5
नवम्बर, 80	12	सुल्तानखां पुत्र ईदावा	40	लीलासेवड़ी, पुष्कर
,,	13	लारदेवी पत्नी श्री किशन	20	अराई (अजमेर)
,,	14	अलका पुत्री धीरजलाल	4	भीलवाड़ा
,,	15	महेन्द्रकुमार पुत्र हुकमचंद	35	किशनगढ़
,,	16	प्रेमचन्द पुत्र किशनलाल	26	गंज, अजमेर
,,	17	गणेशवरी पत्नी गोवर्धन	30	नखर, अजमेर
,,	18	खेमा पुत्र नाथू	13	अलनियावास (नागौर)
,,	19	तारा पुत्री रिजू	5	कमला नावड़ी, अजमेर
,,	20	गंगाकिशन पुत्र रतनलाल	28	मेडिकल बटालियन, अजमेर।
,,	21	गीता पत्नी श्रवण	20	वागौर (नागौर)
,,	22	खूबचन्द पुत्र छत्तूमल	60	पालवीमला, नागौर
,,	23	प्रेमप्रकाश पुत्र चन्द्रप्रकाश	6	ब्रह्मपुरी, अजमेर
,,	24	जसवंत पुत्र सम्पतराज	19	नरवाड़, अजमेर
,,	25	यू.एन. त्रिपाठी पुत्र वासुदेव	22	सुभाषनगर, अजमेर
,,	26	श्यामसुन्दर पुत्र प्रेमशंकर	9	सुंदरविलास, अजमेर
,,	27	रवी पुत्र उमाशंकर	10	,, ,,
,,	28	सुगनी पुत्री छीतर	7	डूगड़ा (सांपला)
,,	29	काननसिंह पुत्र नाथूसिंह	32	लाडवा (मेड़ता)
,,	30	कंवल पुत्रा चम्पालाल	13	,, ,,
,,	31	सायरी पत्नी बालूजी	70	,, ,,
,,	32	घीसा पुत्र पांचू	5	सोंकला (अजमेर)
,,	33	हीरालाल पुत्र घीसा	4	संदरिया, (अजमेर)
,,	34	रामस्वरूप पुत्र भवाराराम	36	सीआर टीओसी-2, अजमेर
,,	35	हीरासिंह पुत्र सम्बलसिंह	45	पुलिस लाईन, अजमेर
,,	36	कमरुद्दीन पुत्र अजादीन	25	किशनपुरा ,,
,,	37	जेठानन्द पुत्र पामनदास	45	देहलीगट ,,
,,	38	सुनीता पुत्री किशनसिंह	44	पालवी मला ,,
,,	39	केसरी पुत्र मांगू	60	रावपुर (पुष्कर)
,,	40	अलका पुत्री सलकेटवन	10	ड्रग्स कम्पाउण्ड, अजमेर
दिसम्बर, 80	1	भंवर पुत्र प्रताप	24	कचहरी रोड, अजमेर
,,	2	मगराज पुत्र मोतीसिंह	30	छोलीबस्ती, पुष्कर
,,	3	विष्णु पुत्र दयालदास	28	क्लॉकटावर, अजमेर

1	2	3	4	5
दिसम्बर, 80	4	मुरली पुत्र दलसुख	1?	नवाब का बेड़ा, अजमेर
,,	5	मनोज पुत्र वी० एल कश्या	18	हाथीभाटा ,,
,,	6	थुक्का पत्नी हरीरामदादू	30	डायू (मेड़ता)
दिसम्बर, 80	7	शांति पत्नी राधाकिशन	35	बीराडा (सरवाड)
,,	8	रामनिवास पुत्र भावूराम	5	कोड (डेगाना)
,,	9	मोहम्मद शरीफ पुत्र हुसैनबख्श	6	कोटीया (भीलवाड़ा)
,,	10	रेण्ड पुत्री रामस्वरूप	10	मीरशाहअली, अजमेर
,,	11	चांदी पुत्र ताराचंद	10	गनेडा (अजमेर)
,,	12	संतोष पुत्र नत्थूमल	5	नलाबाजार, अजमेर
,,	13	बुद्धा पुत्र मंगलाराम	6	कोड (डेगाना)
,,	14	ताराचन्द पुत्र कुंदमल	40	अजयनगर, अजमेर
,,	15	किशन पुत्र चन्द्रपाल	9	पहाडगंज, अजमेर
,,	16	धन्ना पुत्र लादू	3	फतेहगढ़ अजमेर
,,	17	जस्सा पुत्र किस्तूर	40	गोविन्दगढ़ (पुष्कर)
,,	18	रंजीत पुत्र श्रीबख्श	30	पालिशा (दूदू), जयपुर
,,	19	लादू पुत्र भूरा	30	बीर, अजमेर
,,	20	विजयसिंह पुत्र शिवदान	18	जसवंतपुरा लेसवा, अजमेर
,,	21	राकेश पुत्र हरीगोपाल	9	सदर बाजार, अजमेर
,,	22	ओमसिंह पुत्र तेजसिंह	60	किशनगढ़
,,	23	गोदावरी पुत्री रामकिशन	11	पहाड़गंज, अजमेर
,,	24	महावीर पुत्र मोहनलाल	25	किशनगढ़, अजमेर
,,	25	हीरालाल साहू	40	धूवटन, अजमेर
,,	26	हेमा पुत्र बाबू	20	अजमेर
,,	27	बिरदीचंद पुत्र रामलाल	45	उटडा, अजमेर
,,	28	दत्ताराम पुत्र जयराम	45	सीतागंज, अजमेर
,,	29	सीताराम पुत्र बदरजी	5	पुष्कर, अजमेर
जनवरी, 81	1	ओमप्रकाश पुत्र सुखदेव	10	जेठाना (अजमेर)
,,	2	नवरत पुत्र रामा	10	बुहारू (अजमेर)
,,	3	घीसा पुत्र भंवरनाथ	18	संवातर (अजमेर)
,,	4	सुखा हरी	12	नीमसर (नागौर)
,,	5	प्रोनास मोहनदास	2	नवाब का बेड़ा (अजमेर)
,,	6	प्रेम पुत्र बोधू	5	गोडाऊन (अजमेर)
,,	7	शंकरनाथ	22	घनार (अजमेर)
,,	8	सुरेन्द्र पुत्र एम. एल. चोपड़ा	24	बन्दोकुई

1	2	3	4	5
जनवरी,81	9	सुनिल पुत्र एम. एस. सिंघल	12	सुन्दरविलास (अजमेर)
,,	10	अनिल पुत्र रामजीलाल	8	भगवान गंज (अजमेर)
,,	11	संजय पुत्री सुरेन्द्र	1	किशनगंज, अजमेर)
,,	12	कुन्दन पुत्र अमरचन्द	2	रूपवर्ता (भीलवाडा)
,,	13	सूरजमल	21	मेहूला
,,	14	गोकल हरीज	45	धनमा (अजमेर)
,,	15	रामचन्द्र पुत्र सूरजमल	30	नन्दला (अजमेर)
,,	16	राजेश पुत्र सत्यनारायन	5	पीचोलिया (अजमेर)
,,	17	दुर्लचन्द पुत्र मोतीराम	15	सुखदेव नगर
,,	18	धन्नासिंह पुत्र लालसिंह	6	भक्षवारी, परबतसर (नागौर)
,,	19	अयूबखां पुत्र मो० उस्मान	12	केकड़ी (अजमेर)
,,	20	सुरेश पुत्र भंवरलाल	7	,,
,,	21	मैना पुत्री देवनारायन	25	नन्दला (अजमेर)
,,	22	घीसी पत्नी बजरंग सिंह	45	केकडी (अजमेर)
,,	23	दीपक पुत्र कन्हैयालाल	4	हाथी भाटा(अजमेर)
,,	24	अबरार पुत्र मुश्ताख	15	असराना
,,	25	मन्जु पुत्री सन्तोष	3	लोहिया मोहल्ला (अजमेर)
,,	26	देवीसिंह पुत्र चोथू	10	लखीपुरा (अजमेर)
,,	27	सोनी पुत्र मन्जु	45	खेमनरीज (जयपुर)
,,	28	रा[illegible] पुत्र सेवानन्द	6	नसीराबाद
,,	29	रामदीन पुत्र नाथा	55	रघुनाथपुरा (नागौर)
,,	30	जुबेदा पुत्री जानमोहम्मद	12	इन्दरकोट (अजमेर)
,,	31	टीकमचन्द पुत्र पोखरराम	13	गौतमनगर (अजमेर)
,,	32	मदनसिंह पुत्र बादसिंह	50	राठन (नागौर)
,,	33	गोगली पत्नी रतना	35	,,
,,	34	कान्ता पत्नी बृजमोहन	40	औरंगाबाद(महाराष्ट्र)
,,	35	प्रभूलाल पुत्र गोपीलाल	11	सुथामी अजमेर)
,,	36	रामचन्द्र पुत्र सवण	16	केसर (अजमेर)
,,	37	रुकमा पुत्री सवण	9	,,
,,	38	जयसिंह पुत्र पानसिंह	26	रघुनाथपुरा
,,	39	सवंतलाल पुत्र गोमाराम	27	श्रीनगर अजमे)
,,	40	जेठू पुत्र हरलाल	45	किशनगढ़
,,	41	चन्दा पुत्री लक्ष्मीचन्द	18	जादूगढ़

1	2	3	4	5
जनवरी, 80	42	कुशालसिंह पुत्र दौलतसिंह	8	शास्त्रीनगर, (अजमेर)
,,	43	प्रकाशसिंह पुत्र दौलतसिंह	13	,,
,,	44	वीना पुत्री नन्दकिशोर	5	परबतसर (नागौर)
,,	45	ओमप्रकाश पुत्र घीसा	60	डाबला (अजमेर)
,,	46	रन्जीत पुत्र जीवन	25	बुधवाडा (अजमेर)
,,	47	ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण	11	सर्वन (अजमेर)
,,	48	शीशीप्रभा पुत्र प्रहलाद	5	,,
,,	49	शिवकरन पुत्र घोला	15	बुधवाडा
,,	50	उवाव हुसैन पुत्र पेश-मोहम्मद	4	सरवन (अजमेर)
,,	51	घीसा नारायण	26	देवपुरा (अजमेर)
,,	52	संजय अर्ल पुत्र अलानूर	13	पहला (अजमेर)
फरवरी, 81	1	सन्तोष पुत्री पेमाराम	7	नागौर नागौर
,,	2	गोपाल पुत्र नन्दलाल	33	मखुपुरा (अजमेर)
,,	3	जमुना पत्नी भैरु	60	बालूपुरा (अजमेर)
,,	4	बद्री पुत्र चान्दरा	6	,, ,,
,,	5	कालूसिंह पुत्र हुकमसिंह	16	तारागढ़, अजमेर
,,	6	प्रभू पुत्र उगमा	5	देवतीया अजमेर
,,	7	चिमनदास पुत्र चौथूराम	24	खारी कुई, अजमेर
,,	8	मदनमोहन पुत्र पितीड	32	किशनगढ़
,,	9	मनीष पुत्र शान्त स्वरुप	9	इटावा (यू. पी.)
,,	10	गोरधन पुत्र गंगाराम	29	नयागांव, अजमेर
,,	11	शान्ती पत्नी भंवरलाल	32	पल्टन बाजार, अजमेर
,,	12	सोती पत्नी हनुमान	22	कोड, नागौर
,,	13	विमल पुत्री घीसालाल	5	,,
,,	14	राजू पुत्र ओमप्रकाश	8	विजयनगर, अजमेर
,,	1	गुलजार पुत्र अलानूर	30	गोविन्दगढ़ अजमेर
,,	16	प्रताप पुत्र वूरमा	7	गोयिाहेडा, अजमेर
,,	17	ओमप्रकाश पुत्र सुवाराम	6	पहाडगंज अजमेर
,,	8	गोपाल पुत्र लाला	3	त्रिपोलिया, अजमेर
,,	19	जयदेव पुत्र प्रेम प्रकाश	16	रामगंज अजमेर
,,	20	सोनू पुत्र नारायन	5	बुधवाडा अजमेर
,,	21	रतनलाल पुत्र अमीचन्द	25	बिहारी गंज
,,	22	गोरधन पुत्र मूला	25	नयागांव, अजमेर
,,	23	मदन पुत्र रामकिशन	8	पुष्कमान अजमेर

1	2	3	4	5
फरवरी 81	24	सेविया पुत्र गुदार	9	कुचेरा, नागौर
,,	25	केलो पत्नी पुनाराम	50	नसीराबाद अजमेर
,,	26	रामदयाल पुत्र गोकल	7	,,
,,	27	नौवरत पुत्र छोटूनाथ	23	गनहेरा, अजमेर
,,	28	लक्ष्मी पुत्र कन्हैयालाल	18	नलाबाजार, अजमेर
,,	29	वासुदेव पुत्र होतचन्द	22	पुलिस लाईन, अजमेर
,,	30	राकेश पुत्र नाथू	25	धौलाबड़ा, अजमेर
,,	31	राजु पुत्र धर्मदास	14	त्रिपती गेट, अजमेर
,,	32	सेवाराम पुत्र गनेशलाल	62	मुन्द्री मोहल्ला, अजमेर
,,	33	बूनाराम पुत्र संवारजा	10	मकराना मेड़तासिटी, नागौर
,,	34	किशनचन्द पुत्र ग्यानचन्द	50	नवाब का बाडा, अजमेर
,,	35	बाबू पुत्र सर्गन	6	गंज. अजमेर
,,	36	हेमा पत्नी गोरधन	60	बालूता
,,	37	सूरजमल पुत्र भैरु	10	,,
,,	38	मीरा पुत्री बन्सीलाल	16	देहलीगेट, अजमेर
,,	39	संतोष पत्नी शंकर[illegible]ल	35	आदर्शनगर, अजमेर
,,	40	जेठी पत्नी बहादुर	45	चोरसिसवार, ,,
,,	41	दिलीप पुत्र कल्याण मल	8	फायसागर, अजमेर
,,	42	धीसा पुत्र घुसाराम	45	पीलवा नागौर
,,	43	सोकीन पुत्र मंगला	9	बीथापुर. अजमेर
,,	44	उसीर पुत्र महताब	8	,,
,,	45	पतर[illegible] पत्नी पर[illegible]सी	28	एन लेण्ड
,,	46	सोहनलाल पुत्र छगनलाल	30	रतनपुरा, अजमेर
,,	47	हीटलर पुत्र भंवरसिंह	44	फ़ायसागर, अजमेर
,,	48	मोहनी देवी पत्नी मन्नालाल	24	फायसागर रोड, अजमेर
,,	49	संगीत पुत्री रामस्वरूप	18	किशनगढ़
,,	50	हर[illegible]सिंह पुत्र हीरासिंह	28	राजगढ़, अजमेर
,,	51	भंवरी पत्नी मंगतारसिंह	25	कावरा, अजमेर
,,	52	ऐसियन पुत्री श्यामसुन्दर	12	कायड. अजमेर
,,	53	अली हैदर पुत्र छो[illegible] अली	1[illegible]	डोरिया, अजमेर
,,	54	हर[illegible]दसिंह पुत्र हीरासिंह	28	व[illegible]ट, अजमेर
,,	55	मन्जू पुत्र कन्हैया	40	,,
,,	56	रामस्वरूप पुत्र भंवरलाल	24	नल गोड।
,,	57	भारती पुत्र [illegible]	[illegible]9	बाबाजी, अजमेर

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची

पंचायत समिति अन्ता जिला कोटा की ग्राम पंचायत मुख्यालय की सूची मय उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत मुख्यालय	नाम चिकित्सा सुविधा	अन्य
1	2	3	4
1.	अन्ता	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी	
2.	पलायथा	आयुर्वेद औषधालय एवं एड पोस्ट	
3.	ठिकरिया	-यथा-	
4.	भोज्या खेड़ी	-यथा-	
5.	सम रहा	-यथा-	
6.	बड़गांव	आयुर्वेद औषधालय	
7.	पाटोदा	-यथा-	
8.	बालदड़ा	-यथा-	
9.	पचेल कला	-यथा-	
10.	काचरी	-यथा-	
11.	दिलोरा	-यथा-	
12.	बड़वा	-यथा-	
13.	जयनगर	-यथा-	
14.	मिर्जापुर	-यथा-	
15.	सो.सन	आयुर्वेद औषधालय इस ग्राम पंचायत में ग्राम नियाना में आयुर्वेद औषधालय है।	
16.	खजूरना कला	आयुर्वेद औषधालय	
17.	मऊ	-यथा-	
18.	मालखमोरी	-यथा-	
19.	धमोरी कला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
20.	जारेल	-यथा-	
21.	सीसवाली	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी	
22.	तिसाया	-यथा-	
23.	जालोदा तेजाजी	-यथा-	
24.	उदयपुरिया	आयुर्वेद औषधालय	
25.	सोहत	-यथा-	

1	2	3	4
26.	हिंगोनिया	-यथा-	
27.	भटवाड़ा	-यथा-	
28.	रायथल	-यथा-	
29.	किशनपुरा	-यथा-	
30.	ईशरपुरा	-यथा-	

विशेष टिप्पणी:—

1. क्रमांक 15 पर अंकित ग्राम पंचायत मुख्यालय संरसन में औषधालय न होकर इस ग्राम पंचायत के ग्राम नियाना में आयुर्वेद औषधालय है।

2. वर्ष 1980-8 में केवल क्रमांक 28 पर अंकित ग्राम पंचायत मुख्यालय रायथल में औषधालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट 15

ध्यानाकर्षित प्रस्ताव "पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी" पर दिये गये वक्तव्य में उल्लिखित सूची

परिशिष्ट (क)

बाड़मेर जिले में वर्ष 1980-81 में स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	गांवों की संख्या
1.	हैण्ड पम्प योजनायें	25
2.	हैण्ड पम्प योजनायें	32
3.	क्षेत्रीय मजीठ बनवास	4
4.	विस्तार गिराब रामसर से कानपी	1
5.	विस्तार बामसीन मजल	3
6.	बी. एण्ड टी. मनुमार	2
7.	क्षेत्रीय-पाटोदी, कोणेवा	15
8.	क्षेत्रीय बाकिया बाचवारन	8
9.	क्षेत्रीय-खेजारो याली रामपुरा	6
10.	क्षेत्रीय-पाटों का बाड़ा	5
11.	क्षेत्रीय-नगर	6
12.	क्षेत्रीय-राघु	12
13.	क्षेत्रीय-सिनगामजी माना की बाम्पी	6
14.	क्षेत्रीय-अहौ-बोन्दयार	4
15.	क्षेत्रीय-मूथलीगोलिया	6
16.	क्षेत्रीय कोरी बागवान	13
17.	क्षेत्रीय-ढोली कला ढोरी खुर्द	6
18.	क्षेत्रीय-कोषा मिश्री	10
		163

जैसलमेर जिले में वर्ष 1980-81 में स्वीकृत योजनाओं को [illegible]

क्र. स.	योजना का नाम	ग्रामों की संख्या
1.	हैण्ड पम्प योजनायें	17
2.	हैण्ड पम्प योजनायें	12
3.	विस्तार बजासर सत्याया	2
4.	क्षेत्रीय मायसर	6
5.	क्षेत्रीय सैवगढ़ थेलार	3
6.	क्षेत्रीय कोदियासर-राजमथ	6
7.	क्षेत्रीय रामा-सीतालाई	4
8.	क्षेत्रीय देलासर केरालिया	6
9.	विस्तार राजमथाई थलसून्द	3
10.	विस्तार-कालाऊ-मिनियाना	2
		67

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1981-82 हेतु जिला सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित ग्रामों की सूची

क्रम सं०	योजना का नाम	गांवों का का नाम
(1)	विस्तार गडरा जयसिंह रेल्वे स्टेशन	(1) जयसिंह रेल्वे स्टेशन
(2)	क्षेत्रीय जल योजना गडरा फूलून	(1) फूलून
		(2) बूठिया
(3)	क्षेत्रीय जल योजना गडरा तलब का पार	(1) सज्जन का पार
		(2) छच्छे का पार
		(3) भिंडे का पार
		(4) तलब का पार
(4)	क्षेत्रीय योजना भीलों की ढाणी	(1) खारची
		(2) भाटिया
		(3) हरसाली मगरा
(5)	क्षेत्रीय योजना शास्त्री गांव	(1) बन्धड़ा
		(2) बिजूसी
		(3) तन्नरेती
		(4) रतनडेरी

ग्राम लकड़ियाली, धाडी का पार, मुनाबा स्टेशन तथा मोमेरी को बाड़मेर जिले के लिये तैयार की गयी शेष गांवों की जल योजनाओं हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लिया जा रहा है।

———